शुक्रवार, 27 अगस्त, 1996

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

दिनांक 27 अगस्त, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (।)	नीचे से 5	खाद्य तेल	वनस्पति तेल
	नीचे से 2	लाल डोरा सीमा को बढ़ाने	लाल डोरे की सीमा का विस्तार किए जाने
1	अंतिम	श्री मधुकर सर्पोतदार	श्री मधुकर सरपोतदार
3	2	श्रीराम विलास पासवान	श्री राम विलास पासवान
19	नीचे से 5	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
50	16	मोहम्मद मकबूल डार से पहले "श्री" पढ़िए ।	
59	नीचे से 3	कीड़ों	कीलों
60	20	श्री नेलावाला सुब्रह्मण्यम	श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला
72, 211	2, 18	श्री उदव बर्मन	श्री उधव बर्मन
73	13	श्री जी॰एम॰ कुट्टरफर	श्री जी॰एम॰ कुट्टरकर
111	नीचे से 13	रतलाम - इंदौर से पहले (ग) पढ़िए ।	
113	20	श्री नवल किशोल राय	श्री नवल किशोर राय
119	नीचे से 9	प्रश्न संख्या 3105 से पहले * का लोप कीजिए ।	
127	9	श्री चौबा सिंह	श्री थ॰ चौबा सिंह
135	11	मवेशियी	मवेशियों
135	12	श्री आर॰साम्ब्लासिवा राव	श्री आर॰ साम्बासिवा राव
148	15	बोधपुर	जोधपुर
148	16	प्रा० रासा सिंह रावत	प्रो० रासा सिंह रावत
161	12	श्री बी॰ धर्मभिक्षण	श्री बी॰ धर्मभिक्षम
163	10	श्री संतोष कुमार गंगावार	श्री संतोष कुमार गंगवार
168	6	रतिलाल कालिदास वर्मा से पहले "श्री" पढ़िए ।	
188	22	री माधव राव सिंधिया	श्री माधव राव सिंधिया
211	नीचे से 11	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषद	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद
213	2	श्रीमती भावना वेन देवराजभाई चिखलिया	श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया
228	नीचे से 9	श्री आनन्दरत्न मौर्या	श्री आनन्द रत्न मौर्य
229	नीचे से 12	डा० राम॰ जगन्नाथ	डा० एम॰ जगन्नाथ
243	14	राष्ट्री तिलहन	राष्ट्रीय तिलहन
246	13, 16	संबुवारापार जिला	संबुवरयार जिला
303	नीचे से 2	जी॰पी॰चिदम्बरम	श्री पी॰ चिदम्बरम
308	15	मेहोदय	महोदय

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)

अंक 19, शुक्रवार, 27 अगस्त, 1996/5 भाद्र 1918 (शक)

विषय				कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर				
*तारांकित प्रश्न संख्या	361	से	363	1-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर				
तारांकित प्रश्न संख्या	364	से	380	22-49
अतारांकित प्रश्न संख्या	3009	से	3244	50-238
सभापटल पर रखे गये पत्र				239-240
वित्तीय समितियां—एक समीक्षा				240
शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति				240
पहला तथा दूसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश				
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति				241
पचीसवां प्रतिवेदन				
गृह-कार्य संबंधी स्थायी समिति				241
उन्तीसवां, तीसवां और इकतीसवां प्रतिवेदन				
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति				241-242
इकतीसवां, बत्तीसवां, तैंतीसवां तथा चौतीसवां प्रतिवेदन				
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति				242
तेइसवां प्रतिवेदन				
समितियों के लिये निर्वाचन				242-244
नारियल विकास बोर्ड				
राष्ट्रीय तिलहन और खाद्य तेल विकास बोर्ड				
तम्बाकू बोर्ड				
नियम 377 के अधीन मामले				244-247
(एक) चण्डीगढ़ में गांवों की लाल डोरा सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता।				
श्री सत्यपाल जैन				244-245

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(दो) ज़ौनपुर, उत्तर प्रदेश में दूर संचार के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की आवश्यकता

श्री राजकेश्वर सिंह 245

(तीन) 2100 करोड़ रुपये के बकाया ऋणों को माफ करने के उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर पुनर्विचार की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही 245-246

(चार) संबूवरयार जिला, तमिलनाडु, की पहाड़ियों में लौह अयस्क के खनन की आवश्यकता

श्री डी. वेणूगोपाल 246

(पांच) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री बृजभूषण तिवारी 246-247

मंत्री द्वारा वक्तव्य 256-259

अमरनाथ यात्रा

श्री इन्द्रजीत गुप्त

स्थगन प्रस्ताव के बारे में 259-270

अमरनाथ यात्रा

बजट (सामान्य 1996-97) सामान्य चर्चा

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी 271-276

डा. देवी प्रसाद पाल 276-286

श्री वी.वी. राघवन 286-294

श्री ओ. भारथन 294-296

श्री प्रमथेस मुखर्जी 296-300

श्री चित्त बसु 300-306

श्री पी. नामग्याल 306-322

लोक सभा

मंगलवार, 27 अगस्त, 1996/ 5 भाद्र, 1918(शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस : हम माननीय उपाध्यक्ष महोदय और इस सदन को ओनम की बधाई देते हैं। केरल में आनेम का त्यौहार मनाया जा रहा है और हम चाहते थे कि हम भी केरल में होते परन्तु हम यहां पर हैं। हम चाहेंगे कि आगली बार आनेम की छुट्टी हो। हमारी कामना है कि ओनम आपके लिये खुशियां लाये।

श्री नीतीश भारद्वाज : इस सदन में पायसम बांटने के बारे में क्या है ?

श्री पी. सी. थामस : इस पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

रेल परियोजनाएं

*361. **श्री ⁺सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ईरानी राजदूत ने उनसे अन्य बातों के साथ-साथ ईरान में निर्माणाधीन विभिन्न रेल परियोजनाओं पर बातचीत करने के लिए 28 जून, 1996 को भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ईरान को रेल परिवहन प्रणाली में सुधार करने के लिए 1976 से सहायता प्रदान करता आ रहा है;

(ग) क्या भारत ईरान के बीच इस संबंध में किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो भारत रेलवे के विकास में ईरान को किस हद तक सहायता देने के लिए सहमत हुआ है ?

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ईरानी राजदूत ने 27-6-96 को रेल मंत्री से भेट की थी और ईरान में चल रही विभिन्न रेल परियोजनाओं के संबंध में विचार–विमर्श किया था।

(ख) और (ग) परिवहन के क्षेत्र में ईरान के साथ सहयोग दो दशकों से भी अधिक समय से चल रहा है। अंतिम समझौता ज्ञापन पर भारत के रेल मंत्री तथा ईरान के परिवहन मंत्री द्वारा अगस्त, 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें रेल संबंधी विभिन्न गतिविधियों में सहयोग की परिकल्पना की गई है।

(घ) परामर्श, प्रशिक्षण, परियोजना कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकी के अपग्रेडेशन आदि के रूप में ईरान की रेल प्रणाली के विकास के लिए, भारत उसे हर संभव सहयोग देने के लिए सहमत हो गया है।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ईरान से 1976 में जो मुआहिदा हुआ, उसमें अब तक कितने मीटर की रेलवे लाइन डाली गई और उससे हिन्दुस्तान और ईरान को कितना फायदा पहुंचा ?

شری سلطان صلاح الدین اویسی (حیدرآباد): اپادھیکش مہودے۔ میں منتری جی سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایران سے ۱۹۷۶ء میں جو معاہدہ ہوا اس میں اب تک کتنے میٹر کی ریلوے لائن ڈالی گئی اور اس سے ہندوستان اور ایران کو کتنا فائدہ پہنچا۔

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष ही, ईरान के राजदूत के साथ मेरी जो बातचीत हुई, उसमें मुख्य रूप से दो मुद्दे आए-एक तो बन्दरे इमाम से आगाज तक सिगनल परियोजना का 25 मिलियन डालर में समझौता हुआ था। लेकिन वे अब उसे बदलना चाहते हैं और मसाद से सराख में सिगनल लगाना चाहते हैं हालांकि उसकी लाईन भी उतनी ही है।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सर्पोतदार : यह प्रश्न अलग है। वह जानना चाहेंगे कि

ईरान और भारत ने इस से क्या लाभ प्राप्त किये ?

श्रीराम विलास पासवान : आप का प्रश्न क्या है ?

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : 1976 में जो मुआहिदा हुआ, उसमें आपने अब तक कितनी रेलवे लाइन डाली और उससे हिन्दुस्तान और ईरान को कितना फायदा हुआ ?

شری سلطان صلاح الدین اویسی (حیدرآباد): ۱۹۷۶ء میں جو معاہدہ ہوا اس میں آپ نے اب تک کتنی ریلوے لائن ڈالی اور اس سے ہندوستان اور ایران کو کتنا فائدہ ہوا۔

श्री राम विलास पासवान : यदि आप सिम्पल जानना चाहते हैं तो अभी तक हमने कुछ भी नहीं डाला है।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : 1976 से अब तक कुछ भी नहीं डाला।

شری سلطان صلاح الدین اویسی (حیدرآباد) ۱۹۷۶ء سے اب تک کچھ بھی نہیں ڈالا۔

श्री राम विलास पासवान : कुछ नहीं।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : यह तो रेलवे का बड़ा कारनामा है साहब। मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपने आबदान और मुशद में भी मुआहिदा किया था। उसके ताल्लुक से भी क्या आपका यह जवाब है कि हमने कुछ नहीं किया ?

شری سلطان صلاح الدین اویسی (حیدرآباد): یہ تو ریلوے کا بڑا کارنامہ ہے صاحب۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آبدان اور مشد میں بھی معاہدہ کیا تھا۔ اس کے تعلق سے بھی کیا آپ کا یہی جواب ہے کہ اب تک ہم نے کچھ نہیں کیا۔

श्री राम विलास पासवान : मामला भारत का नहीं है ईरान का है। भारत काम करना चाहता है। हमारा जो राईटस है, वह सलाहकार है। और इरकोन उसको एग्जीक्यूट करता है। मेरे बताने के बाद इनको प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी दो चीजे हैं, दो परियोजनाएं हैं, एक रेलवे सिगनलिंग की है और दूसरी नई रेलवे लाइन की है। नई रेलवे लाइन की दो परियोजनाएं हैं, वाग से मसाद और दूसरी करमन से जाहेदान। ये दो परियोजनाएं हैं, जिन पर हमने काम करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। ईरान ने इन दो लाइनों के ऊपर टेंडर भी मांगा था, टेंडर भी एक साल पहले उन्होंने मांगा था, हमने टेंडर भी ऑफर किया है। उसकी अनुमानित लागत 700 मिलियन डालर की है। अब ईरान के ऊपर निर्भर करता है, ईरान पैसा देगा तो हम काम शुरू कर देंगे और ईरान पैसा नहीं देगा तो नहीं करेंगे।

श्री मुख्तार अनीस : आपकी तरफ से तो कोई व्यवधान नहीं है ?

श्री राम विलास पासवान : हमारी तरफ से कोई व्यवधान नहीं है।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, हम प्रसन्न हैं कि गत वर्ष 27 जून को ईरान के राजदूत माननीय रेल मंत्री से मिले पर्याए मिले थे और उनसे ईरान में परीयोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता का अनुरोध किया था। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि हाल की बजट चर्चा के दौरान लगभग प्रत्येक राज्य के माननीय सदस्यों ने रेल मंत्रालय से नई रेल लाइनों, नये डिब्बों और सभी चीजों की मांग की है। परन्तु धन के अभाव में रेलवे उन को क्रियान्वित नहीं कर पाई और प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाई। वास्तव में 50 वर्ष बाद भी नई लाइनों का कार्य बहुत मामूली है। अतः रेलवे के क्षेत्र में ईरान हमारे देश के विज्ञान तथा प्राद्योगिकी में जो रुचि दिखा रहा है उसका हम लाभ क्यों नहीं उठाते ? हम जानते हैं कि ईरान एक अमीर देश है और यह विश्व में समृद्ध तेल उत्पादक देशों में से एक है। क्या माननीय मंत्री के लिए उनसे यह जानने के लिए बातचीत द्वारा सम्भव है कि वह हमारे देश में धन लगाने में रुचिकर हैं। इस समय वह केवल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारा परामर्श ले रहे हैं। क्या ईरान सरकार अथवा किसी अन्य निवेशक को एक निजी क्षेत्र के रूप में अपने देश में नई रेल लाइनों के निर्माण तथा बोगियों के निर्माण में आकर्षित करना सम्भव है ? क्या इस क्षेत्र में बिहल-ओन-लीज-ट्रांसफर-स्कीम लागू करना सम्भव है जैसा कि हमने पहले ही सड़क क्षेत्र में किया है ? मैं महसूस करता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थिरता आ गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी बात संक्षेप में कहिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : वह भी पूरा धन नहीं दे पाये है और समूचे देश में हम लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाये हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से पूछ रहा था कि क्या अपने देश की रेल व्यवस्था में ईरान सरकार की भागीदारी का उपयोग करना सम्भव है ? हम क्या अपने देश में नई रेल लाइनों के निर्माण में ईरान से अधिक निवेशनों तथा संस्थापकों को आकर्षित करना सम्भव है ? क्या अपनी रेल व्यवस्था में बिल्ड-आन-लीज-ट्रांसफर स्कीम लागू करना सम्भव है जैसा कि सड़क क्षेत्र में किया है ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : नहीं, अभी तो उन्होंने हमसे काम करने के लिए कहा है, इसलिए हम अभी उस पर विचार कर रहे हैं। आपका जो मेन प्रश्न है कि हमसे उनकी जो इन दो मुद्दों पर बातचीत हुई है, जहां तक प्राइवेट सैक्टर का सवाल है, हमारे पास बहुत सी स्कीम्स हैं, बोल्ट स्कीम है, और भी स्कीम्स हैं, यदि प्राइवेट सैक्टर के लोग, चाहे देश के हों या बाहर के हों, यदि उसमें मदद करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं तो रेलवे ने अपना दरवाजा बन्द नहीं कर रखा है, हम अपने इंटरैस्ट को देखते हुए जो भी सम्भव होता है, उसको एन्करेज

करने का काम करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, उन्होंन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ओवेसी, आप पहले ही दो अनुपूरक प्रश्न कर चुके हैं तीसरे की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : मेरे संवाल का जवाब ही नहीं आया।

شری سلطان صلاح الدین اویسی (حیدرآباد): میرے سوال کا جواب ہی نہیں آیا۔

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बहुत देर के बाद याद आया।

मुझे खेद है। मैंने अगले सदस्य को प्रश्न पूछने के लिए कह दिया है।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : जो ट़ेलीवेजिज के मजदूर हैं, जो मुआहिदा हुआ हैं उस मुआहिद का उनको क्या फायदा हुआ ?

شری سلطان صلاح الدین اویسی (حیدرآباد): جو ڈیلی ویجز کے مزدور ہیں - جو معاہدہ ہوا ہے تو اس معاہدے کا ان کو کیا فائدہ ہوا۔

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे खेद है, श्रीमान।

(व्यवधान)

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदयं, मैंने पूछा हैं कि क्या ईरान सरकार के लिए यह सम्भव है कि वह हमारी परीयोजनाओं में सहायता करे ? मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। मैं चाहता हूं कि वह उसका उत्तर दें। वह केवल निजी परियोजनाओं संबंधी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ईरान सरकार के बारे में क्या है जोकि तेल उत्पादन में के मामले में एक अमीर देश है ? क्या उसका लाभ उठाना सम्भव है ? मुझे इसका उत्तर चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यह दो देशों के बीच की बात है, केवल भारत की नहीं है। मुख्य प्रश्न ईरान के राजदूत और भारत के रेल मंत्री के बीच वार्ता हुई और उसके पहले जो समझौता हुआ था, इन दोनों के मुतल्लिक था। इन दोनों देशों के बीच दो मुद्दे आए हैं। यह बात कि ईरान से पैसा लिया जाए या वे यहां आकर टेक्नोलाजी का इस्तेमाल करे, यह मामला हमारे बीच नहीं उठा।

श्री पवन दीवान : छत्तीसगढ क्षेत्र में बिलासपुर रेलवे जोन के लिए आंदोलन चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ईरान का सवाल है।

श्री पवन दीवान : विभिन्न परियोजनाओं को बात हो रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : छत्तीसगढ़ ईरान में नहीं है, यह भारत में है। आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस : महोदय, यह बहुत अच्छी बात है कि ईरान ने कुछ रुचि दिखाई है। हमारा अपना संगठन है जिसे 'राइट्स' कहते हैं वह निर्माण, प्रौद्योगिकी और रेल परीयोजनाओं के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि 'राइट्स' को विदेशों से भी आर्डर मिल रहे हैं। यदि हम राइट्स को और अधिक वित्त देकर उसकी दक्षता को बढ़ा सकें तो मेरे विचार में तो विदेशों से मिलने वाले आदेशों के मामलों में वह बहुत अच्छा काम कर सकेगा।

इस अवस्था में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राइटस द्वारा हाथ में ली गई कुछ सेवाओं...

उपाध्यक्ष महोदय : कृप्या प्रश्न पूछें।

श्री पी. सी. थामस : क्या आप राइट्स को अधिक समर्थन विशेषकर वित्तीय तथा अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में, देने को तैयार हैं जो कि हमारे देश का रेलवे के अधीन एक शानदार संगठन है ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : राइट्स का काम बहुत अच्छा हो रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं। अगर इसी तरह आगे भी काम करेगी, हम आगे भी समर्थन करेंगे।

श्री तारिक अनवर : जो ईरान के साथ प्रोजेक्ट चल रहां है या सम्भावना है, तो ऐसे कितने देश हैं जिनके साथ हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं ? इससे अलावा इससे हमें कितना रेवेन्यु मिल रहा है और कितनी आमदनी हो रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न ईरान से सम्बन्धित है।

श्री तारिक अनवर : वही पूछ रहा हूं। उसमें हिन्दुस्तान के कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है, यह भी मैं जानना चाहता हूं ?

श्री राम विलास पासवान : जहां तक ईरान का सम्बन्ध है, मैंने पहले बताया कि 25 मिलियन अमेरिकन डालर्स का समझौता हो गया है। नई रेल लाइन वाहद से मसाद और कर्मन से जटेदान तक हमने आफर की है। यदि वे इसे स्वीकार करते हैं तो यह 700 मिलियन अमेरिकन डालर्स का समझौता होगा। दोनों मिलाकर 725 मिलियन अमेरिकन डालर्स का कारोबार बनता है। इसके अलावा जो काम का सम्बन्ध है, सहयोग का सम्बन्ध है, बहुत सारे देश हैं, नेपाल है, बर्मा है, बंगलादेश है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, मलेशिया है, वियतनाम है,

मारीशस है, इराक है, इन सबके साथ हमारा सम्पर्क है और सहयोग जारी है।

श्री तारिक अनवर : रोजगार के बारे में नहीं बताया।

श्री राम विलास पासवान : वह नहीं है।

श्री मुखतार अनीस : जब से ईरान को स्वतंत्रता मिली है वह चाहता है कि तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उनका नेतृत्व भारत करे और भारत से मध्य एशिया के देश काफी आशा रखे हुए हैं। मैं इसी सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि आपकी जो वार्ता हुई है। इस सिलसिले में हमारी जो नई सरकार बनी है, यह सरकार इसमें दुबारा पहल करके और इस समझौते के सिलसिले में उनसे बात करके जो दूसरी दुनिया के देश हैं, उनके अन्दर अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या स्वयं बात शुरू करेगी और इस काम में जल्दी करने का प्रयास करेगी ?

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, हमने कहा कि हम प्रयत्नशील हैं और हमको लगता है कि ईरान भी इस मामले में प्रयत्नशील है। कभी-कभी वह तेल देने के लिए तैयार होते हैं और पैसे के मामले में दिक्कत आने लगती है। लेकिन इससे हमारी जो आपसी बातचीत है या सौहाद्रपूर्ण वातावरण है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आती है।

श्री सत्य पाल जैन : जो अभी सुलतान साहब ने और अनवर जी ने सवाल पूछे हैं, उसके संबंध में मंत्री जी से जानकारी लेना चाहता हूं कि कोई भी देस जब किसी दूसरे देश से किसी भी संबंध में कोई एग्रीमंट करता है तो उसमें सबसे पहले हमारा नेशनल इंटरेस्ट होता है कि इससे हमको क्या लाभ होगा। जो इन्होंने सवाल पूछा और सुल्तान साहब जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आप जो ईरान के साथ इस संबंध में समझौता करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसमें भारत सरकार की अपने देश के लिए क्या प्रायोरिटी है, उसमें वह अपने देश के लिए क्या लाभ देख रहे हैं ? कितने लोगों को हम इसमें रोजगार दिला पाएंगे और ईरान में हमारा कितना इनवेस्टमेंट हो पाएगा तथा हमारे देश को इससे क्या होगा ? मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की क्या प्रायोरिटीज हैं ? कृपया इस संबंध में हमें जानकारी दीजिए। यह हवा में बात हो रही है जो ईरान चाहेगा तो हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा। इसके संबंध में मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री राम विलास पासवान : कोई भी समझौता पैसे के आधार पर होता है और जब पैसे का मामला होता है तो हम घाटे में काम नहीं करेंगे और मुनाफा होगा तभी काम करेंगे और जब मुनाफा होगा तो हम सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को गिरवी नहीं रखेंगे और इसीलिए दो चीजें हैं, यहां पार्लियामेंट में तो हम नहीं बतला सकते हैं कि कितना मुनाफा होगा, कितना नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि एक पर बात चल रही है और दूसरे पर बात हो गई है। जो बात चल रही है, उसमें हम दोनों बातों का इंटरेस्ट देखकर ही समझौता करते हैं।

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : यह प्रश्न विदेश कार्य मंत्रालय से भी सम्बन्धित है ? मैंने ही ईरान के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे जब मैं विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री था। यह ईरान के साथ व्यापार तथा पारगमन समझौता था। जैसा कि मेरे मित्रों ने भारत को इस से लाभ के बारे में पूछा है, इस समझौते का उद्देश्य कजबेकिस्तान, किरगिजतान और अजरबाहजान जैसे सी.आई.एस राष्ट्रों के साथ व्यापार शुरू करना था। परन्तु हमारे पास उसके लिए कोई मार्ग नहीं था। अतः हमने ईरान से सम्पर्क किया। अतः रेल द्वारा उस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए यह हमारा सांझा हित था ताकि भारत और उस क्षेत्र के राष्ट्रों के बीच व्यापार बढ़ाया जा सके। केवल 130 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता है।

जस्टिस गुमानमल लोढा : महोदय, यह प्रश्न नहीं है और वह सम्बन्धित मंत्री भी नहीं है जिससे कि वह उत्तर दे सके। वह मंत्री जी से सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस बैकग्राउन्ड के बाद प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, उनके दल के सदस्य ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत की प्राथमिकता के बारे में पूछा है और मैं आपके माध्यम से उसका उत्तर दे रहा हूं। अब हमारी प्राथमिकता सी.आई.एस.राष्ट्रों तक पहुंचने की है और उनके साथ व्यापार शुरू करने की है और वह इस देश के साथ एक आन्तरिक समझौता है।

उपाध्यक्ष महोदय : भाटिया जी, रिप्लाई तो आप नहीं दे सकते। आप बैकग्राउन्ड के बाद प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। मैंने अभी पृष्ठभूमि दी है। हमने उस क्षेत्र के लिए उन्हें टैकर दिये हैं जिसमें बान्दर अब्बास से अशहाद हक और अशहाद से बाइसक तक दो राष्ट्रों के साथ उचित लिंक बनेगा। अतः भारत और भारतीय रेल का यही सम्बन्ध है। यह दोनों देशों के लिए लाभदायक है और इससे उन देशों के साथ अधिक व्यापार हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इसमें कोई प्रश्न नहीं है।

[अनुवाद]

वाष्प इंजन कर्मचारी

*362. **श्री रूप चन्द पाल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाष्प इंजनों को चरणबद्ध रूप से हटाने के कारण कोयला और राख की दुलाई का वर्षभर कार्य करने वाले कई कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इन कर्मचारियों को उपयुक्त क्षेत्रों में पुनः

रोजगार देने की मांग के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भाप रेल इंजनों को सेवा से हटाये जाने के कारण बंद हुए भाप रेल इंजन शेडों में कोयले और राख की सम्हलाई के लिए रेलों के ठेके समाप्त हो गए हैं। ठेकेदारों द्वारा समय-समय पर इन कार्यों में लगाये गये अनेक श्रमिकों को उनके नियोक्ताओं द्वारा या तो सेवा से हटा दिया गया होगा या उन्हें वैकल्पिक रोजगार मिल गया होगा।

(ख) और (ग) जी हां, कोयला और राख सम्हलाई के इन श्रमिकों को रेलों में समाहित किये जाने के संबंध में रेलों को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ माननीय संसद सदस्यों द्वारा अग्रेषित किये गए हैं। रेलों ने इन्हें रेल सेवा में समाहित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है, क्योंकि निजी ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाये गये इन श्रमिकों के संबंध में रेलों की कोई दायिता या जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा, भाप रेल इंजन शेडों के बंद होने के कारण बड़ी संख्या में फालतू हो गए नियमित रेल कर्मचारियों को फिर से काम पर लगाने तथा रेलों द्वारा सीधे नियुक्त किये गये अनेक नैमित्तिक श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार देने की समस्या पहले ही रेलों के सामने हैं।

इनमें से कुछ श्रमिकों ने रेलों में समाहन के लिए, उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील याचिकाएं भी दायर कर दी हैं। यह मामला अभी न्यायाधीन है और इसमें अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल : महोदय, माननीय रेल मंत्री ने जो उत्तर दिया है मैं उससे बहुत अप्रसन्न हूं। यह कहा गया है कि भाप लोको शेडों **(स्टीम लोको शेड)** और कोयला तथा राख के निपटान जैसे कार्यों के बन्द हो जाने के कारण बेरोजगार हुए कर्मचारियों को रोजगार देने की जिम्मेदारी निजी ठेकेदारों की है। मैं स्पष्ट बात कहने वाले रेल मंत्री से ये उत्तर की आशा नहीं करता है जिन्हें वंचित और दलित लोगों के हितों का ध्यान रखने वाला व्यक्ति समझा जाता है। मार्च 1993 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश में यह मामला पहले ही तय हो चुका है जिसमें कहा गया है कि इस मामले पर रेल मंत्रालय को विचार करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायलय ने तत्कालीन रेल मंत्री को निर्देश दिया था कि इन मजदूरों को सेवा में खपाया जाये क्योंकि वे गत 15 से 25 वर्षों से लगातार बिना किसी विघ्न के रेलवे की सेवा कर रहे हैं। रेलवे द्वारा अपनाई जाने वाले यह एक आम प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर 25 जुलाई, 1991 को भूतपूर्व रेल मंत्री ने इस सदन में यह आश्वासन दिया था कि इन मजदूरों को सेवा में खपाया जायेगा।

रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक स्कीम का उल्लेख किया है—हम सभी ने डेस्क बजाकर इसका स्वागत किया था—जिससे अर्न्गत 56,000 नैमित्तिक मजदूरों को सेवा में खपाया जायेगा। यह गरीब लोग जो लगभग छः हजार हैं और इनमें से अधिकांश पहले ही भूख से मर चुके हैं और शेष की बहुत दयनीय दशा है। जिसको ब्यान करने के लिये मेरे पास शब्द नहीं हैं। वे रेलवे में ऐसे कार्य कर रहे थे जोकि निरन्तर रहने वाले थे। वर्तमान रेल मंत्री, जब श्रम मंत्री थे, स्वयं इस प्रश्न पर विचार किया था, आश्वासनों संबंधी समिति ने इस प्रश्न को लिया था और तत्कालीन, रेल मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों के आधार पर विशिष्ट सिफारिशें की थी। उन्होंने कहा था कि ये मजदूर बारहमासी रहने वाले कार्य कर रहे थे और इन लोगों के बिना दिकत के 15 से 20 वर्ष की निरन्तर सेवा की है। इन्हें रेलवे की आधुनिकीकरण योजना में धीरे धीरे खपा लिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें।

श्री रूप चन्द पाल : मैं माननीय रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह नैमित्तिक मजदूरों को खपाये जाने वाली योजना में इन मजदूरों को भी शामिल करेंगे जिसके बारे में उन्होंने बजट भाषण में कहा है ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और जो गरीब लोग हैं, उनसे संबंधित है। जब हम 56-57 हजार कैज्युअल लेबर को एक साथ कह सकते हैं कि एबजार्ब करेंगे, तो फिर जैसी कि आपने एश्योरेंस कमेटी में फाइंडिंग्स दी हैं कि जो 6500 या 6300 लेबरर्स हैं, उन पर विचार नहीं करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। हमारे सामने दो-तीन समस्यायें हैं। पहली चीज है कि रेलवे मिनिस्ट्री को टैक्निकैलीटीज में नहीं जाना चाहिए। रेल मंत्री ने कभी फ्लोर पर मजदूरों के संबंध में नहीं कहा है। उन्होंने हमेशा शब्द का इस्तेमाल किया है—रेलवे मजदूर। आप इसको पढ़ें और मैने भी देखा है, रेलवे मजदूर।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा प्रश्न ठेका मजदूरों के बारे में था। वह बिल्कुल सपष्ट और विशिष्ट था। जब वह रेलवे बजट का उत्तर दे रहे थे तब आप लोको शेडो में कोयले और राख के काम लगे ठेका मजदूरों के बारे में उन्होंने कहा था कि किसी भी मजदूर को नौकरी से नहीं निकाला जायेगा।

श्री राम विलास पासवान : कोई रेलवे मजदूर नहीं। उपाध्यक्ष जी, आप अभी बतला दें कि उसमें कहां लिखा है, रेलवे वर्कर... **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं।

श्री रूपचन्द पाल : वर्तमान स्थिति में संदर्भ पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री वसुदेव आचार्य : हम पहले ही कह चुके हैं कि स्टीम लोकोमोटिवस के मजदूर, न कि रेलवे कर्मचारी।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इसलिए मैंने कहा कि आपका प्रश्न सही था और आपकी इन्टैंशन सही थी। मिनिस्टर का रिप्लाई मैंने अक्षरशः पढ़ा है। मंत्री जी ने जब जवाब दिया, तो मंत्रीजी ने रेलवे कर्मचारी शब्द जोड़ दिया। दूसरी चीज आपने सुप्रीम कोट का भी हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसमें मानवता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि कितने कांट्रेक्ट लेबरर्स हैं यह किसी को पता नहीं रहता है। इसलिए उन्होंने एक गाइडलाइन बना दी कि इनकी एक कोआपरेटिव बनाई जाए और कोआपरेटिव बना करके इनको काम दिया जाए। गह बात सही है कि आपकी जो एश्योरेंस कमेटी है उसने केटेगोरीकली उसके ऊपर अपनी छानबीन की और जब अंतरिम रिपोर्ट भेजी गई थी तो मंत्रालय ने उस पर कहा कि यह हमारे लिए संभव नहीं है। फिर दोबारा एश्योरेंस कमेटी ने उसके ऊपर कहा कि इसको आपको करना चाहिए। हमारे सामने कुछ कठिनाइयों हैं। अभी हमारे सामने 56,000 केजुअल लेबरर्स हैं जिनकी हमने ऑलरेडी घोषणा की है कि हम इनको 1997 तक डेढ़ साल में पूरे का पूरा एब्जार्ब करेंगे। इसके लिए हमने 30,000 का टारगेट रखा है कि इस फाइनेंशियिल ईयर में हमें उन 30,000 को रेगुलराइज़ कर देना है, फिर इसके बाद जो बच जाते हैं उनको हम कर देंगे। इसके अलावा जो स्टीम लोंकों मेन्टीनेंस स्टाफ है वे भी हमारे पास 6000 की संख्या में है उनको भी हम इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। रेलवे में जो बहुत पहले से काम करते हैं उनको एक लाइव रजिस्टर है वह भी हजारों की संख्या में हैं और लाखों तक पहुंच जाए तो इसमें भी अतिश्योक्ति नहीं होगी। अभी आंचार्य जी ने जो कहा है उसमें मामला सिर्फ 6300 का नहीं है।... **(व्यवधान)** 6000 वे लोग हैं जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे, जिस समय ईंजन काम कर रहे थे और अभी भी काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास 197 भाप ईंधन चल रहे हैं जिसमें वे काम कर रहे हैं। अब उसमें जो काम करते हैं हो सकता है उनकी संख्या कम हो, लेकिन जब हम एक बार यह निर्णय लेंगे कि जिस आदमी ने कांट्रेक्ट सिस्टम पर काम किया है और उस कांट्रेक्ट लेबर को हम रेलवे में रेगुलराइज करेंगे तो यह मामला सिर्फ भाप ईंजन या कोयला उठाने वालों तक नहीं रहेगा, यह मामला वहां भी जाएगा जो मजदूर ऑलरेडी अर्थ वर्क में लगे हुए हैं, जो कांट्रेक्ट बेसिस पर काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यदि हमारे सामने सिर्फ 3000 का मामला हो, चूंकि 6000 की 1994 की रिपोर्ट के मुताबिक में समझता हूं कि बहुत से लोग ओवर ऐज़ हो गए होंगे। उसमें जो 3000 या 4000 बचते हैं उनको सिर्फ एब्जार्ब करने की बात हो तो उसके लिए हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी भी कीमत पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह यह है कि यदि एक बार हमने इस पालिसी के तहत यह निर्णय लिया तो फिर उस समय जो आपके वर्कर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो रजिस्टर पर हैं या जो केजुअल लेबरर्स हैं उनके इंटरस्ट पर धक्का लगने की संभावना है। लेकिन मैं आज भी आपको कहता हूं कि मेरा इस संबंध में कोई नेगेटिव एटीच्यूड नहीं है। यदि प्रायरटी के आधार पर करते हैं तो आप प्रायरटी तय कर दीजिए और उसके आधार पर जो आता जाएगा हम उसको एब्जार्ब करते जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : यह प्रश्न नैमित्तिक मजदूरों अथवा संविदा मजदूरों के हितों का नहीं है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि देश के कुछ भागों में रेलवे में भी ऐसे मजदूरों को खपाया गया है ? क्या यह सच नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य अवसरों पर यह कहा था कि बिना विघ्न के बारहमासी नौकरियों पर निरन्तर काम करने वाले मजदूरों को रिक्ति होने पर सर्वप्रथम खपाया जाये ? मैं माननीय मंत्री से इस बारे में निश्चित उत्तर चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यह बात सही है कि एक-दो केस ऐसे आए हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको एब्जोर्ब किया गया है। यह बात भी सही है कि जहां-जहां हमारे पास इस नेचर के जॉब आएंगे, वहां हम उन्हें करेंगे। ये वर्कर हमारे परिवार के हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

श्री दत्ता मेघे : अभी पासवान जी ने कंट्रेक्ट लेबर और जो इंजन में काम करते थे उनको काम देने के बारे में कहा है। क्या आप कंट्रेक्ट लेबर को काम नहीं देंगे ? ये जो पांच-छः हजार लोग हैं उनको रेलवे काम पर लगा सकती है क्योंकि आज भी जो लोग रेलवे में सिग्नल देने का काम करते हैं वे आठ घंटे से ज्यादा काम करते हैं। आपके रूल के अनुसार आठ घंटे ही काम करना चाहिए। वे लोग 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। ज्यादा देर तक काम करना गैर-कानूनी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कंट्रेक्ट लेबर नहीं रखेंगे और जो ये पांच-छः हजार लेबर हैं उनको आप काम देंगे या नहीं देंगे। नागपुर में मैंने देखा है कि स्वीपर के काम में दूसरे लोगों को लगा दिया जाता है और फिर उनकी प्रमोशन करके क्लर्क या दूसरी जगह दे दी जाती है। इस तरह से जो अफसर अपने ढंग से काम करते हैं उनके लिए कोई आचार-संहिता या नियम आप अपने मंत्रालय में बनाने वाले हैं, और क्या आप अपने यहां सब लोगों को बराबर काम देने वाले हैं ?

श्री राम विलास पासवान : सब बातों के लिए अफसरों को ही दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जब हम लोग कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसका कार्यान्वयन होना ही चाहिए। जो सफाई-मजदूर का काम करने वाला होता है, मैनटेनेंस का काम करने वाला होता है उस चतुर्थ-श्रेणी के कार्य के लिए प्राइवेट लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्राइवेट लोगों

की जरूरत है तो हिल-एरिया में, राजस्थान के एरिया में, गंगा के ऊपर पुल बनाने के कार्य में जरूरत है। उस काम के लिए ये लोग तैयार नहीं होते हैं। ये सफाई-मजदूर के कार्य के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब हम पॉलिसी बना देते हैं कि चतुर्थ श्रेणी के कार्य को भी प्राइवेट लोगों को देंगे तो अफसर क्या करेगा। अब हमने यह निर्णय लिया है कि जो सफाई का कार्य होगा उसको हम रेलवे के द्वारा करवाएंगे, जिससे कर्मचारी को काम भी मिलेगा और उसका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। अब हमने यह फैसला लिया है।

दूसरा, हम यह भी जानते हैं कि कोयला ढोने या उठाने का कार्य पर्मानेंट नेचर का होता है, इसलिए इस कार्य को कंट्रेक्ट पर तो केवल वहीं काम दिया जाना चाहिए जहां कार्य तीन महीने या छः महीने का होता है। जिस कार्य के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है यह पर्मानेंट नेचर का कार्य है। इसलिए इस कार्य पर कंट्रेक्ट लेबर को नहीं रखा जाना चाहिए। अगर रखा गया है तो वह हमारे लिए एक बोझ है जिसे धीरे-धीरे हल्का करना है। उसको हम धीरे-धीरे कम कर रहे हैं। हम आपके पॉइंट से डिफर नहीं करते हैं।

श्री शिवराज सिंह : रेलवे मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि राख की सप्लाई के ठेके बंद हो जाने के कारण जो लोग कंट्रेक्ट पर काम करते थे वे लोग बेरोजगार हुए हैं। दूसरे, भाप इंजन के बंद हो जाने के कारण बड़ी संख्या में नियमित रेलवे कर्मचारी फालतू हो गए हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि फालतू से आपका मतलब क्या है ? क्या वे काम से हटा दिए गए हैं। अगर हटा दिए गए हैं तो कितने लोग हटा दिए गए हैं। इनमें से जो नियमित रूप से काम करने वाले कर्मचारी थे उनको कब तक आप रोजगार देंगे ?

दूसरा, आपने अपने उत्तर में कहा है कि नैमित्तिक रेलवे कर्मचारियों को फिर से काम पर लगाएंगे। रेलवे द्वारा सीधे नियुक्त किए गए नैमित्तिक श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार देने की समस्या पहले से ही है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने श्रमिक किस आधार पर और कब नियुक्त किए गए और क्या उनको वैकल्पिक रोजगार देने की योजना है ? उनकी नियुक्ति का आधार क्या था ?

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, जो रेलवे के कर्मचारी और वर्कर्स हैं, उनसे हम काम ले या न लें, उनको पैसा देना ही है। उससे इसका कोई मतलब नहीं है। जहां भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मामला हे, वहां हम स्टैपवाइज आगे बढ़ रहे हैं। 57 हजार वर्कर्स को डेढ़ साल के अन्दर रिकॉग्नाइज करने का निर्णय लेना कोई मामूली कदम नहीं है। यह एक बहुत बड़ा कदम है। यदि हम कह देते कि 10 हजार लोगों को कर रहे हैं तो तालियां बज जाती। फिर वह पता नहीं 5-6 साल में होता या नहीं होता। हमने एक बार में यह निर्णय ले लिया कि 57 हजार लोगों को डेढ़ साल में यानी 1997 में रिकॉग्नाइज कर देंगे। हमने इसके लिए एक्शन प्लान बना लिया है। हमारे पास जो वर्कर्स बचे हैं वे फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी हैं। वे बड़े घर से नहीं हैं। वे गरीब परिवार से आते हैं। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो, इन तमाम लोगों को एब्सॉर्ब कर लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बात कह दूं कि 35 मिनट हो गए हैं और सिर्फ दो क्वश्चन हुए हैं...**(व्यवधान)** आप जरा सुन लीजिए।

[अनुवाद]

मैं आसानी से दूसरे प्रश्न पर जा सकता हूं।

[हिन्दी]

यह महत्वपूर्ण क्वश्चन है। इसलिए मैं समय दे रहा हूं। आप थोड़े समय में ही क्वश्चन पूछ लें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, नैमित्तिक मजदूरों को नियमित बनाये जाने के मामले को छंटनी किये गये इन छः हजार मजदूरों के मामले के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए जोकि भाप लोको शेडों (स्टीम लोको शेड) में काम कर रहे थे। जब माननीय मंत्री उत्तर दे रहे थे तो मैंने हस्तक्षेप किया था। मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट और विशिष्ट था और यह प्रश्न भाप लोको शेडों (स्टीम लोको शेड) में काम कर रहे संविदा मजदूरों के बारे में था। माननीय मंत्री का उत्तर भी बिल्कुल स्पष्ट था। लोको शेड रेल कर्मचारियों के बारे में उन्होंने कहा था कि 'स्टीम लोको शेड' में काम करने वाले उन मजदूरों, जिन्हें फालतू घोषित कर दिया गया है अथवा जिनकी स्टीम लोको शेडों के बन्द होने और स्टीम इंजनों के हटाये जाने के कारण छंटनी कर दी गई है, को पुनः लगाया जा सकता है और रेलवे में रखा जा सकता है। मैं जानता हूं महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विशिष्ट प्रश्न पूछिये।

श्री बसुदेव आचार्य : मजदूरों के ये वर्ग बिल्कुल भिन्न हैं। वे निरन्तर चलने वाले कार्य कर रहे हैं। वे भी ऐसा ही कार्य कर रहे थे। वे अनेक वर्षों से कार्य कर रहे थे। अब यदि आप उन्हें घर जाकर कुछ अन्य कार्य करने अथवा कृषि कार्य करने को कहेंगे तो वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। मैं जानता हूं अनेक मजदूर भूख से मर गये हैं। तीन अथवा चार हजार मजदूरों को खपाना रेलवे के लिए कोई समस्या नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिये।

श्री बसुदेव आचार्य : हाल में रेलवे ने लगभग तीन हजार नैमित्तिक मजदूर भर्ती किये हैं।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अगले प्रश्न पर जाना होगा यदि आप

...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने इन मजदूरों को प्राथमिकता नहीं दी है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न पूछ लें तो बेहतर होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह इन मजदूरों पर विचार करेंगे अथवा उन्हें रेलवे में खपायेंगे क्योंकि ये लोग हमारे समाज के पिछड़े वर्गों से हैं तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न आ गया है, आप उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वे मात्र तीन अथवा चार हजार मजदूर हैं।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न कर चुके हैं।

(व्यपधान)

श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेलवे छंटनी किये गये इन मजदूरों को खपायेगी ?...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : मैं यह देखने का पूरा प्रयास करूंगा **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मैंने कहा है कि मैंने निर्णय लिया है कि मैं एक एक करके बिल को बना रहा हूं और उसे देख रहा हूं। जहां तक सम्भव होगा, उसके आधार पर उनको एब्सार्व करने की दिशा में कार्यवाही करूंगा।

प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों का बन्द किया जाना

*363. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली से 168 खतरनाक उद्योगों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त आदेशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित वाद में 8 जुलाई, 1996 को अपने एक आदेश में निर्देश दिया है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चल रहे 168 उद्योगों को बंद कर दिया जाए। माननीय न्यायालय का मानना है :

"...168 उद्योगों को दिल्ली में चलाने और कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इन उद्योगों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी अन्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थान दिया जाए/स्वयं स्थनांतरित हो जाएं। हम निर्देश देते हैं कि उपर्युक्त सूची में दिए गए 168 उद्योग 30 नवम्बर, 1996 से दिल्ली शहर में कार्य करना और चलना बंद कर दें। ये उद्योग उपर्युक्त तारीख से बंद होकर दिल्ली में अपना कार्य करना बंद कर देंगे....."

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

उपर्युक्त आदेशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. दिल्ली सरकार ने न्यायालय के 8.7.96 के उस आदेश का समाचार-पत्रों, रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया है जिसमें 168 उद्योगों की सूची दी गई है और न्यायालय द्वारा उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे 30.11.96 से अपना कार्य बंद कर अन्यत्र स्थानांतरित हो जाएं।

2. दिल्ली सरकार ने उद्योगों के अन्यत्र स्थानान्तरण को समन्वित करने के लिए एक नोडल एजेंसी गठित की है जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को शामिल किया गया है।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड ने राज्य सरकारों (दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश) से कहा है कि वे स्थानांतरित किए जाने वाले उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक "सिंगल विंडो सुविधा" स्थापित करें। दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश सरकारों ने पहले ही ऐसी सुविधाएं स्थापित कर लीं हैं।

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड ने उसके सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति गठित की है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चारों राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश) के प्रतिनिधि हैं।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर उपलब्ध खाली भूखंडों का भी पता लगा लिया है जिन्हें कि स्थानांतरित किए जाने वाले उद्योगों को आवंटित किया जा सकता है।

यह मामला विचाराधीन है।

जी हां, श्री एम. सी. मेहता, एडवोकेट ने उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी जिसमें यह प्रार्थना की गयी थी कि दिल्ली में जो उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं, उनको रोकने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जायें। इस याचिका पर 8 जुलाई, 1996 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत ऐसी 168 औद्योगिक इकाईयों को बंद कर दिया जाये। उच्चतम न्यायालय ने इन उद्योगों को इस बात की अनुमति दे दी है कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी अन्य औद्योगिक क्षेत्र में अपने को पुनः स्थापित करें या स्थानान्तरित कर सकते हैं लेकिन दिल्ली शहर में 30 नवम्बर, 1996 के बाद अपना कार्य जारी नहीं रख सकते हैं।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 30 नवम्बर, 1996 तक दिल्ली में जो उद्योग खतरनाक प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, वे बंद हो जायेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक दिल्ली से बाहर कितने उद्योग गये और कितने उद्योग आज तक बंद हैं और जो उद्योग बंद पड़े हैं, जिस तरह से जीवन-यापन के लिये रोज़गार आवश्यक है, उसी तरह से देश के सारे हिस्सों में पर्यावरण भी आवश्यक है लेकिन जिन उद्योगों में हमारे मजदूर काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या आपकी ओर से कोई आर्थिक सहायता देना या अन्य कोई रोज़गार उपलब्ध कराने की योजना विचाराधीन है ?

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : उपाध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय ने 168 औद्योगिक इकाईयों को ट्रांस्फर करने का आदेश दिया है और वह प्रोग्रेस में हैं। जो औद्योगिक इकाईयां शिफ्ट करेंगी, उनके साथ उनके कर्मचारी भी शिफ्ट करेंगे। शिफ्टिंग के लिये चार राज्यों की एक कमेटी बनी है जो उनकी देख-रेख कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम लागू हुआ है जिसमें औद्योगिक इकाईयों को उसकी ओर से मदद की जा रही है जहां पर उनके बसने के लिये स्थान उपलब्ध हैं, वहां स्थानान्तरित होकर जा सकते हैं।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, पर्यावरण का सवाल केवल दिल्ली के लिये नहीं है, यह सारे देश के लिये है। मैं गुजरात से आता हूं और गुजरात के अंदर...

उपाध्यक्ष महोदय : यह गुजरात बीच में कहां से आ गया ? आप दिल्ली के बारे में पूछिये। आपका क्वश्चन दिल्ली तक लिमिटेड है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : तो उच्चतम न्यायालय के कारण ही वहां पर उद्योग बंद पड़े हैं। जिस तरह दिल्ली के अंदर सिंगल विंडो सुविधा उपलब्ध कराई गयी है, जो नोडल एजेंसीज़ स्थापित की गयी है, क्या आपकी ओर से हिन्दुस्तान के अंदर जिन राज्यों के अंदर इस तरह के पर्यावरण के प्रश्न हैं, वहां इस तरह की सिंगल विंडो सिस्टम स्थपित करने एवं उन उद्योगों को प्रस्थापित करने के लिये राज्य सरकारों को कोई आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है ?

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : मान्यवर, यह मामला दिल्ली का है। इसलिये माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के लिये एक मास्टर प्लान 1991 में बना था जिसके तहत 168 इकाईयों को, चाहे प्रदूषण हजैरड्स हो, एक साल के अंदर अपनी जगह रीलोकेशन और शिफ्टिंग के लिये चुना था। दिल्ली प्रशासन को उसके बारे में जानकारी देनी थी। दो साल के अंदर पूर्णरूपेण वह दिल्ली से हटकर वहां पर चले जाने थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। दिल्ली के मास्टर प्लान के अंतर्गत इन इकाइयों को 1994 तक शिफ्ट कर जाना था पर उन्होंने नहीं माना, उसी आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको शिफ्ट करने का आदेश दिया है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : लेकिन अन्य राज्यों में भी यह सवाल है। यह सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न हो गया है।

श्री चंद्रेश पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, 168 इंडस्ट्रीज़ दिल्ली क्षेत्र से शिफ्ट करेंगे, ऐसा बताया है। दूसरा यह कि जहां इंडस्ट्रीज़ लगानी हैं, वहां न्यूट्रलाइजेशन प्लांट या ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, वह नहीं बताया। यहां से उठाकर वहां रख देंगे। पहले यहां पॉल्यूशन होता था, फिर वहां भी होता रहेगा। उसका क्लेरिफिकेशन माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना है कि पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट वॉटर यानी कि केमिकल युक्त पानी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वेस्ट जब ज़मीन में जाता है तो ज़मीन का पानी भी पॉल्यूटेड हो जाता है और यमुना नदी के अंदर जब वह पानी जाता है तो यमुना नदी भी पूरी पाल्यूटेड हो जाती है। एक दिन यमुना नदी हमारी माता कहलाती थीं हम उसमें स्नान करके पवित्र होते थे। यात्री यहां का पानी अपने साथ ले जाते थे। यमुना नदी की पुनःप्रतिष्ठा करने के लिए और यमुना नदी के जल को फिर से पवित्र बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : श्रीमन्, यमुना ऐक्शन प्लान के अंतर्गत दिल्ली में 282 करोड़ रुपया खर्च करना है जिसके तहत हम 270 एम.एल.डी. का ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे जिससे स्वच्छ पानी यमुना नदी में दिल्ली से गिरे।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन 168 उद्योगों द्वारा खाली की जाने वाली भूमि का क्या किया जायेगा और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? दिल्ली में सरकारी भूमि को खाली कराया जाये। यह हर रोज प्रदूषण वाले यूनिट स्थापित हो रहे हैं।

आप दिल्ली के बीचोबीच राउजऐवेन्यू में जाइये तो आप देखेंगे कि सरकारी भूमि पर खतरनाक उद्योग लग रहे हैं, ऐसे यूनिट स्थापित हो रहे हैं जिनसे आग लगने का खतरा है और जो प्रदूषण फैला रहे हैं और इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से किसी अन्य आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं अथवा क्या वह इसकी रोकथाम करेंगे। यदि समय पर कार्यवाही की गई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं विशेष रूप से इन उद्योगों द्वारा खाली की जाने वाली भूमि के बारे में पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मालिकों को मास्टर प्लान में किये गये भूमि प्रयोग संबंधी नियमों के अनुसार इस भूमि का उपयोग करने दिया जायेगा और यदि इसके अवसर कम हैं तो इस भूमि का अर्जन कौन करेगा ? क्या उन्हें पार्क अथवा बागों के रूप में रखा जायेगा ? वह इस का क्या करेंगे ? इस बारे में उनकी नीति क्या है ?

[हिन्दी]

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : जहां तक मास्टर प्लान का सवाल है, मैं श्रीमान को जानकारी देना चाहता हूं कि मास्टर प्लान के

मुताबिक जो सर्वे हुआ है उसमें एक लाख 29 हजार यूनिटों को दिल्ली से मास्टर प्लान के मुताबिक शिफ्ट करना है। जो जगह खाली होगी वह मास्टर प्लान के लौज के मुताबिक दिल्ली प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि उसका कैसे इस्तेमाल किया जाये। जो जमीन के ओनर हैं, उस असल में जिनकी जमीन है तो निश्चित तौर पर जमीन उनकी रहेगी।

...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दास मुंशी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि हाल की घटनाओं को देखते हुए दिल्ली सहित भारत के सम्बन्धित भागों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की क्या भूमिका है ? पब्लिक इन्टरेस्ट लिटीगेशन एक्ट के माध्यम से लोग समाज को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले यूनिटों को बन्द करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा रहे हैं। उद्योगों को, विशेष रूप से दिल्ली के सम्बन्ध में देश के अन्य भागों में ले जाने हेतु एक के बाद एक निर्णय आ रहे हैं। क्या सरकार निर्णय लेगी कि ऐसे मामलों में एक राष्ट्रीय नीति बनाई जायेगी, जैसी कि दिल्ली के मामले में बनाई गई है और उसमें राज्य सरकारों को विश्वास में लिया जायेगा क्योंकि सरकार ने अपने न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में यह वचन देखा है कि वह इन फैक्टिरियो में काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों के हितों की रक्षा करेगी। औद्योगिक यूनिटों की पुनर्स्थापना संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच 50 : 50 के अनुपात में मुआवजा के आधार पर होना चाहिए यदि यह प्रश्न उठता है तो। यह इस लिये है क्योंकि यह प्रतिदिन हो रहा है और लगभग दस लाख लोग पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण के अलावा नर्सिंग होम और अस्पताल भी अपने अहातों के सामने अनेक चीजें डाल रहे हैं। जिससे स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस सम्बन्ध में अनेक बार निन्दा हो चुकी है। समूची राजधानी में प्रदूषण से गन्दगी फैल रही है। मैं चानना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार ने विशेषरूप से विभाग ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल अभी उत्पन्न हुआ है वह दिल्ली में मास्टर प्लान बनने की वजह से हुआ है। इसमें पोल्यूशन तो मात्र सहायक है। दिल्ली के मास्टर प्लान के मुताबिक सभी औद्योगिक यूनिटों को इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट करना था।

उपाध्यख महोदय : यह मास्टर प्लान तो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आया था, मास्टर प्लान के कारण प्रॉब्लम नहीं हुई है।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : जहां तक वाटर पोल्यूशन का सवाल है, सभी तरह से दिल्ली में 1905 एम.एल.डी. मल-जल प्रत्येक दिन उत्सर्जित होता है। जब कि मल-जल शोधन की स्थापित क्षमता 1270 एम.एल.डी. है। इस प्रकार 635 एम.एल.डी., मल-जल बिना ट्रीटमेंट किए हुए यमुना नदी में विसर्जित होता है। यमुना की कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली में 10 एम.एल.डी. क्षमता के दो-दो ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जायेंगे। इसके अलावा दिल्ली शहर की पंच वर्षीय योजना में ट्रीटमेंट कैपेसिटी 1270 एम.एल.डी. से 2270 एम.एल.डी. तक हो जायेगी।..(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : अस्पताल में पानी गिरने का और जहां तक गारबेजिज का सवाल है। जहां तक गार्वेज डिस्पोजल का सवाल है, 4000 से 5000 टन गार्बेज कूड़ा-कचरा प्रतिदिन दिल्ली से बाहर गड्ढ़ों में फेंका जाता है। ऐसी सात जगह कूड़ा-कचरा फेंकने के लिए है और वे भी भरने वाली हैं। इसके साथ साथ करीब 24 हैक्टेयर जमीन और ली गई है ताकि वहां कूड़ा-कचरा फेंका जा सके।

श्री नीतीश भारद्वाज : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर 8 जुलाई का है जिसके अनुसार दिल्ली के 168 उद्योग 30 नवम्बर तक बंद कर दिए जाएंगे। इससे पता चलता है साढ़े-चार या पांच महीने इन उद्योगों के पास हैं जिसमें उन्हें यहां से विस्थापित होकर अन्य किसी जगह स्थापित करना होगा। इस संबंध में उन्हें सिंगल विन्डो फैसिलिटीज और दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इन 168 उद्योगों में से कितने उद्योग ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक इन सुविधाओं का उपयोग किया है। क्या आपने इसकी मौनिटरिंग की है। यदि इन कम्पनियों ने सुविधाओं का उपयोग नहीं किया है तो क्या सरकार ने यह जानने का प्रयास किया है कि ऐसा क्यों हुआ ?

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, एन.सी.आर. के सैक्रेटरी महोदय उसके चेयरमैन हैं तथा अन्य संबंधित राज्यों के एक-एक प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया गया है जो उनकी मौनिटरिंग कर रहे हैं। अब जहां तक सवाल है कि कितने यूनिट शिफ्ट हुए हैं, वह जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा।...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : जितना बता दिया, उतना ही काफी है।

...(**व्यवधान**)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : उपाध्यक्ष जी, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि ** आप दिल्ली से 159 इंडस्ट्रीज उठाकर बाहर ले जाएंगे, लेकिन क्या तीन महीने के अंदर...(**व्यवधान**)

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद में कहना पड़ता है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सुनिये। आपने न्यायालय के बारे में जो कहा है उसका क्या अर्थ है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मेरा मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, वह आर्डर ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। यह रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं कोर्ट के आर्डर की बात कह रहा हूं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मेरा सवाल सीधा है कि क्या सरकार यह नहीं देखती कि दिल्ली से एक साथ इतनी इंडसट्रीज शिफ्ट करने का जो फैसला आया है, वह किस चीज पर आधारित है। पहले एक लिस्ट बनी थी, जिसमें 160 इंडस्ट्रीज के नाम लिखे थे, उसमें से पिक-एंड-चूज किया गया और कहा गया कि इन इंडस्ट्रीज को बंद कर दो, बाकी को छोड़ दो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आधी रबड़ इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन पैदा होगा, आधी से नहीं ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीधे प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसे कौन मौनिटरिंग कर रहा है ? क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि उस फैसले के अंतर्गत आप जो रबड़ इंडस्ट्रीज बंद कर रहे हैं, सारी पौटरी इंडस्ट्रीज दिल्ली से बंद करना चाहते हैं, आपने कह दिया कि वे इंडस्ट्रीज यहां से किसी दूसरे स्टेट में ले जाएं, लेकिन आज तक दिल्ली की एक भी इंडस्ट्रीज को किसी दूसरी स्टेट में कोई जगह नहीं दी गई, कोई उन्हें साधन देने को तैयार नहीं है। आपने कह दिया कि 30 नवम्बर तक वे सब इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, लेकिन वे कहां जाएंगे ? उन इंडस्ट्रीज में जितने कर्मचारी काम करते हैं, वह क्या करेंगे ? 30-30 साल से जो यहां व्यापार में लगे हैं, वह कहां जाएंगे। क्या सरकार कोई ऐसी मौनिटरिंग बौडी बनाएगी जो कोर्ट से जाकर यह कह सके कि आपके आदेश को पूरा नहीं किया जा सकता, आप दिल्ली से उन्हें क्यों बंद कराना चाहते हैं। अगर दिल्ली में पौल्यूशन का सवाल है तो आप डी.टी.सी. को बंद कर दीजिए क्वैश्चन क्या है, वह पूछिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका क्वैश्चन क्या है, वह पूछिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : में जानना चाहता हूं कि क्या आप इन इंडस्ट्रीज को कोई सहूलियत देना चाहते हैं, क्या आप उन्हें कम्पैंसेशन देना चाहते हैं या कोई इन्सैटिव देना चाहते हैं ?

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : उपाध्यक्ष महोदय , दिल्ली का मास्टर प्लान 1991 में लागू हुआ जिसके तहत उनको 1994 तक यहां से शिफ्ट कर जाना चाहिए था। **(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मास्टर प्लान के तहत दिल्ली नहीं बसी है...**(व्यवधान)**

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : बसी है या नहीं बसी है,

मध्याह्न 12.00 बजे

जहां तक कानून तोड़ने वाले की बात है, 1991 में वह मास्टर प्लान बना, लागू हुआ। एक साल के अंदर उनको जगह चुन लेनी थी और दो साल में शिफ्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन 1994 तक उन्होंने शिफ्ट नहीं किया। तब यह मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की थी उसके अंतर्गत आया।

जहां तक जमीन उपलब्धता का सवाल है, यहां पर काफी मात्रा में जमीन उपलब्ध है जहां वे जा सकते हैं। उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है और सिंगल विंडो सिस्टम लागू है तथा वे जाकर शिफ्ट कर सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रेल लाइन की लंबाई

*364. **श्री इलियास आज़मी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के अंतर्गत बड़ी और मीटर रेल लाइनों की कुल लंबाई कितनी हैं;

(ख) इस रेल जोन की मीटर रेल लाइन को बड़ी लाइन में कब तक बदल दिया जायेगा;

(ग) क्या इस रेल जोन में आमान परिवर्तन का कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पूर्व रेलवे में रेल लाइनों की लंबाई इस प्रकार है :

बड़ी लाइन	4184.35 कि.मी.
मीटर लाइन	कोई नहीं
छोटी लाइन	131.65 कि.मी.

(ख) पूर्व रेलवे पर मीटर गेज की कोई लाइन नहीं है। इस समय कोई भी छोटी लाइन आमान परिवर्तन के लिए स्वीकृत नहीं है।

(ग) पूर्व रेलवे पर गेज परिवर्तन का कोई कार्य नहीं चल रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूरजमुखी की खेती

*365. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के प्रत्येक राज्य के किन-किन जिलों में सूरजमुखी की खेती की जा रही है;

(ख) प्रत्येक राज्य में कुल कितनी भूमि पर सूरजमुखी की खेती की जा रही है; और

(ग) सरकार द्वारा सूरजमुखी की खेती के विस्तार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) एक विवरण-I संलग्न है।

(ख) एक विवरण-II संलग्न है।

(ग) सूरजमुखी के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में एक केन्द्र प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बीजों के उत्पादन और वितरण, मिनिकिटों के वितरण, राइजोबियम कल्चर, जिप्सम/पाइराइट्स, उन्नत कृषि उपकरणों आदि के लिये सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु किसानों के खेतों में प्रमुख और सामान्य प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

विवरण–I

क्र.सं.	राज्य	जिले
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश :	विजयनगर, कृष्णा, गुन्तूर, प्रकाशम, कुरनूल, अनन्तपुर, कुड्डारा, रंगारेड्डि, अनिजामाबाद, मेडक, महबूबनगर, नालगोण्डा, वारंगल, खम्माम, करीमनगर, आदिलाबाद।
2.	बिहार :	सारन, चम्पारन (पूर्वी), चम्पारन (पश्चिमी), वैशाली, मुंगेर, दुमका, देवघर, साहेबगंज, कटिहार, हजारीबाग, गिरीडीह, रांची, पलामू, किशनगंज।
3.	हरियाणा :	हिसार, सिरसा, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, जिंद, यमुनानगर, कैथल।
4.	कर्नाटक :	बंगलौर, बेलगांव, बेलारी, बीदर, बीजापुर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, धारवाड, गुलबर्ग, हसन, कोलार, मांड्या, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, टुमकुर, उत्तराकन्नड।
5.	मध्य प्रदेश :	सागर, पूर्वी निमार (खंडवा), बेतुल, छिन्दवाडा, दुर्ग, राजनांदगांच रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, देवास, इन्दौर, पश्चिमी निमार (खाारगांव) धार, शहडौल, पन्ना, सेहोर, भोपाल।
6.	महाराष्ट्र :	नासिक, घुले, जलगांव, अहमदनगर, पुणे, शोलापुर, सातारा, शांगली, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नादेड़, परभानी, बुलधाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा और चन्दरपुर।
7.	उड़ीसा :	बालासौर, कटक, ढेकानाल, गंजम, कोरापुट, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़
8.	पंजाब :	जालंधर, फिरोजपुर, कपूरथला, भटिन्डा, संगरूर, फरीदकोट।
9.	राजस्थान :	बाढमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ, गंगानगर, जालौर, झालावाड़, उदयपुर।
10.	तमिलनाडु :	साउथ आरकाट, तिरूवेन्नामालाई-शम्बू-

1	2	3
		वारायार, सलेम, धरमपुरी, कोयम्बटूर, पेरियार, तिरूचिरापल्ली, मदुरई, रामानाथ पुरम, कामराजर, पी.एम.थेवर, तिरूनेलवेली, चिदम्बरम।
11.	उत्तर प्रदेश :	हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बरेली, बदायूं, शांहजहां-पुर, मुरादाबाद, रामपुर, फरूखाबाद, इटावा, कानुपर (शहर), कानपुर (देहात), फतेहपुर, इलाहाबाद, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, शोनमद्र, जौनपुर, गौरखपुर, देवरिया बस्ती, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, फैजाबाद, गौण्डा, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, नैनीताल, पिथौरागढ़,
12.	पश्चिम बंगाल :	24 परगना (दक्षिणी), हावड़ा।

विवरण—II

(हजार हैक्टेयर में)

राज्य		क्षेत्रफल (1994-95)
1		2
आन्ध्र प्रदेश	खरीफ	96.7
	रबी	243.4
	कुल	340.1
बिहार	रबी	5.4
हरियाणा	रबी	40.0
कर्नाटक	खरीफ	352.5
	रबी	487.9
	कुल	840.4
मध्य प्रदेश	खरीफ	13.0
	रबी	2.1
	कुल	15.1
महाराष्ट्र	खरीफ	210.4
	रबी	299.7
	कुल	510.1
नागालैंड	रबी	2.5
उड़ीसा	खरीफ	0.7
	रबी	1.1
	कुल	1.8
पंजाब	रबी	95.0
राजस्थान	रबी	3.7
तमिलनाडु	खरीफ	24.5
	रबी	48.8
	कुल	73.3
उत्तर प्रदेश	रबी	42.4
पश्चिम बंगाल	रबी	0.3
अखिल भारत	खरीफ	697.8
	रबी	1272.3
	कुल	1970.1

[अनुवाद]

घुसपैठ

*366. **श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जून, 1996 के द टाइम्स आफ इंडिया में "आई.बी. रिपोर्ट एक्सप्रैस सीरियस कंसर्न ओवर इनफिलट्रेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (आई.एस.आई.) द्वारा बिहार तथा उत्तर प्रदेश से लगी निर्बाध भारत-नेपाल सीमा पर विद्रोह की गतिविधियां चलाने के लिए नेपाल में संचालन केन्द्रों की स्थापना की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन निर्बाध सीमाओं पर अत्याधुनिक हथियारों तथा जाली मुद्रा की तस्करी की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा घुसपैठ और विद्रोह संबंधी गतिविधियों से निपटने के लिए बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारों को क्या सहायता दी गई है ?

गृह मंत्री (श्री इन्दजीत गुप्त) : (क) सरकार ने समाचार देखा है।

(ख) से (घ) भारत-नेपाल सीमा पर विद्रोही गतिविधियां चलाने के लिए पाक आई.एस.आई. द्वारा नेपाल से इन्हें संचालित करने की बातें ध्यान में आयी हैं। पाक आई.एस.आई, विघटनकारी कार्यों के लिए भारत में शस्त्रों, गोलाबारुद और विस्फोटक पदार्थो की तस्करी करवाने और पाक प्रशिक्षित उग्रवादियों की घुसपैठ कराने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर सक्रिय रही है। नई दिल्ली में लाजपत नगर में हुए बम कांड की जांच के बाद पता चला कि जम्मू और कश्मीर इस्लामिक फ्रंट में कुछ उग्रवादियों की घुसपैठ कराने और भारत-नेपाल सीमा के रास्ते, नेपाल से घुसपैठ कराने में पाक आइ.एस.आई की मिलीभगत है।

(ङ) सरकार को स्थिति की जानकारी है और उस पर कड़ी निगरानी रख रही है। आसूचना तंत्र को सुचारू बनाने और नेपाल से आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में सूचना का आदान प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। समन्वित कार्रवाई के लिए एक संस्थानिक तंत्र ही स्थापना की गयी है। नेपाल से आई.एस. आई. के खतरे का सामना करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को सुग्राही बनाया गय। है। भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा और आसूचना एजेन्सियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सीमा पर कार्य कर रहे पाक आई.एस.आई. के एजेन्टों और उनके नेताओं की गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीमा पर जांच-चौकियों को चरणबद्ध रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रदूषण

*367. **श्री हरिवंश सहाय :**
श्री प्रमथेस मुखर्जी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में चर्म शोधनालयों सहित उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों का ब्यौरा क्या है जो गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण संबंधी मानदंडों का उल्लंघन करने के मामले में दोषी पाए गए हैं;

(ख) क्या इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा पर्यावरण संबंधी मानदंडों का अनुपालन कराने हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाए गये हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार चर्मशोधक कारखानों सहित ऐसे 30 औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जो गत् 3 वर्षों से निर्धारित पर्यावरण मापदण्डों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। दोषी इकाइयों और निर्धारित पर्यावरणीय मापदण्डों के अनुपालन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के ब्यौरे सदन के पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(क) से (घ) पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन करने के लिए समुचित सुविधाएं रखने वाले उद्योगों की सूची।

1. मैसर्स किशन सहकारी चीनी मिल, साथा, अलीगढ़
2. मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि., पानीनगर, बुलन्दशहर
3. मैसर्स मोदी चीनी मिल, मोदीनगर, गाजियाबाद
4. मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि०, मालियजा, मेरठ
5. मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि., शाहगंज, जौनपुर
6. मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि., माहोली, सीतापुर
7. मैसर्स इंडियन टर्पनटाइन एंड रोजिन कं. लि., सी.बी.गंज. बरेली
8. मैसर्स खालिदाबाद चीनी फैक्टरी, बस्ती
9. मैसर्स किशन सहकारी चीनी मिल, उरई, भदोही
10. मैसर्स किशन सहकारी चीनी मिल, घोसी, मऊ
11. मैसर्स नंदगंज सिहोरी चीनी कं. लि., नदगंज, गाजीपुर
12. मैसर्स किशन सहकारी चीनी मिल, रसारा, बालिया
13. मैसर्स किशन सहकारी चीनी मिल, साथियां, आजमगढ़
14. मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम, यूनिट दाला, सोनभद्रा
15. मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम यूनिट, चुर्क, सोनभद्रा
16. मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम, यूनिट चूनर, मिर्जापुर
17. मैसर्स ओबरा ताप विद्युत स्टेशन, यूनिट-क, ओवरा, सोनभद्रा
18. मैसर्स ओबरा ताप विद्युत स्टेशन यूनिट-ख, ओबरा, सोनभद्रा
19. मैसर्स हरदावागंज ताप विद्युत परियोजना, काशीपुर, अलीगढ़
20. मैसर्स प्राइमा टेनरी, बाराबंकी
21. मैसर्स हसन एक्सपोर्टस, बाराबंकी
22. मैसर्स ईस्ट इंडिया टेनरी कं., बाराबंकी
23. मैसर्स सिम्भौली चीनी मिल, सिम्भौली, गाजियाबाद
24. मैसर्स सिम्भौली चीनी मिल, (डिसटिलरी) सिम्भौली, गाजियाबाद।

25. मैसर्स मोदी डिसटिलरी, मोदी नगर, गाजियाबाद।

26. मैसर्स पी.वी. के. डिसटिलरी, गाजीपुर।

27. मैसर्स सैन्ट्रल डिसटिलरी, मेरठ

28. मैसर्स निओली चीनी, इटावा

29. मैसर्स महाजन टैनरी, आगरा

30. मैसर्स शिवा लैदर, आगरा।

निर्धारित पर्यावरणीय मापदण्डों को अनुपालनार्थ लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए उद्योगों को आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपायों की व्यवस्था के लिए निदेश दिए गए हैं।

चर्मशोधक कारखानों सहित लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने हेतु एक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय व राज्य आर्थिक सहायता उपलब्ध होती है ताकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम से ऋण भी उपलब्ध होते हैं।

प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाने और घने बसे क्षेत्रों से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को स्थानान्तरित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

अधिकांश दोषी इकाइयां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दायर एक रिट याचिका के तहत आती हैं।

[अनुवाद]

पेटोक्सिफिलिन का औषधि मूल्य

*368. **श्री भूपिन्द्र सिंह हुडा :**
श्री सी. नरसिम्हन :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायन विभाग ने पेंटोक्सिफिलिन का स्थानीय थोक औषधि मूल्य निर्धारित करने में इस औषधि के एक मुख्य घटक "थयोब्रोमाईन" के चीन में प्रचलित मूल्य को ध्यान में रखते हुए इसके मूल्य में बहुत अधिक कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो पेंटाक्सिफिलिन का निर्धारित मूल्य क्या है तथा अन्य स्रोतों से आयात की जाने वाली "थियोब्रोमाईन" की तुलना में इसका मूल्य कितना है;

(ग) सरकार द्वारा पेंटोक्सिफिलिन का अधिसूचित मूल्य कितना है;

(घ) क्या सरकार ने इस औषधि के कम कीमत पर मिलने वाले घटकों पर ध्यान देने की बजाए "थियोब्रोमाईन" के गुणात्मक पहलू तथा इसकी नियमित आपूर्ति पर ध्यान दिया है;

(ङ) क्या सरकार ने मूल्यों में इस भारी कमी, जिससे इस महत्वपूर्ण औषधि का उत्पादन बंद हो सकता है और इसकी अनुपलब्धता हो सकती है, के प्रभावों की जांच की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार ने देश में औषधियों के थोक उत्पादन को जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति तैयार की है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) से (ग) देश में बनने वाले प्रपुंज औषध के मूल्यों का नियतन/पुनरीक्षण डी.पी.सी.ओ., 1995 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। सरकार का विशेषज्ञ निकाय—बी.आई.सी.पी. प्राप्त आंकड़ों तथा विनिर्माताओं द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर लागत-सह-तकनीकी अध्ययन करता है तथा सरकार को मूल्य की सिफारिश करता है। जिस पर विचार करने के बाद समय-समय पर इसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। प्रपुंज औषध पेन्टोक्सिफाइलीन का मूल्य नियत करते समय यह नोट किया गया कि आयात किया जाने वाला मुख्य कच्चा माल अर्थात् "थियोब्रोमिन" में हैक्स्ट मेरिन रसल द्वारा उनके मूलधन से अत्यधिक दर पर आयात किया जा रहा है जबकि अन्य प्रयोक्ता इटली, हांगकांग और चीन इसे बहुत सस्ते दामों पर आयात करते रहे हैं। इस आधार पर मूल्य निश्चित किए गए हैं और बी.आई.सी.पी. द्वारा उनकी संस्तुति की गई है जो पहली बार 2,225.00 रुपए प्रति किलोग्राम के रूप में अधिसूचित किया गया था।

(घ) औषधों के विनिर्माण के लिए प्रयोग में आने वाले कच्चे माल का आयात तथा स्वदेशी रूप से प्रापण (प्रोक्योरमेंट) उन कम्पनियों द्वारा किया जाता है जो उनके निर्माण में लगी हुई हैं। यह सुनिश्चित करना उनका उत्तरदायित्व है कि ये माल उनके द्वारा अपेक्षित विशिष्टताओं को पूरा करते हों तथा भारत के औषध महानियंत्रक जो आम प्रयोग के लिए ऐसी सभी औषधियों को अनुमति देते हैं, द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करत हों।

(ङ) से (च) पहली बार प्रपुंज औषध पेन्टोक्सिफाइलीन का मूल्य निर्धारित किया गया है। यह आशा नहीं है कि इस औषध के सभी उत्पादन इसका उत्पादन रोक देंगे।

(छ) नीति में प्रपुंज औषध के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन निर्धारित है तथापित नीति का दूसरा लक्ष्य अर्थात् उचित मूल्यों पर दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता को भी पूरा किया जाना है।

नई फसल बीमा योजना

*369. **श्री सी. नारायण स्वामी :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई फसल बीमा योजना लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सामान्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और ओलावृष्टि आदि को ध्यान में रखते हुए सभी फलों और फसलों को इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) जी, हां। प्रीमियम दरों को तर्क संगत बनाने तथा फसलों और किसानों के कवरेज में विस्तार करने के लिए वर्तमान व्यापक फसल बीमा योजना को संशोधित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

तथापित, वर्तमान योजना के संशोधन के लिए विभिन्न वर्गों से प्राप्त कई सुझावों के आधार पर एक नोट का प्रारूप सभी माननीय सदस्यों/विभिन्न पार्टियों के संसद सदस्यों को भेजने का प्रस्ताव है। उनसे विचार प्राप्त होने पर वर्तमान योजना के संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

[हिन्दी]

रेलवे मुख्यालयों और मंडल कार्यालयों में भ्रष्टाचार के मामले

*370. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे मुख्यालयों और मंडल कार्यालयों में भ्रष्टाचार के कितने मामलों का पता चला है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान जोनवार और मंडलवार कितने अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जांच किए गए भ्रष्टाचार के मामलों की मंडल-वार/वर्ष-वार संख्या।

दक्षिण रेलवे

	वर्ष		
मंडल	1993	1994	1995
1	2	3	4
मैसूर	1	-	-
तिरूवनन्तपुरम	1	1	1
मद्रास	1	1	-
मदुरै	-	1	-
तिरूचिरापल्ली	-	-	-
पालघाट		-	- -
बेंगलूरू	-	-	-
मुख्यालय/निर्माण/वर्कशाप	8	5	6
जोड़	11	8	7

पश्चिम रेलवे

मुख्यालय	3	2	4
मुंबई	4	-	2
बड़ौदा	3	1	-
रतलाम	1	1	3
कोटा	5	3	4
भावनगर	1	-	-
राजकोट	-	-	-
जयपुर	2	2	3
अजमेर	3	1	2
जोड़	22	10	18

दक्षिण मध्य रेलवे

मुख्यालय	5	5	3
विजयवाड़ा	3	10	5
गुंतकल	2	1	1
हैदराबाद	1	1	2
हुबली	1	1	3
जोड़	12	18	14

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

कटिहार	2	4	2
अलीपुरद्वार	1	4	2
लमडिंग	1	4	1

1	2	3	4
तिनसुकिया	2	3	2
मुख्यालय	3	3	4
जोड़	9	18	11
पूर्वोत्तर रेलवे			
इज्जतनगर	1	6	-
लखनऊ	1	9	-
वाराणसी	4	4	3
सोनपुर	7	4	2
समस्तीपुर	2	2	4
मुख्यालय	19	7	8
जोड़	34	32	17
मध्य रेलवे			
मुंबई	1	2	6
भुसावल	1	1	1
भोपाल	1	4	1
झांसी	4	5	6
जबलपुर	2	3	4
नागपुर	6	1	1
शोलापुर	-	-	-
मुख्यालय	8	11	4
जोड़	23	27	24
उत्तर रेवले			
मुख्यालय (वर्कशाप सहित)	31	44	34
इलाहाबाद	2	2	3
बीकानेर	2	6	5
अंबाला	3	6	4
फिरोजपुर	2	6	5

1	2	3	4
दिल्ली	5	5	5
जोधपुर	4	5	2
मुरादाबाद	3	4	3
लखनऊ	4	5	1
जोड़	56	83	62
पूर्व रेलवे			
सियालदह	7	-	2
हवड़ा	1	2	-
आसनसोल	6	2	-
धनबाद	1	2	1
दानापुर	3	2	7
मुगलसराय	1	5	7
मालदा	2	1	2
मुख्यालय	1	5	5
जोड़	22	19	24
दक्षिण पूर्व रेलवे			
विशाखापत्तनम	5	2	-
खड़गपुर	2	2	1
नागपुर	2	1	1
चक्रधरपुर	1	2	2
सम्बलपुर	-	1	-
आद्रालसराय	1	1	3
खुर्दा रोड	1	-	1
वालतेरू	-	1	-
मुख्यालय/निर्माण	3	2	2
जोड़	15	12	10
कुल जोड़	204	227	187

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान दंडित किए गए अधिकारियों की मंडल-वार संख्या

दक्षिण रेलवे

	वर्ष		
मंडल	1993	1994	1995
1	2	3	4
मैसूर	1	-	-
तिरूवनन्तपुरम	-	-	-
मद्रास	1	-	1
मदुरै	1	1	1
तिरूचिरापल्ली	1	1	-
पालघाट	1	-	-
बेंगलूरू	1	1	1
मुख्यालय/निर्माण/ वर्कशाप	15	12	7
जोड़	21	15	10

पश्चिम रेलवे

मुख्यालय	8	4	2
मुंबई	6	1	2
बड़ौदा	7	2	4
रतलाम	2	1	-
कोटा	8	1	3
भावनगर	-	-	1
राजकोट	1	-	1
जयपुर	4	1	4
अजमेर	2	-	-
जोड़	38	10	17

दक्षिण-मध्य रेलवे

1	2	3	4
मुख्यालय	8	8	7
विजयवाडा	4	4	3
गुंतकल	2	3	1
हैदराबाद	2	3	2
हुबली	2	2	2
जोड	18	20	15

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

कटिहार	0	5	1
अलीपुरद्वार	1	7	1
लमडिंग	2	9	0
तिनसुकिया	2	2	-
मुख्यालय	3	8	3
जोड़	8	31	5

पूर्वोत्तर रेलवे

इज्जतनगर	-	1	3
लखनऊ	-	1	-
वाराणसी	-	1	-
सोनपुर	-	4	-
समस्तीपुर	-	1	-
मुख्यालय	-	9	1
जोड़	-	17	4

मध्य रेलवे

मुंबई	8	7	5
भुसावल	3	2	3
भोपाल	2	2	-
झांसी	7	7	1
जबलपुर	-	-	1
नागपुर	1	-	3
शोलापुर	-	-	-
मुख्यालय (वर्कशाप सहित)	13	8	5
जोड़	34	26	18

1	2	3	4
उत्तर रेलवे			
मुख्यालय			
(वर्कशाप सहित)	18	30	22
इलाहाबाद	1	3	2
बीकानेर	1	3	2
अंबाला	2	2	3
फिरोजपुर	1	3	-
दिल्ली	2	4	-
जोधपुर	3	4	3
मुरादाबाद	1	4	2
लखनऊ	2	2	2
जोड़	30	55	36
पूर्व रेलवे			
सियालदह	3	-	2
हवड़ा	-	-	-
असानसोल	4	3	-
धनबाद	-	-	-
दानापुर	2	-	7
मुगलसराय	3	7	6
मालदा	1	-	-
मुख्यालय	-	9	3
जोड़	13	19	18
दक्षिण पूर्व रेलवे			
मुख्यालय			
एवं निर्माण	9	5	5
खड़गपुर	3	1	1
खुर्दा रोड़	3	3	2
वालतेरू	2	3	1
आद्रा	1	3	1
चक्रधरपुर	2	-	1
बिलासपुर	1	-	1
नागपुर	1	-	1
जोड़	22	15	13
कुल जोड़	184	208	136

[अनुवाद]

प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक एकक

*371. **श्री शान्ति लाल पुरषोत्तम दास पटेल :**
प्रो. ओम पाल सिंह "निडर" :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनमें प्रदूषण-रोधी उपकरण नहीं लगाए गए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की है। सरकार ने अनेक दोषी इकाइयों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, केन्द्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा संघ शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियां प्रदूषण के स्तर की समय-समय पर निगरानी करती हैं और दोषी इकाइयों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करती हैं। दोषी उद्योगों के विरूद्ध अनेक मामले न्यायालयों, जिनमें उच्चतम न्यायालय भी है, में लम्बित पड़े हैं।

(क) जिन बड़े और मझौले उद्योगों ने प्रदूषण रोधी युक्तियां नहीं लगाई हैं, उनकी राज्यवार संख्या निम्नलिखित है :

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	0
3.	असम	5
4.	बिहार	13
5.	गोआ	0
6.	गुजरात	8
7.	हरियाणा	8
8.	हिमाचल प्रदेश	0

1	2	3
9.	जम्मू व कश्मीर	4
10.	कर्नाटक	17
11.	केरल	4
12.	मध्य प्रदेश	19
13.	महाराष्ट्र	28
14.	मणिपुर	0
15.	मेघालय	1
16.	मिजोरम	0
17.	नागालैण्ड	0
18.	उड़ीसा	10
19.	पंजाब	18
20.	राजस्थान	2
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	3
23.	त्रिपुरा	0
24.	संघ शासित प्रदेश—अंडमान व निकोबार	0
25.	संघ शासित प्रदेश—दमन व दीव, दादर और नगर हवेली	0
26.	संघ शासित प्रदेश—चंडीगढ़	0
27.	संघ शासित प्रदेश—दिल्ली	3
28.	संघ शासित प्रदेश—लक्षद्वीप	0
29.	संघ शासित प्रदेश—पांडिचेरी	4
30.	उत्तर प्रदेश	30
31.	पश्चिम बंगाल	23
	कुल :	209

पशु चारा

*372. **श्री शरत पटनायक :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **पशुपालन और डेरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूध देने वाले मवेशियों के लिए पर्याप्त मात्रा में पशु चारा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो देश में पशु चारे की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है तथा इसकी कितनी मात्रा उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार ने पशु-चारे की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त भूमि पर पशु-चारे के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु तथा इसकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय पशु-चारा बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

(क) और (ख) देश में केवल गोपशु के लिए आहार तथा चारे की उपलब्धता के संबंध में अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययनों से ऐसा प्रतीत होता है कि पशुधन तथा कुक्कुट की कुल संख्या के लिए आहार तथा चारा की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की एकीकृत चराई नीति पर नीतिगत सलाहकार समूह द्वारा 1993 में लगाए गए अनुमान के अनुसार, 1993 के दौरान देश में हरे चारे, सूखे चारे (भूसा) तथा सान्द्रण की कुल अनुमानित वार्षिक आवश्यकता क्रमशः 573.50, 398.88 तथा 41.96 मिलियन टनों की वार्षिक उपलब्धता की तुलना में क्रमशः 744.73, 583.62 तथा 79.40 मिलियन मीटरी टन है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय चारा बैंक की स्थापना करने का सरकार का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापित, आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता नामक केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत बायो-मास उत्पादन में वृद्धि करने तथा घास रिजर्व सहित चरागाहों के विकास के उद्देश्य से चारा बैंकों तथा सिल्वीपेस्टोरल प्रणाली की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जा रही है।

1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा

*373. **श्री मोहन रावले :**
श्री विनय कटियार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए कोई आदेश दिए गए हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) उक्त आदेशों के बाद से कितने मामलों का निपटारा किया गया है : और

(घ) ऐसे सभी व्यक्तियों को मुआवजे की राशि कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (घ) श्रीमती भजन कौर, जिनके पति 1984 के दिल्ली दंगों के दौरान मारे गए थे, ने अपने पति की मृत्यु के लिए उन्हें प्रदान किए गए 20,000/- रु. के मुआवजे की राशि को बढ़ाए जाने की मांग करते हुए एक रिट याचिका, दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की थी। इस मामले में निर्णय 5 जुलाई, 1996 को सुनाया गया था। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि मुआवजे की राशि अत्यंत अपर्याप्त है। उच्च न्यायालय का मत था कि याचिकाकर्ता को मुआवजे के रूप में कम से कम दो लाख रुपये की राशि प्रदान की जानी चाहिए थी। चूंकि याचिकाकर्त्ता को पहले ही 20,000/-रु. अदा किए जा चुके थे इसलिए प्रतिवादी को आदेश दिया गया था कि याचिकाकर्त्ता को 1,80,000/-रु. की राशि ब्याज सहित अदा की जाए, यह ब्याज 1.5 लाख रु. बना। 3.30 लाख रु. का यह भुगतान याचिकाकर्ता को एक महीने के अंदर-अंदर किया जाना था।

2. उच्च न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि बढ़ा हुआ मुआवजा अदा किए जाने का यह आदेश ऐसे ही अन्य मामलों पर भी लागू होगा ताकि समानता बनी रहे और 1984 के दिल्ली दंगों के दौरान मारे गए व्यक्तियों के परिवारजनों के कष्ट दूर हो सकें। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि ऐसे पीड़ितों के परिवारजनों एवं विधवाओं को, मुआवजे अथवा अनुग्रह राहत के रूप में उन्हें अदा की जा चुकी राशि, यदि कोई हो तो, के समायोजन के बाद 3.50 लाख रु. की राशि (2.0 लाख रु. और इस पर बने 1.50 लाख रु. ब्याज सहित) अदा की जाए। उच्च न्यायालय ने शासन को यह आदेश भी दिया कि इन परिवारजनों की उपयुक्त शिनाख्त के पश्चात उपर्युक्त रूप से संराशीकृत मुआवजे की राशि के संवितरण के लिए एक समिति गठित की जाए। यह काम, चार महीने की अवधि के अन्दर ही किया जाना है।

3. उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने श्रीमती भजन कौर को पहले ही 3.30 लाख रु. अदा कर दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने, उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार ऐसे ही अन्य मामलों की संवीक्षा के लिए दिल्ली के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित कर दी है।

विश्व बैंक की सहायता

*374. **श्री ई. अहमद : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक झींगा तथा मत्स्य पालन परियोजना के विकास के लिए सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से किन-किन राज्यों में चल रही है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में विश्व बैंक से कुल कितनी धनराशि सहायता के रूप में प्राप्त की गयी है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ख) विश्व बैंक झींगी और मछली पालन परियोजना में सहायता दे रहा है (सी.आर 2329-आई.एन.)। यह परियोजना 283.63 करोड़ रु. (उस समय प्रचलित दर पर 95 मिलियन अमेरिकी डालर) की कुल अनुमानित लागत पर 28.5.1992 से 7 वर्षों के लिए ऋण प्रभावी हुई। इस रकम की व्यवस्था 90% अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण के रूप में तथा शेष 10% केन्द्र/सहभागी राज्यों और लाभानुभोगियों के शेयर के रूप में की जानी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सहभागी राज्यों में झींगा और मछली उत्पादन में वृद्धि करना है। इससे समाज के निर्धनतम वर्गों में शामिल मछुआरों और मत्स्य पालकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। इस परियोजना से खराब भूमि का उपयोग होगा तथा विदेशी मुद्रा के अर्जन में वृद्धि होगी। इस परियोजन में (i) खारा जल झींगी घटक, और (ii) अंतर्देशीय मात्स्यिकी घटक शामिल है।

(ग) यह परियोजना पांच राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है। मछली पालन घंटक इन पांचों राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है, किन्तु झींगी पालन घटक कैवल आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस परियोजना के अधीन विश्व बैंक से प्राप्त निधियों की कुल रकम इस प्रकार है :

वर्ष	विश्व बैंक से प्राप्त सहायता अमेरिकी डालर (मिलियन)	रु. (करोड़) में
1993-94	1.409	4.41
1994-95	1.002	3.15
1995-96	2.728	9.49
योग :	5.139	17.05

मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को यात्रा किराए में छूट

*375. **श्री पवन दीवान : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को किराए में छूट दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के किराए में भी यह छूट देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को एक मार्ग-रक्षी सहित प्रथम, द्वितीय तथा शयनयान श्रेणी में किराए में 75 प्रतिशत की रियायत दी जाती है, यह रियायत मार्ग-रक्षी को भी दी जाती है। सरकारी डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्धारित प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करने पर, रियायती टिकट स्टेशन मास्टरों द्वारा जारी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) ये व्यक्ति तथा इनके मार्ग-रक्षी प्रथम श्रेणी के रियायती किराए के साथ-साथ दोनों श्रेणियों के वास्तविक किराए के बीच के अन्तर का भुगतान करने पर वातानुकूल 2-टियर शयनयान श्रेणी में यात्रा करने के पात्र हैं। वातानुकूल 2-टियर श्रेणी में रियायत देरे का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

जनजातियों का पुनर्वास

*376. **श्री हंस राज अहीर** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य की स्थापना संबंधी घोषणा के कारण जनजातीय लोग अपनी-अपनी जगहों को छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि ऐसे वन क्षेत्रों में किसी प्रकार के विकास संबंधी कार्य को करने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो घोषित राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों से कितने जनजातीय लोग विस्थापित हुए हैं; और

(ग) विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) किसी राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य के आदिवासियों को दूसरे स्थान पर तभी ले जाया जाता है जब इस बारे में आदिवासियों और सरकार के बीच आम समझौता हो जाता है। तथापित यह सच है कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में वाणिज्यिक विकास नहीं करने दिया जाता है।

(ख) और (ग) भारत सरकार में 'आदिवासियों के विकास के लिए लाभार्थियोन्मुख एक योजना' शुरू की है। यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें राज्य सरकार को आदिवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। आठवीं योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत छः राज्यों को 1.30 करोड रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। 188 आदिवासी परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है और 235 परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रक्रिया जारी है।

[अनुवाद]

उड़ीसा के सूखा प्रवण क्षेत्र

*377 **श्री भक्त चरण दास** :
श्री सौम्य रंजन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पिछले अनेक वर्षों से सूखे और गुखमरी की स्थिति रही है;

(ख) यदि हां, तो सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उनमें अनुमानतः कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के प्राधिकारियों ने सूखे और भुखमरी की स्थिति का आकलन करने के लिए कभी राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य में इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसी योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ङ) राज्य सरकार के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के दौरान उड़ीसा में सूखे एवं भुखमरी की स्थिति नहीं आई है। कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट जिलों जिन्हें अब कालाहांडी, नुआपड़ा बोलंगीर, सोनपुर, कोरापुट, मलकानगिरि, नौरंगपुर और रायागड़ा के रूप में पुनर्गठित किया गया है, कि वर्तमान गरीबी की समस्याओं के संदर्भ में केन्द्रीय दल ने वर्ष 1993 से लेकर अब तक समय समय पर उड़ीसा का दौरा किया है। सूखा की समस्या के स्थायी निराकरण के लिए 5 जिलों के 47 प्रखंडों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार ने सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम हेतु उड़ीसा को वर्ष 1994-95, 1995-96 में क्रमशः 516.50 लाख तथा 403.85 लाख रुपय की धनराशि दी है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना/रोजगार आश्वासन योजना तथा राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना सहित कृषि विकास कार्यक्रमों जैसे गरीबी दूर करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए काफी धन राशि दी है। कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट (अविभक्त रहे जिलों) हेतु एक दीर्घावधिक कार्य योजना भी तैयार की गई है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य सूखा तथा संकट को दूर करना है।

[हिन्दी]

रेलवे जोन

*378. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय रैलवे के कुल कितने मंडल और जोन हैं

और इसके निर्धारण के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या नए जोन बनाए जाने के कारण कुछ क्षेत्रों में असंतोष है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा नए ज़ोन बनाने के लिए पहले कोई समिति गठित की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(च) क्या राजस्थान में प्रस्तावित नए जोनों के लिए कोई क्षेत्र-सीमा निर्धारित की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) प्रस्तावित ज़ोन के मुख्यालय के चयन हेतु क्या मानदंड है;

(झ) क्या सरकार को अजमेर तथा अन्य स्थानों पर ज़ोनल मुख्यालयों की स्थापना हेतु अभ्यावेदन प्रप्त हुए थे; और

(ञ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) मौजूदा रेल नेटवर्क 9 जोनों और 59 मंडलों में विभाजित हैं। ज़ोनों/मंडलों की स्थापना उनके आकार, कार्यभार और सुगम्यता, यातायात के स्वरूप और अन्य परिचालनिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखकर, अर्थ-व्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा करने और कार्य-कुशलता लाने के लिए की जाती है।

(ख) और (ग) अनेक अभ्यावेदन, खास तौर से बिलासपुर और हुबली से प्राप्त हुए हैं, जिनमें अप्रसन्नता व्यक्त की गई है।

(घ) और (ङ) पुनर्गठन के लिए सलाहकारों की एक समिति (1994) में गठित की गई थी, जिसने चार अतिरिक्त ज़ोनों (राजस्थान में जयपुर में एक ज़ोन सहित) और छः अतिरिक्त मंडलों के सृजन की सिफारिश की थी।

(च) और (छ) ज़ोनों/मंडलों के विस्तृत प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र के बारे में कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

(ज) ज़ोनों/मंडलों की स्थापना उनके आकार, कार्यभार और सुगम्यता, यातायात के स्वरूप और अन्य परिचालनिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखकर, अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने और कार्य-कुशलता लाने के लिए की जाती है।

(झ) अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बिलासपुर, जबलपुर, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलूरू, हुबली, बरौनी आदि अनेक स्थानों पर ज़ोनल मुख्यालयों की स्थापना करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ञ) सरकार ने छः अतिरिक्त ज़ोनों के गठन का विनिश्चय किया है, जिनके मुख्यालय इलाहाबाद, जयपुर, बेंगलूरू, जबलपुर, हाजीपुर और भुवनेश्वर में होंगे।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

*379. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :**
श्री हरिन पाठक :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़ी रेल लाइनों में परिवर्तित की जाने वाली मीटर/छोटी रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) शेष मीटर/छोटी रेल लाइनों को कब तक बड़ी रेल लाइनों में परिवर्तित कर दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को मीटर/छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में परिवर्तित किए जाने के संबंध में गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार गुजरात में आमान-परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं को निजी स्रोतों से प्राप्त पूंजी से शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षो के दौरान बड़ी लाइन में बदली गई मीटर लाइनों/छोटी लाइनों तथा उन लाइनों का ब्यौरा, जिन्हें योजना की शेष अवधि में पूरा करने का लक्ष्य, निम्नानुसार है :

आमान परिवर्तन का कैलेंडर—1992-93 से 1996-97 (8वीं योजना)

92-93 पूरे किये गये खंड	कि.मी.	93-94 पूरे किये गये खंड	कि.मी.
दिल्ली-रेवाड़ी	83	भटिंडा-हिसार	157
लालगढ़-मेड़तारोड	177	जयपुर-फुलेरा	55
लालगढ़-कोलायत	47	फुलेरा-जोधपुर	261
सवाईमाधोपुर-जयपुर	125	तुमकुर-अरसीकेरे	101
बैंगलूरू-तुमकुर	59	असरीकेरे-चिकज़ाजूर	114
मैसूर-बैंगलूरु	138	नरसारावपेट-दोणाकोंडा	75
गुंटूर-नरसारावपेट	46	सिकंदराबाद-महबूबनगर	127
दिंडिगुल-तूतिकोरिन	196	मद्रास-तांबरम	27
बेल्लरी-रायदुर्ग	54	चिकजाजूर-चित्रदुर्ग	16
औरंगाबाद-जालना	64	जालना-परभनी	116

परमनी-परली बैजनाथ	63	गोंदिया-अर्जुनी	82
बुढ़वल-महमूदाबाद	38	सिकंदराबाद-बोलारम	14
नाडियाद-कपडवंज	45	इलाहाबाद-वाराणसी	126
कोटकपुरा-फाजिलका	80	गुवाहाटी-लमडिंग	181
लखनऊ-कानपुर	59	महमूदाबाद-सीतापुर	60
मनकापुर-कटरा	30	मेड़तारोड-मेड़ता सिटी	15
बेंगलूरू-येलहंका	12	दौंड-बारामती	42
पुरूलिया-कोटशिला	35	लालकुआं-काठगोदाम	29
		पटेलनगर-सराय रोहिल्ला	3
		दुर्गापुर-जयपुर	8
		मैसूर-अशोकपुरम	5
		लखनऊ-मानकगढ़	5
			1619

94-95 पूरे किये गये खंड	कि.मी.	95-96 पूरे किए गये खंड	कि.मी.
हिसार-रेवाड़ी	143	हरलापुर-होसपेट	67
फुलेरा-अजमेर	81	होसपेट-स्वामी हल्ली	60
रेवाड़ी-जयपुर	225	लौंडा-कैसलराक	25
मेहसाणा-खेडियार	52	मुदखेड़-नांदेड़	23
दिल्ली कैंट-दिल्ली/नई दिल्ली	14	नैलालंग-दीमापुर	38
जोधपुर-जैसलमेर	295	येल हंका-चिकबालापुर	46
चिकजाजूर-हरिहर	60	मकराना-परबतसर	21
हरिहर-हुबली	129	समस्तीपुर-दरभंगा	1\37
हुबली-लौंडा	93	गिद्दलूर-नांदयाल	69
लौंडा-मिरज	188	गुंडा रोड-कोटटूर	50
बिरूर-शिमोगा	63	औंडिहार-छपरा	171
हुबली-गदग-हर्लापुर	78	यशवंतपुर-सैलम	46
अलनावर-अमेड़वाड़ी	26	छिंदवाड़ा-परासिया	28
दोणाकोंड़ा-गिद्दालूर	84	दीमामुर-फरकटिंग	70
चिकजाजूर-चित्रदुर्ग	18	गुवाहाटी-कामाख्या	7

परमनी-पुर्णा	29		
पुर्णा-नांदेड़	32		
अर्जुनी-वड़सा	23		
मुजफ्फरपुर-रक्सौल	129		
लमडिंग-नैनालंग	22		
चापरमुख-हैबरगांव	21		
	1805		758

96-97 खंड	कि.मी		
वीरमगाम-महेसाणा	65	कैसलराक-वास्को	87
मेहसाणा-मारवाड़-अजमेर	423	फरकाटिंग-मारियानी-	
जोधपुर-मारवाड़	103	लेखापानी	193
गुंतकल-नांदयाल	136	तिनसुकिया-डिबरूगढ़	48
वाडसा-नागमीर	28	तिनसुकिया-लेखापानी	63
अरसीकेरे-हसन	47	मऊ-शाहगंज	99
होस्सूर-सैलम	151	बंगारपेट-कोलार	18
सगौली-नरकटिया गंज	59		1617
होटगी-बीजापुर	97		

31.3.96 तक कर दिया गया :5533 कि.मी

(ख) केवल उन्हीं लाइनों को चरणबद्ध आधार पर परिवर्तित करने का प्रस्ताव है जो परिचालनिक और सामरिक दृष्टि से तत्काल अपेक्षित है। इस समय केवल 8वीं और 9वीं योजना अवधियों के दौरान लगभग 15,966 कि.मी. मीटर लाइन/छोटी लाइन का परिवर्तन करने के लिए पहचान की गई है। सभी मीटर लाइनों/छोटी लाइनों को परिवर्तित करने के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) राजकोट-वेरावल, नौलखी-वांकानेर-मलिया, सुरेन्द्रनगर-भावनगर, वीरमगाम-मेहसाणा-पाटन, बेड़ी पोर्ट, सुरेन्द्रनगर-राजुला, कलोल-वीजापुर, अहमदाबाद-हिम्मतनगर, ध्रंगधरा-कुडा, गांधीधाम-भुज, जोरावरनगर-सयाला और भरूच-दहेत खंडों के आमान परिवर्तन के लिए गुजरात सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से वांकानेर-दाहिनसरा-नौलखी और दहिनसरा-मलिया मियाणा तथा वीरमगाम-मेहसाणा खंडों पर आमान-परिवर्तन का

कार्य बोल्ट योजना के अंतर्गत निजी पूंजी से चल रहा है और इन्हें इसी वित्त वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। राजकोट-वेरावल खंड पर गांधीधाम-भुज के आमान-परिवर्तन का काम जल्दी ही शुरू किया जाएगा। शेष प्रस्तावों की या तो जांच हो रही है अथवा अलाभप्रद होने और संसाधनों की तंगी के कारण इन्हें शुरू नहीं किया जा सका है।

(ङ) जी, हां।

(च) ब्यौरा ऊपर भाग (घ) के उत्तर में दर्शाया गया है।

काली मिर्च का उत्पादन

*380. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कुल कितने प्रतिशत काली मिर्च का उत्पादन होता है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि कीटों, बीमारियों, मौसम संबंधी अनिश्चितताओं और मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण बेहतर फसल प्रबन्धन हेतु निवेश गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है;

(ग) क्या केरल सरकार ने काली मिर्च के लिए प्रौद्योगिकी अभियान शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 में भारत में काली मिर्च के कुल उत्पादन में केरल राज्य का अंश 97.9 प्रतिशत था। मेरे केरल के दौरे के दौरान मुझे रोगों और कृमियों के कुछ प्रकोप की सूचना दी गई थी। लेकिन, वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में केरल में काली मिर्च में कृमियों और रोगों का कोई गम्भीर प्रकोप होने की सूचना नहीं मिली। कोचिन में काली मिर्च के औसत वार्षिक थोक मूल्यों में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है तथा ये 1992 के 2779/-रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 1995 में 7575/- रुपये प्रति क्विंटल हो गये।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकार ने राज्य स्तर के कार्यकलाप के रूप में कार्यान्वयन हेतु काली मिर्च के लिये एक प्रौद्योगिकी मिशन का प्रस्ताव रखा है। इस मिशन में यह प्रतिपादित है कि उपलब्ध संसाधनों तथा प्रयासों को मिला दिया जाये तथा इस राज्य में स्थित इस फसल के विकास में जुटी सभी राज्यीय/केन्द्रीय संस्थाओं/एजेन्सियों के कार्यकलापों को समेकित किया जाये, ताकि दोनों के काली मिर्च के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। मंत्रालय ने इस प्रस्ताव का सिद्धान्ततया समर्थन किया है तथा उत्पादन प्रधान घटकों को लागू करने के लिये 1996-97 के बजट में यथोचित प्रावधान भी किया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय हिन्दी सलाहकार समिति

3009. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी सलाहकार समिति की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(ख) सभी मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समिति की ही भांति प्रधान मंत्री कार्यालय में राज भाषा के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु हिन्दी सलाहकार समिति किस तिथि तक स्थापित कर दी जाएगी ;

(ग) क्या प्रधान मंत्री कार्यालय में हिन्दी सलाहकार समिति तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन न होने के कारण देश के सरकारी उपक्रमों में राजभाषा को लागू किए जाने का मुद्दा प्रभावित हो रहा है; और

(घ) इस संबंध में स्थिति को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (मोहम्मद मकबूल डार) : (क) केन्द्रीय हिन्दी सलाहकार समिति के नाम से किसी समिति के गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। संभवतः माननीय संसद सदस्य का आशय केन्द्रीय हिन्दी समिति से है। इसके पूर्वगठन की प्रक्रिया चल रही है।

(ख से (घ) प्रधान मंत्री कार्यालय की स्थिति सरकार के मंत्रालयों और विभागों से भिन्न है। यह एक छोटा कार्यालय है जो प्रधान मंत्री को सचिवीय सहायता प्रदान करता है। इस बात को ध्यान में रखकर प्रधान मंत्री कार्यालय में हिन्दी सलाहकार समिति तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करना आवश्यक नहीं समझा गया। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए जारी निर्देशों के कार्यान्वयन का काम उक्त कार्यालय के एक संयुक्त सचिव को सौंपा गया है।

[अनुवाद]

लाइफ लाइन एक्सप्रेस

3010. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइफ लाइन एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी की उपयोगिता का अब तक कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे की इस रेलगाड़ी के शुरू किए जाने से अब तक इसके रख-रखाव तथा प्रचालन पर कितना व्यय करना पड़ा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) लाइफलाइन एक्सप्रेस को एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा शुरू किया और चलाया जा रहा है। समझौता ज्ञापन के अनुसार रेल मंत्रालय को इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के लिए 3 ब.ला. सवारी डिब्बे उपलब्ध कराने थे, उनके ढांचे में परिवर्तन करना था और उन्हें चलाना/रखना था। इस चल अस्पताल को चलाने के लिए चिकित्सा उपस्करों तथा अपेक्षित कर्मचारियों सहित सभी सामाजिक, तकनीकी तथा चिकित्सा पहलुओं की व्यवस्था इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन कर रहा है। इन सवारी डिब्बों के रख-रखाव तथा परिचालन प्रभार इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा वहन किए जा रहे हैं।

उड़ीसा में रेल विकास परियोजनाएं

3011. **श्री मुरलीधर जेना** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चल रही रेल विकास परियोजनाओं को रोक दिया गया है तथा इन परियोजनाओं हेतु आबंटित धनराशि को अन्य राज्यों में हस्तांतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को रोकने के कारण इनकी लागत में वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) राज्य में चल रही रेल परियोजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उड़ीसा राज्य में 31.3.96 तक चालू नई लाइनों, दोहरीकरण और आमान परिवर्तन रेल परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि लगभग 950 करोड़ रूपये हैं।

पेंशन अदालतें

3012. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के सभी जोन में कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई थीं; और

(ख) 1995 के दौरान पेंशन अदालत द्वारा जोन-वार पेंशन के कितने मामले निपटाए गए और 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार कितने मामले लंबित रहे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जोनल मुख्यालयों तथा मंडलों में पेंशन अदालतें प्रत्येक वर्ष में एक बार अर्थात् 15 दिसंबर को आयोजित की जाती हैं।

(ख) 15.12.1995 को आयोजित पिछली पेंशन अदालत में निर्णीत शिकायतों की संख्या तथा लंबित शिकायतों की संख्या से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है। 30.6.96 की स्थिति से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

रेलवे	निर्णीत मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या
मध्य	768	130
पूर्व	440	4
उत्तर	333	47
पूर्वोत्तर	207	64
पूर्वोत्तर सीमा	76	22
दक्षिण	636	46
दक्षिण मध्य	226	17
दक्षिण पूर्व	104	29
पश्चिम	379	2

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

3013. **श्री पी. आर. दास मुंशी** : क्या **गृह मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1996 की तिथि के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फरार करार दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों को भी पेंशन देने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को अलग-अलग पेंशन के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है; और

(घ) 1995-96 के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के शुरू होने से 31.3.1996 तक, 162757 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। केन्द्र सरकार द्वारा जिन व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई है उनके राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक--I पर दिए विवरण में है।

(ख) राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लेने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों,

जिन्होंने एक कार्यकारी आदेश के खिलाफ कम से कम छह माह फरार रह कर यातना भोगी, को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत करने पर विचार किया जाता है।

(ग) स्वतंत्रता सेनानी 1500/- रुपये प्रति माह की दर से केन्द्रीय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई पेंशन की दरें, अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग हैं। तथापि, राज्य पेंशन के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(घ) वर्ष 1995-96 के वित्तीय वर्ष के दौरान, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अधीन केन्द्रीय पेंशन के भुगतान पर कुल 1,31,38,51,787/- रुपये खर्च किए गए हैं।

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उन मामलों की सख्या जिनमें स्वतन्त्रता सैनिक पेंशन स्वीकृत की गई है।
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	11060
2.	अरूणाचल प्रदेश	-
3.	असम	4330
4.	बिहार	24566
5.	गोवा	911
6.	गुजरात	3570
7.	हरियाणा	1640
8.	हिमाचल प्रदेश	579
9,	जम्मू और कश्मीर	1780
10.	कर्नाटक	9968
11.	केरल	2813
12.	मध्य प्रदेश	3337
13.	महाराष्ट्र	16484
14.	मणिपुर	62
15.	मेघालय	86
16.	मिज़ोरम	4
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	4166
19.	पंजाब	6878
20.	राजस्थान	787
21.	सिक्किम	-
22.	तमिलनाडु	4068
23.	त्रिपुरा	886
24.	उत्तर प्रदेश	17911
25.	पश्चिम बंगाल	22395
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
27.	चंडीगढ़	89
28.	दादरा और नगर हवेली	-
29.	दमन और द्वीव	33
30.	दिल्ली	2031
31.	लक्षद्वीप	-
32.	पांडिचेरी	313
33.	आई.एन.ए.	22005
	कुल :	162757

विदेशी सहायता

3014. **श्री हाराधन राय : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एक लाख रुपए से अधिक की विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, संगठनों तथा संस्थाओं के नाम तथा पते क्या हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा वर्षवार प्राप्त की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा जिन विभिन्न क्रियाकलापों पर यह व्यय दी गई उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान सूचना देने वाली सभी एसोसिएशनों/संगठनों के नाम "स्वयंसेवी एसोसिएशनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति" के बारे में इन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियों में दिए गए हैं; ये प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। विभिन्न गतिविधियों के लिए उनके द्वारा सामूहिक रूप से प्राप्त राशि का ब्यौरा भी इन रिपोर्टों में उपलब्ध हैं।

काली मिर्च की खरीद

3015. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य से काली मिर्च की खरीद किये जाने हेतु कदम उठाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा दिए गए अन्य सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) वर्ष 1996 के दौरान मण्डी हस्तक्षेप योजना के अधीन काली मिर्च की खरीद के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्टेशनों का विस्तार तथा नवीकरण

3016. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के नवीनगर वरूण फेसर तथा जाखिम रेलवे स्टेशनों के विस्तार तथा नवीकरण के संबंध में पूर्व में कोई योजना तैयार की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) नवीकरण, फेसर और जाखिम छोटे स्टेशन हैं जहां यात्रियों की संख्या कम है। इन स्टेशनों पर संभाले जा रहे हैं यात्रियों की संख्या के अनुरूप सुविधाएं पहले ही मुहैया करा दी गई हैं।

पूर्व रेलवे पर वरूण नामक कोई स्टेशन नहीं है।

[अनुवाद]

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.

3017. **श्री बी. धर्मभिक्षम** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. के मजदूर संघों ने कम्पनी के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने और इसके घाटे पर अंकुश लगाने के संबंध में किसी फार्मूले का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आई.डी.पी.एल. की यूनियनों ने अन्य बातों के साथ-साथ सुझाया है कि आई.डी.पी.एल. के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, मद्रास व मुजफ्फरपुर स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली दोनों सहायक कंपनियों को पुनः आई. डी.पी.एल के अधीन लाया जाना चाहिए, आई.डी.बी. आई. व आई.डी.बी. एल. प्रबंधन को पुनर्वास योजना को तैयार करने हेतु कामगारों की यूनियनों के प्रतिनिधियों को सम्बद्ध/शामिल करने के लिए अनुदेश दिए जाने चाहिएं, वेतन-मान बढ़ाने/वेतन-मान पुनरीक्षित करने/नए डी.ए. फार्मूले में संशोधन और आस्थगित सुविधाओं को फिर से बनाने की प्रक्रिया का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए, शीर्षस्थ प्रबंधन को बदला जाना चाहिए। इन सुझावों को सरकार ने नोट कर लिया है।

तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

3018. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे ने हावड़ा सर्कुलर रेलवे के लिए तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करने के बारे में रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड इस तरह का सर्वेक्षण करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गया है;

(ग) क्या हावड़ा सर्कुलर रेलवे में यात्री सेवा शुरू करने संबंधी सुविधाएं विद्यमान हैं;

(घ) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण हेतु कोई राशि आबन्टित न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार इस वर्ष यह सर्वेक्षण शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (च) जी हां, मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

"इफको"

3019. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आंवला स्थित "इफको" उर्वरक संयंत्र ने अपनी बढ़ी हुई क्षमता के अनुसार उत्पादन शुरू कर दिया है, यदि हां, तो कब से;

(ख) क्या उन सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर दिया गया है जिनकी जमीनों का संयंत्र स्थापित करते समय अधिग्रहण कर लिया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो कितने परिवारों को अब तक रोजगार प्रदान नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) जी, नहीं। इस संयंत्र द्वारा अपनी बढ़ी हुई क्षमता के अनुसार जनवरी, 1997 तक उत्पादन शुरू कर दिये जाने की आशा है।

(ख) तथा (ग) आंवला संयंत्र स्थापित करने के लिये जिन 851 परिवारों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी, उनमें से वृद्धावस्था तथा अन्य कारणों से 155 परिवारों में रोजगार के लिये कोई पात्र सदस्य नहीं है। 196 विस्थापित परिवारों को पहले ही रोजगार दिया जा चुका है। भूमि से बेदखल किये गये शेष व्यक्तियों को योग्यता तथा उपयुक्तता की शर्त पर इफको की कार्य-प्रणाली के अनुसार इफको में प्रतिस्थापन तथा नैमित्तिक रिक्तियों के प्रति रोजगार में वरीयता दी जा रही है। भूमि से बेदखल किये गये व्यक्तियों के प्रति रोजगार में वरीयता दी जा रही है। भूमि से बेदलखल किये गये व्यक्तियों के कुछ परिवारों को इफको टाऊनशिप में ठेके (कान्ट्रेक्ट) तथा दुकानें दी गई हैं।

[अनुवाद]

लोकल रेलगाड़ियों की आवृति

3020. **श्री तरित बरण तोपदार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डानकुनी तथा नैनाती बंडेल के रास्ते सियालदह-बरधामान के बीच चलने वाली लोकल गाड़ियों की आवृति करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उपनगरीय रेल सेवाएं

3021. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में उपनगरीय रेल सेवा में सुधार के लिए कोई कार्य शुरू किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो एम.यू.टी.पी. दो के तहत रेल से संबंधित परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए अंतिम रूप से कौन सा तरीका अपनाया गया है तथा केन्द्र रेल तथा राज्य सरकार का अलग-अलग हिस्सा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक से कोई सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) मुम्बई में उपनगरीय रेल सेवाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं पहले ही शुरू की गई हैं :

परियोजना का नाम	लागत में प्रतिशत हिस्सेदारी	
	रेलवे	मै. सिडको
1. थाणे-सुर्भे-नेरुम.../वाशी-गलियारा सं. 2 का भाग	33	67
2. बेलापुर-पनवेल दैनिक यात्री लाइन	33	67
3. मानखुर्द-बेलापुर लाइन	33	67
4. सीवुड-उरन-विद्युतीकृत दोहरी लाइन	33	67
5. शांताक्रुज-बोरीवली-5वीं लाइन	100	-
6. अंधेरी-बांद्रा-अतिरिक्त जोड़ी लाइन	100	-
7. कुर्ला-थाणे-5वीं और 6वीं लाइन (कुर्ला-मांडुप चरण-1	100	-
8. बोरीवली-विरार का चौहरी लाइन	100	-

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) विश्व बैंक ने मुम्बई उपनगरीय परिवहन परियोजना-2 के रेल संबंधी तत्वों के 4 अध्ययन करने के लिए पी.पी. एफ. सुविधा के अंतर्गत अग्रिम के रूप में अभी तक 3.0 मिलियन अमरीकी डालर दे दिए हैं। फिलहाल 4 में से 3 अध्ययन शुरू कर दिए गए हैं और सभी 4 अध्ययनों के पूरा होने में लगभग एक वर्ष लगेगा। मु.उ.प.प.-2 के सही तत्व और परियोजना के आकार का पता अध्ययन पूरा हो जाने पर की ज्ञात होगा।

[हिन्दी]

गुजरात में दाल का उत्पादन

3022. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में दाल की खेती में वृद्धि करने को अत्यधिक गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में गुजरात सरकार को विशेष सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) गुजरात में दलहनों, विशेषकर अरहर, मूंग और उड़द की खेती को बढ़ावा दिये जाने की काफी कुछ गुन्जाइश है।

(ख) और (ग) दलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी लाने के उद्देश्य से गुजरात में पहले ही एक राष्ट्रीय केन्द्रीय दलहन विकास परियोजना चलायी जा रही है। 1996-97 के लिये इस राज्य के लिये 134.00 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें 101.00 लाख रुपये का भारत सरकार का हिस्सा भी शामिल है। यह योजना 75:25 के वित्तीय प्रतिमान के आधार पर चलायी जा रही है।

अनुवाद]

समेकित रेलवे नेटवर्क

3023. **प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूचबिहार जिले को समेकित रेलवे नेटवर्क के अन्तर्गत लाने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

कीड़ों की प्रजातियां

3024. **श्री आर. बी. राई : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दिन पूर्व दार्जिलिंग में दुर्लभ प्रजातियों के कीटों का अवैध रूप से संग्रह करने और इनकी तस्करी करने के संबंध में होटल मालिकों के साथ-साथ कुछ विदेशी नागरिक भी गिरफ्तार किए गए थे;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संग्रह किए गए कीड़ों की प्रजातियों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल वन्यजीव प्राधिकारियों ने रिपोर्ट दी है कि होटल वालेटीन, दार्जिलिंग में 9.7.96 को छापा मारा गया था। एक जापानी नागरिक के पास वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की विभिन्न अनुसूचियों से संबंधित लगभग 3100 मरी हुई तितलियां और पतंगे पकड़े गए। इस जापानी नागरिक को अन्य स्थानीय लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

(ग) गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंध के तहत मुकदमा चलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

कोच मरम्मत कार्यशाला की उत्पादन क्षमता का उन्नयन

3025. **श्री नेलावाला सुब्रह्मण्यम: क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूपति के केरिज/कोच मरम्मत कार्यशाला के उत्पादन क्षमता के उन्नयन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां, तिरूपति कारखाने की मौजूदा आवधिक ओवरहाल क्षमता को 70 चौपहिया यूनिट प्रतिमाह से बढ़ा कर 150 चौपहिया यूनिट प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

मदर डेयरी संयंत्र

3026. **श्री एन. जे. राठवा : क्या पशुपालन और डेरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में मदर डेरी के संयंत्र कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य में स्थित इन संयंत्रों की कितनी क्षमता का प्रयोग किया गया; और

(ग) उक्त अवधि में इन संयंत्रों द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया अथवा कितनी हानि उठाई गई ?

कृषि मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ लिमिटेड (जी.सी.एम.एम.एफ.) द्वारा गुजरात में गांधीनगर जिले के भाट गांव में 10 लाख लीटर दूध प्रतिदिन की क्षमता वाला मदर डेयरी का केवल एक संयंत्र स्थापित किया गया है। संयंत्र ने केवल 1995-96 में ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। प्रचुर दुग्ध उत्पादन के समय मदर डेयरी के पास अधिकतम अधिप्राप्ति तथा प्रसंस्करण इसकी क्षमता का 83.9 प्रतिशत था। मदर डेयरी बी.सी.एम.एम.एफ. की एक इकाई है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित लाभ इस प्रकार है :

वर्ष	लाभ (लाख रुपये में)
1993-94	78.86
1994-95	134.37
1995-96	817.89

[अनुवाद]

केरल में स्टेशनों का विकास

3027. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 वित्तीय वर्ष में कायकुलम, मवेलीहारा, चेंगलूर तथा हिरूवल्ला रेलवे स्टेशनों के विकास हेतु कौन-कौन से कार्यक्रम शुरू किए हैं तथा पूरा किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के लिए कार्य योजना क्या है तथा इस कार्य के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) इन कार्यों के पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 1995-96 के दौरान कायकुलम, में प्रतीक्षालय की व्यवस्था करने सहित स्टेशन इमारत में सुधार और सौंदर्यकरण; प्लेटफार्म सं. 2/3 पर सायबान का विस्तार और चेंगनूर में अनारक्षित यात्राओं के लिए यात्री बुकिंग क्षेत्र में सुधार का कार्य स्वीकृत किया गया था। चेंगनूर में कार्य पूरा होने वाला है।

वर्ष के दौरान मावेलिकारा और त्रिरूवल्ला स्टेशनों पर कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) 1996-97 के दौरान कायनकुलम में प्लेटफार्म सं. 1 को ऊंचा उठाने और प्लेटफार्म सं. 2/3 पर सायवान का विस्तार, चेंगनूर और मावेलिकारा स्टेशनों पर प्लेटफार्म सं. 2 पर सायवान के विस्तार का कार्य 31.10 लाख रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया है और इसके जून, 1997 तक पूरा कर लिये जाने का लक्ष्य है।

तिरूवल्ला में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

इन स्टेशनों पर सभी कार्यों के लिए चालू वर्ष के दौरान 50.40 लाख रु. का आबंटन किया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र पुलिस बल की तैनाती

3028. **श्री विजय अन्नाजी मुडे** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र ने 11 मई, 1990 से अप्रैल 1993 के दौरान सुरक्षा प्रयोजनों से पुलिस बल की 12 बेटालियनें दिल्ली भेजी थीं;

(ख) यदि हां तो क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र को इन पर हुए व्यय का भुगतान कर दिया है; और

(ग) यदि हां तो कितनी राशि का भुगतान किया गया और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) प्रश्नाधीन अवधि के दौरान कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटियों के लिए दिल्ली पुलिस के अधीन रहे महाराष्ट्र राज्य रिजर्व पुलिस बल की संख्या-शक्ति इस प्रकार थी :

कंपनियों की संख्या	अवधि	
	से	तक
12	2.5.1990	11.1.1993
9	12.1.1993	29.3.1993
8	30.3.1993	30.7.1993

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस ने अभी तक राज्य सरकार को 16, 85, 12, 036/- रु. की राशि की प्रतिपूर्ति की है। कुल बिल अभी राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।

[अनुवाद]

कीमती इमारती लकड़ी की तस्करी

3029. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मिजोरम के मैटावाई रेलवे स्टेशन से गुजरात के कॉंगकोरिया रेलवे स्टेशन के लिए बुक की गई कीमती

इमारती लकड़ियों से लदी 15 वैंगनों के करीमगंज जिले के बदरपुर रेलवे जंक्शन पर पहुंचने की जानकारी है;

(ख) क्या हैलाकुण्डी से करीब 5 करोड़ मूल्य की लकड़ी की तस्करी की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) सूचना सम्बन्धित राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अवैध बंगलादेशी प्रवासी

3030. **श्री बी. एल. शर्मा 'प्रेम'** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) कितने अवैध बंगलादेशी प्रवासियों को वर्ष-वार अभी तक बंगलादेश वापस भेजा गया है;

(ख) राज्य-वार कितने अवैध बंगलादेशी प्रवासी अभी भी भारत में ठहरे हुए हैं;

(ग) कितने बंगलादेशी प्रवासियों ने अपने को राशन-कार्ड धारकों और मतदाता सूचियों में शामिल करा लिया है; और

(घ) इन प्रवासियों को स्वदेश भेजने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) अनधिकृत बंगलादेशी प्रवासियों को बीच में ही पकड़ लेना/गिरफ्तार करना और उन्हें बंगलादेश वापस भेजना एक सतत प्रक्रिया है। भारत की बंगला देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ढेढ़ी मेढ़ी होने के साथ-साथ ही आबादी वाले इलाकों, नदियों दलदली क्षेत्रों, जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों से गुजरती है। सीमा के दोनों ओर की आबादी एक ही जातीय एवं भाषाई समूह से संबंधित है। इसलिए, उन घुसपैठियों की ठीक-ठाक संख्या बता पाना कठिन है जो भारत में आकर बस गए हैं। तथापि, सरकार घुसपैठ की समस्या के प्रति सचेत है और उसने घुसपैठ को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन कदमों में शामिल हैं—सीमा सुरक्षा बल की विस्तार योजना के अधीन अतिरिक्त बटालियनों का गठन, सीमा चौकियों के बीच अन्तराल को घटाना, गश्त बढ़ाना, सी.सु.ब. की नदी तटीय जल शाखा का गठन करना, सीमा सड़कों और बाड़ का निर्माण करना तथा नाइट विजन डिवाइसिज उपलब्ध कराना। इसके अलावा, विदेशियों की घुसपैठ की रोकथाम (पी.आई.एफ.) और सचल कार्य बल (एम.टी.एफ.) जैसी योजनाएं भी हैं जिन्हें कि घुसपैठियों का पता लगाने के लिए परिचिह्नित राज्यों द्वारा लागू किया जा रहा है। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को स्थाई निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे घुसपैठियों का पता लगाएं और उन्हें स्वदेश वापस भेजें।

[हिन्दी]

दिल्ली में अद्यतन सिगनल तकनीक

3031. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात नियंत्रण हेतु अद्यतन सिगनल तकनीक का उपयोग करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा; और

(घ) इस पर अनुमानतः कितनी राशि व्यय करनी होगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) दिल्ली यातायात पुलिस ने दो "फुल्ली व्हीकल एक्चुएटिड रोड ट्रेफिक सिगनल कण्ट्रोलर्स" लगाए हैं जोकि उपयुक्त स्थानों पर लगाए गए डिटेक्टरों के माध्यम से यातायात को देखते हैं। ये डिटेकटर्स, नियंत्रणकत्ताओं को मौजूदा यातायात के बारे में सूचना देते हैं। डिटेक्टरों द्वारा बताई गई यातायात की मात्रा के अनुसार अनयंत्रणकर्त्ता हरी बत्ती के समय में निवार्यतः वृद्धि करते हैं परन्तु यह वृद्धि हरी बत्ती की निर्धारित अधिकतम समय-सीमा के भीतर होती है। हरी बत्ती की न्यूनतम और अधिकतम समय-सीमा को प्रयोग-कर्त्ता द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है।

छिल्ली यातायात पुलिस के पास नवीनतम सिगनल तकनीक, नामतः "कम्प्यूटराईजड एरिया ट्रेफिक कण्ट्रोल सिस्टम" प्रयोग करने हेतु एक अन्य प्रस्ताव है। इस सिस्टम की मुख्य विशेषता यह है कि यह यातायात आवागमन परिस्थितियों के प्रति पूर्णतः अनुकूल है। यातायात में आने वाले परिवर्तन के अनुकूल वास्तविक समय लेता है तथा सभी प्रकार की शहरी सड़कों, ग्रिडों, नेटवर्क और मुख्य मार्गों पर कार्यान्वित किया जा सकता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 8.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इस सिस्टम को कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

सामान को बुक किया जाना

3032. **डा. असीम बाला** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे ने कम मात्रा में सामान बुक नहीं करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप पूर्व रेलवे को कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार इस निर्णय की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ट्रैक्टरों के लिए अनुदान योजना

3033. **श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे किसानों के खेती कार्य के मशीनीकरण हेतु 1800 सीसी के ट्रैक्टरों और इसके संपूरक उपकरणों पर अनुदान प्रदान करने की काई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1800 सीसी ट्रैक्टरों को विदेशों में निर्मित किया जाता है और इनके खराब होने पर उसके पुर्जे और मिस्त्री भारत में उपलब्ध नहीं होते जिससे ये ट्रैक्टर भारतीय किसानों के ज्यादा काम के नहीं रहते; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार 1800 सीसी ट्रैक्टरों के स्थान पर 3500 सीसी ट्रैक्टरों पर अनुदान देने पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान 30 पावर टेक आफ हार्सपावर की क्षमता वाले ट्रैक्टरों तथा उसके साथ अनुमत उपष्करों की खरीद के लिए लागत के 30% की दर से, लेकिन अधिकत 30,000 रुपये तक की सब्सीडी के प्रावधान वाली एक प्लान योजना को सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी है। यह सब्सीडी अलग-अलग किसानों या कृषक समूहों के लिए उपलब्ध है चाहे उनकी जोतों का आकार कुछ भी हो। यह सब्सीडी पंजीकृत सहकारी समितियों, कृषि ऋण समितियों और बहु-उद्देशीय कृषि फामिंग समितियों के लिए भी देय है चाहे उनके अंतर्गत जोत का आकार कुछ भी हो।

(ग) और (घ) विभिन्न क्षमता के इन्जनों वाले ट्रैक्टरों जिसमें 1800 सी.सी. तक के इन्जन भी शामिल हैं, तथा उनके उपष्करों का विनिर्माण देश में हो रहा है।

भोज आर्द्रभूमि परियोजना भोपाल

3034. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल में भोज आर्द्रभूमि परियोजना, जिसके लिए जापान से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, कि वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना के क्रियान्वयन पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है; और

(ग) राज्य और केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता में कितने प्रतिशत की भागीदारी है तथा जापान से कितनी सहायता प्राप्त हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) भोज आर्द्र भूमि परियोजना, भोपाल अप्रैल, 1995 से कार्यान्वित की गई है। इस परियोजना पर जुलाई, 1996 तक 875.10. लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। विभिन्न उप परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। कार्य प्रगति पर है।

(ख) और (ग) परियोजना की अनुमानित लागत 231.51 करोड़ रुपये है। जिसमें से जापान के ओवरसीज इकोनामिक्स को-ऑपरेशन फंड से 705 मिलियन येन की धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध है। शेष व्यय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।

[अनुवाद]

नेल्लोर में उर्वरक संयंत्र

3035. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इफको" द्वारा आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सपरलापाड में उर्वरक संयंत्र की स्थापना हेतु भूमि के सर्वेक्षण एवं अधिग्रहण संबंधी कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ख) इस संयंत्र की लागत और उत्पादन चालू होने संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) सरकारी भूमि का हस्तान्तरण तथा निजी भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) की प्रस्तावित नेल्लोर परियोजना के लिए अपेक्षित लगभग 2450 एकड़ सरकारी भूमि तथा 250 एकड़ निजी पट्टा भूमि को अधिग्रहीत करने की प्रक्रिया आरम्भ की है।

(ख) प्रति वर्ष 7.26 लाख मी. टन यूरिया की उत्पादन क्षमता के लिए इस परियोजना की पूंजी लागत का अनुमान 1568 करोड रुपए

लगाया गया है। इस संयंत्र से जीरो तारीख से 39 माह के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की आशा की जाती है।

यात्री यातायात और माल परिवहन से राजस्व

3036. **श्री ए. सम्पथ : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 तथा 1995 के दौरान यात्रियों से जोनवार कुल कितने राजस्व की वसूली की गई; और

(ख) राज्यवार कितने माल की ढुलाई हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) वर्ष 1994 और 1995 के दौरान यात्री यातायात से प्राप्त कुछ राजस्व का जोन-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

रेलवे	यात्री यातायात से आमदनी	
	1993-94	1994-95
मध्य	983.74	1097.34
पूर्व	542.11	598.46
उत्तर	937.33	1031.03
पूर्वोत्तर	242.16	276.29
पूर्वोत्तर सीमा	96.77	111.81
दक्षिण	446.96	520.95
दक्षिण मध्य	438.43	488.31
दक्षिण पूर्व	327.87	365.45
पश्चिम	875.85	962.21
मेट्रो/कलकत्ता	3.99	4.81
जोड :	4895.21	5463.66

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान राजस्व उपार्जक माल यातायात के जोन-वार लदान का ब्यौरा इस प्रकार है :

रेलवे		(मिलियन टन में)
	1993-94	1994-95
1	2	3
मध्य	36.04	37.11
पूर्व	70.88	72.03
उत्तर	24.99	21.47
पूर्वोत्तर	2.88	2.33
पूर्वोत्तर सीमा	5.79	6.53
दक्षिण	19.02	19.27
दक्षिण मध्य	40.30	35.73
दक्षिण पूर्व	131.50	141.72
पश्चिम	27.32	28.77
जोड़	358.72	364.96

बागवानी विकास कार्यक्रम

3037. **श्री राम नाईक क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुई बागवानी विकास कार्यक्रम संबंधी परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है तथा ये किन-किन तारीख को प्राप्त हुई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को अब तक स्वीकृति नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन योजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति देने संबंधी अधिकारों को प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्र द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) समशीतोष्ण, शुष्क तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फलों के विकास की समेकित योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की यूनिटों को ग्राह्य वित्तीय सहायता के संबंध में विचार करने के लिए मेसर्स सौभाग्य कल्पतरू प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्तक संवर्धन परियोजना की स्थापना संबंधी स्टेटस रिपोर्ट बागवानी निदेशालय महाराष्ट्र द्वारा 23.3.96 को कृषि मन्त्रालय को भेजी गई थी। इस पर तकनीकी दृष्टि से विचार किया गया तथा 15.4.96 को मंजूरी भेजी गई।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

रेल सेवाओं में सुधार

3038. **श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व रेलवे के राणाघाट-लाल गोला राणा घाट-गोन्डे तथा राणा घट-बोनगांव सेक्शन पर रेल सेवाओं में सुधार हेतु

कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां, रानाघाट-लालगोला/गेडे/बोनगांव खंडों पर डी.एम.यू. सेवाएं चला दी गई हैं। नई सेवाएं चलाना एक सतत् प्रक्रिया है बशर्ते कि परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी न हो :

पायराइट और फास्फेट का खनन

3039. **श्री मुनि लाल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के रोहतास जिला के अमघोर में पायराइट और फास्फेट खनन और उत्पादन संबंधी कोई सरकारी उपक्रम है;

(ख) इन खानों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं;

(ग) व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी खतरे से निपटने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है,

(घ) क्या प्रदूषण से विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति और रोजगार उपलब्ध-कराया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो उनकी समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) जी, हां। पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि. (पी.पी.सी.एल.) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो बिहार के रोहतास जिला में अमझोर स्थित पाइराइट्स खानों का खनन करता है। सिंगल सुपर फास्फेट (एस.एस.पी) का निर्माण करने के लिए पी.पी.सी.एल. के पास अमझोर में एक एकक है जो इस खनित पाइराइट्स से उत्पादित एसिड का उपयोग करता है।

(ख) से (ङ) पी.पी.सी.एल. के खनन तथा निर्माण क्रियाकलापों के कारण प्रदूषण की वजह से स्थानीय आबादी पर किसी विपरीत प्रभाव अथवा विस्थापन की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। तथापि पी.पी.सी.एल. ने इस तेजावीय पानी को निष्प्रभावी बनाने के लिए उच्च क्षमता खान निस्राव शोधन संयंत्र की स्थापना करने जैसे उपचारी उपाय करके खान तथा पत्थरों के ढेर से तेजावीय पानी के बहाव के कारण होने वाले भूमि प्रदूषण को रोक दिया है। अब निष्प्रभावी पानी शोधित करने के पश्चात छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा, पी.पी.सी.एल. ने लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के सहयोग से उन 6 समीपस्थ गांवों, जहां पाइराइट्स खनन के कारण भूमि जल प्रभावित होने की रिपोर्ट दी गई थी, में पाइपलाइन के जरिए पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था की है।

[हिन्दी]

रेलवे में हिन्दी को प्रोत्साहन

3040. **श्री देवी बक्स सिंह :**
डॉ. रमेश चंद तोमर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) मंत्रालय में कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जा रहा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेल मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

रेल मंत्रालय को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित और नियम 8(4) के अंतर्गत हिंदी में कार्य करने कें लिए विनिर्दिष्ट किया गया है, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं आरंभ की गई हैं। सीधी भर्ती द्वारा तथा हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण देकर हिंदी आशुलिपिकों की संख्या तथा हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण देकर हिंदी आशुलिपिकों की संख्या बढ़ाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बोर्ड कार्यालय में 151 रोमन टाइपराइटरों के कुंजीपटल देवनागरी में परिवर्तित कर दिए गए हैं, जिससे देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या बढ़कर 227 हो गई है, बजट संबंधी तथा संसद संबंधी कार्यो सहित कुछ कार्य पर्सनल कंप्यूटरों पर हिंदी में आरंभ किए गए हैं। पर्सनल कंप्यूटरों पर हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न निदेशालयों में हिंदी की प्रगति का जायजा लेने के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान बोर्ड कार्यालय के विभिन्न निदेशालयों के विभागाध्यक्षों के साथ 28 बैठकें आयोजित की गई हैं। राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड कार्यालय के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण/संपर्क किया जा रहा है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि "क" और "ख" क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाता है, रेलवे बोर्ड मुद्रणालय, सेंट्रल रजिस्ट्री और प्रेषण अनुभागों में चैक-प्वाइंट बनाए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए इन चैक-प्वाइंटों पर कर्मचारियों को तैनात करके व्यक्तिगत जांच भी की जाती है।

(ख) 1. "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों को हिंदी में जारी पत्रों का प्रतिशत 43.5 है।

2. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन का प्रतिशत 97.5 है।

3. रजिस्टरों/डायरियों में हिंदी के प्रयोग का प्रतिशत 92.3 है।

4. 20 अनुभागों को अपना पूरा कार्य हिंदी में करने के लिए

नामित किया गया है।

5. द्विभाषिक रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाए गए पर्सनल कंप्यूटरों का प्रतिशत 84.8 है।

6. संहिताओं/नियमावलियों का हिंदी में प्रकाशन का प्रतिशत 75 है।

टिकट-बिक्री के लिए एजेंटों की नियुक्ति

3041. **वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने कोटा में रेल टिकटों की बिक्री और शायिका आरक्षण कार्य हेतु एजेंट नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इन एजेंटों के क्या नाम हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) दो सिटी बुकिंग एजेंसिया मै, सुरेन्द्र कं रामपुरा बाजार कोटा और मै. कपूर एंड कं. ऐरोडोम सर्किल कोटा में यात्रियों को अनारक्षित टिकटें बेचने का कार्य कर रही हैं। इसके अलावा, दो रेल यात्री सेवा एजेन्ट मैं. ओम सिंह, सोहन सिंह और मैं. राजेश ट्रेडर्स को कोटा सिटी में इच्छुक यात्रियों की ओर से कगार में खड़े होकर रेल आरक्षण कार्यालय से टिकटें खरीदने तथा रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रभार वसूल के लिए नियुक्त किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आरक्षण कोटा

3024. **श्री अनन्त कुमार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर रेलवे स्टेशन से सभी रेल गाड़ियों में आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) बैंगलूर रेलवे स्टेशन पर सभी गाड़ियों में आरक्षण कोटे में वृद्धि करने के लिए कोई विशेष मांग नहीं की गई है।

पुलिस थानों को उपग्रह दूर-संचार प्रणाली के माध्यम से जोड़ना

3043. **श्री उद्धव बर्मन : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में पुलिस थानों को जोड़ने के लिए उपग्रह दूर संचार प्रणाली "पोलनेट" का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवें वित्त आयोग ने राज्यों को आवश्यक धनराशि जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने पोलनेट परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना को कब तक मंजूरी प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (छ) सरकार का प्रस्ताव है कि पुलिस के पास उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क हो और यह नेटवर्क दूर-संचार विभाग से स्वतंत्र हो। इस परियोजना के अंतर्गत "वी सैट" के माध्यम से देश के समस्त पुलिस स्टेशनों को जोड़ने का विचार है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए इस समय 833वी सैट निर्धारित किए गए हैं। इस योजना में 154.20 करोड़ रु. की सकल राशि संलिप्त है जिसमें से 77.51 करोड़ रु. (अनावर्ती) की संस्तुति दसवें वित्त आयोग द्वारा गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र को छोड़कर शेष राज्यों के अंश के रूप में की गई है। दसवें वित्त आयोग द्वारा आबंटित राशि का उपयोग केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में स्थापित किए जाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए राज्यों की सहमति में किया जाएगा। सरकार, इस परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्यों के साथ बातचीत कर रही है। इस परियोजना को लगभग चार वर्षों में पूरा किए जाने का विचार है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ रेल संपर्क

3044. **श्री ताराचन्द भगोरा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के साथ अब तक कितने शहरों को जोड़ा गया है;

(ख) उक्त क्षेत्रों के साथ कितने शहरों को जोडें जाने की सभावना है; और

(ग) क्या जयपुर शहर को पूर्वोत्तर क्षेत्रों से रेल द्वारा सीधे जोड़ने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) गुवाहाटी अनेक नगरों/शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है जिनमें कलकत्ता, बैंगलोर, दिल्ली, विशाखापत्तनम्, त्रिवेन्द्रम, पटना, भुवनेश्वर, मुम्बई, गोरखपुर, कोचिन, मद्रास, लखनऊ, जम्मू आदि शामिल हैं।

(ख) दीमापुर-तिनसुकिया खंड के आमान परिवर्तन के बाद पूर्वोत्तर के अधिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 4055/4056 ब्रह्मपुत्र मेल तथा 5659/5660 कामरूप एक्सप्रेस को तिनसुकिया तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी नहीं।

[अनुवाद]

सच-खंड एक्सप्रेस

3045. **श्री जी. एम. कुंदूरफर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सच-खंड एक्सप्रेस को नान्देड़ और अमृतसर के बीच सप्ताह में एक दिन के बाजाए प्रतिदिन चलाने और नान्देड़ से चलने/गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों के आरक्षण कोटा में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि उपरोक्त "क" नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा परिचालनिक कठिनाई और संसाधन की तंगी को देखते हुए बारम्बारता में वृद्धि करने पर विचार करना संभव नहीं है। जहा तक नांदेड़ में आरक्षण कोटा बढ़ाने का संबंध है, इस स्टेशन पर सिकंदराबाद और मुम्बई यात्री आरक्षण प्रणाली से संबद्ध कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा मुहैया करायी गई है। नांदेड के यात्री इन यात्री आरक्षण प्रणालियों पर सभी गाड़ियों में "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) जी हां।

प्लेटफार्मों का निर्माण

3046. **श्री वी. एम. सुधीरन**: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का त्रिवेंद्रम डिवीजन के अलेप्पी रेलवे स्टेशन पर—अतिरिक्त प्लेटफार्मों और रेल रोड्स का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि आधारित उद्योग

3047. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी :**
श्री लक्ष्मण सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन योजनाओं के अंतर्गत कृषि आधारित एककों को रियायतें प्रदान की जा रही हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान अब तक उपलब्ध कराई गई रियायतों के संबंध में यूनिट-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन रियायतों से उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने किसानों को लाभ पहुंचा;

(ग) निकट भविष्य में उक्त योजनाओं के अतिरिक्त घोषणा किए जाने वाले अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में राज्यवार पूंजीनिवेश के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) कृषि आधारित यूनिटों में खाद्य तथा गैर खाद्य उद्योग दोनों शामिल हैं। कृषि उत्पादों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अनाज तथा दलहन प्रसंस्करण उद्योग, फल एवं सब्जी, मांस, मछली तथा कुक्कुट प्रसंस्करण उद्योग चीनी, खाद्य तेल, चाय तथा कॉफी जैसी रोपण फसलें, अल्कोहल आदि शामिल हैं। कृषि पर आधारित गैर खाद्य उद्योगों में पटसन तथा मेस्ता आधारित उद्योग, कपास कताई, रेशम पालन उद्योग, पशु आहार कुक्कुट तथा मत्स्य आहार, कागज तथा संबंधित उत्पाद, जड़ी बूटियों से औषधि निर्माण आदि शामिल हैं।

कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए सहायता के अन्तर्गत कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना तथा विस्तार हेतु राज्य सरकारों/सरकारी निकायों/स्वैच्छिक संगठनों/संयुक्त क्षेत्रों आदि को सहायता शामिल है। सरकार द्वारा कृषकों, विपणन सहायता, भंडारण, पैकेजिंग, जनशक्ति प्रशिक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास संबंधी बैकवर्ड सिंकजों के विकास के लिए भी सहायता दी जाती है।

चूंकी कृषि आधारित उद्योग संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में

हैं, अतः ऐसे उद्योगों में किए गए निवेश का आकलन कर पाना कठिन है।

चूंकि कृषि आधारित उद्योगों के विकास के संबंध में कृषकों को सीधे सहायता नहीं दी जाती अतः कृषि आधारित उद्योगों संबंधी विकास योजनाओं से लाभान्वित किसानों की संख्या बता पाना भी कठिन है।

यात्री गाड़ी में बम

3048. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 मई, 1996 को कुरूक्षेत्र तथा कैथल के बीच चलने वाली एक यात्री गाड़ी में एक बम रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है;

(घ) यदि हां तो अभियुक्तों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या ऐहतियाती उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) ट्रेन नं.-3 जे.एन.के. में रखे गये एक बम का पता 25.5.1996 को 22.10 बजे पिहोवा रोड रेलवे स्टेशन पर चला। इससे पहले की विस्फोट होता तथा जानमाल एवं सम्पत्ति की हानि होती, इस बम को हरियाणा सी.आई.डी. के बम डिस्पोजल दस्ते द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया।

(ग) से (ङ) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3/4/5 के अन्तर्गत राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन, कुरूक्षेत्र में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया। इस मामले की जांच-पड़ताल प्रगति पर है।

(च) राज्य सरकार के अनुसार आसूचना तंत्र को सुग्राही बनाया गया है तथा आतंकवाद-विरोधी प्रकोष्ठ को सक्रिय किया गया है। समय-समय पर सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। रेल पुलिस अधीक्षकों तथा जिला पुलिस अधीक्षकों को ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी एहतियाती उपाय करने के लिए कहा गया है।

पाम आयल का उत्पादन

*3049. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** :
श्री सुरेश कोडीकुनील :
प्रो. पी. जे. कुरियन :
श्री भक्त चरण दास :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पाम आयल का उत्पादन होता है और गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार इसका कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार इसकी बड़े पैमाने पर खेती को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) 1996-97 के दौरान अनुमानतः कितने क्षेत्र में इसकी खेती करने की संभावना है और राज्यवार इसकी खेती में विकास पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में ऑयल पाम की खेती के विस्तार के लिए प्रस्ताव भेजे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) इस समय, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऑयल पाम का उत्पादन किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में ऑयल पाम के ताजे फलों के गुच्छे का राज्यवार उत्पादन अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां, ऑयल माप की खेती को बढ़ावा देने के लिए चयनित राज्यों में ऑयल पाम विकास कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा पौध रोपण सामग्री, आदानों तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली की संस्थापना हेतु ऑयल पाम के किसानों को राज सहायता दी जा रही है। ऑयल पाम के किसानों को राष्ट्रीय आयल पाम अनुसंधान केन्द्र, (आंध्र प्रदेश) और केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, पालोड (के एल) में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

(घ) वर्ष १९९६.९७ के दौरान आयल पाम की खेती के अधीन लाए जाने वाले राज्यवार आकलित क्षेत्र तथा ऑयल पाम के विकास पर किए जाने वाले सम्भावित खर्च का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ङ) और (च) केरल सरकार द्वारा केरल के कोट्याम जिले में प्रदर्शन परियोजना के रूप में कारिलैंड्स के २०० हैक्टेयर में ऑयल पाम की खेती के लिए मार्च, १९९६ में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

केरल सरकार को नौंवी योजनावधि में योजना का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया, क्योंकि प्रदर्शन प्लाट की स्थापना के लिए कार्य आठवीं योजना के अंत, अर्थात मार्च, १९९७ तक पूरा नहीं किया जा सकता। तथापित राज्य के २५: के अंशदान से क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतिक्षा की जा रही है।

आयल पाम के ताजे फलों के गुच्छे का राज्यवार उत्पादन

(मी. टन मे)

क्रम सं.	राज्य/वर्ष	1994-95	1995-96
1.	केरल	19910	19901
2.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	10868	9087
3.	आंध्र प्रदेश	3960	7212
4.	कर्नाटक	1197	2681
5.	गोवा	शून्य	28
	कुल	35,935	38,909

ऑयल पाम के तहत लाए जाने वाले राज्यवार संभावित आकलित क्षेत्र तथा वर्ष 1996-97 के दौरान ऑयल पाम की खेती पर राज्यवार खर्च की जाने वाली अनुमानित धनराशि

क्रम सं.	राज्य	क्षेत्र (हे.)	धनराशि (रु. लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	11,800	1655.53
2.	कर्नाटक	1,500	632.844
3.	तमिलनाडु	2,000	285.53
4.	गुजरात	500	118.49
5.	त्रिपुरा	100	21.82
6.	गोवा	100	21.19
7.	उड़ीसा	1,000	64.32
8.	असम	100	17.25
9.	केरल	-	5.486 *
	कुल :	17,100	2822.46

* बीज बागान के विकास के लिए क्षेत्र का विस्तार नहीं किया जाए।

जोरंडा से तालचेर तक रेल लाइन का दोहरीकरण

3050. **श्री के. प्रधानी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में जोरंडा से डिंडोर के रास्ते तालचेर तक रेल लाइन के दोहरीकरण का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इस कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जोरांडा रोड से तालकेर तक रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य पूरा तथा चालू हो गया है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ी को पुनः चालू करना

3051. **श्री के. डी. सुल्तानपुरी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका और अमृतसर के बीच पुरानी गाड़ी को फिर से चलाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक पुनः चालू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के दौरान अमृतसर–चण्डीगढ़/कालका के बीच सीधी गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

रेल लाइन का दोहरीकरण

3052. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को अम्बाड़ी–फालाकाटा से अलीपुर रेलवे स्टेशन/न्यू अलिपुरद्वार रेलवे स्टेशन के मध्य दोहरी रेल लाइन बिछाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) नीति के अनुसार, वहन क्षमता में सुधार करने के लिए इकहरी लाइन वाले खंडों का दोहरीकरण किया जाता है जिसमें गहन माल यातायात वाले खंडों को प्राथमिकता दी जा रही है।

अंबारी फलकटा से अलीपुरद्वार–न्यू अलीपुरद्वारा खंडों पर यातायात के मौजूदा स्तर से इस लाइन के दोहरीकरण का औचित्य नहीं बनता है। तथापि, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार स्टेशनों के बीच दोहरी लाइन के रूप में सेवित करने के लिए सिलिगुडी–बोंगईगांव खंड का आमान परिवर्तन आगामी वर्षों में शुरू करने की संभावना है।

आलू के निर्यात पर प्रतिबंध

3053. **श्री सुधीर गिरि :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पैदा होने वाले आलुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस प्रतिबंध को हटाने के लिए केन्द्र सरकार से बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) आलू में वार्ट रोग फैलने के कारण इस पर रोक लगाई गई थी। क्योंकि इस रोग को और अधिक फैलने से रोकने के लिये सख्त घरेलू पौध संगरोध उपाय करने की आवश्यकता होती है।

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि यह रोग अभी भी फैला हुआ है, अतः इस स्थिति में घरेलू संगरोध उपायों में छूट देना देश के अन्य भागों में आलू की खेती के हित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

कैबिनेट मंत्रियों पर खर्च

3054. **श्री गंगा चरण राजपूत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैबिनेट मंत्रियों के वेतन भत्ते, आवास और यात्रा पर पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी राशि खर्च हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार इन सुविधाओं में कोई संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) वेतन, भत्तों और दौरों से संबंधित अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है। आवास के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) और (ग) इन सुविधाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान मंत्रि परिषद पर हुए व्यय को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	वेतन (रु. में)	भत्ते (रु. में)	दौरे (रु. में)
1993-94	19,01,488	57,50,081	30,35,96,088
1994-95	23,61,709	61,71,821	40,32,50,659
1995-96	22,83,230	69,31,809	39,98,61,828

[अनुवाद]

हानिकारक उद्योग

3055. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्थित खतरनाक उद्योगो द्वारा सुरक्षा विनियमों के कार्यान्वयन के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इन खतरनाक एककों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य फैक्टरी निरीक्षक द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार 1991-93 के दौरान फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले 113 अभिनिर्धारित परिसंकटमय फैक्टरियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कतिपय विसंगतियों को सुधारने के लिए इन फैक्टरियों को सुधार संबंधी सूचनाएं जारी की गई थीं।

वर्ष 1992-93 के दौरान दोषी इकाइयों के खिलाफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के न्यायालय में कुल 163 चालान दायर किए गए। इस अवधि के दौरान निर्णित चालानों पर न्यायालय ने जुर्माने के तौर पर 1.228 लाख रुपये की राशि लगाई थी।

दिल्ली में 20 प्रमुख दुर्घटना संकट इकाइयां अभिनिर्धारित की गईं और 1996 में "औद्योगिक पाकेटवार संकट विश्लेषण" नामक स्कीम के तहत जोखिम कम करने के उपाय सुझाने हेतु त्वरित सुरक्षा संपरीक्षा की गई। सभी प्रमुख दुर्घटना संकट इकाइयों को सर्वेक्षण की रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है।

काजू बोर्ड का गठन

3056. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काजू बोर्ड के गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त काजू बोर्ड की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) प्रस्तावित बोर्ड का गठन कब तक किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

अपहरण

3057. **कुमारी सुशीला तिरिया** :
डा. एम. पी. जायसवाल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो माह के दौरान दिल्ली में यमुना तट के किनारे लगभग तीस लडकियों तथा लड़कों का अपहरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र के अधिकांश व्यक्ति बंगलादेश के प्रवासी हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली में यमुना किनारे से जून और जुलाई, 1996 के दौरान तीन लडकियों और एक लड़के का अपहरण हुआ बताया गया है। प्रश्नगत तीनों लड़कियों को बरामद कर लिया गया है।

(ग) से (ङ) यमुना पुश्ते/किनारे पर मिश्रित जनसंख्या है। पहचान हो जाने पर अवैध प्रवासियों को उनके मूल देश को लौटा दिया जाता है। इस क्षेत्र से 1995 और 1996 (31.7.1996 तक) में क्रमशः 183 और 47 बंगलादेशी नागरिकों को स्वदेश लौटाया गया।

[हिन्दी]

कनिष्ठ लेखा सहायकों की भर्ती

3058. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भर्ती बोर्ड, भोपाल ने दिनांक 21 अगस्त, 1995 को "रोजगार समाचार" के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को कनिष्ठ लेखा सहायकों के पद पर भर्ती किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण कोटा के अंतर्गत भर्ती की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में संयुक्त राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में आमान परिवर्तन

3059. **श्री निहाल चन्द चौहान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों और व्यापारियों को अपने-अपने माल की ढुलाई में हो रही कठिनाइयों के कारण श्रीगंगानगर की केनाल्लूप छोटी लाइन, सूरतगढ़–रामसिंह नगर रेल लाइन और श्री गंगानगर–हनुमानगढ़ छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल लाइनों को बड़ी लाइन में कब तक बदल दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) कार्य शुरू किया जाएगा और 9वीं योजना अवधि में पूरा कर दिया जाएगा।

मनमाड-धूले-नरदाना–इंदौर रेल लाइन

3060. **डॉ. साहेबराव सुकराम बागूल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनमाड–धूले–नरदाना–इंदौर रेल लाइन बिछाने की मांग लम्बी अवधि से लंबित है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय द्वारा इस रेल लाइन की अनुमानित लागत को मार्च 1996 में स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) माले गांव, धुले और नर्दाना के रास्ते मनमाड़ से शिरपुर तक नई बड़ी लाइन के निर्माण के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण कार्य इस समय प्रगति पर है। सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध होने पर ही इस परियोजना पर आगे विचार करना संभव हो पायेगा। संसाधनों की तंगी के कारण शिरपुर से इंदौर तक बड़ी लाइन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

मुम्बई में लोकल ट्रेन

3061. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में और लोकल ट्रेन शुरू करने की सतत मांग है; और

(ख) यदि हां, तो मुम्बई मे जनता की मांग पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) मुम्बई क्षेत्र में उपनगरीय गाड़ियों में वृद्धि करना एक सतत् प्रक्रिया है जो ई.एम.यू. रेकों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। तथापि मुम्बई उपनगर क्षेत्र के स्थानीय दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए, 28.6.96 से 12–कार सेवाओं को 104 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया है, जिससे दैनिक यात्रियों को 9–कार रैंक की तुलना में अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की जाएगी।

हथियारों की जब्ती

3062. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री पिनाकी मिश्र :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जून, 1996 में काफी मात्रा में आर डी एक्स और आतंकवादियों के हथियार और उपकरण जब्त किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपराधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जून, 1996 में दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किए गए हथियारों, गोला-बारूद तथा विस्फोटकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इन जब्तियों में संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा उनके विरूद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	जब्त किए गए हथियार, गोलाबारूद तथा विस्फोटक	जब्ती की तारीख
1.	1ए.के.56 राइफल, 59 कारतूसों सहित 2 मैगजीन	7.6.1996
2.	1.325 किलोग्राम आर.डी.एक्स., 5 टाईमर्स	7.6.1996
3.	2 मैंगजिनों सहित 1 ए.के.–56 राइफल, 60 कारतूस, 3 किलोग्राम आर.डी.एक्स और 2 चीनी हथगोले	12.6:1996
4.	1.150 किलोग्राम आर.डी.एक्स, 1 टाइमर, 1 गैस सिलीन्डर, 1 डेटोनेटर तथा आई ई डी बनाने के अन्य उपकरण	15.6.1996
5.	500 ग्राम आर.डी.एक्स, 2 डेटोनेटर्स तथा 1 दूरबीन	27.6.1996
6.	1 स्टिक हथगोला	27.6.1996
7.	2 आई.ई.डी, 2 हथगोले	27.6.1996

मीटर लाईन से बड़ी लाईन में आमान परिवर्तन

3063. **डॉ. वल्लभ भाई कठीरिया :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत मोरवती–नवलखी बोरकनार तथा दहीसर मालिया के मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस लाइन के आमन परिवर्तन का कार्य वर्ष 95-96 के रेल बजट में शामिल किया गया था और वोल्ट के अंतर्गत 1996-97 के लिए 35 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है चूंकि यह कार्य "बोल्ट योजना के अन्तर्गत निजी पूंजी से किया जा रहा है।

डोगरी भाषा

3064. **श्री मंगत राम शर्मा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में डोगरी भाषा को शामिल करने के लिए जम्मू की जनता आंदोलन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सविधान की आठवीं अनुसूची में डोगरी भाषा को शामिल करने की मांग की गई है। तथापि, संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी अथवा और भाषाओं को शामिल करने अथवा न करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

तिब्बती शरणार्थी

3065. **श्री सुरेश प्रभु :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार इस समय कितने तिब्बती शरणार्थी हैं; और

(ख) उनमें से अब तक कितने शरणार्थियों को रोजगार दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) भारत में इस समय 98,000 तिब्बती शरणार्थी रह रहे हैं। राज्य–वार आंकड़े दर्शानेवाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) लगभग 44,500 तिब्बती शरणार्थियों को विभिन्न कृषि एवं हस्तशिल्प योजनाओं के अन्तर्गत पुर्नवास सहायता प्रदान की गई है। शेष तिब्बती शरणार्थी स्वयं पुनः स्थापित हो गए हैं।

विवरण

भारत में रह रहे तिब्बतियों के राज्य-वार आंकड़े

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शरणार्थियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	400
2.	अरूणाचल प्रदेश	6004
3.	दिल्ली	3022
4.	हिमाचल प्रदेश	19346
5.	जम्मू और कश्मीर	5704
6.	कर्नाटक	31467
7.	मध्य प्रदेश	1650
8.	महाराष्ट्र	1100
9.	मेघालय	42
10.	पंजाब	72
11.	सिक्किम	5025
12.	उड़ीसा	3900
13.	उत्तर प्रदेश	12737
14.	बिहार	53
15.	पश्चिम बंगाल	7386
	कुल :	97908

[हिन्दी]

चीन-नेपाल-बांग्लादेश सीमा पर सड़क

3066. **श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963 में बरेली (उत्तर प्रदेश) से अमीनगांव (असम) तक 1962 के चीनी आक्रमण के पश्चात राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में 1600 किलोमीटर लम्बी सड़क (प्रसारवर्ती पथ) के निर्माण संबंधी कोई योजना तैयार की थी;

(ख) यदि, हां तो क्या अब तक यह परियोजना पूरी हो चुकी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) इस सड़क के शेष निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार सामरिक महत्व की दृष्टि से चीन–नेपाल तथा बंगलादेश की सीमाओं के साथ एक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर विचार कर रही है; और

(च) सरकार द्वारा उस सड़क के निर्माण के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नये रेल जोन

3067. **श्री वी. धनंजय कुमार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल ने एक नया रेलवे जोन बनाया है जिसका मुख्यालय बंगलौर में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो इस उक्त जोन में कितना क्षेत्र आता है और इसका क्या नाम रखा गया है;

(ग) क्या मंगलौर में मुख्यालय स्थापित करके एक अलग रेलवे डिवीजन बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये निर्णय कब तक कार्यान्वित कर दिए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां, सरकार ने बैंगलूरू सहित छः अतिरिक्त क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

(ख) क्षेत्र का नाम दक्षिण–पश्चिम रेलवे होगा। प्रस्तावित क्षेत्र के सुनिश्चित क्षेत्राधिकार को अभी अंतिम रूप देना बाकी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) क्षेत्र का स्थापना कार्य लगभग साठ महीने में पूरा हो जाने की आशा है।

"राईट्स" द्वारा सर्वेक्षण

3068. **श्री पी. सी. थामस : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में जुवातुपुजा और पाला होकर अंगमालि इरूमले रेल लाइन का सर्वेक्षण करने के बाद "राइट्स" ने प्रारूप रिपोर्ट रेलवे को सौंपी थी;

(ख) क्या निवेश मुनाफा अनुपात लाभकारी दर्शाया गया है;

(ग) यदि हां, तो कोट्टायम–इरूमले–पुनलूर रेल लाइन पर निवेश मुनाफा अनुपात कितना है;

(घ) इस सर्वेक्षण की अंतिम रिपोर्ट में विलम्ब के क्या कारण है; और

(ङ) क्या केरल के सांसदों के साथ बातचीत के दौरान रेल मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार सितम्बर 1996 तक अन्तिम रिपोर्ट तैयार हो जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) कोट्टायम–एरुमली–पुनलुर का सर्वेक्षण कार्य भिन्न है जो कि राइट्स द्वारा ही किया गया था। उसकी प्रतिफल की दर ऋणात्मक है।

(घ) राइट्स से प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट की दक्षिण रेलवे द्वारा जांच की जा रही है।

(ङ) जी हां।

उपरिपुल का निर्माण

3069. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में सोनारपुर रेलवे स्टेशन के फाटक पर एक उपरिपुल का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) राज्य सरकार को अभी संरेखण को अंतिम रूप देना है तथा ठोस प्रस्ताव प्रायोजित करना है।

[हिन्दी]

राजभाषा अधिनियम, 1963

3070. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी तथा हिन्दी प्रकाशनों को समान दर्जा तथा समान सुविधाएं दिए जाने के संबंध में राजभाषा अधिनियम, 1963 में प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या इसके उल्लंघन के लिए कोई सजा दी जाती है अथवा सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है;

(ग) यदि हां, तो हिन्दी तथा अंग्रेजी में भेदभाव किए जाने तथा भागीरथ पत्रिका में हिन्दी को उचित स्थान नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) राजभाषा अधिनियम के इस प्रकार के उल्लंघन को तत्काल रोकने हेतु स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) राजभाषा अधिनियम, 1963 में इस प्रकार का कोई प्रत्यक्ष उपबंध नहीं है। तथापि मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली गृह पत्रिकाओं एवं सूचना पत्रों के विषय में आदेश जारी किए गये हैं कि गृह पत्रिकाएं और सूचना पत्र द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी) छपवाएं जाएं, उनमें हिन्दी व अंग्रेजी के पृष्ठों की संख्या बराबर हो और एक ही जिल्द में, एक ही नाम से छापे जाने चाहिए। इनकी जिल्द के शीर्ष व डिजाइन द्विभाषी होने चाहिए तथा इनमें संगठन के कार्य संबंधी लेखन तथा सूचनाएं दोनों भाषाओं में छापी जानी चाहिए।

(ख) सरकार का यह सुविचारित मत है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग एवं कार्यान्वयन प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना से किया जाए। तद्नुसार जब भी इन आदेशों के उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तब सम्बद्ध संगठन/कार्यालय के अध्यक्ष को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी तथा अंग्रेजी का प्रयोग करने पर किसी तरह का भेदभाव नहीं है। कथित पत्रिका "भागीरथ" में हिन्दी को वही स्थान प्राप्त है जो स्थान इस पत्रिका के अंग्रेजी प्रकाशन को प्राप्त है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों की कुल संख्या

3071. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक रेल जोन के अन्तर्गत कितनी गाड़ियां चल रही हैं;

(ख) चालू वर्ष के प्रथम छह माहों के दौरान प्रत्येक रेल जोन के अन्तर्गत विलम्ब से चली गाड़ियों और रद्द की गई गाड़ियों का प्रतिशत क्या–क्या है; और

(ग) इस संबंध में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) प्रत्येक रेलवे जोन के अंतर्गत रोजाना चल रही गाड़ियों की औसत संख्या इस प्रकार है :

	रेलवे	गाड़ियों की संख्या
1	2	3
1.	मध्य	1653
2.	पूर्व	1466
3.	उत्तर	1142

1	2	3
4.	पूर्वोत्तर	474
5.	पूर्वोत्तर सीमा	214
6.	दक्षिण	1077
7.	दक्षिण मध्य	493
8.	दक्षिण पूर्व	432
9.	पश्चिम	1363

(ख) प्रत्येक रेलवे जोन के अंतर्गत चालू वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान विलम्ब से चली और रद्द की गई गाड़ियों का प्रतिशत इस प्रकार है।

	रेलवे	विलम्ब–प्रतिशत	रद्द की गई गाड़ियों का प्रतिशत
1.	मध्य	6.6%	0.71%
2.	पूर्व	9.5%	3.7%
3.	उत्तर	6.7%	0.19%
4.	पूर्वोत्तर	6.3%	0.6%
5.	पूर्वोत्तर सीमा	6.3%	4.7%
6.	दक्षिण	5.9%	1.6%
7.	दक्षिण मध्य	2.9%	0.3%
8.	दक्षिण पूर्व	4.1%	1.65%
9.	पश्चिम	2.8%	0.17%

(ग) विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से सभी प्रयास किए जा रहे हैं जिनमें गहन जांच और दैनिक निगरानी शामिल है। इसके अतिरिक्त निरीक्षक और अधिकारी दोनों स्तरों पर समय पालन अभियान भी चलाया जा रहा है।

झीलों का संरक्षण

19.. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** ...करेंगे कि :

२५. प. बंगाल यह

(क) क्या राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत उदयपुर की झीलों के संरक्षण संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसको कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) उदयपुर झील प्रणाली के संरक्षण और प्रबंध के बारे में राजस्थान सरकार से नवम्बर, 1995 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना की स्कीम का आठवीं योजना में सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है।

भावनगर-सुरेन्द्रनगर मीटर गेज रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3073. **श्री राजू राणा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गावनगर–सुरेन्द्र नगर मीटरगेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के सर्वेक्षण कार्य के यथानिर्धारित समय–सीमा में पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सर्वेक्षण के चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान

3074. **प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहर में पुलिस और यातायात पुलिस के विरूद्ध एक भ्रष्टाचार–विरोधी अभियान शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार द्वारा इसमें लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1995 एवं 1996 (31.7.1996 तक) के दौरान चलाए गए भ्रष्टाचार–विरोधी अभियान के परिणामस्वरूप 56 पुलिसकर्मी कथित कदाचारों में संलिप्त पाए गए। इन 56 पुलिस कर्मियों में से 26 को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। शेष (30) कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है।

[हिन्दी]

प्रदूषण निवारण अधिनियमों के अंतर्गत दर्ज मामले

*3075. **श्री काशीराम राणा :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण)

अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत राज्यवार कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ख) राज्यवार कितने मामलों में न्यायालयों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में अथवा इसके विरुद्ध निर्णय दिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत राज्यवार दर्ज मामलों की संख्या और उन मामलों, जिनमें न्यायालयों ने राज्यवार प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो के पक्ष में अथवा इसके विरूद्ध निर्णय दिया है, की संख्या नीचे तालिका में दी गई है :

क्र. सं.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नाम	दर्ज मामलों की सं. जल अधिनियम	वायु अधिनियम	उन मामलों की संख्या जिनमें न्यायालयों ने अपना निर्णय दिया है बोर्ड के पक्ष में	बोर्ड के विरूद्ध	बोर्ड के पक्ष में	बोर्ड के विरूद्ध
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम						
	1994-95	-	-	-	-	-	-
	1995-96	-	-	-	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश						
	1994-95	-	-	-	-	-	-
	1995-96	-	-	-	-	-	-
3.	अरूणाचल प्रदेश						
	1994-95	-	-	-	-	-	-
	1995-96	-	-	-	-	-	-
4.	बिहार						
	1994-95	1	-	-	-	-	-
	1995-96	1	1	-	-	-	-
5.	गोवा						
	1994-95	-	-	-	-	-	-
	1995-96	-	-	-	-	-	-
6.	गुजरात						
	1994-95	-	181	6	43	63	138
	1995-96	5	227	1	8	10	45
7.	हरियाणा						
	1994-95	-	-	-	-	-	-
	1995-96	-	-	-	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश						
	1994-95	-	-	-	-	-	-
	1995-96	-	-	-	-	-	-
9.	जम्मू व कश्मीर						
	1994-95	-	4	-	-	-	-
	1995-96	-	-	-	-	-	-
10.	कर्नाटक						
	1994-95	1	7	6	3	12	2
	1995-96	-	5	-	-	3	1
11.	केरल						
	1994-95	-	-	-	-	-	-
	1995-96	-	2	-	-	2	-
12.	मध्यप्रदेश						
	1994-95	2	2	-	-	-	-
	1995-96	13	2	1	1	1	7
13.	महाराष्ट्र						
	1994-95	2	14	8	4	3	31
	1995-96	1	1	3	2	2	8
14.	मणिपुर						
	1994-95	-	-	-	-	-	-
	1995-96	-	-	-	-	-	-
15.	मेघालय						
	1994-95	-	-	-	-	-	-
	1995-96	-	-	-	-	-	-
16.	मिजोरम						
	1994-95	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	1995-96	-	-	-	-	-	-
17.	नागालैंड						
	1994-95	-	-	-	-	-	-
	1995-96	-	-	-	-	-	-
18.	उड़ीसा						
	1994-95	2	4	-	-	4	1
	1995-96	5	8	-	-	-	-
19.	पंजाब						
	1994-95	14	18	-	-	3	-
	1995-96	-	-	-	-	-	-
20.	राजस्थान						
	1994-95	-	-	-	-	-	-
	1995-96	-	-	-	-	-	-
21.	सिक्किम						
	1994-95	-	-	-	-	-	-
	1995-96	-	-	-	-	-	-
22.	तमिलनाडु						
	1994-95	1	7	-	-	1	3
	1995-96	-	-	1	2	2	2
23.	त्रिपुरा						
	1994-95	-	-	-	-	-	-
	1995-96	-	-	-	-	-	-
24.	उत्तर प्रदेश						
	1994-95	-	1	1	1	-	7
	1995-96	-	-	-	-	2	1
25.	प. बंगाल						
	1994-95	-	-	-	-	-	-
	1995-96	-	-	-	-	-	-
	कुल	48	484	27	64	108	246

ऊपर तालिका में दिए गए आंकड़ों, जिनमें न्यायालयों ने निर्णय दिए हैं, में उन मामलों के निर्णय भी शामिल हैं जो 31.3.94 से पहले प्रारंभ किए गए थे।

[अनुवाद]

नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का विजय नगर संयंत्र

3076. **श्री उत्तम सिंह पवार :**
श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के विजय नगर संयंत्र की ओर से गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को देय कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) क्या इस संयंत्र को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संयंत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) इस समय नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल) भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा अपने विजयपुर संयंत्र के नकद भुगतान आधार पर गैस की आपूर्ति के लिये भुगतान कर रहा है। तथापि, इस प्रबन्ध से पूर्व, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. को 23 करोड़ रु. का भुगतान देना बाकी है।

(ख) तथा (ग) कम्पनी द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों का निवेश विजयपुर विस्तार परियोजना में किये जाने के कारण यह धन अभाव हुआ है क्योंकि आई.डी.बी.आई. ने 600 करोड़ रु. के अनुमोदित आवधिक ऋण के प्रति ऋण जारी नहीं किया। आई.डी.वी.आई. ने 600 करोड़ रु. के स्वीकृत ऋण की तुलना में अभी तक 280 करोड़ रु. जारी किये हैं जबकि 31.7.1996 तक इस परियोजना पर 651 करोड़ रु. का व्यय हो चुका है।

(घ) सरकार द्वारा एनएफएल के धन अभाव की सतत् उत्पादन तथा उन्नत नकद प्रवाह के लिये इसकी इनपुट्स आपूर्तियों के समन्वय कार्य में इस कम्पनी को सहायता देकर नियमित समीक्षा की जा रही है।

चण्डीगढ़ में नगर निगम चुनाव

3077. **श्री सत्य पाल जैन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ नगर निगम में अब तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो चुनाव कब तक कराये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) चण्डीगढ़ नगर निगम के चुनाव, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एक सिविल रिट याचिका पर 27 जुलाई, 1994 को दिए गए स्थगनादेश के कारण नहीं कराए जा सके थे; इस रिट याचिका में, नगर निगम के अधिसूचित क्षेत्र में कुछ गांवों को शामिल किए जाने को चुनौती दी गई थी। स्थगनादेश 4 जुलाई, 1994 को निरस्त हो गया था। तथापि, याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में एक लैटर पेटेन्ट अपील (एल पी.ए.) दायर की जोकि अभी लंबित है। मुकद्में के लंबित होने के बावजूद चण्डीगढ़ नगर निगम ने वार्डों के सीमांकन को अंतिम रूप दे दिया है।

चण्डीगढ़ प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम के चुनाव चालू वर्ष के दौरान ही कराए जाने का अन्तिम निर्णय लिया गया है।

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र

3078. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए केंन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितने सुरक्षा बलों की मांग की गई है; और

(ग) उन्हें कब तक तैनात किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) विभिन्न गिरोहों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बरसात के मौसम से पहले एक विशेष अभियान चलाने हेतु 2 माह के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 20 कम्पनियां भेजने हेतु बिहार सरकार से जून, 1996 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। तथापि, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के उपलब्ध न होने के कारण तथा अन्यत्र (जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर सहित) के लिए अत्यावश्यक मांगों के कारण, इस मांग को पूरा करना संभव न हो सका था। इस मंत्रालय में राज्य सरकार से आगे और कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

रक्षा बलों को वापस हटाना

3079. **श्री पिनाकी मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कश्मीर से रक्षा बलों को शीघ्र हटाने के फलस्वरूप, राजनैतिक कार्यकर्त्ता पाक समर्थक उग्रवादियों के महज शिकार बन गए हैं और उग्रवादी हमलों के शिकार होने लगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में चुनावों के बाद राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं सहित कितने लोग उग्रवादियों द्वारा मारे गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद डार) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तरी कश्मीर क्षेत्र, नामतः जिला कुपवाड़ा और बारामूला में, लोक सभा चुनावों के बाद की अवधि के दौरान आतंकवादी हिंसा में कांग्रेस (आई) के दो राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की हत्या की गई थी। इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती है तथा उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाए रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

पुलिस शिकायत प्राधिकरण

3080. **कुमारी उमा भारती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली पुलिस के विरूद्ध जनता की शिकायतों को सुनने हेतु पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्राधिकरण का गठन कब तक किया जाएगा; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्यों में भी इस प्रकार के प्राधिकरण का गठन करने के लिए राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देश जारी करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) पुलिस के विरूद्ध शिकायतों के निपटान के लिए सरकार ने पुलिस शिकायत प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया है। अन्य बातों के साथ-साथ इन शिकायतों में पुलिस की निष्क्रियता, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किया जाना, पुलिस अधिकारियों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, झूठे मामले दर्ज किया जाना, दीवानी विवादों में खास तौर से संपत्ति एवं किराएदारी संबंधी विवादों में भ्रष्टाचार एवं हस्तक्षेप, हिरासत में प्रताड़ना, बलात्कार तथा अन्य दुर्व्यवहार, पुलिस शक्ति का दुरूपयोग आदि शामिल होंगी।

(ग) यह प्राधिकरण जल्दी ही गठित कर दिए जाने की संभावना है।

(घ) पुलिस राज्य का विषय है। ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

कोंकण रेल निगम

3081. **श्री चर्चिल अलेमाओ** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण गोवा जिले में मडगांव तालुका के कोरटालिम गांव के कोंकण रेल मार्ग के साथ बने मिट्टी के तटबंधों के धंसने तथा टूटने से अत्याधिक बाढ़ के कारण कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को इससे प्रभावित किसानों की ओर से कोंकण रेल निगम की लापरवाही के कारण उनको हुए नुकसान के मुआवजे की मांग संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मुआवजे का भुगतान करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो यह कितना तथा किस प्रकार से दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) कोंकण रेलवे ने उन किसानों की क्षतिपूर्ति कर दी है जिनकी धान की खेती प्रभावित हुई है।

(घ) निगम ने जनवरी, 1996 में 238 पार्टियां को 4,04, 138.00 रु. और जून 96 में 142 पार्टियों को 3,38,577.45 रू. की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया है।

दिल्ली में सीसे का जहर

3082. **डा. एम. जगन्नाथ** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जुलाई, 1996 को द संडे टाईम्स में 'इम्पोर्ट ऑफ हैजारडुअस वेस्ट्स अनचैक्ड' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की एक टीम ने अप्रैल, 1994 में दिल्ली में सीसे की भट्ठियों के आस-पास सीसे के जहर के बारे में एक अध्ययन किया था;

(ग) यदि हां, तो इस टीम की जांच के क्या परिणाम रहें; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई जांचों से पता चलता है कि उत्तर-पश्चिम दिल्ली में मुंडका और नांगलोई गांवों में सीसा प्रगालक यूनिटों के कारण पर्यावरण प्रदूषण हुआ था और आसपास के इलाकों के लोगों और पशुओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हुई थी। इन जांचों के अनुसार, ये इकाइयां कच्चे माल के रूप में देशी और आयातित दोनों प्रकार की बैटरी स्क्रैप का प्रयोग करते थे और उन्होंने कोई प्रदूषण नियंत्रण उपाय नहीं किए थे। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत दिल्ली में और उसके आसपास ऐसी 108 इकाइयों को बन्द करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

हरित क्रांति

3083. **श्री संदीपान थोरात** :
श्री एस डी. एन. आर. वाडियार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में द्वितीय हरित क्रांति शुरू करने हेतु कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा एवं शोध के स्तर की स्थिति की समीक्षा की है और उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) यदि हां, तो द्वितीय हरित क्रांति को विश्व व्यापीकरण की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में समर्थन देने हेतु देश में कृषि शिक्षा के संवर्धन एवं इसके स्तर को ऊंचा उठाने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार कृषि शिक्षा/शोध के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि आवंटित की गई और आगामी पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित परिव्यय कितना होगा ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि गैर-हरित क्रांति वाले क्षेत्र में छोटे और सीमान्त कृषकों पर आधारित हरित क्रांति को पहुंचाने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा गया है कि वे बाह्य समीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर की समीक्षा करवाएं।

(घ) देश में कृषि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के निर्माण के लिए एक कार्यदल गठित किया गया है।

(ङ) निधियों के राज्यवार आवंटन का विवरण संलग्न है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में अगले पांच वर्षों के लिए किए जाने वाले परिव्यय का निर्धारण अभी किया जाना है।

विवरण

आठवीं योजना में विश्वविद्यालयवार निधियों के स्वीकृत आबंटन, वर्षवार जारी किए जा चुके अनुदानों और योजना की शेष अवधि के दौरान जारी किए जाने वाले शेष अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य विश्वविद्यालय का नाम	आठवीं योजना (1992-97) में राशि का कुल आबंटन	पहले जारी किया जा चुका अनुदान 1992-93	1993-94	1994-95 अक्तू. 94 तक	आठवीं योजना की शेष अवधि में और जारी किया जाने वाला अनुदान (प्रावधिक) 1994-95 मार्च 95	1995-96	टिप्पणी 1996-97
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	असम कृ.वि.वि. जोरहट	325.00	60.00	50.00	67.00		73.00	75.00
2.	आंध्र प्रदेश कृ.वि.वि. हैदराबाद	375.00	60.00	-	-	100.00	100.00	115.00
3.	राजेन्द्र कृ.वि.वि. पूसा	300.00	27.00	-	-	80.00	90.00	103.00
4.	गुजरात कृ.वि.वि. दंतीवाड़ा	375.00	33.00	-	-	90.00	120.00	132.00
5.	बिरसा कृ.वि.वि. रांची	225.00	25.00	-	-	50.00	60.00	90.00
6.	हरियाणा कृ.वि.वि. हिसार	350.00	63.00	70.00	72.00	-	70.00	75.00
7.	हि.प्र.कृ.वि.वि. पालमपुर	250.00	54.00	50.00	-	46.00	50.00	50.00
8.	डा.य.सि. परमार वि.वि. कृ.वानिकी. सोलन	200.00	54.00	25.00	-	31.00	40.00	50.00
9.	कृ.विज्ञान वि.वि. बंगलौर	300.00	56.00	30.00	63.37	-	75.63	75.00
10.	कृ. विज्ञान वि.वि. धारवाड़	275.00	25.00	-	-	80.00	80.00	90.00
11.	ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर	300.00	27.00	-	-	73.00	100.00	100.00
12.	इ.गा.कृ.वि.वि. जयपुर	200.00	27.00	-	28.00	30.00	50.00	65.00
13.	केरल कृ.वि.वि. मनुथी	375.00	66.00	163.50	44.00	-	45.50	56.00
14.	मराठवाड़ा कृ.वि.वि.	200.00	20.00	-	44.01	23.99	50.60	60.00
	चालू वित्त वर्ष के दौरान 1994-95							
15.	महात्मा फूले कृ.वि.वि. राहुरी	200.00	20.00	-	66.50	-	53.50	60.00
16.	कोकण कृ. विद्यापीठ, डपोली	175.00	20.00	-	-	35.00	50.00	70.00
17.	पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला	200.00	20.00	-	20.00	20.00	60.00	80.00
18.	राजस्थान कृ.वि.वि. बीकानेर	375.00	33.00	-	-	58.00	100.00	190.00
19.	पंजा कृ.वि.वि. लुधियाना	350.00	60.00	70.00	-	70.00	70.00	80.00
20.	उड़ीसा कृ. तथा प्रौ.वि.वि.	350.00	33.00	-	-	67.00	100.00	150.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
21.	त.कृ.वि.वि. कोयम्बटूर	300.00	28.00	49.00	50.67	22.33	70.00	80.00
22.	च.शे.आजाद कृ. तथा प्रौ.वि.वि. कानपुर	200.00	23.00	-	-	47.00	60.00	70.00
23.	गो.वि.पं.कृ.एवं प्रो.वि.वि. पंतनगर	275.00	53.00	42.00	-	50.00	60.00	70.00
24.	न.दे.कृ.एवं प्रौ.वि.वि. फैजाबाद	175.00	43.00	44.00	13.00	05.00	35.00	35.00
25.	वि.च.कृ.वि.वि.मोहनपुर (नाडिया)	325.00	33.00	-	-	37.00	100.00	155.00
26.	शेरे कश्मीर कृ. एवं प्रौ.वि.वि. श्रीनगर	275.00	30.00	-	-	70.00	75.00	100.00
27.	त.ना.प.चि. एवं कृ. विज्ञान वि.वि. मद्रास	250.00	27.00	28.00	67.00	-	60.00	68.00
	कुल :	7500.00	1020.00	621.50	535.55	1079.32	1897.53	2344.00
					1614.87			

टिप्पणी : यद्यपि सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सहायता के लिए आठवीं योजना के स्वीकृति परिव्यय की पूरी जानकारी है लेकिन इनमें से बहुतों ने अभी इस संबंध में यह विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है कि वे राशियों का उपयोग किस प्रकार करना चाहते हैं। इसमें खरीदे जाने वाले उपकरणों की सूची/निर्मित होने वाली इमारतों का ब्यौरा (रेखा चित्र और अनुमान आदि) भी शामिल हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है ताकि विशिष्ट मद पर परिषद स्वीकृति के लिए विचार कर सके। यही मुख्य कारण है जिसके कारण व्यय की गति अत्यंत धीमी है।

इसके अलावा कई राज्य कृषि विश्वविद्यालय के पास 1.4.1992 को गैर खर्च की हुई राशि काफी मात्रा में बकाया थी (अर्थात् आठवीं योजना के आरंभिक शेष बची हुई राशि) और कई विश्वविद्यालय अक्तूबर, 1994 तक इन शेष बची राशियों का उपयोग नहीं कर पाए थे। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए ऐसी आशा है कि चालू वित्त वर्ष 1994-95 के दौरान अधिक से अधिक 750.00 लाख रु. व्यय हो जाएंगे (अर्थात् पहले जारी की जा चुकी 535.55 लाख रु. + जारी की जाने वाली 21.45 लाख रु. की राशि)।

[हिन्दी]

नई रेल लाइनें

3084. **श्री जस्टिस गुमानमल लोढ़ा :**
श्री नवल किशोर राय :
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :
श्री छीतुभाई गामीत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई रेल लाइन बिछाने के लिए पिछले वर्ष कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या अन्तिम निर्णय लिया गया; और

(घ) नई लाइन कब तक चालू हो जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(क) से (घ)

विवरण

क्र.सं.	सर्वेक्षण का ब्यौरा	जोन	राज्य	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	प्रतिफल की दर	अंतिम निर्णय	समय जब नई लाइनें शुरू की जाएंगी
1	2	3	4	5	6		7
1.	भानुपल्ली–बिलासपुर बेरी नई रेल लाइन 63 कि.मी. (हेतु यातायात सर्वेक्षण।	उ. रेलवे	हिमाचल प्रदेश	471.84	4.25%		कंसोर्टियम बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया।
2.	खुर्जा–पलवन–रेवाडी–रोहतक लाइन (213 कि.मी.) के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण	उ. रेलवे	उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान	365.47	-2%		रिपोर्ट योजना आयोग के विचारार्थ भेजी जाएंगी।
3.	हस्तिनापुर के रास्ते दौराला से बिजनौर तक नई रेल लाइन (63.50 कि.मी.) हेतु प्रारंभिक सर्वेक्षण	उ. रेलवे	उत्तर प्रदेश	66.74	-5%		इसकी अलाभप्रद प्रकृति को देखते हुए इसे रोक दिया गया।
4.	भद्राचलम रोड से कोव्वूर तक नई लाइन (149 कि.मी.) के लिए सर्वेक्षण।	द.म.रेलवे	आंध्र प्रदेश	137.71	8.4%		–वही–
5.	सीतापुर–नानपुरा नई लाइन (135 कि.मी.) हेतु सर्वेक्षण बिस्वांन के रास्ते	पूर्वोत्तर रेलवे	उत्तर प्रदेश	195.00	ऋणात्मक		–वही–
6.	सीतापुर–बहराइच (65 कि.मी.) के लिए सर्वेक्षण	पूर्वोत्तर रेलवे	उत्तर प्रदेश.	93.00	ऋणात्मक		–वही–
7.	डुरंडा से महाराजगंज (6 कि. मी.) के आमान परिवर्तन तथा इसको मसरख (35.5 कि.मी.) तक विस्तार करने हेतु सर्वेक्षण	पूर्वोत्तर रेलवे	बिहार	65.00	3.25%		इसकी अलाभप्रद प्रकृति को देखते हुए इसे रोक दिया गया।
8.	अशोक नगर ललितपुर–सतना माहोबा–खुजराहो तथा रीवा–सिद्धि सिंगरोली (627 कि.मी.) हेतु सर्वेक्षण।	मध्य रेलवे	मध्य प्रदेश	5.73%	1060.00		रिपोर्ट योजना आयोग के विचारार्थ भेजी जाएंगी।

1	2	3	4	5	6	7
9.	कुमारघाट–अगरतला नई मीटर लाइन (119 कि.मी.) हेतु सर्वेक्षण	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	त्रिपुरा	2.17%	575.00	निर्माण के लिए स्वीकृत
10.	आरा–सासाराम (98 कि.मी.) हेतु सर्वेक्षण	पूर्व रेलवे	बिहार	4.82%	107.56	रिपोर्ट योजना आयोग के विचारार्थ भेजी गई है।
11.	कामख्यानगर उपमंडल को कवर करते हुए अंगुल बुद्धापंक–डुवरी–सुकिंदा रोड (90 कि.मी.) को जोड़ने हेतु यातायात सवेक्षण	द.पू. रेलवे	उड़ीसा	23.43%	221.82	रिपोर्ट पर विचार किया किया जा रहा है।
12.	दौसा और गंगापुर सिटी (92.66 कि.मी.) के बीच बड़ी लाइन हेतु सर्वेक्षण	प. रेलवे	राजस्थान	2.84%	151.84	कार्य को 1996-97 के बजट में शामिल किया गया है। आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
13.	नांदयाल और येरागुंटा के बीच नई बड़ी लाइन हेतु सर्वेक्षण (126 कि.मी.)	द.म.रेलवे	आंध्र प्रदेश	8.11%	155.74	निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया।

[अनुवाद]

त्रिपुरा में विदेशियों द्वारा घुसपैठ

3085. **श्री बादल चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा–बंगलादेश सीमा की चौकसी के लिए बी.एस.एफ. की कितनी बटालियनें चाहिए तथा इस समय त्रिपुरा में कितनी बटालियनें तैनात हैं;

(ख) 1990 और 1995 के दौरान त्रिपुरा में कितने विदेशी घुसपैठिये आए; और

(ग) सरकार द्वारा त्रिपुरा में विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) सीमा सुरक्षा बल, की 10 बटालियनें त्रिपुरा बंगलादेश सीमा पर तैनाती के लिए हैं, जिसमें से एक बटालियन रिजर्व के लिए हैं, इस समय 6 बटालियनों (32 कम्पनियां) से कुछ अधिक तैनात की हुई हैं क्योंकि शेष कम्पनियां जम्मू और कश्मीर में आन्तरिक सुरक्षा/चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं।

(ख) लम्बी और मेघ किस्म की सीमा को ध्यान में रखते हुए और सीमा के दोनों तरफ के लोगों की जातीय और भाषायी समानताओं के कारण भी, उन विदेशियों की ठीक–ठीक संख्या बताना संभव नहीं है जिन्होंने त्रिपुरा में घुसपैठ की है। तथापि, त्रिपुरा सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए, विदेशियों के वर्षवार आंकड़े नीचे दिए गए हैं–

वर्ष	पकड़े गए विदेशी
1990	1994
1991	2229
1992	2801
1993	635
1994	1225
1995	621
1996 (जून तक)	216

(ग) त्रिपुरा बंगला देश सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) गश्त/नाकाओं में बढ़ोत्तरी/गहन किया गया है।

(ii) जीप और मोटर साईकलें उपलब्ध कराके सीमा पर गश्त को गहन किया गया है।

(iii) निगरानी बुर्जो का निर्माण किया गया है।

(iv) सीमा पर चौकसी में वृद्धि के लिए दूरबीनें, ट्विन टेलिस्कोप, नाईट विजन डिवाईस और हैंड हैल्ड सर्चलाईट उपलब्ध करायी गयी है, और

(v) वाहनों द्वारा गस्त लगाने के लिए सीमा सड़कों/मार्गो का निर्माण/विकास किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, घुसपैठ रोकने के लिए त्रिपुरा के लिए मोबाईल टास्क फोर्स स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न रैंकों के 144 पद सृजिद किए गए हैं। इन पदों पर होने वाले खर्चे की पूर्ण प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा त्रिपुरा सरकार को की जाती है।

पर्यावरण सहायक मत्स्य पालक के लिए दिशा-निर्देश

3086. **सुरेश कलमाड़ी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि मत्स्य उत्पादन में तीव्र वृद्धि पर्यावरण और मानव विकास की कीमत पर न की जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां, सभी समुद्रवर्ती राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को खारा जल मत्स्य संवर्धन के सतत विकास तथा प्रबन्ध के संबंध में दिशा–निर्देश अगस्त, 1995 में जारी कर दिये गये हैं। अपशिष्टों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, ऐसे अपशिष्ट का उपचार करने तथा पर्यावरण पर मत्स्य संवर्धन के किसी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सतत मत्स्य संवर्धन के विकास के लिए दिशा–निर्देशों में उपायों का निरूपण किया गया है।

दिशा–निर्देश में संस्तुत उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) 40 हैक्टे. से बड़े सभी मत्स्य संवर्धन एककों के अनुमोदन के लिए पूर्व–शर्त के रूप में योजना तैयार करने के स्तर पर ही पर्यावरण संबंधी प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करना।

(2) 40 हैक्टे. या इससे अधिक के कुल जल क्षेत्र वाले सभी मत्स्य संवर्धन एककों में पर्यावरण प्रबोधन तथा प्रबन्ध योजना शामिल करना।

(3) मैंग्रोव तथा उत्पादक कृषि भूमि का झींगा मछली पालन में उपयोग किये जाने को हतोत्साहित करना।

(4) खारा जल मत्स्य पालन एककों तथा कस्बों व गांवों जैसे आवास, कृषि भूमि और ताजे जल स्रोतों के बीच न्यूनतम दूरी निर्धारित करना।

(5) ताजे जल की प्राप्ति के लिए निकटस्थ मत्स्य संवर्धन एककों के बीच बफर जोन का निर्माण करना।

(6) रसायनों और एन्टीबॉयटिक के उपयोग से बचना।

(7) मृदा व जल की गुणवत्ता में सुधार लाना।

(8) संवर्धन प्रबन्ध तथा अपशिष्ट जल प्रबन्ध/उपचार विधियां।

(9) मत्स्य संवर्धन एककों के गौण उद्देश्यों के लिए मत्स्य संवर्धन से निकले हुए गन्दे पानी का उपयोग करना, तथा

(10) अपशिष्ट जल की निकासी तथा इसके निपटान के लिए मानकों का निर्धारण करना।

ड्रिप सिंचाई के लिये राजसहायता

3087. **श्री गोपाल कृष्ण** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आयलपाम के लिए ड्रिप सिंचाई हेतु राजसहायता में वृद्धि करने की कोई मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) आयलपाम के निर्यात मे वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑयल पाम के उत्पादकों के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली की संस्थापना पर राजसहायता

10,000 रु. प्रति हैक्टेयर से बढ़ाकर 15,000 रु. प्रति हैक्टेयर करने तथा प्रति ऑयल पाम उत्पादक परिवार क्षेत्र की सीमा में 1 है. से 6 है. तक वृद्धि करने की मांग की है।

(ग) भारत सरकार ने मार्च, 1996 से ऑयल पाम के उत्पादकों के लिए राजसहायता 10,000 रु. प्रति है. से बढ़ाकर 15,000 रु. प्रति है. कर दी है तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली की संस्थापना के लिए क्षेत्र की सीमा में छूट देकर इसे 6 है. कर दिया है। पहले राजसहायता का आदान भारत सरकार के बीच 80 : 20 था, इसे संशोधित करके 90 : 10 कर दिया गया है।

(घ) ऑयल पाम का निर्यात बढ़ाने के लिए अब तक कोई उपाय नहीं किया गया है।

रेलगाड़ी द्वारा लिये जा रहे समय को कम करना

3088. **श्री शिवानंद एच. कौजलगी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगलौर से हुबली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए जाने वाले समय को कम करने के लिए कदम उठायेगी;

(ख) क्या सरकार लिए जाने वाले समय को कम करने हेतु इस रेलगाड़ी के निर्धारित स्टेशनों पर ठहराव के बजाए अन्य स्टेशनों पर ठहराने तथा इस ट्रेन को बीनागंज तक बढ़ाने के संबंध में कदम उठायेगी; और

(ग) क्या रेलगाड़ी के किराये में कमी करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जी नहीं।

बहरहाल, चूंकि बैंगलौर–हुबली शताब्दी एक्सप्रेस कम लोकप्रिय गाड़ी है अतः इसके स्थान पर अक्टूबर 1996 की समय–सारणी में अतिरिक्त ठहराव के साथ इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाई जा रही है।

बड़ी लाइन में परिवर्तन

3089. **श्री के. सी. कोंडय्या** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टैयूर तथा होस्पेट के बीच रेल लाइन के आमान परिवर्तन संबंधी कार्य को रेलवे बोर्ड की संबंधित एजेंसियों से स्वीकृति नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कार्य हेतु कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता निर्धारित की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं। इस मंत्रालय द्वारा कोट्टूरू और होसपेट के बीच रेल लाइन के आमान परिवर्तन, जो कि होसपेट–हुबली–गोवा खंड के आममान परिवर्तन का ही एक भाग है, के लिए स्वीकृति दी गई है। इस खंड अर्थात् कोट्टूरू–होसपेट पर कार्य पूरा हो गया हैं और उसे चालू कर दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हाथरस जंक्शन पर पुल

3090. **श्री किशन लाल दिलेर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथरस जंक्शन पर पुल के निर्माण के संबंध में हाल के वर्षों में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हाथरस जंक्शन पर मीटर लाइन पर एक उपरि पुल तथा प्लेटफार्म का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्य को कब तक पूरा किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) पीलीभीत–भरतपुर रोड़ पर समपार स. 95–ए के बदले में गाजियाबाद–कानपुर खंड पर कि.मी. 1296/29-31 पर ऊपर सड़क पुल का निर्माण कार्य 827.11 लाख रु. (रेलवे का हिस्सा 373.76 लाख रु. और राज्य के लो. नि. वि. का हिस्सा 453.35 लाख रु.) की लागत पर 1996-97 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बहु राज्य सहकारिताएं

3091. **श्री नन्द कुमार साय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बहु-राज्य सहकारिताओं के गठन को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके गठन से क्या–क्या लाभ होंगे ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) सहकारी समितियां, जिनका उद्देश्य केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है तथा जो एक से अधिक राज्यों के हितों के लिए कार्य करती हैं, बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम (केन्द्रीय अधिनियम) के क्षेत्राधिकार में आती हैं। बहुराज्यीय सहकारी समिति

अधिनियम, 1984 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन हेतु ऐसी बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। अतः बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना को बढ़ावा देने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आमान परिवर्तन

3092. **श्री अशोक अर्गल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन–किन स्थानों पर मीटर गेज रेल लाइनें हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन मीटर गेज रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइन में बदलने का है;

(ग) यदि हां, तो इनमें से किन–किन रेल लाइनों के संबंध में आमान परिवर्तन के लिए कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या ग्वालियर से श्योपुर–काला और भिन्ड से ग्वालियर के बीच मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर मीटर लाइनें मौजूद हैं :

1. नीमच 2. रतलाम 3. उज्जैन 4. इंदौर 5. मऊ और 6. खंडवा।

(ख) जी हां। नीमच–रतलाम खंड का आमान परिवर्तन एक अनुमोदित कार्य है, जो फिलहाल प्रगति पर है और इसके नवीं योजना में पूरा होने की संभावना है।

रतलाम–इंदौर–उज्जैन–मऊ और मऊ–खंडवा के परिवर्तन का सर्वेक्षण प्रगति पर हैं। सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध होने पर प्रस्ताव पर आगे विचार करना संभव होगा।

(ग) जी हां।

(ङ) ग्वालियर–शिवपुर कला छोटी लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने और उसे कोटा तक बढ़ाने के लिए टोह इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण प्रगति पर है। सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध होने पर प्रस्ताव पर आगे विचार करना संभव होगा।

ग्वालियर से नौनेरा तक पहले ही बड़ी लाइन मौजूद है। नौनेरा से भिंड छोटी लाइन को बडी लाइन, जो कि गुना–इटावा नई बडी लाइन के अनुमोदित कार्य का भाग है, में बदलने का काम गुना–ग्वालियर नई लाइन का निर्माण पूरा होने पर शुरू किया जायेगा।

[अनुवाद]

जबलपुर रेलवे स्टेशन

3093. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आरक्षण में व्याप्त भ्रष्टाचार, जाली आरक्षण, आरक्षण परिसर में बैठने के स्थान का अभाव, प्लेटफार्म पर बेकार पड़े सार्वजनिक दूरभाष बक्सों और रेल लाइनों पर गंदगी आदि के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जबलपुर स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा की व्यवस्था की गई है जिसके कारण जाली टिकटों या नकली टिकटों की बिक्री जैसी धोखाधड़ी की संभावना नहीं है। तथापि, रेल कर्मचारियों की मिलीभगत से कुछ असामाजिक तत्व, शायिकाओं को घेरने, स्थान हथियाने जैसे कदाचारों में लिप्त हैं। हाल ही में ऐसे दो मामलों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें रेल प्रशासन से कार्रवाई शुरू की है। ऐसी समस्याओं पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से वाणिज्यिक और सतर्कता संगठनों द्वारा नियमित और निरंतर आधार पर रोधक, आकस्मिक और छद्म जांचें की जाती हैं।

जबलपुर स्टेशन के आरक्षण परिसर में आरक्षण कराने हेतु आए यात्रियों के बैठने के लिए फिलहाल कोई प्रबंध उपलब्ध नहीं है। यदि अपेक्षित हो तो रेल यात्रियों के बैठने के स्थान की व्यवस्था करने की व्यावहारिकता की जांच करती हैं।

जबलपुर स्टेशन के मुख्य प्लेटफार्म पर कर्मचारी वाले दो एस टी डी/आई एस डी टेलीफोन बूथ सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन टेलीफोन बूथों का रख-रखाव डाक एवं तार विभाग द्वारा किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाती है कि वे चालू हालत में रहें।

प्लेटफार्मों के निकटवर्ती रेलपथ की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफार्म सं. 1 पर धुलनीय एप्रेन की व्यवस्था की गई है और प्लेटफार्म सं. 3 पर धुलनीय एप्रेन की व्यवस्था करने के लिए रेलवे द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी

3094. **श्री विश्वेश्वर भगत :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के उपचार एवं अन्य मदों पर अब तक कोई धनराशि खर्च की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) और (ख) गैस पीड़ितों के उपचार तथा भोपाल में चिकित्सा ढांचा पर वर्ष–वार खर्च निम्नलिखित है :

वर्ष	कुल खर्च
1985-86	67,51,939
1986-87	3,48,51,627
1987-88	4,74,48,694
1988-89	5,51,94,849
1989-90	6,15,73,974
1990-91	5,87,36,736
1991-92	6,14,65,040
1992-93	7,49,20,440
1993-94	8,15,30,531
1994-95	8,70,49,939
1995-96	7,14,38,606
1996-97	1,65,29,325

माल ढुलाई

3095. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री नवल किशोल राय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल द्वारा माल ढुलाई के लिए अधिक वैगन उपलब्ध कराने के संबंध में कई वर्षों से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 और 1995-96 के दौरान कुल कितने वैगनों के लिए रेलवे से मांग की गई;

(ग) क्या माल ढुलाई में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उक्त वर्षों के दौरान और अधिक वैगन उपलब्ध कराए हैं;

(घ) यदि हां, तो रेलवे के पास 1991-92 की तुलना में 1995-96 में कितने अतिरिक्त वैगन जोड़े गए; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितने पुराने वैगनों को हटाया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) 1991-92 और 1995-96 के दौरान राजस्व उपार्जक यातायात का लक्ष्य और वास्तविक लदान इस प्रकार था :

वर्ष	लक्ष्य (मिलियन टन)	वास्तविक लदान (मिलियन टन)
1991-92	337.00	337.98
1995-96	385.00	390.57

(ग) माल यातायात के लिए परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप सरकार ने 1991-92 से 1995-96 तक के वर्षों के दौरान उत्पादित निम्नलिखित नये माल डिब्बे शामिल किए हैं।

वर्ष	निर्मित माल डिब्बों की संख्या (चौपहिया इकाइयों में)
1991-92	25778
1992-93	26129
1993-94	19649
1994-95	10575
1995-96	17950

(घ) भारतीय रेलों पर 1.4.1991 को 474008 और 1.4.1995 को 466087 ब.ला. माल डिब्बे (चौपहिया इकाइयों में) थे।

(ङ) 1.4.1991 से 31.3.1995 तक की अवधि के दौरान 89,485 ब.ला. माल डिब्बे (चौपहिया इकाइयों में) नाकारा किए गए थे और 1995-96 के दौरान अनंतिम आंकड़े 19140 हैं।

[अनुवाद]

रेलवे ट्रैक स्लीपर्स

3096. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पटना जिले में नादुल रेलवे स्टेशन के समीप मसौढ़ी थाना के अंतर्गत टिहरी मठ गांव के प्लाट संख्या 256 और 257 में बड़ी संख्या में आर.सी.सी. रेलवे ट्रैक स्लीपर्स रखे गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) प्लाट सं. 256 तथा 257 की स्थिति का पता लगाना संभव नहीं हो पाया है। बहरहाल, पूर्व रेलवे के पटना गया खंड पर नादोल स्टेशन के नजदीक कुछ पूर्वबलित कंक्रीट स्लीपर रेलवे सीमा के पास पड़े हैं।

(ख) जीर्ण–शीर्ण स्लीपरों के आकस्मिक नवीकरण के लिए पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल के पटना–गया खंड के नादोल रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलपथ की साइड में पूर्वबलित कंक्रीट स्लीपर उतारे गए थे। इस प्रकार के लगभग 35 अदद स्लीपर तटबंध मे लुढ़क गए हैं तथा रेलवे सीमा के पास नादोल स्टेशन की सीमा में पडे हैं।

(ग) पूर्व रेलवे को इन स्लीपरों को यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिए कहा गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में निवेश

3097. **श्री टी. गोविन्दन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रेलवे संबंधी उद्योगों जैसे, कोच कारखानों और अन्य आवश्यकताओं/रेल सेवा के विकास हेतु सम्पुष्टि इत्यादि में रेलवे ने राज्य–वार और उद्योगवार कुल कितना निवेश किया है; और

(ख) इस संबंध में केरल में कुल कितने प्रतिशत निवेश किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेल मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभिक वर्ष, राज्यवार तथा उद्योगवार सवारी डिब्बा कारखाने जैसे रेल से संबंधित उद्योगों की स्थापना पर किया गया निवेश निम्नानुसार है। इन कारखानों में समय–समय पर भी निवेश किए जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों (1991-92 से 1995-96) के दौरान इन कारखानों में किए गए ऐसे निदेश (अनुमानित) भी दर्शाए गए हैं।

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	उद्योग	प्रारंभ करने का वर्ष	कारखाना स्थापना के लिए	पिछले पाचं वर्षों (91-92 से 95-96) के दौरान अन्य संबंधित आवश्यकता के लिए फीडबैक
1	2	3	4	5	6
1.	पश्चिम बंगाल	चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चितरंजन	1948	14.56	80.09
2.	उत्तर प्रदेश	डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी	1961	19.57	33.07
3.	तमिलनाडु	सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास	1952	7.35	28.86
4.	पंजाब	डीजल कलपुर्जा कारखाना, पटियाला	1986	163.00	-
5.	पंजाब	रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला	1988	359.36	-
6.	कर्नाटक	पहिया एवं धुरा संयंत्र, बैंगलूरु	1984	146.16	44.51

(ख) कुछ नहीं।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के लिए होम डिलीवरी कार्ड

3098. **श्री भगवान शंकर रावत : क्या पशुपालन और डेरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1996 के दौरान गलत सूचना के आधार पर दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के लिए होम डिलीवरी कोर्ड प्राप्ति करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त शिकायतों की कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। दिल्ली दुग्ध योजना के पास एक शिकायत प्राप्त हुई है कि एक ही परिवार के चार सदस्यों को होम डिलीवरी कार्ड जारी किए गए हैं। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा इसकी जांच की गई तथा यह पाया कि सभी कार्ड धारियों के पास अपने अलग–अलग राशन कार्ड हैं। दिल्ली दुग्ध योजना होम डिलीवरी कार्ड राशन कार्ड के आधार पर जारी करती है। अतः इस शिकायत का कोई आधार नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अतिक्रमित अप्रयुक्त रेल भूमि

3099. **श्री हाराधन राय : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसनसोल मंडल के काफी समय से रेलवे की अप्रयुक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे स्टेशनवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का किस प्रकार उस भूमि को उपयोग में लाने/अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) अतिक्रमण के अंतर्गत रेलभूमि का स्टेशनवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

स्टेशन	क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	2
दुर्गापुर	0.095
अंडाल	0.528

1	2
रानीगंज	0.129
आसनसोल	0.445
पानागढ़	0.069
सूरी	0.026
अन्य	0.641
जोड़ :	1.933

(ग) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अभियोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पार्सल कार्यालय

3100. **श्री सुखलाल कुशवाहा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्सल विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) नया कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी उसी विभाग में अपने पद पर बने हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में उच्च स्तरीयं जांच कराकर दोषियों को दंड देगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) नयी दिल्ली स्टेशन पर पिछले चार वर्षों के दौरान 151 पार्सल कर्मचारी भ्रष्टाचार तथा अन्य अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए।

(ख) पार्सल कर्मचारियों का संवर्ग उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में अलग से है तथा एक बार कर्मचारी पार्सल कार्यालय में तैनात हो जाने के बाद वह निरंतर पार्सल विभाग में ही कार्य करता है लेकिन यदि प्रथम दृष्टयां में कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाया जाता है तो उसका किसी अन्य पार्सल डिपों में स्थानान्तरण किया जा सकता है।

(ग) रेल (अनुशासन एवं अपील) नियमों के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की गयी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संखिया जहर

3101. **डा. मुरली मनोहर जोशी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गंगा नदी तट की दो लाख से भी अधिक आबादी के पेय जल के माध्यम से संखिया जहर से प्रभावित होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस आबादी को जहर के खतरे से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय (राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन) से प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रैल, 1996 तक पश्चिम बंगाल के 8 जिलों की 984 बस्तियों में भूजल में संखिया तत्व की स्वीकार्य सीमा (0.05 मिग्रा./प्रतिलीटर) से अधिक होने की सूचना मिली है। पश्चिम बंगाल सरकार ने संखिया संदूषण की समस्या से निपटने के लिए दीर्घ अवधि एवं अल्प अवधि के उपायों वाली सापेक्ष महत्व की योजना तैयार की है जिसकी कुल लागत 750 करोड़ रुपये है। वर्तमान नलकूपों को बदल कर गहरे नलकूप लगाना, नए पाइपों के निर्माण द्वारा जल सप्लाई की स्कीमें एवं तत्काल राहत के लिए सैनीटरी संरक्षित कूपों का निर्माण, वर्षा जल पर आधारित छोटे जल स्रोतों का निर्माण एवं भूतल जल पर आधारित पाइपों द्वारा जल आपूर्ति स्कीमें, नलकूपों पर आधारित नए पाइप के माध्यम से जल सप्लाई स्कीमें, दीर्घ अवधि आधार पर समस्या को हल करने के लिए नए बिन्दु स्रोतों की स्थापना इस सापेक्ष महत्व की योजना की प्रमुख बातें हैं।

राष्ट्रीय भेषज मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण

3102. **श्री राजशेखर सिंह** :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
डा. बलिराम :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक राष्ट्रीय भेषज मूल्य–निर्धारण प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) और (ख) सितम्बर, 1994 में घोषित "औषध नीति, 1986 में संशोधनों" में, मूल्य निर्धारण के कार्य को करने के लिए राष्ट्रीय भेषज मूल्य–निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) के नाम से विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र निकाय का गठन करने का उपबन्ध किया गया हैं। इस निकाय को मूल्य नियंत्रण के अधीन औषधों की सूची को अद्यतन बनाने का कार्यभार सौंपा जायेगा। यह विनियंत्रित औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों

को मानीटर भी करेगा और डी.पी.सी.ओ के उपबन्धों का क्रियान्वयन भी देखेंगा। एन पी.पी.ए. का गठन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू हो गई है।

रेलगाड़ियों की गति

3103. **श्री महेश कुमार एम.कनोडिया : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पटना–अहमदाबाद के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की गति में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक आवश्यकताएं तथा गति प्रतिबंध।

रेल मार्ग का विद्युतीकरण

3104. **श्री बिशम्भर प्रसाद निषाद : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गाजियाबाद–मेरठ और गाजियाबाद–सहारनपुर रेल मार्ग पर विद्युत कर्षण शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल मार्ग का विद्युतीकरण कब तक शुरू कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) गाजियाबाद–मेरठ खण्ड का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस खंड पर यातायात घनत्व कम है और यह विद्युतीकरण के योग्य नहीं है। मेरठ से सहारनपुर का भाग खुर्जा–हापुड़–मेरठ–सहारनपुर खण्ड के विद्युतीकरण के भाग के रूप में वर्ष 1996-97 के बजट में नए कार्य के रूप में शामिल कर लिया गया है।

कच्छ के रण में घुसपैठ

*3105. **श्री पी. एस. गढ़वी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि कच्छ के छोटे रण के सर ग्रीक में अन्य खनिज भण्डारों के अलावा तेल और मत्स्यन उद्योग की काफी संभाव्यताएं हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए पाकिस्तान की ओर से लगातार खतरा रहता है और इस क्षेत्र में सीमा पार से घुसपैठ की सम्भावना रहती है; और

(ग) सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस क्षेत्र में घुसपैठ को रोकने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। यह एक ज्ञात तथ्य है कि पश्चिमी तट में विशेष आर्थिक जोन (ई ई जेड) में तेल एवं अन्य समुद्री सम्पदा के प्रचुर भंडार हैं जिन पर पाकिस्तान नियंत्रण करना चाहेगा। तथापि इस स्थिति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) सावल पीर क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रभुत्व द्वारा क्रीक क्षेत्र पर निगरानी रखी जाती रही है।

(ii) गश्त/नाके बढ़ा दिए गए हैं।

(iii) दूरबीन, जुड़वा सूक्ष्मदर्शी, नाइट विजन डिवाइसिज, पी एन वी दूरबीनें और हाथ में पकड़ी जाने वाली सर्च लाइटें, सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।

(iv) क्रीक क्षेत्र में गश्त लगाने के लिए नावें/मोटर नावें प्रदान की गई हैं।

(v) गुजरात की राज्य सरकार, नौसेना, सेना, तटरक्षक, सीमा शुल्क विभाग एवं सी.सु.ब. के प्राधिकारियों के बीच, क्रीक क्षेत्र में सीमा पार अपराधों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण के लिए विभिन्न स्तरों पर समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(vi) क्रीक क्षेत्र में गश्त के लिए जलयान तैनात किए गए हैं।

(vii) गश्त लगाने हेतु कच्छ में ट्रैक्टरों को भी तैनात किया गया है।

(viii) सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सी. सु. ब. के आसूचना तंत्र को सुचारू बनाया गया है।

हथियारों और मुद्रा की तस्करी

3106. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मई, 1996 के "हिन्दुस्तान टाईम्स" में "पाक डम्पिंग आर्म्स एण्ड फैक करंसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस प्रकार की गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) हाल ही में ऐसे दृष्टान्त सामने आए हैं जिनमें हथियारों, गोली–बारूद और विस्फोटक पदार्थों को तस्करी करके देश में लाया गया। इसी प्रकार से देश के कुछ भागों खास तौर से, पूर्वोत्तर,

जम्मू एवं कश्मीर तथा पंजाब के कुछ भागों में जाली मुद्रा के प्रचलन के दृष्टान्त भी ध्यान में आए हैं। सरकार स्थिति के प्रति सचेत है और इस बारे में समुचित कदम उठा रही है। सभी राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की संबंधित एजेंसियों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए उपयुक्त ढंग से सचेत कर दिया गया है और उन्हें सुग्राही बनाया गया है।

रेलवे की भूमि

3107. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेल यार्ड बनाने के लिए बोंडामुंडा में जनजातियों की हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है जबकि सैकड़ों एकड़ भूमि अनुप्रयुक्त पड़ी है अथवा उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन फालतू जमीनों के उपयोग के लिए रेलवे ने सरकार के समक्ष कितने प्रस्ताव रखे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ये भूमि मूल स्वामियों को वापस कर दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेलवे ने लगभग 3421.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है इसकी इस्तेमाल न की गई 841 एकड़ भूमि में से लगभग 2 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है।

(ख) इस रेल भूमि के उपयोग के लिए सरकार के समक्ष कई प्रस्ताव हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वनक्षेत्र में विकास परियोजनाएं

3108. **श्री अनन्त कुमार हेगड़े** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विशेष रूप से कर्नाटक में विकास परियोजनाओं की स्थापना और अन्य कारणों से वनों की कटाई की जानकारी है जबकि ये परियोजनाएं मैदानी भागों में स्थापित की जा सकती थीं;

(ख) क्या सरकार को देश में विशेष रूप से कर्नाटक में वन क्षेत्रों में अवैध खनन के बारे में भी रिपोर्ट मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पर्यावरण की दृष्टि से वनों को बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1993 के अनुसार कर्नाटक में वन आवरण में 1991 मूल्यांकन के बाद 144 वर्ग कि.मी. की सीमान्तिक वृद्धि हुई है। जहां तक वनेत्तर परियोजनाओं के लिए वन भूमि के उपयोग का सम्बन्ध है, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्रीय सरकार का पूर्व–अनुमोदन लेना अपेक्षित होता है। ऐसी विकासात्मक परियोजनाएं पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में स्थित होती हैं जो कार्य स्थल की अपेक्षा के आधार पर निर्भर होती है। इस प्रकार के उपयोग के लिए अनुमति सभी संगत सूचना की सावधानी–पूर्वक जांच करने के पश्चात् दी जाती है जिसमें पर्यावरण, वनस्पतिजात तथा प्राणिजात पर ऐसे उपयोग के सम्भावित प्रभाव शामिल हैं और यह सन्तुष्टि होने के पश्चात् की जाती है कि परियोजनाओं के लिए कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है और वन भूमि की मांग कम से कम है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में वन भूमि के अन्तरण को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम का अधिनियमन 1980 के तहत वन भूमि के उपयोग की अनुमति देते समय प्रतिपूरक वनीकरण सहित उचित सुरक्षा उपाय और उत्खनन मामलों के लिए क्षेत्र के सुधार की शर्त निर्धारित की जाती है ताकि वनभूमि के अन्तरण की प्रतिपूर्ति हो सके।

बाढ़ राहत के लिए धनराशि

3109. **श्री ओ. पी. जिन्दल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बारे में केन्द्र सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उनके लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वह अनुरोध स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार को विशेष सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त सहायता राशि अत्यल्प है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) हरियाणा सरकार ने हाल ही के बाढ़ की स्थिति में राहत तथा पुनर्वास उपाय करने के लिए 43.35 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

(ख) से (ङ) एक केन्द्रीय दल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। भारत सरकार ने 1996-97 के लिए राज्य को आपदा राहत कोष का 18.79 करोड़ रु. के समतुल्य केन्द्रीय अंश निर्मुक्त कर दिया है।

फलों के वृक्ष

3110. **श्री ललित उरांव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वन भूमि में, फलों के उत्पादन को पढ़ाने के साथ–साथ पर्यावरण की स्थिति में सुधार लाने के लिए फलों के पेड़ लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) वन भूमि पर फलदार वृक्ष तभी लगाए जा सकते हैं जब लगाई जाने वाली प्रजातियां देशी हों और इस प्रकार रोपण कार्य प्रश्नगत वन क्षेत्र के समग्र वनीकरण कार्यक्रम का एक हिस्सा हो। राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारें, जोकि विभिन्न वनीकरण योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही हैं, रोपण के लिए प्रजातियों का चयन करती हैं। प्रजातियों का चयन करते समय जलवायु और मृदा कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान

3111. **श्री एस. डी. एम. आर. वाडियार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डेरी उद्योग की अनुसंधान ओर विकास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बंगलौर स्थित राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र को एक पूर्ण संस्थान में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार इस प्रयोजनार्थ धन एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र की पूर्ण रूप से संस्थान के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र पहले से ही इस क्षेत्र के डेरी उद्योग की आवश्यकताओं की देखरेख कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

समुद्री तट से पत्थर और बालू इकट्ठा करने पर प्रतिबंध

3113. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री तट विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तटों से 200 से 500 मीटर तक के क्षेत्र से पत्थर और बालू इकट्ठा करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत 19.02.1991 को जारी किए गए तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के उपबन्धों के अनुसार तटीय विनियमन क्षेत्र के बाहर उपलब्ध न होने वाले दुर्लभ खनिजों को छोड़कर रेत, चट्टानों तथा अन्य आधार सामग्रियों का खनन प्रतिबंधित क्रिया–कलाप हैं।

(ग) से (ङ) सरकार को इस संबंध में रियायत के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, किन्तु अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार, प्रतिबंधित क्रिया–कलापों के लिए कोई रियात अनुज्ञेय नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

3113. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में राज्य–वार कितने जिलों में कोई कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है;

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए धन आबंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इन जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुमानित कितनी धन–राशि की आवश्यकता है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। देश के कुल 503 ग्रामीण जिलों में से 251 जिलों में अभी भी कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किया जाना है। इसकी राज्यवार सूची संलग्न है।

(ग) और (घ) यह अतिरिक्त कोष की उपलब्धता पर निर्भर करेगा जिसके लिए योजना आयोग से संपर्क स्थापित किया गया है।

(ङ) इन जिलों में नये विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुमानतः 465 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कोष की आवश्यकता होगी।

विवरण

कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) के साथ और बिना इसके जिलों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ग्रामीण जिलों की संख्या	कृ.वि.के.वाले जिलों की सं.	उन जिलों की सं. जहां विज्ञान केन्द्र नहीं है।
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	02	01	01
2.	आंध्र प्रदेश	23	15	08
3.	अरूणाचल प्रदेश	13	01	12
4.	असम	23	05	18
5.	बिहार	52	19	34
6.	दादर और नगर हवेली	01	-	01
7.	दमन और दीयू	02	-	02
8.	दिल्ली .	01	01	-
9.	गोआ	02	01	01
10.	गुजरात	19	10	09
11.	हरियाणा	16	12	04
12.	हिमाचल प्रदेश	12	09	03
13.	जम्मू और कश्मीर	14	04	10
14.	कर्नाटक	19	10	09
15.	केरल	14	09	05
16.	लक्ष्यद्वीप	01	-	01
17.	मध्य प्रदेश	45	19	26
18.	महाराष्ट्र	30	22	08
19.	मणिपुर	08	01	07
20.	मेघालय	07	01	06
21.	मिजोरम	03	02	01
22.	नागालैंड	07	01	06
23.	उड़ीसा	30	12	18
24.	पाण्डिचेरी	04	02	02
25.	पंजाब	14	09	05
26.	राजस्थान	30	30	-
27.	सिक्किम	04	01	03
28.	तमिलनाडु	22	16	06
29.	त्रिपुरा	04	02	02
30.	उत्तर प्रदेश	65	30	35
31.	पश्चिमी बंगाल	16	08	08
	कुल :	503	252	251

[अनुवाद]

चीड़ के वृक्ष

3114. **श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के गढ़वाल एवं कुमायूं क्षेत्रों में चीड़ के वृक्षों के कारण वनों का नाश हो रहा है और भू–जल स्तर कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वनों का नष्ट होने से बचाने तथा पहले ही कम हो चुके भू–जल स्तर को बढ़ाने के लिए भोज पत्र, बांज जैसी अन्य किस्मों के वृक्ष लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सरकार ने हिमाचल क्षेत्र की पारि–प्रणाली में उचित संतुलन बनाए रखने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. राज्य सरकारों ने अनुरोध किया गया है कि वे 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर हरे वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने पर विचार करें।
2. हिमालय क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।
3. इस क्षेत्र में वन क्षेत्रों की सुरक्षा तथा उनके प्रबंध में जन भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

4. रोपण के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध प्रजातियों और 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत उनके वितरण को बढ़ावा देना।

5. उत्तर प्रदेश में पारि–कार्यबल का सृजन।

6. हिमाचल क्षेत्र की पारि–प्रणाली के संबंध में विस्तृत अध्ययन और अनुसंधान करने तथा उसमें समुचित संतुलन बनाए रखने के लिए गोबिंद बल्लभ पंत हिमाचल पर्यावरण और विकास संस्थान की स्थापना।

रेल लाइन का विस्तार

3115. **श्री चोबा सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार रेल लाइन को दिफू (असम) से करोंग (इम्फाल) तक बढ़ाने की मांग कर रही है;

(ख) क्या प्रस्तावित रेल लाइन का विस्तृत सर्वेक्षण कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दिफू और करोंग के बीच नई लाइन के लिए मैसर्स राइट्स द्वारा 1989-90 में पहले ही व्यावहारिक सर्वेक्षण किया जा चुका है, लेकिन परियोजना के अलाभकारी होने के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सका। दिफू (असम) से करोंग (इम्फाल) तक (123 कि.मी.) रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन करने के लिए हाल ही में आदेश दिए गए हैं।

इस योजना पर आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण

3116. **डा. प्रवीण चंद्र शर्मा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की स्थानवार कितनी भूमि अतिक्रमणकारियों के गैरकानूनी कब्जे में है;

(ख) उन अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गैर कानूनी अतिक्रमण के फलस्वरूप पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को कितनी वार्षिक हानि हो रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पूर्वोत्तर सीमा रेल पर 304 हेक्टेयर रेल भूमि अतिक्रमणकारियों के गैर कानूनी कब्जे में हैं। मंडलवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मंडल	क्षेत्र (हेक्टेयर)
अलिपुरद्वार	133
तिनसुकिया	17
कटिहार	19
लमडिंग	86
मालीगांव	49

(ख) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली (अधिनियम, 1971) के अंतर्गत तथा राज्य सरकार के सहयोग से रेल प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए कार्रवाई की जाती हैं।

(ग) कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि रेलवे के भावी विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए इन भूमियों को खाली रखा गया था।

वन कानूनों व अधिनियमों का उल्लंघन संबंधी अपराध

3117. **श्रीमती मेनका गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कानूनों और अधिनियमों के कार्यान्वयन में ढिलाई तथा लचीलेपन के कारण वन संबंधी अपराधों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वन संबंधी कानूनों व अधिनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) वन कानूनों व अधिनियमों के कार्यान्वयन में लचीलेपन के कारण वन अपराधों में वृद्धि की कोई रिपोर्ट सरकार के नोटिस में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कानूनों और अधिनियमों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. निगरानी तथा या राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सम्पर्क बढ़ाने के लिए मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को सुदृढ़ बनाना।

2. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सुरक्षा और संचार नेटवर्क सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता।

3. पुरस्कारों की स्कीमें संस्थापित करना और कुछ राज्यों में वन्यजीवों के चोरी–छिपे शिकार सहित वन अपराधों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहन देना।

4. संयुक्त वन प्रबंधन के जरिए वनों की सुरक्षा और प्रबंधन में

जन भागीदारी को बढ़ावा देना।

5. मंत्रालय के कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए सोसल आडिट पेनल का गठन और जहां जरूरी हो, सुधार के उपायों का सुझाव देना।

सुरेन्द्रनगर रेलवे स्टेशन

3118. **श्री सनत मेहता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरेन्द्र नगर रेलवे स्टेशन को नए स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद पुराने स्टेशन की भूमि का बड़ा भाग अनप्रयुक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है और इस पर कितने भवन खड़े हैं; और

(ग) नए स्थान पर बनाया गया स्टेशन कब से कार्य करना शुरू कर देगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने तथा मीटर लाइन की शहरी क्षेत्र से बाहरी स्थान पर शिफ्टिंग करने के कारण कुल 24.69 हेक्टेयर भूमि अधिशेष है। वहां पर 2 इमारतों की कुल भूमि 1146.56 वर्ग मीटर है।

(ग) नए स्थान पर स्टेशन ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

मशरूम की खेती

3119. **डा. कृपासिन्धु भोई :**
श्री भक्त चरण दास :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर उड़ीसा में मशरूम की खेती के क्षेत्र का विस्तार करने का है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आठवीं योजना के अंतर्गत किन–किन राज्यों में मशरूम की खेती की गई;

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान किन–किन राज्यों में मशरूम की खेती करने का विचार है; और

(च) इस संबंध में उड़ीसा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार आठवीं योजना के दौरान 15.68 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से खुम्बी की खेती के संबंध में केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के घटक हैं–36 स्पान उत्पादन यूनिटों (11.5 लाख रुपये प्रति यूनिट की दर से) की स्थापना, 35 पास्चुरीकृत कम्पोस्ट यूनिटें (28.5 लाख रुपये प्रति यूनिट की दर से) तथा विभिन्न राज्यों में खुम्बी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 27,200 किसानों को प्रशिक्षण देना।

(घ) वे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहां आठवीं योजना के अन्तर्गत खुम्बी का उत्पादन किया जा रहा है, इस प्रकार है–आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चण्डीगढ़, दिल्ली, गोआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नगालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

(ङ) ऊपर (घ) के अन्तर्गत उल्लिचित सभी राज्य।

(च) उड़ीसा में एक स्थान उत्पादन यूनिट की स्थापना, एक पास्चुरीकृत कम्पोस्ट यूनिट तथा 600 किसानों के प्रशिक्षण हेतु 43.60 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई है।

कोच को सैलून में बदलना

3120. **श्री सोमजीभाइ डामोर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में कोच संख्या 6268 को सैलून में बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह परिवर्तन किस ने प्राधिकृत किया तथा इस पर कितनी राशि खर्च हुई;

(घ) उक्त कोच को हटा लिए जाने से प्रतिदिन आय में कितनी कमी हुई है; और

(ङ) क्या उक्त रेलगाड़ी में उस कोच के स्थान पर कोई अन्य कोच लगाया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) 22 वर्ष पूर्व निर्मित एक मिश्रित पहले एवं दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बे को अब छोटे स्टेशनों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और निरीक्षण करने के लिए मोबाइल प्रशिक्षण–एवं निरीक्षण यान के रूप में बदल दिया गया है।

(ग) इसमें परिवर्तन लगभग 50,000/- रुपये की लागत पर मंडल प्राधिकारियों द्वारा किया गया था।

(घ) अलग–अलग सवारी डिब्बे के लिए ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) जी नहीं, यह मिश्रित सवारी डिब्बा यात्री गाड़ियों में चल रहा

था। नीति के तौर पर रेलों ने पहले दर्जे के (पूर्ण और मिश्रित) सवारी डिब्बे का उत्पादन बन्द कर दिया है और इसलिए मौजूदा डिब्बे और मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों से उत्तरोत्तर हटाए जा रहे हैं।

केरल में रेल लाइनें

3121. **श्री ओ. भारथन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वर्तमान रेल लाइनें पचास वर्ष और इससे अधिक पुरानी हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये रेल लाइनें और सुरक्षित साबित हों इनके आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में रेल मार्गों का विद्युतीकरण

3122. **श्री एस. अजय कुमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार और जोनवार किन रेल मार्गों का विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है; और

(ख) केरल में रेल विद्युतीकरण कार्य को तेज किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) चालू वर्ष के दौरान अर्थात् 31.3.1997 तक विद्युतीकृत किए जाने वाले रेलमार्ग खण्ड निम्नानुसार हैं :

खंड	मार्ग कि.मी.	रेलवे/जोन	राज्य
1	2	3	4
1. टोरी–पतरातु–चैनपुर (सोननगर–पतरातु और गुमिया–पतरातु का भाग)	101	पूर्व	बिहार
2. मंडी गोविंदगढ़–लुधियाना (दिल्ली–अंबाला–लुधियाना का भाग)	46	उत्तर	पंजाब
3. वालायर–शोरुवण्णूर (ईरोड–एर्णाकुलम का भाग)	72	दक्षिण	केरल
4. करकेंड–जामादोबा (जामादोबा–महुबा का भाग)	08	दक्षिण पूर्व	पश्चिम बंगाल
5. बोंडामुंडा–बरसुआं/ किरीबुरु	105	दक्षिण पूर्व	उड़ीसा बिहार
6. भीमाडोलू–निडडवोलू–राजमुन्द्री और सामलकोट–अन्नावरम अनाकापल्ली (विजयवाडा–विशाखपत्तनम् का भाग)	179	दक्षिण मध्य	आन्ध्रप्रदेश
7. जमतारा–झाझा–जमुई (सीतारामपुर–मुगलसराय का भाग)	146	पूर्व	बिहार

(ख) केरल राज्य में कोचीन हार्बर टर्मिनल सहित वालायर–एर्णाकुलम खंड पर विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। वालायार–शोराणूर खंड को 31.3.1997 तक विद्युतीकृत करने की संगावना है और समूचे खंड का विद्युतीकरण 31.3.1998 तक पूरा करने की योजना है। बशर्ते कि पर्याप्त धनराशि समय पर उपलब्ध कराई जाए।

आंध्र प्रदेश में रेलमार्ग

3123. **श्री येल्लैया नंदी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में पठनचेरू, संगरेड्डी, मेडक, सिद्धीपेट नगरों के बीच रेल मार्ग बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने सर्वेक्षण किए गए हैं;

(ग) क्या हाल ही में किए गए सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश में इन नगरों को रेल मार्ग से जोड़ने का निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कार्य को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा और यह कार्य कब तक पूरा होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) संगरेड्डी तथा मेडक के रास्ते पाटनचेरू से आकनपेट तक नई बड़ी लाइन के लिए दक्षिण मध्य रेल द्वारा 1994 में सर्वेक्षण को अद्यतन किया गया था। सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला है कि 102

कि.मी. लम्बी इस लाइन पर 130.74 करोड़ रु. की लागत आएगी और यह परियोजना अलाभप्रद पायी गयी है। इस प्रस्तावित लाइन के लिए अब तक 1981 में दो सर्वेक्षण किए जा चुके हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को स्वायत्तता

3124. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ राज्यों द्वारा और अधिक स्वायतत्ता प्रदान किए जाने की मांग की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में देश में एक समान नीति का पालन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) सरकार के न्यूनतम कार्यक्रम में "राज्यों के अधिकारों की एक नई व्याख्या करना तथा राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता का उल्लेख है" और इसमें राजनैतिक संघवाद वाली ताकतों को मजबूत करने की बात कही गई है जिसमें एक मजबूत केन्द्र, मजबूत राज्य और विकासक्षम स्थानीय निकाय हों। दस्तावेज में कहा गया है कि सरकार राजनैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक संघवाद के सिद्धान्तों को आगे बढ़ाएगी तथा अधिकारों का हस्तांतरण और प्राधिकारों का विकेन्द्रीकरण करेगी। इस प्रयोजनार्थ, सरकार का इरादा एक द्विमार्गी नीति का अनुसरण करने का है। एक ओर तो सरकार, सरकारिया आयोग की सिफारिशों को, जिन पर पहले से ही व्यापक तौर पर सहमति है, विधायन और प्रशासनिक कार्रवाई के द्वारा यथोचित रूप से कार्यान्वित करेगी। दूसरी ओर सरकार, सरकारिया आयोग की सिफारिशों की पुनरीक्षा करने और उन्हें अद्यतन बनाने के लिए तथा केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को वित्तीय शक्तियों के हस्तांतरण करने जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव रखती है।

[हिन्दी]

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958

3125. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू है;

(ख) यह अधिनियम राज्य–वार प्रथम बार कब लागू हुआ;

(ग) इसे लागू रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस अधिनियम को लागू रखने को समय समय पर लगातार पुनरीक्षा की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य–वार इसकी अन्तिम बार पुनरीक्षा कब की गई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम इस समय निम्नलिखित राज्यों में प्रख्यापित हैं :

1. असम	2. नागालैंड
3. मणिपुर	4. मिजोरम
5. मेघालय	6. अरूणाचल प्रदेश
7. त्रिपुरा	8. पंजाब
9. संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	10. जम्मू और कश्मीर

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रत्येक के सामने लिखित तारीखों से अधिनियम लागू किया गया :

1. असम	27 नवम्बर, 1990 से
2. नागालैंड	7 अप्रैल, 1995 से
3. मणिपुर	28 सितम्बर, 1970 से
4. अरुणाचल प्रदेश	17 सितम्बर, 1991 से
5. पंजाब	15 अक्तूबर, 1983 से
6. संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	15 अक्तूबर, 1983 से
7. जम्मू और कश्मीर	5 जुलाई, 1990 से

(ग) और (घ) इन राज्यों में उग्रवाद और पृथकतावादी गतिविधियों को काबू में रखने के लिए इस अधिनियम को जारी रखना जरूरी समझा गया है। उपर्युक्त प्रावधान को जारी रखने के लिए स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है तथा इसकी पुनरीक्षा की जाती है। मौजूदा वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए इस समय अधिनियम के अधीन शक्तियों को वापस लेने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

[अनुवाद]

पर्यावरण विकास प्राधिकरण

3126. **श्री सुख राम** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण उत्तर पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में मिट्टी के भारी कटाव को देखते हुए सरकार का विचार जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों के लिए एक पर्यावरण विकास प्राधिकरण का गठन करने का है ताकि मैदानी

क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जान–माल को प्रभावित कर रहे मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए एक ठोस नीति तैयार की जा सके और प्रभावी कदम उठाए जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्राधिकरण के कब तक गठित किए जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) सरकार के विचाराधीन जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों के लिए पारिस्थितिकीय विकास प्राधिकरण गठित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दुग्ध देने वाले मवेशियों की खरीद

3127. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या **पशुपालन एवं डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की भारी कमी को देखते हुए दुग्ध देने वाले मवेशियों जैसे गायों, भैंसों, बकरियों की उन्नत नस्ल की खरीद के संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। पशुपालन एवं डेयरी विभाग उन्नत किस्म के जर्मप्लाज्म को उपलब्ध कराकर गोपशु/भैंस/बकरियों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रहा है।

इसकी व्यापक नीतियां इस प्रकार हैं :

(i) घरेलू क्षेत्रों में चयनित प्रजनन द्वारा गोपशु, भैंस तथा बकरियों की नस्लों में उत्तरोत्तर आनुवंशिक सुधार एवं अन्य क्षेत्रों में स्थानीय गोपशु/भैंस/बकरियों का उन्नयन।

(ii) अधिक दुग्ध उत्पादन के उद्देश्य से श्रेष्ठ जीन्स की शुरूआत करने के लिए विदेशी डेयरी नस्लों के साथ गैर–प्रजातीय गोपशु/बकरियों का वर्ण–संकरण।

[हिन्दी]

हटिया-चंडीगढ़ एक्सप्रेस का बंद कर दिया जाना

3128. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाटिया–चंडीगढ़ एक्सप्रेस को बंद किए जाने के क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार का इस गाड़ी को पुनः चलाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक पुनः चालू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) टाटा/मूरी–पठानकोट एक्सप्रेस का एक भाग हटिया और चंडीगढ़ के बीच चलाया जा रहा था जिसे उस भाग पर कम यातायात प्राप्त होने के कारण और अमृतसर की ओर अधिक स्थान सुलभ कराने की आवश्यकता को देखते हुए बन्द कर दिया गया था। अतः इस सेवा को बहाल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

यात्री क्षमता में कमी

3129. **श्री पी. सी. चाक्को** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल एक्सप्रेस में वर्ष भर अत्यधिक भीड़ रहने के बावजूद भी इसकी यात्री क्षमता में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पूर्ण वास्तविक क्षमता पुनः बहाल किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मात्स्यकी विकास हेतु नई योजनाएं

3130. **श्री शिवराज सिंह चौहान** :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान मात्स्यकी विकास हेतु मंजूर की गई नई योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी–कितनी सहायता राशि आवंटित की गई है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) चालू वर्ष में देश में मात्स्यिकी विकास से सम्बन्धित किसी नयी योजना को मंजूरी नहीं दी गयी है। वैसे, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की गई मात्स्यिकी विकास से संबंधित निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं चालू वर्ष (1996-97) में भी जारी हैं :

(1) प्रमुख पत्तनों पर मात्स्यिकी बन्दरगाह सुविधायें।

(2) छोटे पत्तनों पर मत्स्यन नौकाओं द्वारा मछली उतारने और ठहरने की सुविधायें।

(3) ताजा–जल कृषि विकास।

(4) समेकित खारा पानी मत्स्य पालन विकास।

(5) समुद्र तटीय समुद्री मात्स्यिकी विकास।

(6) मछुआरों का कल्याण।

(7) मत्स्यन विपणन के सुदृढ़ीकारण के लिये सहायता।

(8) समुद्री–मात्स्यिकी विनियमन अधिनियम का प्रवर्तन और कृत्रिम चट्टानों द्वारा संसाधन संवर्द्धन।

(9) मास्त्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार।

(10) विश्व बैंकों की सहायता प्राप्त श्रिम्प तथा मत्स्य पालन परियोजना।

वर्ष 1995-96 के दौरान मात्स्यिकी योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को दी गई सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	1995-96 के दौरान मात्स्यिकी योजनाओं के अंतर्गत दी गई सहायता (लाख रु. में)
1.	2.	3.
1.	आन्ध्र प्रदेश	359.78
2.	असम	26.20
3.	बिहार	54.10
4.	गोवा	5.19
5.	गुजरात	692.94
6.	हरियाणा	66.25
7.	हिमाचल प्रदेश	32.21
8.	जम्मू व कश्मीर	44.40
9.	कर्नाटक	268.24
10.	केरल	963.34
11.	मध्य प्रदेश	201.04
12.	महाराष्ट्र	316.49
13.	मणिपुर	44.87
14.	मेघालय	56.00
15.	मिजोरम	5.93
16.	नागालैंड	33.00
17.	उड़ीसा	183.81
18.	पंजाब	51.50
19.	राजस्थान	34.00
20.	सिक्किम	5.00
21.	तमिलनाडु	1055.13
22.	त्रिपुरा	23.52
23.	उत्तर प्रदेश	213.00
24.	पश्चिम बंगाल	589.74
25.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	5.34
26.	दमन व द्वीप	13.42
27.	लक्ष्य द्वीप	0.83
28.	पांडिचेरी	127.96

[अनुवाद]

भारत-बंगलादेश सीमा पर रहने वालों की समस्या

3131. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में उत्तरी 24 परगना जिले में भारत–बंगलादेश सीमा पर जीरो प्वाइंट दूरी पर कंटीले तारों की बाड़ के कारण वहां के निवासियों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उनकी समस्याएं हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मंद मकबूल डार) : (क) और (ख) भारत–बंगलादेश सीमा पर जीरो–लाईन से कम से कम 150 गज की दूरी को छोडकर, सडकों और कंटीले तार की बाड़ का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि सीमा प्राधिकारियों के लिए संयुक्त भारत–बंगलादेश दिशा निर्देश, 1975 के अनुसार सीमा के दोनों तरफ 150 गज के भीतर कोई रक्षा संबंधी कार्य नहीं किया जा सकता है।

सरकार ऐसे कुछ लोगों द्वारा व्यक्त की गयी आशंकाओं से अवगत है जिनकी भूमि (वास भूमि और/या कृषि भूमि) सड़क/बाड़ और जीरो लाईन के बीच में पड़ती है। अन्य बातों के साथ–साथ उपयुक्त स्थानों पर गेट लगवा करके अनावश्यक कठिनाइयों को दूर करने पर उपयुक्त ध्यान दिया गया है, ताकि संबंधित लोग सड़क/बाड़ और जीरो–लाईन के मध्य खेती करने, फसल काटने और रहने के लिए आ जा सकें।

रेल पुल की मरम्मत

3132. **डा. एम. पी. जायसवाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर–गुवाहाटी लाइन पर रेल पुल पर रेल यातायात हाल ही में दस दिन तक बंद रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण थे;

(ग) क्या यह पुल पिछले वर्ष बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या पुल के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत कर दी गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेल पटरियों को बिछाना

3133. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नारखेर–अमरावती मार्ग पर रेल लाइन बिछाने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परियोजना को नौवीं योजना अवधि में पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

रेल लाइन का निर्माण

3134. **श्री अनिल बसु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के अन्तर्गत तारकेश्वर से आराम बाग तक रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य नवम्बर, 1996 तक पूरा हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सर्वेक्षण को चालू वर्ष के दौरान ही पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में उर्वरक एकक

3135. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में और आज तक देश में कितने उर्वरक एककों की स्थापना की गई;

(ख) उनमें से कितने एककों ने कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(ग) ऐसे कितने एकक हैं जिनमें उत्पादन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू होने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) और (ख) प्रति वर्ष 7.42 लाख टन यूरिया क्षमता का गैस पर आधारित एक यूरिया संयंत्र 1994-95 में बबराला, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। प्रति वर्ष 7.26 लाख टन यूरिया क्षमता का गैस पर आधारित दूसरा यूरिया संयंत्र 1995-96 में शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था।

(ग) निम्नलिखित चार एककों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादन शुरू कर दिये जाने की आशा है :

i. इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव सोसाईटी (इफको) की आंवला विस्तार परियोजना,

ii. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एम.एफ.एल) की विजयपुर विस्तार परियोजना,

iii. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एम.एफ.एल.) की विस्तार परियोजना, तथा

iv. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर.सी.एफ) का अमोनिया चरण–1 रेट्रोफिट।

होटलों को मंजूरी

3136. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकार से विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में होटलों और मोटलों के लिए निर्धारित

भूमि को लीजमुक्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां होटल और मोटल स्थापित किए जाने का विचार है; और

(ग) समुचित पर्यावरणीय प्रभाव के अध्ययन के बाद भूमि आबंटन के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न राज्यों में होटलों तथा मोटलों के लिए निर्धारित की गई भूमि का पट्टा खत्म करने के लिए सरकार से सिफारिश नहीं की है। तथापि, एक होटल के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देशों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक समिति गठित की थी जिसने अन्य बातों के साथ–साथ होटल के लिए प्राप्त की गई अवक्रमित वन भूमि के एक भूखण्ड का पट्टा समाप्त करने की सिफारिश की थी।

(ख) और (ग) जिन स्थानों पर होटलों और मोटलों को स्थापित किया जाना होता है उनके बारे में निर्णय राज्य सरकार/ स्थानीय निकायों द्वारा केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभागों, जहां आवश्यक हो, के परामर्श से लिया जाता है। विकासात्मक परियोजनाओं की 29 श्रेणियों जिनमें होटल भी शामिल हैं, के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं। सरकार परियोजना के पर्यावरण मूल्यांकन के बाद प्रत्येक मामलें के आधार पर होटलों की स्थापना की अनुमति देती है।

रेल मार्ग का विद्युतीकरण

3137. **श्री गिरधारी यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना होते हुए मुगलसराय से आसनसोल तक के रेल मार्ग के विद्युतीकरण के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस लाईन पर विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख), आसनसोल से सीतारामपुर तक का खंड जो कि मुख्य ट्रंक मार्ग पर है पहले से ही विद्युतीकृत है। सीतारामपुर–पटना–मुगलसराय खंड पर विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है, सीतारामपुर से जामतरा तक 34 मार्ग कि.मी. पूरा कर लिया गया है और खंड का शेष कार्य शुरू कर दिया गया है।

सीतारामपुर–मुगलसराय के सम्पूर्ण खंड का विद्युतीकरण मार्च 1999 तक पूरा करने की योजना है।

रेल मार्ग से जोड़ा जाना

3138. **डा. सी. सिल्वेरा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें रेल सेवा से अभी तक नहीं जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के दौरान इन क्षेत्रों को रेल सेवा से जोड़ने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) इस समय रेल से न जुड़े जिलों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) इन सभी क्षेत्रों को समयबद्ध तरीके से रेल संपर्कों से जोड़ना संभव नहीं होगा। बहरहाल, चालू नई लाइन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर इनमें से कुछ क्षेत्रों के लिए संपर्क उपलब्ध हो जाएगा।

(घ) संसाधनों की तंगी।

(ख) ब्यौरा निम्नानुसार है :

राज्य	जिला	राज्य	जिला
बिहार	गोदोआ	गोवा	बिचोलिम
			मौंडा
			सातारी
हिमाचल प्रदेश	चंबा	जम्मु और	गिलगिद
	कुल्लु	काश्मीर	चिलास
	किन्नौर		बजारत
	सिरमौर		मुजफराबाद
	विलासपुर		पुंछ
	हमीरपुर		
	लाहौल–स्पीति		मीरपुर
केरल	वायानद	कर्नाटक	कोडागू
	इडुक्की		
	पठा निमपिट्टा		
महाराष्ट्र	गडचिरोली	मध्यप्रदेश	छतरपुर
त्रिपुरा	दक्षिण–त्रिपुरा	मिजोरम	दक्षिणी-मिजोरम
मणिपुर	सेनापति	अरूणाचल	पश्चिम केमंग
	विष्णुपुर	द्रदेश	त्वांग
	थोबल		लोअर सुबांसिरि

राज्य	जिला	राज्य	जिला
	इम्फाल		अपर सुबांसिरि
	चंदेल		वेस्टसियांग
	चूड़ाचांदपुर		ईस्ट–सियांग
			देपंगवेल्ली
			तिराप
मेघालय	पश्चिम–गोराहिल	राजस्थान	बांसवाड़ा
	पश्चिम–खासीहिल		
	पूर्वी–खासीहिल		
	जैंनतियाहिल		
उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़		
	अल्मोड़ा		
	चमोली		
	गढ़वाल		
	टिहरीगढ़वाल		
	उत्तरकाशी		

रियो सम्मेलन, 1992

3139. **श्री जगमोहन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रियो सम्मेलन, 1992 के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित और वित्तपोषित एजेंसियों की सहायता से भारत में पर्यावरण की स्थिति में सुधार लाने के लिए आरम्भ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनके क्या प्रभाव पड़े हैं;

(ग) क्या उक्त सम्मेलन में किए गए वायदों तथा घोषणाओं को पूरा किया जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) रियो सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के आधार पर सरकार ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित और वित्तपोषित एजेंसियों की सहायता से कोई स्कीम नहीं चलाई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) 1992 में रियो सम्मेलन में सर्वसम्मति से सतत विकास, वनों के सतत प्रबंधन के सिद्धांतों तथा एजेंडा 21 जिसमें भविष्य में सतत विकास की दिशा में कार्रवाई हेतु रूप–रेखा शामिल थी, पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। इस बात पर सहमति हुई थी कि पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ कार्यक्रमों के लिए विशेषकर विकासशील देशों में नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्रदान करने के तरीके विश्व पर्यावरण सुविधा से प्राप्त होंगे जिसका प्रबंधन विश्व बैंक, यू.एन.ई.पी. द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है। रियो शिखर सम्मेलन के बाद से भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वित्तीय संसाधनों के अंतरण का मामला उठा रहा है। रियो सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को नए और अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाने के आश्वासनों को केवल आंशिक तौर पर पूरा किया गया है।

सम्मेलन के दौरान, भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी फ्रेम वर्क कन्वेंशन और जैव–विविधता संबंधी कन्वेंशन पर भी हस्ताक्षर किए जिनकी बाद में अभिपुष्टि की गई। भारत ने मरूस्थलीकरण का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हम सतत विकास आयोग के सक्रिया सदस्य भी हैं जिसकी स्थापना एजेंडा–21 के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विश्वव्यापी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए की गई थी।

राष्ट्रीय स्तर पर एजेंडा–21 और रियो घोषणा पर संबंधित मंत्रालयों तथा योजना आयोग के साथ चर्चा की गई। एजेंडा–21 के कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति एक समान नहीं है। अब बल सतत विकास की धारणा को प्रत्येक संबंधित मंत्रालय की आयोजना प्रक्रिया में शामिल करने और इस आधार पर संसाधनों के बढ़े हुए आबंटन को सुविधाजनक बनाने पर है। पर्यावरण कार्यवाही का एक कार्यक्रम भी तैयार किया गया है और कार्यक्रम में अभिनिर्धारित प्राथमिकता के क्षेत्र ये हैं : सतत शहरी प्रबंधन, उत्पादन की स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढावा, संस्थागत अवसंरचनाओं का विकास, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग, संस्थागन अवसंरचनाएं और पर्यावरणीय प्रबंधन, जल गुणवत्ता प्रबंध, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, वानिकी और पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देना। इन प्राथमिक क्षेत्रों में कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से शुरू की गई है।

[हिन्दी]

रफीगंज रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव

3140. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वा एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस तथा मुंबई मेल ट्रेनों का पूर्वी रेलवे के रफीगंज रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर इन सभी रेलगाडियों को कब से ठहराए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

बाघ संरक्षण नीति और कार्ययोजना

3141. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घटती हुई बाघों की जनसंख्या से चिंतित हो कर प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि (डब्लु.डब्लु.एफ.) ने जुलाई, 1996 में एक बाघ संरक्षण नीति, बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) जहां तक बाघ संरक्षण परियोजना का संबंध है विशेषकर पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में डब्लु.डब्लु.एफ. तथा उनके मंत्रालय को भूमिका निभानी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ल्ड वाइड फंड ने "बाघ संरक्षण कार्यनीति तथा कार्य योजना" शीर्षक से एक दस्तावेज तैयार किया है जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

लक्ष्य :

वर्ल्ड वाइड फंड—भारत की बांध संरक्षण कार्यनीति का समग्र लक्ष्य दीर्घकाल में इस प्रजाति की स्थिति में सुधार के ध्येय से मूल रूप से नवीन तथा सुधारात्मक पहलुओं के जरिए बाघ के संरक्षण हेतु चालू प्रयासों को और मजबूत करना है।

कार्यनीति :

1. राजनैतिक तथा नीति निर्माण स्तर पर बाघ संरक्षण के लिए समर्थन जुटाना।
2. बाघ संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों के माध्यम से निम्नतम समर्थन पैदा करना।
3. बाघ संरक्षण के लिए सहायक कार्यविधियां तैयार करना।

कार्ययोजना :

इस कार्य योजना के क्रियान्वयन को द्विवर्षीय कार्ययोजना के माध्यम से आरम्भ किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित मुख्य क्रियाकलाप होंगे।

1. प्रभाव नीति तथा निर्णय निर्माण।
2. बाघ रेंज क्षेत्रों में निम्नतम समर्थन जुटाना।
3. प्रवर्तन उपायों की सहायता और सुदृढ़ीकरण।
4. व्यापक जागरूकता पैदा करना तथा जन–समर्थन जुटाना।
5. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधा–जनक बनाना।

(ग) वर्ल्ड वाइड फंड की कार्य योजना उक्त संगठन की गतिविधियों के लिए है। भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ स्वैच्छिक निकायों की सहयोगी गतिविधियों की परिकल्पना की गई है और जहां तक व्यवहार्य हो, भारत सरकार ऐसे निकायों से स्वैच्छिक मदद के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए मुक्त है। वर्ल्ड वाइड फंड की कार्य योजना संकल्पनात्मक स्वरूप की है और इसके समग्र उद्देश्य में सुन्दरवन क्षेत्र शामिल होते हुए भी पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र के लिए किन्हीं विशिष्ट गतिविधियों का संकेत नहीं है।

[हिन्दी]

माल और यात्री यातायात पर खर्च

3142. **श्री नीतीश कुमार :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल और यात्री परिवहन के लिए रेलवे द्वारा लिया जा रहा वर्तमान ढुलाई दर ट्रेनों के परिचालन पर किए जा रहे व्यय से कम है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में परिचालन व्यय की तुलना में ढुलाई दर और यात्री भाड़े का तुलनात्मक लेखा तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) कोचिंग सेवाओं (यात्री और पार्सल आदि सेवाओं सहित) को प्रति वाहन किलोमीटर आमदनी परिचालन लागत से कम है। बहरहाल, माल सेवाओं की प्रति शुद्ध टन किलोमीटर आमदनी परिचालन लागत से अधिक है। वर्ष 1994-95 के लिए संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :

कोचिंग सेवाएं	रुपये
प्रतिवाहन किलोमीटर लागत	8.52
प्रति वाहन किलोमीटर आमदनी	6.40
माल सेवाएं	
प्रतिशुद्ध टन किलोमीटर लागत	0.38
प्रति शुद्ध टन किलोमीटर आमदनी	0.55

[अनुवाद]

माल और पार्सल चढ़ाने-उतारने संबंधी ठेका

3143. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण–पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने इटवारी और अनेक स्टेशनों पर माल और पार्सल चढ़ाने–उतारने के ठेके संबंधी विवादों/दावों के निपटान हेतु श्री एच. के. पाधी को एकमात्र विवेचक नियुक्त किया है;

(ख) विवाचक द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि के ब्यौरे सहित महाप्रबंधक द्वारा संदर्भित विवादों/दावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समझौते में उल्लिखित विशिष्ट धारा के अनुसार विवाचक द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्य होता है;

(घ) क्या अवार्ड के प्रकाशन के पश्चात् पक्ष को विचार–विमर्श के लिए बुलाने से पूर्व मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक ने महाप्रबन्धक से लिखित में पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया था; और

(ङ) क्या दक्षिण–पूर्व रेलवे में अवार्ड के प्रकाशन के पश्चात बातचीत करने की प्रणाली अभी भी चल रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) विवाचल द्वारा तय की गई धनराशि के ब्यौरे सहित महाप्रबन्धक द्वारा संदर्भित विवादों/दावों का ब्यौरा निम्नलिखित है।

1. महाप्रबन्धक द्वारा विवाचल को

संदर्भित विवाद/दावे। रुपये

(i) 1.2.87 से 30.4.88 तक को अवधि के दौरान समय-समय पर यथा अधिसूचित नैमित्तिक श्रमिक को दर में आगे और संशोधन के कारण ठेकेदार को देय राशि 4,40,221.00

(ii) 1.5.88 से 31.1.89 तक तथा बाद में जिसे 2.8.91 तक बढ़ा दिया गया था। अवधि के दौरान समय–समय पर यथा अधिसूचित नैमित्तिक श्रमिक आगे और संशोधन के कारण ठेकेदार को देय राशि 18,95,878.00

(iii) उपर्युक्त (i) तथा (ii) 18% की प्रति वर्ष की दर से ब्याज 6,30,000,00

जोड़ : 29,66,099.00

2. विवेचक द्वारा तय स्वीकृत राशि :

i. 1.2.87 से 30.4.88 तक की अवधि के दौरान समय–समय पर तथा अधिसूचित नैमित्तिक श्रमिक की दर में आगे और संशोधन होने के कारण ठेकेदार को देय राशि। 3,12,762,00

ii. 1.5.88 से 31.7.89 तक तथा बाद में जिसे 2.8.91 तक बढ़ा दिया गया था की अवधि के दौरान समय–समय पर तथा अधिसूचित नैमित्तिक श्रमिक की दर में आगे और संशोधन के कारण/ठेकेदार को देय राशि। 18,95,878.00

iii. उपर्युक्त (i) तथा (ii) पर 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज 5, 63, 706.00

जोड़ : 27,72,346.00

(ग) जी हां।

(घ) यद्यपि विचार–विमर्श के लिए महाप्रबन्धक का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था फिर भी मामले की प्रगति के बारे में उन्हें समय–समय पर अवगत कराया गया था।

(ङ) जी नहीं।

[हिन्दी]

अजमेर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर में रेल फैक्टरियां

3144. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर में रेल फैक्टरियां विकसित करने और उनके अनुरक्षण के लिए हाल के रेलवे बजट में अलग–अलग कितना आबंटन किया गया है;

(ख) क्या इन सभी फैक्टरियों में आमान परिवर्तन के लिए अपेक्षित मौलिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं तथा यदि हां, तो इस पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) इन रेल फैक्टरियों को निमार्ण, उत्पादन रखरखाव/रंगाई–पुताई सहित फैक्टरीवार किस प्रकार के और कितने कार्य दिए गए हैं;

(घ) क्या आमान परिवर्तन कार्य के पूरा होने तक मीटर लाइनों पर चलने वाली ट्रेनों से संबंधित कार्य इन फैक्टरियों में किए जाते रहेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) अजमेर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर स्थित रेल कर्मशालाओं के विकास के लिए 1996-97 के बजट अनुमान में किए आबंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

कर्मशाला	स्वीकृत कार्यो की प्रत्याशित लागत	आबंटन 1996-97
अजमेर (रेल इंजन और सवारी तथा माल डिब्बा कार्यशाला)	11.89	4.05
कोटा	7.99	2.39
बीकानेर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
जोधपुर	7.01	3.14

उपरोक्त के अलावा, उपर्युक्त कर्मशालाओं सहित कारखानों और भंडार इमारतों के अनुरक्षण के लिए पश्चिम रेलवे के लिए 1996-97 के बजट अनुमान में 1.91 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) बड़ी लाइन में परिवर्तन के लिए अजमेर और जोधपुर कर्मशालाओं में अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

कोटा कर्मशाला अपनी स्थापना के समय से ही बड़ी लाइन की कर्मशाला है।

बड़ी लाइन की सुविधाएं बीकानेर में उपलब्ध नहीं कराई गई हैं क्योंकि वह मीटर लाइन के शेष कार्यभार को संभालती है।

अजमेर और जोधपुर कर्मशालाओं को बड़ी लाइन की कर्मशालाओं में बदलने के संबंध में खर्च की गई राशि इस प्रकार है :

	मार्च 1996 तक खर्च की गई राशि (करोड़ रुपये में)
अजमेर (रेल इंजन और सवारी एवं माल डिब्बा कर्मशाला)	0.60
जोधपुर	2.42

(ग)

कर्मशाला	मुख्य कार्य की प्रकृति	कार्य की मात्रा (लक्ष्य)
1	2	3
अजमेर	आवधिक ओवरहालिंग	बड़ी लाइन के सवारी डिब्बे : 88 चौपहिया यूनिट/मासिक मी.ला. के माल डिब्बे : 160 चौपहिया यूनिट/मासिक मी.ला. के सवारी डिब्बे : 130 चौपहिया यूनिट/मासिक डीजल रेल इंजन : 4 रेल इंजन/मासिक (मी. लि.)
कोटा	आवधिक ओवरहालिंग	बड़ी लाइन के माल डिब्बे : 950 चौपाहया यूनिट/मासिक
बीकानेर	आवधिक ओवरहालिंग	मी.ला. सवारी डिब्बे : 50 चौपहिया यूनिट/मासिक मी.ला. के सवारी डिब्बे : 41 चौपहिया यूनिट/मासिक
जोधपुर	आवधिक ओवरहालिंग	ब.ला. सवारी डिब्बे : 27 चौपहिया यूनिट/मासिक मी.ला. सवारी डिब्बे : 30 चौपहिया यूनिट/मासिक

ये कर्मशालाएं मंडलों में धुरा, स्प्रिंग, ब्रेक ब्लॉक आदि जैसे चल स्टॉक अनुरक्षण के लिए फालतू पुर्जों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती हैं।

(घ) जी हां,

अजमेर बीकानेर और जोधपुर कर्मशालाएं जब कभी आवश्यक हो और रेलवे की आवश्यकता के अनुसार मीटर लाइन के कार्यभार को सम्हालती रहेंगी।

(ङ) ऊपर भाग (ग) में यथाउल्लिखित।

[अनुवाद]

सी. एल. डब्ल्यू. साईडिंग से आसनसोल/बर्दमान तक ई.एम.यू. सेवा

3145. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सी.एल.डब्ल्यू. साईडिंग से आसनसोल/बर्दमान तक तथा बर्दमान से बराकर तक ई.एम.यू. सेवा शुरू करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस सेवा को शुरू किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) मुख्य लाइन की ई.एम.यू. सेवाएं वर्धमान बराकर खंड पर पहले से ही चल रही हैं। सी. एल. डब्ल्यू. साइडिंग और आसनसोल/बर्धमान के बीच ई.एम.यू./एम.ई.एम.यू. चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बैरकपुर स्टेशन का आधुनिकीकरण

3146. **श्री तरित बरण तोपदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैरकपुर स्टेशन का आधुनिकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं, बैरकपुर रेलवे स्टेशन पर संभाले जा रहे यातायात की मात्रा के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिबंधित कीटनाशक

3147. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की शीर्ष कंपनियों द्वारा 1992-94 के बीच देश में रसायन और फर्मो को गोपनीय रखते हुए अत्यधिक विषैले और प्रतिबंधित कीटनाशकों की भारी मात्रा में बिक्री की गई; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) सरकार को ऐसी किसी रिपोर्ट की सूचना नहीं मिली है। साथ ही, कृमिनाशी दवा अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अन्तर्गत देश में प्रतिबंधित कृमिनाशी दवाओं पर रोक लगा दी गई है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों से इस संबंध में जांच करने के लिए कहा गया है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली से त्रिवेन्द्रम के लिए सुपर-फास्ट/राजधानी एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाना

3148. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली से त्रिवेन्द्रम के लिए बरास्ते मुम्बई–मंगलौर राजधानी एक्सप्रेस/सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब से उक्त गाड़ी चलाई जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) कोंकण रेलवे के शुरू होने के बाद निजामुद्दीन–त्रिवेन्द्रम राजधानी एक्सप्रेस को गोवा–मंगलौर के रास्ते चलाने का प्रस्ताव है।

कृषि उत्पादन में अग्रणी राज्य

3149. **श्री पी.आर. दास मुंशी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रथम सात राज्यों के नाम क्या हैं जो कुल सिंचित तथा असिंचित भूमि क्षेत्र के दृष्टिकोण से धान, गेहूं, कपास, गन्ना तथा सरसों का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं;

(ख) देश में उर्वरकों पर सर्वाधिक राजसहायता प्राप्त करने वाले प्रथम सात राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उर्वरकों पर दिए जाने वाले राजसहायता के अनुरूप वहां का औसत कृषि उत्पादन संतोषजनक नहीं हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, सरसों तथा तिलहन का प्रति हैक्टेयर (1992-93 से 1995-96) सर्वाधिक औसत उत्पादन करने वाले प्रथम सात राज्यों के नाम अनुबंध में दिये गए हैं।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान कुल उर्वरकों की खपत के आधार पर प्रथम सात राज्यों के नाम नीचे दिए गए हैं :

1. उत्तर प्रदेश
2. आंध्र प्रदेश
3. महाराष्ट्र
4. पंजाब
5. मध्य प्रदेश
6. पश्चिम बंगाल
7. कर्नाटक

(ग) उर्वरक उन अनेक कारकों में से एक है, जिससे विभिन्न राज्यों में प्रति हैक्टेयर औसत कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। उर्वरक की अधिक खपत वाले प्रमुख राज्यों में किसी न किसी फसल का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन सबसे अधिक है।

विवरण

अनाज उत्पादन में अग्रणी राज्य

क्र.सं.	चावल (धान)	गेहूं	कपास	गन्ना	सरसों	तिलहन
1.	पंजाब	पंजाब	पंजाब	उत्तर प्रदेश	हरियाणा	तमिलनाडु
2.	तमिल नाडु	हरियाणा	हरियाणा	कर्नाटक	गुजरात	हरियाणा
3.	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	तमिल नाडु	महाराष्ट्र	पंजाब	पंजाब
4.	आंध्र प्रदेश	राजस्थान	राजस्थान	केरल	उत्तर प्रदेश	गुजरात
5.	कर्नाटक	गुजरात	आंध्र प्रदेश	गुजरात	राजस्थान	पश्चिम बंगाल
6.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	गुजरात	आंध्र प्रदेश	बिहार	आंध्र प्रदेश
7.	केरल	बिहार	कर्नाटक	पंजाब	पश्चिम बंगाल	मध्य प्रदेश

सिक्किम तक रेल सम्पर्क का विस्तार

3150. **श्री आर. बी. राई** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सराकर को सिक्किम सरकार से रेल सम्पर्क का वहां तक विस्तार किए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) सिक्किम को सिलीगुड़ी से शिवॉक तक छोटी लाइन के पुनःस्थापन हेतु सर्वेक्षण के लिए हाल ही में आदेश दिए गए हैं।

सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध होने पर ही इस योजना के बारे में आगे विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

ईको-क्लब

3151. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक कुछ राज्य सरकारों ने विशेषतः गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार के पास स्कूलों और कालेजों में पर्यावरण क्लब और जिला एवं राज्य स्तर पर पर्यावरण संरक्षण समितियों के गठन संबंधी कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है और राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता की मांग की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जिला और राज्य स्तर पर पर्यावरणीय क्लबों और पर्यावरण सुरक्षा समिति स्थापित करने का एक प्रस्ताव केरल राज्य सरकार से अभी प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) केरल राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव का शीर्षक "केरल में पर्यावरणीय जागरूकता एवं जनभागीदारी को बढ़ावा देना" है। और यह प्रथम वर्ष 1.60 करोड़ रुपए की कुल लागत से तथा 61.50 लाख रुपए के आवर्ती अनुदान से पर्यावरणीय क्लबों, जिला सुरक्षा समितियों, संसाधन सामग्रियों, श्रवय–दृश्य वाहनों, चलती–फिरती प्रयोगशालाओं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय में पर्यावरण संबंधी एक स्थायी स्टाल स्थापित करने, राज्य और जिला संकट दलों तथा राज्य पर्यावरण समिति के गठन के संबंध में है। उन्होंने पूरी राशि के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है। पर्यावरणीय क्लबों और पर्यावरणीय सुरक्षा समितियों की स्थापना की लागत प्रथम वर्ष के लिए 58.84 लाख रुपए और परिवर्ती वर्षों के लिए 48.84 लाख रुपए का आवर्ती वार्षिक अनुदान है।

(घ) राज्य सरकार को इस मंत्रालय के पारि–क्लबों और पर्यावरण वाहिनियों की स्कीमों के दिशा–निर्देश दिए हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे तदनुसार अपने प्रस्तावों में संशोधन करें। राज्य स्तरीय पर्यावरणीय सुरक्षा समिति के संबंध में उन्हें सूचित किया गया है कि इस प्रकार की समितियों को सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

नैमित्तिक श्रमिक

3152. **श्री द्वारकानाथ दास :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में बहुत से नैमित्तिक श्रमिकों को हटाए जाने की जानकारी है जिन्हें समय–समय पर आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी आज तक पुनर्रोजगार नहीं दिया गया हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा उनके पुनर्रोजगार हेतु कोई उपाय किए गए है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए नई गाड़ियां/यात्री डिब्बे

*3153. **श्री बी. एल. शर्मा 'प्रेम' :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कस्बों से आने वाले यात्रियों को, राजधानी में भीड़–भाड़ कम करने के उपाय के रूप में अधिकतम सुविधायें देने की आवश्यकता महसूस करता है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े कस्बों के लिए अतिरिक्त गाड़ियां/यात्री डिब्बे उपलब्ध कराने के बारे में मंत्रालय की क्या योजना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) यातायात के औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, मुख्य लाइन की इलैक्ट्रिकल मल्टीपल युनिटों, इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिटों तथा डीज़ल मल्टीपल पुश–पुल गाड़ी सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय प्राणि उद्यान

3154. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में विभिन्न पशुओं/पक्षियों की संख्या कितनी–कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मदवार उनके रखरखाव पर कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या यहां पशुओं/पक्षियों के रखरखाव पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता और उन्हें समय पर भोजन तक भी उपलब्ध नहीं कराया जाता;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में विगत तीन वर्षो के दौरान कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणि उद्यान में 31.7.96 तक विभिन्न पशुओं/पक्षियों की कुल संख्या 1397 है।

(ख) विगत तीन वर्षों में पशुओं के रख–रखाव पर सरकार द्वारा महावार खर्च की गई कुल धनराशि विवरण-I में दी गई है।

(ग) ऊपर (ख) पर उत्तर के विवरण–1 में उल्लिखित मदों से पता चलता है कि पशुओं के रखरखाव, जिसमें उनकी जरूरत के अनुसार भोजन की आपूर्ति भी शामिल है, पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा, चिड़ियाघर का पशुचिकित्सा अधिकारी राशन भेजने से पूर्व उसकी गुणवत्ता की जांच करता है तथा चिड़ियाघर के रेंजर, हैडकीपर और चिड़ियाघर के निदेशक तक भोजन का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए फील्ड का चक्कर लगाते हैं। इसके साथ ही प्रायः आकस्मित जांच की जाती है।

(घ) और (ङ) पशुचिकित्सा सुविधाओं के अभाव, प्राणियों के बाड़ों तथा खंदकों में खराब पानी होने तथा कुछ प्राणियों के लिए पर्याप्त प्रदर्शन क्षेत्र न होने के बारे में समाचार–पत्रों में समय-समय पर कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं।

(च) दिल्ली के चिड़ियाघर में पशुओं की देखरेख बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में पशुचिकित्सा देखभाल में सुधार लाना तथा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा प्राणियों की बेहतर आवास सुविधाओं तथा देखभाल के लिए की गई सिफारिशों का चरणबद्ध रूप में पालन करना शामिल है।

विवरण

(लाख रुपए)

मदें	वर्ष 1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
1. चिड़ियाघर के प्राणियों के भोजन पर खर्च	39.18	43.79	49.96

1		2	3	4
2.	प्राणियों के लिए फिल्टर वाल्टर उपलब्ध कराने पर खर्च	10.00	61.00x	18.00
		x(पिछला बकाया भी शामिल है)		
3.	प्राणियों के बाड़ों को ठंड तथा गर्म करने की व्यवस्था और अतिरिक्त कनेक्शन लगाने पर बिजली का खर्च	14.00	20.00	21.50
4.	प्राणियों के बाड़ों में सुधार तथा पशुचिकित्सा सुविधाओं में व्यापक आमूल–चूल परिवर्तन	17.72	34.89	34.51
5.	प्राणियों के लिए दवाइयां	0.84	1.69	0.80
6.	सफाई में सुधार तथा प्राणियों की अदला–बदली.	8.00	12.00	5.35
7.	प्राणियों के बाड़ों तथा अन्य भंवनों की मरम्मत व रख–रखाव	36.52	31.11	39.00
8.	अन्य विविध व्यय जिसमें, कर्मचारियों का वेतन, मजदूरी, सुरक्षा ठेके, वर्दी, वाहनों का रखरखाव आदि शामिल हैं।	90.14	90.42	99.10

[अनुवाद]

परिक्रमा रेल कलकत्ता

3155. **डा. असीम बाला** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता परिक्रमा रेल के प्रिंसेजघाट और मजेरहार के बीच के अधूरे मार्ग को पूरा करने और इस पूरे खण्ड का विद्युतीकरण करने और दोहरी लाइन बिछाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां। दमदम जं. से प्रिसेंघाट तक पूरी 13.5 कि.मी. लम्बी और विद्युतीकृत इकहरी लाइन परियोजना प्रिंसपघाट से माजरहाट खंड को छोड़कर, 17.6.90 तक यातायात के लिए चरणों में खोल दी गई। प्रिसेंपघाट से माजरहाट तक इकहरी लाइन के लिए नया तकनीकी–आर्थिक सर्वेक्षण पूर्व रेलवे द्वारा शुरू कर दिया गया है।

सर्कुलर रेल के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए तकनीकी आर्थिक अध्ययन राइट्स के माध्यम से पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू कर दिया गया है।

भूमि का अन्तरण

3156. **श्री ए. सम्पथ** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 तथा 1995 के दौरान प्रत्येक फसल अलग–अलग कुल कितनी भूमि में बोई गई;

(ख) उक्त अवधि में राज्यवार कितनी भूमि को खाद्यान्न कृषि क्षेत्र से नकद कृषि क्षेत्र में बदला गया; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्न कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए तथा उपरोक्त परिवर्तन को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान नकदी फसलों की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का विवरण इस प्रकार है :

फसल	क्षेत्र हजार एकड़ में 1993-94	1994-95
1	2	3
तिलहन	26897	25260
गन्ना	3422	3815

1	2	3
कपास	7321	7925
जूट और मेस्ता	885	944
नारियल	1635	1669
आलू	1047	1089
प्याज	368	384

(ख) विगत दो वर्षों अर्थात् 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान अनाज के अंतर्गत कुल क्षेत्र क्रमशः 122.75 तथा 123.55 मिलियन हैक्टेयर था। इस प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर खेती के क्षेत्र में अनाज के स्थान पर अन्य फसलों की खेती नहीं की गई। अनाज फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। 1995-96 के दौरान असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में इन खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में हुई थोड़ी बहुत कमी का कारण मौसम की गड़बड़ी होना है।

(ग) अनाज के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं नामत : चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज के लिए फसल प्रणाली पर आधारित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

विवरण

भूमि का परिवर्तन

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्ट. में)	
	1993-94	1994-95
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	6870.9	6660.0
अरूणाचल प्रदेश	189.9	188.5
असम	2740.6	2667.7
बिहार	8710.8	8685.3
गोवा	65.9	65.9
गुजरात	3992.2	4202.3
हरियाणा	3894.9	4026.8
हिमाचल प्रदेश	850.2	849.2
जम्मू व कश्मीर	888.7	888.7
कर्नाटक	6983.6	7078.9
केरल	541.0	534.0
मध्य प्रदेश	17721.0	17496.8
महाराष्ट्र	14188.1	13531.4
मणिपुर	164.6	165.5
मेघालय	131.9	130.1
मिजोरम	75.6	80.2
नागालैंड	184.3	186.3
उड़ीसा	5772.0	5776.2
पंजाब	5861.7	5921.4
राजस्थान	11628.9	12907.7
सिक्किम	76.1	75.1
तमिलनाडु	4826.8	4477.2
त्रिपुरा	275.7	275.7
उत्तर प्रदेश	20273.0	20150.1
पश्चिम बंगाल	6530.9	6412.6
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	14.0	14.0
दादर और नागर हवेली	18.7	18.7
दमन और दीव	3.3	3.3
दिल्ली	46.1	46.1
पांडिचेरी	32.4	32.4
अखिल भारत	122753.8	123548.1

त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराना

3157. **श्री सुरेश कोडीकुनील** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्रिवेन्द्रम सैन्ट्रल रेलवे स्टेशन और अधिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1996-97 के बजट में 2.65 करोड़ रुपये की लागत पर अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था संबंधी कार्य शामिल किया गया है।

रेल सैक्शन का विद्युतीकरण

3158. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में कृष्णनगर–लालगोला सैक्शन के बीच विद्युतीकरण के बारे में सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) पूर्व रेलवे के कृष्णा नगर–लालगोला खण्ड के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इस खंड पर फिलहाल यातायात घनत्व कम हुआ है और यह विद्युतीकरण के योग्य नहीं है।

यात्रियों को सुविधाएं

3159. **श्री बी. धर्मभिक्षप :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

भोंगीर, अलेयर, बीबीनगर, नालगौंडा चितयाल, मिरयालगुडा, इन्नलागौंडा (दक्षिण मध्य रेलवे) जिले में रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार करना एक एतत् प्रक्रिया है जिसे रेलवे के वार्षिक निर्माण कार्यक्रम में उपयुक्त कार्य के रूप में शामिल करके किया जाता है और यह स्टेशन पर संभाले जा रहे यातायात की मात्रा, धन की उपलब्धता तथा धन सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है।

तद्नुसार, भोंगीर तथा बीबीनगर में प्लेटफार्मों पर सायबान की व्यवस्था, भोंगीर में प्लेटफार्म पर फर्श बिछाने, नालगोंडा में दूसरे प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाने के अलेर में प्लेटफार्म के विस्तार से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं।

कर्नाटक में आमान परिवर्तन

3160. **श्री अनंत कुमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने संबंधी अनेक प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है और उनके लिए कितनी–कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या राज्य में आमान परिवर्तन संबंधी कोई नई परियोजना शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। बहरहाल मैसूर लाइन को 1995-96 के बजट में शामिल की गई थी, अब सी.सी.ई.ए. के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शुरू कर दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह परियोजना 31.5.97 तक पूरी कर दी जाएगी।

सुल्तानगंज स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव

3161. **श्री सुशील चन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री देवघर (बिहार) की यात्रा करते हैं और वे बिहार में सुल्तानगंज नामक रेलवे स्टेशन से पैदल अपनी यात्रा शुरू करते हैं;

(ख) क्या इस संदर्भ में यह सुझाव दिया गया है कि तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए ब्रह्मपुत्र एक्सप्रैस गाड़ी को सुल्तान गंज रेलवे स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए ठहराया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे इस सुझाव की जांच करेगी एवं इसे स्वीकृति देगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी? हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 4055/4056 ब्रह्मपुत्र मेल को सुल्तानगंज स्टेशन पर 14.8.96 से 31.8.96 तक अस्थायी ठहराव दिया गया है।

बम विस्फोट

3162. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन. ई. एक्सप्रैस (गुवाहाटी–दिल्ली) के बोगी नम्बर 830 सी/ए. में 16 मई, 1996 को बम विस्फोट किया गया था;

(ख) क्या इस बम विस्फोट के उद्देश्यों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 16.5.1996 को लगभग 18.45 बजे अलीगढ़ में ईस्ट केबिन के नजदीक 5621 अप एन.ई. एक्सप्रैस के साथ

अटैच एक कोच में विस्फोट हुआ। प्राथमिक जांच–पड़ताल से पता चलता है कि विस्फोट संभवतः सीमा सुरक्षा बल के एक कार्मिक द्वारा ले जाए जा रहे एक हथगोले के कारण हुआ था और यह आकस्मिक हुआ था। राजकीय रेलवे पुलिस, अलीगढ़ ने भा.द.सं. की धारा 304, 324, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और रेलवे अधिनियम की धारा 151 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया है। आगे जांच पड़ताल चल रही है।

[हिन्दी]

रेल डिब्बों का उत्पादन एवं मरम्मत

3163. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इज्जत नगर फैक्टरी में सवारी डिब्बों की मरम्मत तथा माल डिब्बों के उत्पादन का काम चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए काम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या तथा काम की प्रगति में लगातार कमी आ रही है;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने उक्त फक्ट्री को बंद करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) मीटर लाईन के माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों की मरम्मत का कार्य इज्जतनगर कारखाने में किया जा रहा है। इस कारखाने में माल डिब्बों का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्य का ब्यौरा इस प्रकार है :

आवधिक ओवर हालिंग	1993-94	1994-95	1995-96
1. माल डिब्बे (मी.ला.)	1640	1200	1170
2. सवारी डिब्बे (मी.ला.)	1380	1390	1080

(ग) और (घ) इज्जत नगर कारखाने में कर्मचारियों की संख्या में कटौती सामान्यतः सेवानिवृत्ति होने तथा आमान परिवर्तन के कारण मी. ला. के स्टाक की आवधिक ओवरहालिंग के कार्यभार में कमी के कारण है।

बहरहाल इसकी क्षतिपूर्ति के लिए मी.ला. डी.एम.यू. और रेल बसों को बनाने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में इस वर्कशाप को बन्द करने की कोई योजना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

शताब्दी एक्सप्रेस को आगे तक चलाना

3164. **श्री के. डी. सुल्तानपुरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली से चण्डीगढ़ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रैस को कालका तक चलाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस रेलगाड़ी को आगे तक कब तक से जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, इनकी जांच की गई थी लेकिन परिचालनिक कठिनाई तथा संसाधन की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

हल्दिया नदी में तेल का रिसाव

3165. **श्री मोहन रावले** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1996 में पं. बंगाल की हल्दिया नदी में टैंकर भरे जाते समय भारी मात्रा में डीजल का रिसाव हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तेल रिसाव के क्या कारण हैं;

(ग) इस तेल रिसाव से हल्दिया नदी में वनस्पति और जीवों को किस हद तक खतरा पहुंचा है।

(घ क्या इस मामले में लापरवाही की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई जांच की गई है ?

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) 31.5.96 को नौका घाट नं. 1 पर भारतीय तेल निगम द्वारा चार्टरित 'प्रेम तिस्ता' नौका के लगभग 358 किलो लीटर हाई–स्पीड डीजल तेल के रिसाव की घटना हुई थी। यह रिसाव नौका में टैंकों से तेल के छलकने के फलस्वरूप हुआ। हल्दिया गोदी परिसर के मौजूदा दोनों नौका घाटों पर पेट्रोलियम उत्पादों का लदान भारतीय तेल निगम, (विपणन प्रभाग) द्वारा नियंत्रित और संचालित होता है। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट तथा भारतीय तेल निगम ने रासायनिक परिक्षेपकों का इस्तेमाल करके इस रिसाव को नियंत्रित किया। जांच के दौरान वनस्पतिजात और प्राणिजात पर इस तेल रिसाव के तत्काल प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

(घ) और (ङ) राज्य बोर्ड ने इस मामले की छानबीन की और पाया कि लदान कार्य करते समय निगरानी में हुई चूक के कारण रिसाव की घटना घटी। भारतीय तेल निगम द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने भी इस बात की पुष्टि की कि रिसाव नौका कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुआ।

(च) पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अधीन 17.6.96 को भारतीय तेल निगम के प्रबंध के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है। तथापि, भारतीय तेल निगम ने तट से लेकर नौका तक लदान कार्यों की बारीकी से निगरानी करने के उपाय किए हैं। निगम, नौका कार्यों को करने के लिए अपने कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दे रहा है।

भारत-बंगलादेश सीमा पर छोटे द्वार बनाना

3166. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कूचबिहार जिले (पश्चिम बंगाल) के ग्रामीणों से भारत–बंगलादेश सीमा पर वर्ष 1995-96 के दौरान छोटे द्वार बनाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त छोटे द्वारा कब तक बनाए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय काजू निगम

3167. **श्री एन. के. प्रेमचन्दन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कच्चे काजू के वितरण हेतु कोटा प्रणाली शुरू करने के उद्देश्य से भारतीय काजू निगम का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारतीय काजू निगम, जो भारतीय राज्य व्यापार निगम का एक सहायक निगम है, की स्थापना कच्चे काजू की गिरी का आयात करने तथा उसका वितरण करने के लिए 1970 ई. में की गई थी। इसे सरणिरहित करने तथा आयात के लिए काजू को खुले साधारण लाइसेंस के अधीन रखने के बाद भारतीय काजू निगम को अब बंद कर दिया गया है। फिलहाल भारतीय काजू निगम को फिर से सक्रिय बनाने का कोई प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नासिक-सिनार शिरडी रेल लाइन का निर्माण

3168. **श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नासिक–सिनार–शिरडी–पुनटांबा मार्ग पर नई रेल लाइन का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं, तथापि, सिन्नार और शिरडी के रास्ते नासिक से कोपरगांव तक एक नयी बड़ी लाइन के लिए हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से मालूम हुआ है कि प्रस्तावित वाहन अलाभप्रद है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा में जल-मल शोधन संयंत्र

3169. **श्री रामसागर** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार द्वारा 1994 में स्वीकृत यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 'नोएडा' में जल–मल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सहायता का उस प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जल–मल शोधन संयंत्र के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा भूमि आबंटित कराने तथा अविलंब निर्माण कार्य शुरू करने हेतु क्या उपाए किए जाने के विचार हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ङ) यमुना कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए जापान सरकार के ओवरसीज इकोनामिक को–आपरेशन फंड से 17.77 बिलियन येन (वर्तमान मूल्य लगभग 586 करोड़ रुपए) की सहायता उपलब्ध है। इस राशि में नोएडा, उत्तर प्रदेश में निर्माण किए जाने वाले 2 सीवेज उपचार संयंत्रों की 17.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत शामिल है। इन दो स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें नोडल कार्य निष्पादन एजेंसियों द्वारा तैयार की जा चुकी हैं तथा इनके उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

इन दो सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए कुल अपेक्षित 35.4 एकड़ भूमि में से 26.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है। शेष भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाई चल रही है।

(च) राज्य सरकार और कार्यान्वयन एजेंसी के साथ नियमित रूप

से बैठकें आयोजित की जा रही हैं और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और भूमि अधिग्रहण के बारे में परियोजना सलाहाकारों की मार्फत् मासिक आधार पर प्रगति की निगरानी की जा रही है।

[अनुवाद]

यात्री सुविधा प्रकोष्ठ

3170. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण–मध्य रेलवे ने यात्री सुविधाओं, सफाई समयपालन तथा खान–पान सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है;

(ग) क्या रेल यात्रियों को अपनी शिकायतों के निपटान हेतु इन निगरानी प्रकोष्ठों से संपर्क करने के लिए कहा गया है; और

(घ) रेल यात्रियों के लिए इन प्रकोष्ठों को किस हद तक उपयोगी पाया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण मध्य रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालय, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा, सिकंदराबाद, हैदराबाद, हुबली और गुंतकल में 5 मंडल मुख्यालयों पर निगरानी कक्ष स्थापित किए गए हैं।

(ग) इन कक्षों के नोडल अधिकारियों के नाम व उनके टेलीफोन नम्बर और फैक्स नम्बर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिए गए हैं, ताकि रेल उपयोगकर्ता अपने सुझाव शिकायत उन तक पहुंचा सकें।

(घ) .इन सुझावों–शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाई की जाती है और इनका रेल उपयोगकर्ताओं को दी जा रही सुविधाओं में सुधार लाने के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है।

खुरीगाची में नया रेलवे स्टेशन

3171. **श्री रूप चन्द्र पाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के हावड़ा–बंडेल खंड में भद्रेश्वर और वैघबाटी के बीच खुरीगाची में एक नया रेलवे स्टेशन बनाने की मांग की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग को पूरा करने की दिशा में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) वैद्यबाटी और भद्रेश्वर स्टेशनों के बीच खुडीगाची में एक यात्री हाल्ट खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई है, लेकिन परिचालनिक, इंजीनियरी तथा वित्तीय आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया। इसके अलावा इस क्षेत्र में यातायात के अन्य साधन उपलब्ध होने के कारण यात्री सुविधा के आधार पर भी यह प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात में प्रदूषण

3172. **रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, जामनगर तथा अन्य जिलों की अनेक औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं;

(ख) क्या कुछ संसद सदस्यों, विधान सभाओं के सदस्यों, पर्यावरणविदों, संगठनों तथा विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा सरकार को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो किन–किन तथा कितनी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध 1 जनवरी, 1990 तथा 30 जून, 1996 के बीच याचिका दर्ज की गई थी; और

(घ) सरकार द्वारा इन इकाइयों को स्थानान्तरित करने/इन्हें बंद करने के लिए क्या कदम उठाए गए और उनके क्या परिणाम निकले ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अहमदाबाद में स्थित इकाइयों से प्रदूषण की संभावना है। भावनगर, राजकोट, जामनगर क्षेत्र में स्थित इकाइयों में सामान्यतया कम प्रदूषण संभावना या प्रदूषण की संभावना नहीं है। नरोडा, वाटवा तथा ओधव के औद्योगिक एस्टेट में अहमदाबाद में तथा इसके आस–पास की इकाइयां डाइ और ड्राइ इन्टरमीडिएट्स विनिर्माण इकाइयां, वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयां और अन्य रासायनिक इकाइयां हैं और ये मुख्य रूप से अपर्याप्त बहिस्राव एकत्रण और निपटान पद्धति के कारण प्रदूषण की समस्याएं पैदा कर रहे हैं। गुजरात उच्च न्यायालय में अनेक जनहित वाद दायर किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने उद्योगों को साझे बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। अहमदाबाद नगर निगम और गुजरात औद्योगिक विकास निगम ने औद्योगिक एस्टेट के उद्योग संघ के परामर्श से आन्तरिक बहिस्राव एकत्रण प्रणाली की भी योजना बनाई है।

(ख) और (ग) अलग–अलग इकाइयों से कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण समस्याओं के बारे में सामान्य शिकायतें/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। तथापि, संसद के एक माननीय सदस्य से इंडियन रेमन कार्पोरेशन लिमिटेड, वीरावल, जिला–जुनागढ़ द्वारा उत्सर्जित बहिस्रावों के कारण मच्छलियों के मरने के बारे में एक विशिष्ट शिकायत प्राप्त हुई है। राज्य बोर्ड ने इंडियन रैमन कार्पोरेशन

को इस बारे में एक मेरिन सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।

(घ) यह मामला न्यायाधीन है और माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में लंबित है।

[हिन्दी]

रेल लाइन बिछाना

3173. **श्री इलियास आजमी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने के बावजूद भी रेलवे के अन्तर्गत गोला गोकरन्नाथ से मोहम्मरी और शाहजहांपुर होकर फरूखाबाद तक रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू न होने के क्या कारण हैं; और

(ख) लोक हित में इस रेल लाइन पर निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा तथा यदि कोई बाधाएं हैं तो उन्हें कब तक दूर कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) अलाभप्रदता और संसाधनों की तंगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिलासपुर में क्षेत्रीय कार्यालय

3174. **श्री राधा मोहन सिंह :**

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिलासपुर (मध्यप्रदेश) में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह मांग मान ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां। बिलासपुर में एक नये जोन की स्थापना के लिए अनेक अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने इलाहाबाद, जयपुर, बैंगलूरु, हाजीपुर, जबलपुर तथा भुवनेश्वर में अतिरिक्त जोनल मुख्यालय स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

(घ) पुनर्गठन संबंधी मुद्दे की पहले रेल सुधार समिति ने और हाल में सलाहकारों की समिति ने जांच की थी और दोनों ने ही बिलासपुर में जोनल मुख्यालय की स्थापना करने संबंधी कोई सिफारिश नहीं की थी।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

3175. **श्री राजीव प्रताप रुडी :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स करसन लिमिटेड ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को 'करार के उल्लंघन' के कारण कानूनी कार्यवाही की धमकी दी है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) और (ख) मै. कर्सन. लि. द्वारा करार में दी गई निर्धारित समय सारणी के अनुसार यूरिया की आपूर्ति नहीं की गई है। तद्नुसार, मै. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल) करार के उल्लंघन के लिए मै. कर्सन लि. के विरुद्ध मध्यस्थता कार्यवाही दायर कर रही है। तथापि, मै. कर्सन लि. ने अपने एक पत्र में यह सूचित किया है कि वे भारत सरकार के विरुद्ध आवश्यक कानूनी सावधानी बरतेंगे।

[हिन्दी]

रेल लाइन का विस्तार

3176. **श्री हरिवंश सहाय :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सलोमपुर–बरहजपुर रेल लाइन को दोहरी घाट तक बढ़ाने का है;

(ख) क्या भटनी–बरहजपुर रेलगाड़ी रविवार को नहीं चलती है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे प्रतिदिन चलाने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार बरहजपुर से छपरा तथा गोरखुपर से छपरा तक रेलागड़ियों को चलाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

[अनुवाद]

जाली करेंसी नोट

3177. **श्री रामकृपाल यादव :**
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्री मोहन रावले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आई.एस.आई. भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाने की दृष्टि से पाकिस्तान में मुद्रित जाली भारतीय करेंसी नोट सीमापार से भारत में भेज रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी और पकड़े गए जाली भारतीय करेंसी नोटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति पकड़े गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) भारत–पाक सीमा से जाली भारतीय करेंसी नोटों की भारत में तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) 1994 से समय–समय पर पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि के सीमावर्ती जिलों से जाली मुद्रा नोटों के परिचालन और बरामदगी की सूचना मिलती रही है। तथापि, इस बात का अभी पता लगाया जाना है कि क्या नकली भारतीय मुद्रा नोट की जालसाजी पाकिस्तान ने की है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार जून, 1994 में जम्मू और कश्मीर से 50 रुपये तथा 100 रुपये मूल्य के जाली मुद्रा नोट बरामद हुए, वर्ष 1995 में देश के विभिन्न भागों से 500 रुपये मूल्य के 201 जाली मुद्रा नोट बरामद किए गए तथा अप्रैल, 1996 में कच्छ जिले (गुजरात) में 100 रुपये मूल्य के 351 जाली भारतीय मुद्रा के नोट बरामद किए गए।

(ग) और (घ) चूंकि 'पुलिस' राज्य का विषय है, अतः किसी भी गैर–कानूनी गतिविधि में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अन्तर्गत मामला दर्ज करना, जांच–पड़ताल करना तथा उचित कार्रवाई करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से संबंधित आंकड़ों का संकलन केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है। तथापि, भारतीय मुद्रा की जालसाजी की समस्या पर काबू पाने के लिए तंत्र को मजबूत करने हेतु राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक समय–समय पर प्रैस विज्ञप्ति जारी करता है ताकि जनता असली तथा नकली मुद्रा नोट के बीच अन्तर कर सके। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जाली मुद्रा नोट की विशिष्ट जांच–पड़ताल हेतु एक विशेष यूनिट स्थापित की है। सीमा सुरक्षा बल ने अपनी अग्रिम पंक्ति की टुकड़ियों को इस संबंध में सचेत कर दिया है।

समेकित कीट प्रबंधन योजना

3178. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समेकित कीट प्रबंधन योजना लागू करने हेतु पचास जिलों का चयन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे प्रस्तावित जिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन जिलों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। देश में समेकित कृमि प्रबन्ध को कार्यान्वित करने के लिए जिलों की कुल संख्या 256 है। (नाम संलग्न हैं)

(ग) समेकित कृमि प्रबन्ध को कार्यान्वित करने के लिये जिलों के चयन हेतु मानदण्ड है–कृमियों का अधिक प्रयोग तथा कृत्रिम नाशी दवाओं का अधिक मात्रा में उपयोग करना।

विवरण

देश में समेकित कृमि प्रबन्ध कार्यक्रम लागू करने वाले जिले

क्र.सं.	राज्य	जिला
	असम	
1.		डिब्रुगढ़
2.		सिबसागर
3.		जोरहाट
4.		करीमगंज
5.		काचर
6.		नागांव
7.		मोरीगांव
8.		कामरूप
9.		नलबारी
10.		गोआलपारा
11.		बारपाटा
12.		बारंग
13.		सोनीतपुर
14.		गोलाघाट
15.		उत्तरी लखीमपुर
16.		धोमोजी
17.		तीनसुकिया
18.		कारबी अंगलोंग
19.		हैलाकान्डो
	पश्चिम बंगाल	
20.		बंकुरा
21.		नाडिया
22.		बरदवान

1	2	3
23.		कूच बिहार
24.		24 परगना (एन)
25.		दार्जिलिंग
26.		जलपाईगुड़ी
27.		मुर्शिदाबाद
28.		बीरभुम
29.		हावड़ा
30.		मीदनापुर (डब्ल्यू)
31.		मीदनापुर (ई)
32.		पुरूलिया
33.		उत्तर दीनाजपुर
34.		दक्षिण
35.		हुगली
36.		मालदा
37.		नरेन्द्रपुर (एन.जी.ओ.)
	मिजोरम	
38.		ऐजॉल
39.		कोलासीब
	मणिपुर	
40.		इम्फाल
41.		थौबाल
42.		बिसनपुरा
43.		चुरचांदपुर
	नागालैण्ड	
44.		कोहिमा
45.		नोखा
	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	
46.		अण्डमान
	अरूणाचल प्रदेश	
47.		पूर्वी सिऑंग

1	2	3
48.		लोहित
	राजस्थान	
49.		श्रीगंगानगर
50.		बीकानेर
51.		हनुमान गढ़
52.		बूंदी
	गुजरात	
53.		बड़ौदा
54.		भरूच
55.		हिम्मतनगर
56.		राजकोट
57.		सुरेन्द्रनगर
58.		बलसाद
59.		अहमदाबाद
60.		सूरत
61.		खेड़ा
62.		पंचमहल
	महाराष्ट्र	
63.		जलगांव
64.		धुले
65.		औरंगाबाद
66.		जालना
67.		भोर
68.		परभणी
69.		नान्देड
70.		अमरावती
71.		बुलधाना
72.		अकोला
73.		यवतमाल
74.		नागपुर

1	2	3
75.		वर्धा
76.		चन्द्रपुर
77.		थाने
78.		रायगढ़
79.		रतनगिरी
80.		सिंधु दुर्ग
81.		नासिक
82.		पुणे
83.		कोल्हापुर
84.		सतारा
85.		भण्डारा
86.		गढ़चिरोली
	मध्य प्रदेश	
87.		खण्डवा
88.		खरगांव
89.		धार
90.		रायपुर अरंग
91.		महासमुन्द
92.		राजनन्दगांव
93.		दुर्ग
94.		दांतेवारा
95.		जगदालपुर
96.		कांकेर
97.		बिलासपुर
98.		जागीर
99.		रायगढ़
100.		अम्बीकापुर
101.		बालकिन्दपुर
102.		जबलपुर
103.		मन्डला
104.		सिवनी
105.		बालाघाट
106.		बीमा
107.		शहडोल
108.		सतना
109.		सीधी
	गोआ	
110.		उत्तरी गोआ
111.		दक्षिणी गोआ
	आन्ध्र प्रदेश	
112.		पश्चिमी गोदावरी
113.		कुरनूल
114.		कृष्णा
115.		पूर्वी गोदावरी
116.		नलगोण्डा
117.		निजामाबाद
118.		खाम्माम
119.		विशाखापत्तनम्
120.		गुन्टूर
121.		श्रीकाकुलम
122.		करीमनगर
123.		वारंगल
124.		आदिलाबाद
125.		प्रकासम
	उड़ीसा	
126.		बालासोर
127.		कटक
128.		क्योंझर
129.		मयूरभंज
130.		फूलबनी

1	2	3
131.		सम्बलपुर
132.		बरगढ़
133.		सुन्दरगढ़
	कर्नाटक	
134.		बंगलौर (आर)
135.		बंगलौर (यू)
136.		टुमकुर
137.		मेन्दिया
138.		बेल्लारी
139.		मैसूर
140.		शिमोगा
141.		कोडगू
142.		हसन
143.		चिकमगलूर
144.		डी. कन्नड़
145.		चित्रदुर्गा
146.		यू. कन्नड़
147.		रायचुड़
148.		धारवाड़
149.		बियापुर
150.		बेलगांव
151.		गुलबर्गा
152.		विदान
153.		बीजापुर
154.		बिदर
	तमिल नाडु	
155.		थरूवन्नामली
156.		कोएम्बदूर
157.		पेरियार
158.		मदुरई

1	2	3
159.		वो.ओ.चिदम्बरनगर
160.		कन्याकुमारी
161.		पुडुक्कटट्ई
162.		पसुम्पॉनथावर
163.		थीरूमानगर
	पाण्डिचेरी	
164.		पाण्डिचेरी
165.		करैकल
166.		पिलक्कड़
167.		ऐलप्पे
168.		थट्टन्चवडी
169.		त्रिचुर
	उत्तर प्रदेश	
170.		नैनीताल
171.		अलमोडा
172.		पिथोरगढ़
173.		देहरादून
174.		सहारनपुर
175.		मुजफ्फरनगर
176.		मैनपरी
177.		एटा
178.		मुरादाबाद
179.		रामपुर
180.		बिजनौर
181.		बरेली
182.		शाहजहांपुर
183.		पीलीमीत
184.		बुदायूं
185.		लखनऊ
186.		उन्नाव

1	2	3
187.		रायबरेली
188.		सीतापुर
189.		हरदोई
190.		खिरी
191.		एलाहाबाद
192.		प्रतापगढ़
193.		फतेहपुर
194.		कानपुर (ग्रामीण)
195.		फर्रूखाबाद
196.		ईटावा
197.		फैजाबाद
198.		गोण्डा
199.		बहराईच
200.		सुलतानपुर
201.		बाराबंकी
202.		वाराणसी
203.		मदोही
204.		सोनभद्रा
205.		मिर्जापुर
206.		गाजीपुर
207.		आजमगढ़
208.		मऊ
209.		जौनपुर
210.		बलिया
211.		गोरखपुर
212.		महाराजगंज
213.		देवरिया
214.		पदरौना
215.		बसूती
216.		सिद्धार्थनगर

1	2	3
217.		
	बिहार	
218.		पटना
219.		नालन्दा
220.		भोजपुर
221.		रोहतास
222.		औरंगाबाद
223.		सिवान
224.		मुजफ्फरपुर
225.		चम्पारण (पश्चिमी)
226.		रांची
227.		दरमंगा
228.		मधुबनी
229.		भागलपुर
230.		हाजीपुर
231.		सहरसा
232.		मोतीहारी
233.		पूर्णिया
234.		छपरा
	हरियाणा	
235.		सोनीपत
236.		करनाल
237.		कुरूक्षेत्र
238.		अम्बाला
	हिमाचल प्रदेश	
239.		कांगड़ा
240.		मण्डी
	जम्मू व कश्मीर	
241.		जम्मू
242.		कठुआ

1	2	3
	केरल	
243.		अलप्पुझा
244.		एर्नाकुलम
245.		त्रिचुर
246.		पलक्कड़
247.		मालापुरम
248.		बयानन्द
	नगालैण्ड	
249.		कोहीमा
250.		वोखा
	पंजाब	
251.		जालन्धर
252.		लुधियाना
253.		अमृतसर
254.		गुरूदासपुर
255.		पटियाला
	सिक्किम	
256.		पूर्वी सिक्किम

राष्ट्रीय पुलिस आयोग

3179. **श्री ई. अहमद** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट में देश में पुलिस के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सभी आठ रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रथम रिपोर्ट तथा शेष सात रिपोर्टों की प्रतियां क्रमशः 1 फरवरी, 1980 और 30 मार्च, 1983 को सदन के पटल पर रख दी गयी थी।

चूंकि 'पुलिस' राज्य का विषय है, इसलिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि उन्होंने आयोग की रिपोर्टों का अध्ययन किया है तथा जिस हद तक उपयुक्त समझा गया है उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। केन्द्र सरकार ने भी इस संबंध में उचित कार्रवाई की है।

राज सहायता के भुगतान में विलम्ब

3180. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजसहायता के भुगतान में विलम्ब के कारण कुछ उर्वरक एककों का पूंजी संचरण प्रभावित हुआ है और उर्वरक उद्योग को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उर्वरक उद्योग को विलम्ब से राज सहायता दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) से (ग) नियंत्रित उर्वरकों पर लागू प्रतिधारण मूल्य और राज सहायता योजना (आर पी एस) के अन्तर्गत अधिसूचित दावों का निपटान निर्धारित समय–सारणी के अनुसार किया जाता है। वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों में किया गया 4,300 करोड़ रुपए का प्रावधान आर पी एस की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त था। वर्ष 1996-97 के लिए आर पी एस के तहत 4,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

अनियंत्रित उर्वरकों के लिए उस विशेष शिकायत योजना के बारे में 1996-97 के बजट में पर्याप्त प्रावधान भी किया गया है जो कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। इसमें रियायत की हाल की वृद्धि की मांग तथा पहली अवधियों की बकाया राशि शामिल है।

जाली जाति प्रमाण-पत्र

3181. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यवार किसी जाली जाति प्रमाण–पत्र घोटाले का भण्डाफोड़ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार 'पुलिस' तथा 'लोक व्यवस्था'

राज्य के विषय होने के कारण जाति जाति प्रमाण पत्रों से संबंधित अपराधों सहित अपराध का पंजीकरण, जांच–पड़ताल, पता लगाना तथा रोकथाम करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का काम है। इस प्रकार के अपराध के अलग–अलग मामलों में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना केन्द्र सरकार नहीं रखती है।

साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना

3182. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने तथा अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर पुलिस अधिकारियों को सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। अपने पुलिस अधिकारियों को, जहां आवश्यक हो, विशिष्ट जिम्मेवारी सौंपना, प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का कार्य है। तथापि, साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने और अपराधों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिशा–निर्देश जारी किए हैं। इनमें अन्य बातों के अलावा, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी दिशा निर्देश सम्मिलित हैं।

बागवानी विकास

3183. **श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड और कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्योत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण दीर्घकालिक बागवानी विकास हेतु विभिन्न राज्यों को वित्तपोषण की व्यवस्था कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को राज्य–वार कितनी वार्षिक धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या केरल सरकार ने धनराशि में वृद्धि करने के लिये अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों एजेंसियां राज्यों को निधियों का अग्रिम आबंटन नहीं करती। इसके बदले दीर्घावधिक विकास कार्यकलापों, जिसमें निर्यात भी शामिल हैं, के लिए प्रति परियोजना आधार पर लाभार्थियों को सीधे ही सहायता दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रैकों की आपूर्ति

3184. **श्री काशीराम राणा :**
श्री समीका लाहिरी :
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रैकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं;

(ख) सरकार द्वारा गुजरात में नमक का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के लिए रैकों की आपूर्ति बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ग) इस संबंध में गत वर्ष के दौरान कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) गाड़ी संचलन तथा टर्मिनल परिचालनों के गहन मॉनिटरिंग द्वारा उपलब्ध माल डिब्बा और रेल इंजन संसाधनों का बेहतर उत्पादन करके माल यातायात के संचालन के लिए रेल माल डिब्बा/रैकों की उपलब्धता में महत्त्वपूर्ण वृद्धि की गई है।

(ख) और (ग) इस संबंध में किए प्रयासों के परिणामस्वरूप गुजरात में नकम के लदान में भी महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है, जनवरी–जुलाई 1996 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और आवेदन पत्रों की संख्या भी कम हुई है।

[अनुवाद]

चण्डीगढ़ में वित्त सचिव का रिक्त पद

3185. **श्री सत्यपाल जैन :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में वित्त सचिव का पद कब से रिक्त पड़ा है;

(ख) इस पद को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) निकट भविष्य में कब तक इस पद को भरे जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन वित्त सचिव का पद पिछले आठ महीनों से खाली पड़ा है। इस मामले को मार्च 1996 के प्रारम्भ में संबंधित विभाग के साथ उठाया गया था। इस पद के जल्दी भर दिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

उर्वरकों का उत्पादन

3186. **डा. साहेब राव सुक राम बागूल :**
डा. रमेश चन्द तोमर :
डा. देवी बक्स सिंह :
श्रीमती सुषमा स्वराज :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान् प्रत्येक वर्ष नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के प्रत्येक संयंत्रों में कितनी मात्रा में उर्वरकों का उत्पादन किया गया तथा इन संयंत्रों को कितना लाभ अथवा हानि हुई,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में यूरिया का आयात किया गया तथा इन आयातों पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी, और

(ग) मार्च, 1996 को इनकी प्रत्येक इकाइयों में कितने कर्मचारी नियोजित थे ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) एनएफएल तथा एचएफसी के प्रत्येक संयंत्र द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित उर्वरक की मात्रा में हुई लाभ/हानि इस प्रकार है :

कम्पनी/संयंत्र का नाम	मद	उत्पादन (000 मी.टन) 1993-94	1994-95	1995-96	लाभ/हानि (रु. करोड़) 1993-94	1994-95	1995-96 (अनंतिम)
एनएफएल							
नांगल-I	सीएएन	266.2	206.7	186.51	25.28	21.55	13.15
नांगल-II	यूरिया	351.1	375.5	372.41			
भटिण्डा	यूरिया	511.6	530.3	531.1	12.63	65.24	19.64
पानीपत	यूरिया	516.4	455.0	532.8	19.62	(-) 6.63	2.15
विजयपुर	यूरिया	878.3	819.7	857.9	113.43	123.77	98.56
					170.96x	203.93	133.50
एचएफसी							
नामरूप	यूरिया	189.0	159.0	140.7	(-) 118.35	(-) 154.80	(-) 172.58
दुर्गापुर	यूरिया	40.9	67.0	76.0	(-) 118.86	(-) 126.93	(-) 155.70
बरौनी	यूरिया	22.0	2.8	56.1	(-) 128.11	(-) 126.33)	(-) 138.24)
व्यापारिक कार्यकलाप		-		-	(-) 1.41	-	-
					(-) 366.73	(-) 408.06	(-) 466.52

x कम्पनी अधिनियम की अनुसूचित–XIV के तहत् मूल्यह्रास की दर में परिवर्तन के कारण 268.15 करोड़ रु. का एकमुश्त मूल्यह्रास शामिल नहीं है।

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान आयात किये गये यूरिया की मात्रा तथा इन आयातों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :

वर्ष	आयात की गई मात्रा (लाख टन में)	खर्च की गई विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में
1993-94	27.83	1030.43
1994-95	28.70	1603.62
1995-96	37.82	2840.13

(ग) 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार एनएफएल तथा एचएफसी के प्रत्येक एकक में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

संयंत्र का नाम	कर्मचारियों की संख्या
एनएफएल :	
नांगल	2666
भटिण्डा	1225
पानीपत	1281

1	2
विजयपुर	867
कारपोरेट कार्यालय	266
विपणन	520
योग :	6825
एचएफसी :	
नामरूप	2527
दुर्गापुर	1602
बरौनी	1456
हल्दिया	1507
विपणन	418
एफपीएण्डएआरडी	914
सीपीएलओ	89
कारपोरेट कार्यालय	132
योग :	8645

भारत-ओमान परियोजना

3187. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री काशी राम राणा :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कृभको' के अधिकारियों ने 1993 और अक्टूबर, 1995 के बीच भारत–ओमान परियोजना के संदर्भ में विदेश के 83 दौरे किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(घ) भारत–ओमान समझौते के तहत किस प्रयोजनार्थ इंग्लैंड, जर्मनी एवं इटली का दौरा किया गया था और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त दौरों का औचित्य क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्तिम विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण हो गई है। परियोजना से संबंधित विभिन्न करारों पर विभिन्न स्तरों पर विचार–विमर्श किया गया है और इन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) तथा राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर सी एफ) के अधिकारियों ने इंजीनियरिंग अधिप्राप्ति तथा निर्माण (ई पी सी) के बोलीदाताओं को किसी बोली के मुआवजे के लिए जोर दिए बिना एकमुश्त टर्न की आधार पर ओमान इंडिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट की स्थापना करने हेतु अपने विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के वास्ते राजी करने के लिए जर्मनी, इटली और यू.के. का दौरा किया था। दो बोलीदाता जर्मनी तथा इटली के हैं जबकि तीसरा बोलीदाता जो यू.एस.ए. का है, प्रवर्तकों से लंदन, यू.के. में मिलने के लिए सहमत हो गये थे। कृभको, आर सी एफ तथा भारत सरकार के अधिकारियों ने भी संयुक्त प्रबन्ध समिति की लंदन में हुई पांचवीं बैठक में भाग लेने हेतु यू.के. का दौरा किया।

(ङ) इन विचार विमर्शों तथा ओमान आयल कम्पनी द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप इन तीनों ई पी सी बोलीदाताओं से, उनकी प्रत्येक की लगभग 1.00 मिलियन अमरीकन डालर की प्रारम्भिक मांग के अनुसार कोई मुआवजा भुगतान किए बिना, विस्तृत पेशकश प्राप्त करना सम्भव हुआ था।

(च) ये दौरे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेने के पश्चात् ही किए गए थे।

[अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा

3188. **री माधव राव सिंधिया :**
श्री पिनाकी मिश्र :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री अनन्त कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन ने 3 जून, 1996 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जिसका उद्देश्य इस बात का अध्ययन करना था कि भारत में पंचायती राज प्रणाली खाद्य सुरक्षा वितरण तंत्र में कितनी सहायक रही है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मुख्य टिप्पणियां और सुझाव क्या हैं और उस अध्ययन के निष्कर्ष क्या निकले;

(ग) क्या खाद्य और कृषि संगठन ने पंचायत स्तर खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) श्री चतुरानन मिश्र) : (क) खाद्य व कृषि संगठन द्वारा रोम में नवम्बर, 1996 में

आयोजित किये जा रहे विश्व खाद्य सम्मेलन के पूर्व बैठक करने के लिए 2-3 जुलाई, 1996 को नई दिल्ली में 'पंचायती राज–खाद्य सुरक्षा का मूल" विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में अन्य बातों के साथ–साथ खाद्य सुरक्षा के लिए एक प्रभावी वितरण तन्त्र के रूप में काम करने के लिए पंचायती राज प्रणाली का विकास करने के उपाय सहित खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार के लिए प्रासंगिक विकल्पों पर विचार–विमर्श किया गया।

(ख) इस सम्मेलन का प्रेक्षण था कि पंचायतें और स्थानीय स्व–शासी संस्थायें भारत में घरेलू स्तर की खाद्य व पोषक सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और इसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :

(1) वित्तीय संसाधनों का उपयुक्त आबंटन करके पंचायतों को शक्तिशाली बनाना

(2) खाद्य सुरक्षा हेतु ग्राम स्तरीय आयोजना हेतु पंचायतों को सक्षम बनाना

(3) सूक्ष्मस्तरीय आयोजना के जरिये स्थायी खाद्य उत्पादकता पर जोर देते हुए पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को शिक्षित करना तथा उन्हें प्रशिक्षण देना।

(4) छोटे और सीमान्त किसानों, कामगारों की दक्षता का विकास करना, उचित लागत प्रभावी अनुसंधान, स्थानीय कृषि इतर आय/रोजगार सृजन कार्यकलापों आदि का प्रवर्धन।

(ग) और (घ) स्थानीय स्तर के ग्राम पंचायतों के अधीन स्वावलम्बी तंत्रों के जरिये कार्यनीति के विकास पर लक्षित परियोजना प्रस्ताव 196000 अमरीकी डालर की तकनीकी सहायता की मांग करते हुए खाद्य एवं कृषि संगठन को प्रस्तुत किया गया है, ताकि निर्धन वर्ग के लिए खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह प्रस्ताव खाद्य और कृषि संगठन के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

पक्षियों का अवैध व्यापार

3189. **कुमारी उमा भारती :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के लागू होने के बावजूद पक्षियों का अवैध व्यापार तेजी से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) यद्यपि पक्षियों के अवैध व्यापार के कुछ मामलों का समय पर पता लगाया गया है, किन्तु यह सच नहीं है कि वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रवर्तन के बावजूद यह व्यापार तेज गति से चल रहा है।

(ग) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पक्षियों को पकड़ना या मारना वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत निषिद्ध है। तथापि, ऐसे पक्षियों का, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत राज्य मुख्य वन्यजीव वार्डन से उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त करके व्यापार किया जा सकता है जिनका प्रजनन बन्दी अवस्था में किया गया हो और जो वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

वास्को-लोंडा रेल मार्ग का आमान-परिवर्तन

3190. **श्री चर्चिल अलेमाओ :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण–मध्य रेल के अन्तर्गत वास्को–लोंडा के बीच छोटी लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने संबंधी विस्तार और आमान परिवर्तन का कार्य अक्तूबर, 1996 के अंत तक पूरा हो जायेगा;

(ख) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने गोवा से क्रमशः बेलगांव अथवा हुबली की गाड़ियों से यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों की परेशानी दूर करने अथवा कम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय का विचार उपरोक्त कार्य के पूरा होने तक गोवा में यात्रा करने वाले इन यात्रियों को विशेष सुविधाएं देने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) लोंडा–कासलराक खण्ड का पहले ही बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन किया जा चुका है और 22.6.95 को यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है। कासलराक–वास्को के शेष खण्ड का आमान परिवर्तन शुरू किया गया है और इसके 31.3.97 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है कुछ ठेकेदारों द्वारा टेंडरों को अंतिम रूप देने के विरुद्ध स्थगन लेने, जून से सितम्बर तक भारी वर्षा होने और प्रमुख पुल की गांव में अप्रत्याशित समस्याओं के कारण विलम्ब हुआ। कासकराक और वास्को के बीच आमान–परिवर्तन कार्य के पूरा होने से यात्रियों को गोवा तक और गोवा से बस द्वारा यात्रा करनी पड़ेगी।

(घ) जी, नहीं।

जम्मू में कृषि विश्वविद्यालय

3191. **श्री मंगत राम शर्मा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू प्रभाग की जनता की ओर से जम्मू जिले के आर.एस. पुरा में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की गई है;

(ख) क्या आर.एस.पुरा में कृषि महाविद्यालय पहले से ही स्थित है और वहां कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये आधारभूत ढांचा भी उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो वहां कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां। कृषि मंत्रालय इसकी स्थापना के लिए सिद्धांत रूप में सहमत है तथा प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है।

(ख) जी, हां। शेरे–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के तहत एक कृषि महाविद्यालय आर. एस. पुरा, जम्मू में कार्य कर रहा है। तथापि, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य का विषय है।

नारियल का विकास

3192. **प्रो. पी. जे. कुरियन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल बोर्ड ने वर्ष 1996-97 के लिए नारियल के विकास हेतु नई योजनाएं तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे परियोजनाएं

3193. **श्री प्रमथेस मुखर्जी :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जुलाई, 1996 के 'स्टेट्समैन' में रेलवेज हिट वाई ट्विन क्रंच' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या पैट्रोल उत्पादों तथा राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा बिजली शुल्क में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप रेलवे की विभिन्न परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि ईंधन की कीमतों में हुई वृद्धि के लिए पहले से ही आवश्यक बजट प्रावधान है अतः 1996-97 के रेल बजट में सम्मिलित विभिन्न रेल परियोजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना नहीं है।

पशु-मनुष्य अनुपात

3194. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पशुधन में लगातार कमी के कारण पशु–मनुष्य अनुपात 1951 में 430 प्रति हजार मनुष्य से घटकर 1981 में 278 प्रति हजार मनुष्य हो गया और यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो वर्ष 2001 तक इसे 20 प्रति हजार मनुष्य तक पहुंच जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके घटने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इसके लगातार घटने पर अंकुश लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी नहीं। पशुधन में कोई ह्रास नहीं हुआ है। तथापि, पशु संख्या की तुलना में मानव जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर के कारण गोपशु तथा जनसंख्या का अनुपात घट रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि गोपशु संख्या में कोई गिरावट नहीं हो रही है।

रेलवे में उच्च प्रशासनिक ग्रेड के पद

3195. **श्री संदीपान थोरात :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक साल की सेवा शर्त पूरी न करने तथा निर्धारित मानदंड पूरा न कर पाने के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारियों को उच्च प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति से वंचित कर दिया गया; और

(ख) सरकार का इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 1995-96 में 7300-7600 रु. के ग्रेड में पैनल पर न रखे गए 52 अधिकारियों में से 5 अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि 7300-7600 रु. के ग्रेड में पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए आरक्षण नहीं है और ऐसी पात्रता शर्तें और और निष्पादन का मानदंड सभी पर एक समान रूप से होता है।

[हिन्दी]

पशुवध के लिए लाइसेंस

3196. **श्री किशन लाल दिलेर :** क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में छेरट में एग्रो इंडिया फैक्ट्री को पशुवध के लिए लाइसेंस जारी कर दिया है जिससे जिले में प्रदूषण, खतरनाक बीमारियां फैलेंगी;

(ख) क्या सरकार को इसके विरोध में पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) पशु वध की अनुमति राज्य कानूनों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। अलीगढ़ जिले में छेरट स्थित शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक की स्थापना करने के लिए उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक औद्योगिक और निवेश निगम लिमिटेड के साथ मैसर्स हिंद एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम परियोजना को औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय द्वारा दिया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में वाहनों पर किया गया चालान

3197. **श्री रामटहल चौधरी :**

श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में कितने वाहनों का चालान किया गया;

(ख) इन चालानों से कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान अनधिकृत रूप से खड़े किये गये वाहनों को उठा कर ले जाने पर कुल कितना खर्च किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	चालान किए गए वाहनों की संख्या	वसूल की गई जुर्माने की राशि
1994	14,03,533	12,18,44,774 रुपये
1995	13,28,300	11,11,50,200 रुपये

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

पुष्प कृषि केन्द्र

3198. **श्री टी. गोपाल कृष्ण :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में पुष्प कृषि हेतु अधिक संख्या में विदेशी सहयोग को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद में एक आदर्श पुष्प कृषि केन्द्र को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसपर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वाणिज्यिक पुष्प कृषि की केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य में 57.50 लाख रुपये की कुल लागत से एक आदर्श पुष्प कृषि केन्द्र (मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर) की स्थापना करने के लिये भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह केन्द्र इस राज्य में पुष्प कृषि के विकास के लिये एक केन्द्रीय इकाई के रूप में काम करेगा और उन्नत किस्मों की अच्छी पौधरोपण सामग्री का संकलन, बहुलीकरण और वितरण करेगा, नई प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन आयोजित करेगा, पुष्प कृषि के उत्पादन तथा कटाई के उपरान्त के प्रबन्ध से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में किसानों/उद्यमियों को प्रशिक्षण देगा।

बड़ी लाइन में परिवर्तन

3199. **श्री के. सी. कोंडय्या :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी दो वर्षों के दौरान होस्पेट–गुंतकल मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त लाइन को बड़ी लाइन में कब तक परिवर्तित कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां, मौजूदा मीटर आमान लाइन के परिवर्तन द्वारा गुंतकल–होसपेट खंड

के दोहरीकरण को वर्ष 1996-97 के बजट में सम्मिलित किया गया है।

(ख) 105.77 करोड़ रुपये।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कार्य के नौवीं योजना अवधि में पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

कीटनाशकों का उपयोग

3200. **श्री नंद कुमार साय :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप मनुष्य की रोधक क्षमता नष्ट हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां, कुछ राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों से पता चला है कि कीटनाशकों का इस्तेमाल करने और मानव जाति की प्रतिरक्षण प्रणाली के बीच संभावित संबंध है जिसकी वजह से प्रतिरोध क्षमता में कमी आ जाती है।

(ख) और (ग) जी, हां। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग पर निर्भरता में कमी लाने के लिए सरकार फसल कीटों पर नियंत्रण करने के लिए समेकित कीट प्रबंध को बढ़ावा दे रही है। समेकित कीट प्रबन्ध प्रणाली प्राकृतिक जैव नियन्त्रण क्षमता के दोहन पर बल देती है जिसमें संवर्धनात्मक यान्त्रिक जैसी गैर रासायनिक पद्धतियां, नीम आधारित कीटनाशकों तथा जैवनाशकों जैसी वनस्पतियों का उपयोग शामिल है। पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनुकूल इस समेकित कीट प्रबंध कार्यक्रम को आठवीं योजना अवधि के दौरान 45 करोड़ रुपये के परिव्यय से शुरू किया जा रहा है। अब तक 12,245 कृषि विस्तार अधिकारियों तथा 77,556 कृषकों को समेकित कीट प्रबन्ध कुशलता हासिल हुई है जिसके फलस्वरूप देश में कीटनाशकों के उपयोग की प्रवृत्ति में कमी आई है।

रेल मार्ग पर बाधा

3201. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994 के दौरान कोसी नदी में बाढ़ के कारण रेल मार्ग को क्षति पहुंचने के कारण निर्माली–भाप्तीपाही रेल मार्ग पर रेल सेवाएं अव्यवस्थित रहीं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) यात्रियों की कठिनाइयां दूर करने के लिये क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) लाइन के पुनःस्थापन के लिए सर्वेक्षण कराने का निर्णय किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर परियोजना के बारे में आगे विचार करना संभव होगा।

[अनुवाद]

घटिया किस्म के उर्वरक

3202. **श्री दादा बाबूराम परांजपे :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के जबलपुर में किसानों ने व्यापारियों द्वारा घटिया किस्म के उर्वरकों की बिक्री किये जाने के बारे में आक्रोश व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो घटिया किस्म के उर्वरकों की बिक्री में लिप्त व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने और किसानों को उन्नति किस्म के उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं। हालांकि गुणवत्ता नियंत्रण की नियमित रूप से की जा रही निगरानी के दौरान जबलपुर के कुछ स्थानीय व्यापारियों के पास निम्न स्तर के फास्फेट और डी.ए.पी. का कुछ भण्डार मिला था।

(ख) राज्य प्राधिकारियों ने 26.6.1996 के स्थानीय समाचार पत्रों में एक अपील प्रकाशित की थी कि गलत स्थानीय वितरकों से निम्न स्तर के उर्वरकों की खरीद न करें। निम्न स्तर के भण्डार को प्रतिबंधित कर दिया गया है और ऐसे वितरकों का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अपने गुणवत्ता नियंत्रण प्रवर्तन अधिकारियों की गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का कड़ाई से पालन करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।

औषधियों को विनियंत्रित करना

3203. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री संतोष मोहन देव :

क्या **उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नीस वल्क औषधियों को नियंत्रण मुक्त किये जाने

संबंधी मुद्दे का निराकरण करने हेतु सरकार द्वारा गठित समिति ने विचारार्थ विषयों में परिवर्तन किये जाने का अनुरोध किया है ताकि मूल्य–नियंत्रण संबंधी मानदण्ड सभी औषधियों पर समानरूप से लागू हो सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस अनुरोध पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) समिति द्वारा रिपोर्ट कब तक सौंप दिये जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) समिति, जिसकी नियुक्ति औषधों को कीमत नियंत्रण में शामिल करने/बाहर निकालने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों से संबंधित मामलों को देखने के लिए सरकार द्वारा की गई थी, ने विचारार्थ विषयों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) फिलहाल, समिति का कार्यकाल 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतर्गत डेयरी परियोजनाएं

3204. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा चलाई जा रही राज्यवार परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) बोर्ड द्वारा डेयरी विकास के लिए प्रत्येक राज्य में सहकारी समितियों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या बोर्ड का देश के विभिन्न भागों में और डेयरी परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए प्रस्तावित स्थान कौन–कौन से हैं तथा प्रत्येक पर कितनी राशि खर्च की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डेयरी विकास के लिए ऑपरेशन फ्लड–3 परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा था। यह परियोजना दिनांक 31.12.1995 को बंद हो चुकी है परन्तु दिनांक 31.12.1995 तक किए गए व्यय के लिए विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति दिनांक 30.4.1996 तक प्राप्त होती रही थी।

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऑपरेशन फ्लड–3 परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण, विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा देश में अतिरिक्त डेयरी परियोजनाओं का वित्त–पोषण प्रत्येक प्रस्ताव के गुण–दोष के आधार पर उनके अपने संसाधनों से दिया जायेगा। इस समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

विवरण

ऑपरेशन फ्लड-3 परियोजना के अंतर्गत राज्यवार निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	संस्थान वर्ष	1993-94	1994-95	1995-96
1.	*अंडमान निकोबार	0.44	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	994.78	426.11	457.86
3.	असम	0.21	0.09	0.00
4.	बिहार	191.73	191.39	104.35
5.	दिल्ली	89.27	341.84	1,123.26
6.	गोवा	55.76	24.07	25.42
7.	गुजरात	14,014.86	7,958.09	6,305.35
8.	हरियाणा	557.62	373.34	199.08
9.	हिमाचल प्रदेश	6.51	5.22	49.82
10.	कर्नाटक	1,097.67	508.76	979.24
11.	केरल	327.09	240.25	401.10
12.	जम्मू और कश्मीर	4.02	0.02	2.09
13.	मध्य प्रदेश	46.64	(42.43)	461.22
14.	महाराष्ट्र	46.87	178.62	2,339.12
15.	*मणिपुर	0.00	0.00	0.00
16.	*मिजोरम	0.44	0.00	0.00
17.	*नागालैंड	0.53	0.91	0.00

* ये राज्य ऑपरेशन फ्लड में शामिल नहीं किए गए थे। तथापि, मानवशक्ति विकास, किसानों को शामिल करने वाला कार्यक्रम तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों पर कुछ व्यय किया गया था।

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	45.56	68.69	137.75
19.	पाण्डिचेरी	13.01	0.85	34.23
20.	पंजाब	273.74	182.09	362.05
21.	राजस्थान	642.43	356.55	492.18
22.	*सिक्किम	0.72	0.07	0.10
23.	तमिल नाडु	1,754.29	569.87	596.66
24.	*त्रिपुरा	0.60	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	1,219.67	1,861.67	2,371.73
26.	पश्चिम बंगाल	1,707.90	2,658.61	1,566.56

* ये राज्य ऑपरेशन फ्लड में शामिल नहीं किए गए थे। तथापि, मानवशक्ति विकास, किसानों को शामिल करने वाला कार्यक्रम तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों पर कुछ व्यय किया गया था।

[अनुवाद]

उर्वरकों के उत्पादन हेतु कच्चा माल

3205. **श्री हरिन पाठक** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष सहित आगामी तीन वर्षों के लिए रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए कितने कच्चे माल की आवश्यकता है;

(ख) क्या इसे उचित मूल्यों और राष्ट्र के लिए लाभप्रद शर्तों पर प्राप्त किया जाता है;

(ग) क्या सस्ती दर पर कच्चे माल खरीदने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कोई दीर्घकालिक व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) चालू वर्ष सहित अगले तीन वर्षों के लिए रसायन उर्वरकों के उत्पादन हेतु कच्चे माल की अनुमानित आवश्यकता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) उर्वरकों के उत्पादन में उपयोग हेतु तरल पैट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति रियायती दर पर की जाती है। फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए आयातित कच्चा माल तथा मध्यवर्ती अवरणीबद्ध हैं और संबंधित कम्पनियों द्वारा अपने वाणिज्यिक अनुमान के आधार पर प्राप्त किया जाता है।

विवरण

उर्वरकों के निर्माण के लिए अपेक्षित कच्चा माल

लाख टन/एमएमएससीएमडी

क्र.सं.		1996-97	1997-98	1998-99
1.	नेपथा	32.77	47.94	54.91
2.	ईंधन तेल/एलएसएचएस	28.60	30.37	29.14
3.	गैस (एमएमएससीएमडी)	30.00	32.38	33.22
4.	अमोनिया	8.50	7.32	7.76
5.	फास. एसिड	16.00	17.08	18.08
6.	रॉक फास्फेट	30.85	40.63	44.00
7.	सल्फर	13.35	14.40	15.79

[हिन्दी]

टर्मिनल सुविधाओं का आधुनिकीकरण

3206. **श्री सुखलाल कुशवाहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "टर्मिनल सुविधाओं" एवं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का विस्तार करने एवं उन्हें आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक पूरा किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्व दिशा से आने वाली एवं उस ओर जाने वाली गाड़ियों के लिये गाजियाबाद में ठहरने की व्यवस्था करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त स्टेशन पर गाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) इस कार्य को मार्च, 1997 तक पूरा करने की योजना है।

(ग) और (घ) इस समय पूर्व दिशा अर्थात् हापुड़ और खुर्जा, की ओर जाने वाली तथा आने वाली कुल 69 गाड़ियां गाजियाबाद में ठहरती हैं, इस स्टेशन पर और अधिक गाड़ियों को ठहराव देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वन्यप्राणियों से खतरा

3207. **श्री राजकेशर सिंह** :
श्री ललित उरांव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषतः उत्तर प्रदेश तथा बिहार से नीलगायों, जंगली हाथियों तथा अन्य वन्यप्राणियों से जान–माल तथा खड़ी फसलों के नुकसान संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जंगली जानवरों से बचाव तथा मनुष्यों, मवेशियों तथा फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) वन्यजीवों द्वारा जान, माल और खड़ी फसल को पहुंचाई गई क्षति के बारे में निम्नलिखित राज्यों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

महाराष्ट्र (जंगली सूअर), पंजाब (जंगली सुअर) राजस्थान (नीलगाय), हरियाणा (जंगली सुअर, नील गाय), उत्तर प्रदेश (नीलगाय, बंदर, हिरण, तेंदुआ, भेड़िया और जंगली हाथी), मध्य प्रदेश (नीलगाय, जंगली सुअर, स्लाथ भालू और जंगली हाथी), गुजरात (नीलगाय), हिमाचल प्रदेश (बंदर, तेंदुआ), आन्ध्र प्रदेश (जंगली हाथी), असम (जंगली हाथी), कर्नाटक (जंगली हाथी), बिहार (जंगली हाथी), अरूणाचल प्रदेश (जंगली हाथी, तमिलनाडु (जंगली हाथी) और मेघालय (जंगली हाथी), केरल (जंगली हाथी) पश्चिम बंगाल (जंगली हाथी)।

(ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची–1 में शामिल वन्यजीवों को छोड़ कर लोगों की जानमाल की सुरक्षा करने के लिए समस्या पैदा करने वाले पशुओं से निपटने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम की धारा 11(1) (ख) और 11(1) (क) के तहत वन्यजीवों द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाए जाने की समस्या के बारे में कार्रवाई करें। जंगली हाथियों के मामले में विद्युत बाड़ लगाने, हाथी रोधक खाइयां बनाने आदि के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि समस्याग्रस्त क्षेत्रों में हाथियों को वनों से बाहर आने से रोका जा सके।

[अनुवाद]

कृषि को उद्योग का दर्जा

3208. **श्री रमेश कुमार एम. कनोडिया :**
कुमारी फ्रिडा टोपनो :
प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर' :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि को उद्योग का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) कृषि नीति संकल्प के प्रारूप में कृषि को वही लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान है जो अभी उद्योग को प्राप्त हैं। इसमें मूल्य संरचना एवं व्यापार व्यवस्था की लगातार समीक्षा के माध्यम से उद्योग के समान कृषि क्षेत्र में भी सकारात्मक व्यापार तथा निवेश वातावरण का सृजन करना शामिल होगा। तथापि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसानों को सरकार की विनिमय तथा कर संग्रहण मशीनरी से अलग रखा जाए। संसद सदस्यों एवं सकरार के संबंधित मन्त्रालयों/विभागों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए कृषि नीति प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

आमान परिवर्तन

3209. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के रेवाड़ी–लोहारू–सादुलपुर–रतनगढ़–डेगाना सैक्शन के आमान परिवर्तन हेतु किये जा रहे सर्वेक्षण को कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(ख) उपरोक्त छोटी लाइन सैक्शन को कब तक बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाएगा और यात्री यातायात के उपयोग के लिये खोल दिया जाएगा;

(ग) क्या अभी मार्ग बदल कर चलने वाली जोधपुर मेल पूर्व में चार दशकों तक इसी सैक्शन पर चलती थी;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त सैक्शन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के बाद पुनः इसी सैक्शन पर जोधपुर मेल गाड़ी चलाई जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेवाड़ी–लोहारू–सादुलपुर–रतनगढ़ डेगाना मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है और जून, 1997 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर इस परियोजना पर ओग की कार्रवाई संभव होगी।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) इस पर उस समय गुण–दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

विशेष रेलगाड़ी को शुरू किया जाना

3210. **श्री पी. एस. गढ़वी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान तथा गुजरात के पर्यटक केन्द्रों के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने के संबंध में 'मैसर्स स्टर्लिंग हालिडे रिसोर्टस (इंडिया) के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) भारतीय रेलों ने मैसर्स स्टर्लिंग हालीडे रिसोर्ट (इंडिया) लि. के साथ दो पर्यटक गाड़ी चलाने के संबंध में एक करार किया है जिसमें से एक रॉयल इंडियन (उत्तर) नामक गाड़ी दिल्ली जयपुर–आगरा–ग्वालियर–झांसी (खजुराहो) वाराणसी–लखनऊ–दिल्ली के बीच तथा दूसरी रॉयल इंडियन (दक्षिण) नामक गाड़ी बैंगलूरू–मैसूर–मद्रास–कोडाईकनाल रोड–कन्याकुमारी–तिरूवनन्तपुरम–कोचीन–मेट्टुपालयप (ऊटी)–बैंगलूरू के बीच चलेंगी।

जैव ईंधन के कारण वायु प्रदूषण

3211. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने में जैव–ईंधन के प्रयोग के कारण वायु प्रदूषण अत्यधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों के वायु प्रदूषण की मात्रा के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर लकड़ी, गोबर के उपले, फसल की भूसी और जैव–गैस जैसे जैव–ईंधनों का प्रयोग किया जाता है वहां पर वायु प्रदूषण की प्रकृति और उसकी मात्रा, प्रयुक्त ईंधन की प्रकृति और गुणवत्ता, चूल्हों का डिजाइन, रोशनदान प्रणाली आदि पर निर्भर होता है। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीच्यूट तथा अन्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर अनेक अध्ययन किए गए हैं परन्तु इस प्रकार के सभी अध्ययन सीमित स्वरूप और छोटे आकार के सैम्पल तक सीमित हैं। खाना बनाते समय धूलकणों तथा कार्बन मोनोक्साइड के सम्मिश्रण के स्तर (व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संघ) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्धारित प्रारंभिक सीमित मूल्यों से अधिक नहीं पाए गए हैं।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों सहित वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं :

1. सरकार उन्नत चूल्हे पर राष्ट्रीय कार्यक्रम और जैव गैस विकास पर राष्ट्रीय परियोजना नामक दो केन्द्रीय स्तर की योजनाएं चालू कर रही है जो कि परिवार आकार के जैव–गैस संयंत्रों का प्रबंध करती है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में इन उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता और अन्य प्रोत्साहन दे रही है।
2. विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख प्रदूषक तत्वों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं।
3. सामान्य पर्यावरणीय जागरूकता अभियान चलाया गया है।

भारतीय कारागार अधिनियम, 1894

3212. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारतीय कारागार अधिनियम, 1894 के उपबंधों में परिवर्तन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में कोई विधेयक तैयार करके केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विधेयक पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस विधेयक के कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) जेल प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन लाने के लिए सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विधेयक की संभावित विषय वस्तु पर आपस में बातचीत कर रहे हैं।

रेलवे में हाकी के जनजातीय खिलाड़ी

3213. **कुमारी फ्रिडा तोपनों :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के हाकी जनजातीय क्षेत्र के खिलाड़ियों ने मंत्रालय के लिए ख्याति अर्जित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनजातीय क्षेत्रों में छिपी हुई प्रतिभा का पता लगाने हेतु एस्ट्रो टर्फ सुविधायुक्त हाकी एकेडमी स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन हेतु रेलवे के बोंडामुंडा में पड़ी सैकड़ों एकड़ अप्रयुक्त भूमि का उपयोग करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रेल हाकी टीम में जनजातीय खिलाड़ी भी शामिल हैं जो अच्छा प्रदर्शन

कर रहे हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जनजातीय क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में खेलकूद के विकास संबंधी कार्य रेलों की परिधि में नहीं आते हैं।

झींगा पालन से पर्यावरणीय क्षति

3214. **श्री अनन्त कुमार हेगड़े** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मई, 1996 के 'दि इकानॉमिक टाइम्स' में 'प्रान हंगरी वेस्ट ड्राइविंग डिस्ट्रक्शन इन एशिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या झींगापालन से देश के पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है तथा कृषि भूमि को घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार झींगा पालन के लिए सतत, पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक दृष्टि से स्वीकार्य पद्धतियों को अपना कर पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। खेती के अयोग्य भूमि पर तालाबों का निर्माण करके ही झींगा पालन की अनुमति है। झींगा पालन के लिए कृषि भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है और ऐसा करने के लिए इस समय उच्चतम न्यायालय ने भी मना किया है।

भारत में 12 लाख हैक्टेयर के अनुमानित खारे जल क्षेत्र में से इस समय लगभग 1.44 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में झींगा पालन की सूचना मिली है। इस क्षेत्र के 75% से भी अधिक अर्थात् लगभग 1.08 लाख हैक्टेयर का क्षेत्र पारम्परिक/गहन खेती वाला क्षेत्र है और शेष 36000 हैक्टेयर क्षेत्र में आशोधित गहन/अर्धगहन झींगा पालन किया जाता है। यह भी अनुमान है कि भारत में 1993-94 की स्थिति के अनुसार झींगा पालन का कुल वार्षिक उत्पादन लगभग 84000 टन था। आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक के उन क्षेत्रों में कुछ पर्यावरणीय अवक्रमण की खबरें हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में झींगा पालन होता है।

(घ) सरकार वैज्ञानिक पद्धतियों के तहत झींगा पालन की गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है ताकि कोई सम्भावित प्रतिकूल असर न पड़े। राज्य सरकारों को दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि के रूप में सतत जल जीव विकास, अपशिष्ट जल का शोधन, 40 हैक्टेयर से ऊपर की इकाइयों के नियोजन स्तर पर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन शामिल है ताकि रसायनों के प्रयोग से बचा जा सके और मृदा तथा जल प्रबन्धन पद्धतियों में समग्र सुधार हो सके।

[हिन्दी]

धनबाद रेल मंडल में उच्च विद्यालय

3215. **श्री ललित उरांव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबांद के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बहुल तथा पिछड़ा क्षेत्र होने के बावजूद पूर्व रेलवे के धनबाद रेल मंडल में कोई भी उच्च विद्यालय नहीं है;

(ख) क्या धनबाद रेल मंडल के स्थानीय लोग बरवाडीह में एक उच्च विद्यालय खोलने की काफी दिनों से मांग कर रहे हैं;

(ग) क्या कलकत्ता के जोनल मुख्यालय से इस संबंध में सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और उसे सिर्फ रेलवे बोर्ड की स्वीकृति का इंतजार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय विद्यालय धनबाद (कक्षा 12 तक) और पतरातू (कक्षा 10 तक) की रेलवे कालोनियों में कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (घ) बरवाडीह में रेलवे माध्यमिक विद्यालय के 10वीं कक्षा तक उन्नयन के संबंध में पूर्व रेलवे से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। बरवाडीह में उपलब्ध पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाओं को देखते हुए, रेलवे माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल में उन्नयन औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

चामुंडी पहाड़ियों का पर्यावरणीय विकास

3216. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे सरकार ने मैसूर में चामुंडी पहाड़ियों के पर्यावरणीय विकास के लिए 2.50 करोड़ रुपए के अनुदान देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अनुदान से विकास कार्य को आरम्भ करने का विचार है;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त अनुदान के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा कोई अन्य वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनधिकार शिकार

3217. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अनधिकार शिकार करने के मामले में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या विदेशी घुसपैठियों द्वारा कीमती लकड़ी, मगरमच्छ, दुर्लभ लाल मूंग अवैध रूप से ले जाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस तरह की मुठभेड़ों की तिथियों सहित पकड़ी गई नौकाओं/जहाजों तथा व्यक्तियों की राष्ट्रवार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वन्यजीव प्राधिकारियों ने रिपोर्ट दी है कि यद्यपि विदेशी नागरिकों के साथ–साथ विदेशी नौकाएं और जहाज यदाकदा पकड़े जाते रहे हैं किन्तु उनको न तो चोरी–छिपे शिकार करने का दोषी पाया गया और न ही उनके पास कोई इमारती लकड़ी, मगरमच्छ या दुर्लभ लाल मूंगा पाया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विदेशी घुसपैठियों से निपटने के लिए वन और वन्यजीव प्राधिकारी तटरक्षक, नौ सेना और स्थानीय पुलिस की सहायता ले रहे हैं।

[हिन्दी]

कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान

3218. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा तिलहनों तथा दलहनों की नई संकर किस्म के बीज विकसित करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कृषि के क्षेत्र में प्राप्त की गयी विशिष्ट उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) पिछले पांच वर्षों में अरहर की संकर किस्मों के विकास में सफलता प्राप्त की गई है। अल्पावधि में तैयार होने वाली दो संकर किस्में यानी तमिलनाडु के लिए सी.ओ. एच–1 तथा पंजाब के लिये पी. पी.एच.–4 खेती के लिए जारी की गई हैं। मध्यावधि तथा दीर्घावधि वाली अरहर संकरों के विकास के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

तिलहनों के संबंध में सूरजमुखी की (के.बी.एस.एच–1, पी.के.वी.एस. एच–17, ए.पी.एस.एच–11, पी.एस.एफ.एच–67 टी.एन.ए.यू.एस.यू.एफ. –7), अण्डी की (डी.सी.एच–30, एस.बी.एच–145, जी.ए.यू.सी.एच.–4) तथा गोभी सरसों की (जी.एस.एल.एच–51) उन्नत संकर किस्में विकसित की गई हैं।

संकरों के अलावा, पिछले पांच वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जैविक तथा अजैविक दोनों स्थितियों में उगने वाली दालों की 45 अधिक उपज देने वाली किस्में तथा तिलहनों की 60 किस्में विकसित की गई हैं तथा खेती के लिए जारी की गई हैं। इनमें अरहर की 10, चने की 12, मूंग तथा उड़द की 13, मूंगफली की 13, ब्रासिका की 9, तिल की 10 तथा सोयाबीन आदि की 10 किस्में शामिल हैं।

(ख) **चावल और गेहूं**–विभिन्न बारानी परिस्थितियों में उगाने के लिए विभिन्न किस्मों और सिंचित परिस्थितियों के लिए पांच संकरों को पहली बार विकसित किया गया है। स्थानीय किस्मों की तुलना में सुधरी बारानी चावल की किस्मों से 40-50% अधिक पैदावार मिलती है जबकि संकरों से बढ़िया किस्मों के मुकाबले एक टन प्रति हैक्टेयर ज्यादा पैदावार मिलती है। इस वर्ष संकर चावल के क्षेत्र में 5,0000 हैक्टर की वृद्धि हुई है। उत्तरी पश्चिमी समतल क्षेत्रों में गेहूं की रतुआ ग्राही किस्में जैसे एच.डी.–2329 और एच. डी–2385 के स्थान पर यू.पी.–2338 को उगाया गया तथा रोग–ग्राही सोनालिका की जगह सोनाली आदि किस्में उगाई गई हैं।

मोटे अनाज–मोटे अनाजों के मामले में, क्षेत्र में तेजी से कमी आने के बावजूद भी उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है जिसके कारण उत्पादन में पर्याप्त रूप में वृद्धि हुई है। ऐसा ज्वार से अधिक पैदावार देने वाले संकरों जैसे सी.एस. एच–13 आर, सी.एस.एच.14 सी.एस.ए. 15 आर के उगाने के कारण हुआ है।

दालें–अरहर की अल्प अवधि में तैयार होने वाली किस्मों और संकरों के प्रजनन और चना, मूंग, उड़द, मटर और मसूर की बहु–रोग रोधी किस्मों और संकरों के प्रजनन पर अधिक बल दिया गया। सुधरी किस्मों को बड़े पैमाने पर अपनाने से उत्पादन में पर्याप्त रूप में बढ़ोतरी हुई है जो कि पिछले पांच वर्षों के दौरान बढ़कर एक मिलियन टन हो गई है और उत्पादकता 555 कि.ग्रा/है. से बढ़कर 601 कि.ग्रा./है. हो गई है।

तिलहन–पिछले पांच वर्षों के दौरान तिलहन उत्पादन में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। सोयाबीन का उत्पादन जो वर्ष 1990-91 में 2.0 मि.ट. था वह बढ़कर वर्ष 1994-95 में 4.0 मि.ट. हो गया। इससे देश को वर्ष 1993-94 में खाद्य तेल के निर्यात से 15,000 मिलियन रु. की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई तथा देश में तिलहन उत्पादन स्थित हो गया है।

अरहर, सूरजमुखी, रबी मक्का, रबी ज्वार, अण्डी, गोभी सरसों, टमाटर, बन्दगोभी तथा कपास की व्यावसायिक संकर किस्में उपलब्ध करायी गयी हैं।

[अनुवाद]

दुर्लभ बटेर

3219. **श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 1996 के "द संडे टाइम्स आफ इंडिया" में "रेअर क्वैल साइटेड इन उत्तर प्रदेश हिल्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर क्या है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार दिल्ली वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा उत्तर प्रदेश की नैनी पहाड़ियों में पैदल यात्रा के समय पहाड़ी बटेर का एक झुण्ड दिखाई देने के एक दावे के बारे में है। इस मामले को राज्य सरकार को भेजा गया था और उत्तर प्रदेश के वन्यजीव प्राधिकारियों ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने संबंधित व्यक्तियों से पहाड़ी बटेर दिखाई देने के दावों को सत्यापित करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में कार्यरत स्थानीय वन्यजीव अधिकारियों को भी अपने क्षेत्र में इस सूचना को सत्यापित करने के निदेश दिए गए हैं। पहाड़ी बटेर के विलुप्त हो जाने की आशंका है क्योंकि इसको पिछली शताब्दी के अन्त से देखा नहीं गया है।

(ग) पहाड़ी बटेर को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची–1 में शामिल किया गया है जो इसके शिकार और वाणिज्यिक दोहन का निषेध करता है। राज्य वन्यजीव प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि यदि पता चले तो इसके वासस्थलों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करके और इसको अवैध रूप से पकड़े जाने अथवा वासस्थल को नष्ट किए जाने से बचाने के लिए कर्मचारी नियुक्त करके इसके वासस्थलों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए।

असम राइफल्स का स्थानांतरण

3220. श्री थ. चौबा सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में कांगला से 30 असम राइफल्स को स्थानान्तरित करने के लिए महा कोइरेंग का चयन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ महा कोइरेंग में भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) इस कार्य पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(घ) इन भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्। इस उद्देश्य के लिए "महा कोइरेंग (कैथलमानबी) के पास एक स्थान चुन लिया गया है।

(ख) से (छ) जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है तथा इसको शीघ्र पूरा करने के लिए प्रारंभिक अनुमान तैयार कर लिए गए हैं जिनसे संकेत मिलता है कि चालू लागत सूचकांक के आधार पर (लगभग) 47 करोड़ रु. की अनुमानित लागत आएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस बल

3221. डा. प्रवीन चंद्र शर्मा :
श्री केशव महन्त :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस बल को पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर असम में हो रहे विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन राज्यों को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए विशेष सहायता प्रदान की है;

(च) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि दी गई है; और

(छ) यदि नहीं तो, यह सहायता कब तक प्रदान करने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) असम सहित, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य, विद्रोह की समस्या का सामना कर रहे हैं।

(ग) और (घ) चूंकि, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है अतः अपने पुलिस बलों को सुसज्जित करना/आधुनिक बनाने का प्राथमिक कार्य राज्य सरकारों का है। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार, 1969-70 से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की एक योजना कार्यान्वित कर रही है। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को दी गयी राशि नीचे बतायी गयी है :

(रु. लाखों)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1. असम	47.71	47.71	190.86	95.43	47.71
2. अरूणाचल प्रदेश	46.27	92.54	92.54	95.54	23.13
3. मेघालय	36.27	12.92	51.88	25.94	12.17
4. मिजोरम	61.36	87.78	87.78	87.78	21.94
5. नागालैंड	38.43	34.63	76.86	76.86	-
6. त्रिपुरा	46.53	46.53	93.00	46.53	23.26

(ङ) से (छ) : राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए इस योजना के अन्तर्गत दी गयी राशि के अलावा कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को वाहनों, शस्त्रों और गोलाबारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट इत्यादि की खरीद के लिए 1991-92 से लगभग 48.75 करोड़ रु. की विशेष सहायता दी गयी है।

धंत्रधारा-कुडा रेल मार्ग

3222. **श्री सनत मेहता** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में आमान परिवर्तन कार्यक्रम में धंत्रधारा–कुडा रेल मार्ग को सम्मिलित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) उक्त कार्य को कब शुरू किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) गुजरात सरकार और नमक विभाग/भारत सरकार दोनों ही परिवर्तन की आंशिक लागत बहन करने के सिद्धांत पर सहमत हैं परंतु उनकी औपचारिक सहमति अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले में आगे निर्णय औपचारिक सहमति प्राप्त हो जाने के बाद लिया जाएगा।

गुवाहाटी चिड़ियाघर

3223. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के गुवाहाटी चिड़ियाघर में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बीमारियों से भारी संख्या में पशुओं की मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए किसी जांच समिति का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इसकी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषेद) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94, 1994,95 तथा 1995-96 के दौरान में गुवाहाटी चिड़ियाघर में जितने पशुओं के मरने की सूचना है उनकी संख्या क्रमशः 140, 145 तथा 89 है।

(ग) और (घ) गुवाहाटी चिड़ियाघर में पशुओं की मृत्यु के मामलों की 1992 में डीन कालेज ऑफ वेटेरिनटी साइंस, गुवाहाटी द्वारा गठित एक समिति द्वारा छानबीन की गई थी। इस समिति की सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है। पशुओं की मृत्यु का कारण उनका आपसी लड़ाई से चोटग्रस्त हो जाना, जराजीर्णता, जठरांत्रशोध, तपेदिक, जिगर संक्रमण तथा माइकोटिक रोगों का होना बताया गया है।

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) तपेदिक और अन्य रोगों से बचने के लिए रसायन चिकित्सा,

(2) स्वास्थ्य और स्वच्छता के उपायों में सुधार

(3) रोगग्रस्त और नीरोग प्राणियों को अलग–अलग करना,

(4) चिड़ियाघर परिचायकों आदि के स्वास्थ्य की समय–समय पर जांच,

(5) भोजन और जल आपूर्ति की गुणवत्ता नियंत्रण।

केरल में रेल लाइन की लम्बाई

3224. **श्री ओ. भारथन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राज्य के गठन के समय रेल लाइन की कुल लम्बाई कितनी थी;

(ख) राज्य में इस समय रेल लाइन की कुल लम्बाई कितनी है; और

(ग) क्या अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य में रेल लाइनों की कम वृद्धि हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) केरल राज्य की स्थापना के समय वहां कुल रेलमार्ग किलोमीटर 793 कि.मी. था।

(ख) 31.3.1995 को राज्य का कुल मार्ग किलोमीटर 1053 कि.मी. है।

(ग) जी नहीं।

आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस

3225. **श्री येल्लैया नंदी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में ए.सी.–111 टी का मात्र एक डिब्बा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में यात्रियों की वर्तमान भीड़ के लिए समुचित प्रबंध करने हेतु एक अथवा दो अतिरिक्त ए.सी.–111–टी. डिब्बों को शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नए रेल स्टेशनों का विकास

3226. **श्रीमती भावना बेन देवराजभाई चिखलिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर गुजरात में पश्चिम रेलवे के अंतर्गत नए रेल स्टेशनों के विकास के लिए आज की तारीख तक कोई कदम उठा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के विशेषकर गुजरात के जनजातीय जिलों में स्थित रेलवे स्टेशनों में बैंच और पेयजल सुविधा की व्यवस्था करने और आरक्षण प्रणाली में सुधार करने से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां। 1995-96 और 1996-97 के दौरान गुजरात राज्य में पश्चिम रेलवे पर 6.97 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से देबलिया, सादला, सुखपुर, इंदिरानगर और वोंघ नामक पांच नए रेलवे स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) और (घ) बैंचों, पेयजल, आरक्षण सुविधा आदि जैसी सुविधाओं/सुख सुविधाओं की व्यवस्था/वृद्धि करके मौजूदा स्टेशनों का विकास और सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और ऐसा तब किया जाता है जब उस स्टेशन पर सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के आधार पर ऐसा करना अपेक्षित होता है तथा जो धन की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं के अध्यधीन होता है।

रेलवे स्टेशन की श्रेणी में परिवर्तन

3227. **डा. बल्लभ भाई कठीरिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुमटा रेलवे स्टेशन, तालुका जाटपुर, जिला राजकोट को "घ" श्रेणी से "ख" श्रेणी में बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और उक्त परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या कलेक्टर राजकोट, जन आंदोलनकर्ताओं और भावनगर डिवीजन के रेल जिले के बीच इस आशय का कोई समझौता हुआ था कि इस स्टेशन का श्रेणी में परिवर्तन करते समय सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त समझौते को लागू किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) गोमता स्टेशन को परिचालनिक आधार पर और खर्च में परिणामी बचत सहित किफायत की दृष्टि से 15.07.93 को "ख" श्रेणी से "घ" श्रेणी में बदल दिया गया है; हर स्टेशन पर सुख–सुविधाओं को बनाए रखा गया है और यात्रियों द्वारा उपयोग की जा रही सुविधाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) जी हां।

(घ) इस समझौते में प्रावधान है कि टिकट और मासिक सीजन टिकट जारी करने, मूल अनुसूची के अनुसार मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव, स्टेशन के लिए निर्धारित दो शायिकाओं के कोटे, जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(ङ) और (च) समझौते के अनुसार सीजन टिकटों की बिक्री को छोड़कर यात्रियों के लिए सभी सुविधाओं/सुख–सुविधाओं को बनाए रखा गया है। बहरहाल, यात्री यातायात की कम पेशकश के कारण स्टेशन पर तैनात बुकिंग लिपिक को 28.4.94 से हटा लिया गया है और टिकटों की बिक्री कमीशन के आधार पर ठेकेदार के माध्यम से की जा रही है। इस स्टेशन को आवंटित दो शायिकाओं के कोटे को गोंदल स्टेशन के आरक्षण कोटे के साथ मिला दिया गया है जो मुश्किल से 10 कि.मी. दूर है और जहां गोमता स्टेशन के यात्री सरलता से पहुंच सकते हैं।

अपशिष्ट पदार्थों की आयात सूची

3228. **प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर' :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात हेतु अपशिष्ट पदार्थों की संशोधित सूची को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) सरकार ने मुक्त आयात के लिए अनुमति दिए जाने और आयात के लिए प्रतिबंधित किए जाने वाले धातु स्क्रेप की एक सूची को अंतिमरूप दिया है। परिसंकटमय अपशिष्टों का आयात प्रतिबंधित है।

(ख) मुक्त रूप से आयात किए जाने वाले तथा प्रतिबंधित स्क्रेप की सूची संलग्न है। इस सूची को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाता है।

परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और संचालन) नियम, 1989 के नियम–11 के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है।

अग्रिम प्रति

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–2, खण्ड-3 उपखण्ड (2) में प्रकाशनार्थ।

भारत सरकार
वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं. 4 (आर.ई. 96) / 92-97

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई, 1996

का.आ. (अ)—विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार 25.3.1996 को प्रकाशित आई टी.सी. (एच.एच.) निर्यात और आयात मद के वर्गीकरण में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

निर्यात–आयात कोड के पहले दो अंकों द्वारा बताए गए संबद्ध अध्यायों में और इसके अधीन उपयुक्त रूप से इनके क्रम में निम्नलिखित कालमों में उल्लिखित निम्नलिखित जोड़/संशोधन/प्रतिस्थापन किए जाएंगे—

निर्यात आयात कोड	मद विवरण	नीति	नीति सबंधी शर्त	विशेष आयात लाइसेंस/सार्वजनिक सूचना के अधीन आयात
1	2	3	4	5
26202003	लैड ड्रास	प्रतिबंधित	खतरनाक अपशिष्ट के आयात की अनुमति लाइसेंसिंग टिप्पणी–1 के अनुसार केवल संसाधन और पुनः उपयोग के प्रयोजन हेतु लाइसेंस के तहत ही होगी।	
26202009	अन्य	प्रतिबंधित	खतरनाक अपशिष्ट के आयात की अनुमति लाइसेंसिंग टिप्पणी–1 के अनुसार केवल संसाधन और पुनः उपयोग के प्रयोजन हेतु लाइसेंस के तहत ही होगी।	
74040001.20	कॉपर स्क्रैप अर्थात् निम्नलिखित— कापर वायर स्क्रैप आई एस आर आई कोड वर्ड वाले, बेरी और बिर्च के तहत आने वाले, हैवी कापर स्क्रैप आई एस.आर.आई. कोड वर्ड कैंडी के तहत आने वाले, अनएवायड कॉपर स्क्रैप आई एस आर आई कोड वर्ड क्लिफ के तहत आने वाले, कॉपर वायर नोइयूल्स स्क्रैप आई एस आर आई कोड वर्ड क्लोप, कोबरा और कोको के तख्ता आने वाले, लाइट कॉपर स्क्रैप : आई.एस.आर.आई कोड वर्ड ड्रीम के तहत आने वाले, भुन्टज मेटल ट्यूबें, आई एस आर आई वर्ड पाम के तहत आने वाली,		मुक्त	
74040002.20	ब्रास स्क्रैप, अर्थात निम्नलिखित : रिफाइनरी ब्रास स्क्रेप : आई एस आर आई वर्ड हिंक के तहत आने वाले, कम्पोजिशन या रेड ब्रासः आई एस आर आई कोड वर्ड एबोनी के तहत आने वाले, रेड ब्रास कम्पोजिशन टर्निंग स्क्रैपः आई एस आर आई कोड वर्ड एनर्व के तहत आने वाले, जेनुअन बेबिट लाइन्ड ब्रास कुसिंग स्क्रैप : आई एस आर आई कोड वर्ड एनर्ड के तहत आने वाले मशीनरी या हार्ड ब्रास बोरिंग स्क्रैप :आई एस आर आई कोड वर्ड एरिन के तहत आने वाले,		मुक्त	

1	2	3	4	5
	काक और फेउसेट्स स्क्रैपः आई एस आर आई कोड वर्ड ग्रेप के तहत आने वाले,			
	यैलो ब्रास स्क्रैपः आई एस आर आई कोड वर्ड हनी के तहत आने वाले,			
	एर्नी ब्रास कास्टिंगः आई एस आर आई कोड वर्ड आइवरी के तहत आने वाले,			
	न्यू ब्रास क्लिपिंगः आई एस आर आई कोड वर्ड लेबल के तहत आने वाले,			
	यैलो ब्रास प्राईमरः आई एस आर आई कोड वर्ड लार्क के तहत आने वाले,			
	ब्रास पाइपः आई एस आर आई कोड वर्ड मैलन के तहत आने वाले,			
	यैलो ब्रास राड टर्निंगः आई एस आर आई कोड वर्ड नाइट			
	न्यू यैलो ब्रास राड एण्डः आई एस आर आई कोड वर्ड नोबल के तहत आने वाले,			
	यैलो ब्रास टर्निंग : आई एस आर आई कोड वर्ड नोमाड के तहत आने वाले,			
	मिक्सड अनस्वीदिड आटो रिडिस्टर : आई एस आर आई कोड वर्ड ओसन के तहत आने वाले,			
	एकमिरल्टी ब्रास कन्डैंनसर ट्यूबें : आई एस आर आई कोड वर्ड पाल्स के तहत आने वाली,			
	एल्युमीनियम ब्रास कन्डैनसर ट्यूबें : आई एस आर आई कोड वर्ड पालू के तहत आने वाली,			
	मैगजीन ब्रॉच सौलिड : आई एस आर आई कोड वर्ड पार्च के तहत आने वाले,			
7503000	निकल बेस्ट और स्क्रैप			
7503000.10	निकल स्क्रैप, अर्थात्		मुक्त	
	निम्नलिखित :			
	न्यू निकल स्क्रैप : आई एस आर आई कोड वर्ड एरोमा के तहत आने वाले,			
	होल्ड निकल स्क्रैप : आई एस आर आई कोड वर्ड बरती के तहत आने वाले,			
	न्यू कूपरो निकल विलय और सौलिड : आई एस आर आई कोड वर्ड डेंडी के तहत आने वाले			
	कूपरो निकल सोलिड : आई एस आर आई कोड वर्ड डाउंट के तहत आने वाले,			
	सोल्डर्ड कूपरो निकल सौलिडः आई एस आर आई कोड वर्ड डेल्टा के तहत आने वाले,			
	कूपरो निकल ईस्पनिंग, टर्निंग बोरिंग : आई एस आर आई कोड वर्ड डिकॉय के तहत आने वाले,			
	विविध निकल कॉपर और निकल कॉपर आइरनः आई एस आर आई कोड वर्ड डेप्थ के तहत आने वाले,			
	मिक्स्ड न्यू निकल सिलवर किलपिंग आई एस आर आई कोड वर्ड मेव के तहत आने वाले,			
	आई एस आर आई कोड शब्द मेजर के तहत आने वाली नई निकल सिल्वर क्लिपिंग्स और सालिड़;			
	आई एस आर आई कोड शब्द मलार के तहत आने वाली नई अलग–अलग निकल सिल्वर क्लिपिंग्स;			
	आई एस आर आई कोड शब्द मलिक के तहत आने वाला पुराना निकल सिल्वर;			
	आई एस आर आई कोड शब्द			

1	2	3	4	5
	नैगी के तहत आने वाली निकल सिल्वर कास्टिंग्स;			
	आई एस आर आई कोड शब्द नैस के तहत आने वाली निकल सिल्वर टर्निंग्स;			
	आई एस आर आई कोड शब्द हिच के तहत आने वाली आर–मोनेल क्लिपिंग्स और सालिड्स;			
	आई एस आर आई कोड शब्द हाउस के तहत आने वाले नए मिक्सड मोनेल सालिड्स और क्लिपिंग्स;			
	आई एस आर आई कोड शब्द आइडियल के तहत आने वाले ओल्ड मोनेल शीट और सालिड्स;			
	आई एस आर आई कोड शब्द इंडियन के तहत आने वाले के–मोनेल सालिड्स,			
	आई एस आर आई कोड शब्द घंटो के तहत आने वाले सोल्डर्ड मोनेल शीट और सालिड्स,			
	आई एस आर आई कोड शब्द लेमन के तहत आने वाली मोनेल कास्ट्रिंग्स,			
	आई एस आर आई कोड शब्द लेमूर के तहत आने वाली मोनेल टर्निंग्स;		खतरनाक कूड़े का आयात लाइसेंसिंग	
7500000.90	अन्य वेस्ट और सक्रेप	प्रतिबंधित	टिप्पणी–1 के अनुसार इसका आयात केवल संसाधन और पुनर्उपयोग के उद्देश्य हेतु लाइसेंस के तहत अनुमत है।	
76020000	एल्युमीनियम वेस्ट और स्क्रैप			
76020000.10	एल्युमीनियम स्क्रेप यानी निम्नलिखित : आई एस आर आई कोड शब्द		मुक्त	

1	2	3	4	5
	टेब्लेट के तहत आने वाली क्लीन एल्युमीनियम लियोग्राफिक शीट्स			
	आई एस आर आई कोड शब्द टेब्लोयड के तहत आने वाली मिक्सड लो कॉपर एल्युमीनियम क्लिपिंग्स और सॉलिड्स			
	आई एस आर आई कोड शब्द टेबू के तहत आने वाली मिक्सड लो कॉपर एल्युमीनियम क्लिपिंग्स और सालिड्स			
	आई एस आर आई कोड शब्द टेंट/टेबर के तहत आने वाली क्लीन मिक्स्ड ओल्ड स्लॉय शीट एल्युमीनियम			
	आई एस आर आई कोड शब्द टेक के तहत आने वाला नई एल्युमीनियम केन स्टाक			
	आई एस आर आई कोड शब्द टेलप के तहत आने वाला ओल्ड केन स्टॉक			
	आई एस आर आई कोड शब्द टालक्रेड के तहत आने वाला श्रेडिड एल्युमीनियम प्रयुक्त बीदरेज केन (यू बी सी) स्क्रेप			
	आई एस आर आई कोड शब्द टालडेक के तहत आने वाला डेसिफाइड एल्युमीनियम यूज्ड बीवरेज कैन (यू बी सी) स्क्रेप			
	आई एस आर आई कोड शब्द टाइडन के तहत आने वाला बेल्ड एल्यूमीनियम यूज्ड बीवरेज कैन (यू बी सी) स्क्रैप			
	आई एस आर आई कोड शब्द टाइडोर्क के तहत आने वाला ब्रिक्वेटिड एल्यूमीनियम यूज्ड बीवरेज कैन (यू बी सी) स्क्रैप।			

1	2	3	4	5
	आई एस आर आई कोड शब्द टेल के तहत आने वाला पेंटिड साइडिंग			
	आई एस आर आई कोड शब्द टेलेंट के तहत आने वाला कोटिड स्क्रैप			
	आई एस आर आई कोड शब्द टाक के तहत आने वाले एल्यूमीनियम कापर रेडिएटर्स			
	आई एस आर आई कोड शब्द टॉल के तहत आने वाले ई सी एल्यूमीनियम नोडुल्स			
	आई एस आर आई कोड शब्द टालन के तहत आने वाले न्यू प्योर एल्यूमीनियम वायर और केबल			
	आई एस आर आई कोड शब्द टान के तहत आने वाले न्यू मिक्सड एल्यूमीनियम वायर और केबल			
	आई एस आर आई कोड शब्द टेस्ट के तहत आने वाले ओल्ड प्योर एल्यूमीनियम वायर और केवल			
	आई एस आर आई कोड शब्द टासेल के तहत आने वाले ओल्ड मिक्सड एल्यूमीनियम वायर और केबल			
	आई एस आर आई कोड शब्द टैरी के तहत आने वाले एल्यूमीनियम पिस्टन			
	आई एस आर आई कोड शब्द टीन्स के तहत आने वाली अलग–अलग एल्युमीनियम बोरिंग्स और टर्निंग्स			
	आई एस आर आई कोड शब्द टेलिक के तहत आने वाले मिक्सड एल्यूमीनियम बोरिंग्स और टर्निंग्स			
	आई एस आर आई कोड शब्द ढेंस के तहत आने वाली मिक्सड			

1	2	3	4	5
	एल्युमिनियम कास्टिंग्स			
	आई एस आर आई कोड शब्द टेपिड के तहत आने वाली हवाई जहात की टूटी हुई शीट एल्यूमीनियम			
	आई एस आर आई कोड शब्द टर्स के तहत आने वाला नया एल्यूमीनियम फायल			
	आई एस आर आई कोड शब्द टेस्टी के तहत आने वाला ओल्ड एल्यूमीनियम फॉयल			
	आई एस आर आई कोड शब्द थाई के तहत आने वाली एल्यूमीनियम, ग्राईन्डिग्स			
	आई एस आर आई कोड शब्द थ्रॉम के तहत आने वाला स्वेटेड एल्यूमीनियम			
	आई एस आर आई कोड शब्द टूथ के तहत आने वाली अलग- अलग नई एल्यूमीनियम एलाय क्लिपिंगस और सालिड्स			
	आई एस आर आई कोड शब्द टफ के तहत आने वाली मिक्सड नई एलयूमीनियम एलाय क्लिपिंग्स और सालिड्स			
	आई एस आर आई कोड शब्द ट्रीड के तहत आने वाली अलग–अलग नई एल्यूमीनियम कास्टिंग्स, फोर्जिंग्स और एक्सट्रजंस			
	आई एस आर आई कोड शब्द ट्रंम्प के तहत आने वाली एल्यूमीनियम आटो कास्टिंग्स			
	आई एस आर आई कोड शब्द टवांग के तहत आने वाला इंसुलेटिड एल्युमीनियम वायर स्क्रैप			
	आई एस आर आई कोड शब्द			

1	2	3	4	5
	टविस्ट के तहत आने वाली एल्यूमीनियम एयरप्लेन कास्टिंग्स			
	आई एस आर आई कोड शब्द टविच के तहत आने वाला फ्रेग्मैंटाइजर एल्यूमीनियम स्क्रैप (आटोमोबाइल ग्रेडर से)			
76020000.90	अन्य अपशिष्ट और स्क्रैप	प्रतिबंधित		—वही—
78020000	लैड अपशिष्ट और स्क्रैप			
78020000.10	लैड स्क्रैप यानी निम्नलिखित : आई एस आर आई कोड शब्द रैक्स के तहत आने वाला स्क्रैप लैड—साफ्ट		मुक्त	
	आई एस आर आई कोड शब्द रेडियो के तहत आने वाला मिक्सड हार्ड/साफ्ट स्क्रैप लेड			
	आई एस आर आई रिले के तहत आने वाला लेड कवर्ड कायर केबल			
	आई एस आर आई कोड शब्द रोप्स के तहत आने वाले व्हील व्हेट्स			
	आई एस आर आई कोड शब्द रोजेस के तहत आने वाला मिक्स्उ कामन बेदिट			
78020000.90	अन्य अवशेष और स्क्रैप	प्रतिबंधित		खतरनाक अपशिष्ट का आयात लाइसेंसिंग टिप्पणी—1 के अनुसार केवल संसाधन और पुर्नउपयोग के उद्देश्य हेतु लाइसेंस के तहत अनुमत है।
79020000.	जिंक अपशेष और स्क्रैप			
79020000.10	निम्नलिखित जिंक स्क्रैप नामशः आई एस आर आई कोड शब्द शेव्स के तहत आने वाले ओल्ड जिंक डाई कास्ट स्क्रैप		मुक्त	

1	2	3	4	5
	आई एस आर आई कोड शब्द स्केल्स के तहत आने वाले न्यू जिक डाई कास्ट स्क्रैप			
	आई एस आर आई कोड शब्द 'स्कोप के तहत आने वाले न्यू प्लेंटिड जिंक डाई कास्ट स्क्रैप			
	आई एस आर आई कोड शब्द स्कूट के तहत आने वाले जिंक डाई कास्ट आटोमोटिव क्रल्स			
	आई एस आर आई कोड शब्द स्कोर के तहत आने वाले ओल्ड स्क्रैप जिंक			
	आई एस आर आई कोड शब्द स्क्रीन के तहत आने वाले न्यू जिंक क्लीपिंग्स			
	आई एस आर आई कोड शब्द सकल के तहत आने वाले जिंक डाई कास्ट स्लैब्स या पिग्स			
	आई एस आर आई कोड शब्द स्क्राइव के तहत आने वाले आटोमोबाइल प्रेगमेटाइजर्स से यथा उत्पादित क्रवड क्लीन सोर्टिड फ्रेगमेन्टाइजर्स डाई कास्ट स्क्रैप			
79020000.90	अन्य अपशेष और स्क्रैप	प्रतिबंधित		—वही—
80020000	टिन अपशेष और स्क्रैप			
8002000.10	निम्नलिखित टिन स्क्रैप नामवाः		मुक्त	
	आई एस आर आई कोड वर्ड रैन्च के तहत आने वाले ब्लाक टिन			
	आई एस आर आई कोड वर्ड रेट्स के तहत आने वाले हाईटिग बेस बेविट			
	आई एस आर आई कोड वर्ड रैन्क्स के तहत आने वाले पीटर			
80020000.90	अन्य अपशेष और स्क्रैप	प्रतिबंधित		खतरनाक

1	2	3	4	5
			अपशिष्ट के आघात की अनुमति लाइसेंसिंग टिप्पणी–1 के अनुसार केवल संसाधन और पुनः उपयोग के प्रयोजन हेतु लाइसेंस के तहत ही होगी।	
8104200	अपशेष और स्क्रैप			
81042000.10	निम्नलिखित मैग्नेशियम स्क्रैप नामशः आई एस आर आई कोड वर्ड वेफर के तहत आने वाले मैग्नेशियम क्लिप्स आई एस आर आई कोड वर्ड वालनट के तहत आने वाले मैग्नेशियम स्क्रैप आई एस आर आई कोड वर्ड वाइन के तहत आने वाले मैग्नेशियम एग्रेवर प्लेट्स आई एस आर आई कोड वर्ड वुड के तहत आने वाले मैग्नेशियम डाक बोर्ड्स आई एस आर आई कोड वर्ड वर्ल्ड के तहत आने वाले मैग्नेशियम टर्निंग्स,		मुक्त	
81042000.90	अन्य अपशेष और स्क्रैप	प्रतिबंधित	खतरनाक अपशिष्ट के आयात की अनुमति लाइसेंसिंग टिप्पणी–1 के अनुसार केवल संसाधन और पुनः उपयोग के प्रयोजन हेतु लाइसेंस के तहत ही होगी।	
854810.00	अपशेष और प्राइमरी सेल्स के स्क्रैप, प्राइमरी बैट्रीज और इलैक्ट्रिक एक्यूमूलेटर्स, स्पेन्ट प्राइमरी सैल्स, स्पेन्ट प्राइमरी बैट्रीज और स्पेन्ट इलेक्ट्रिक एक्यूमूलेटर्स।		मुक्त	
85481000.10	निम्नलिखित बैट्री स्क्रैप नामशः		मुक्त	
	आई एस आर आई कोड वर्ड रेल्स के तहत आने वाले लेड बैट्री प्लेट्स आई एस आर आई कोड वर्ड रेक्स के तहत आने वाले बैट्री लग्स			
85481000.20	निम्नलिखित बैट्री अपशेष नामशः आई एस आर आई कोड वर्ड रेन्स के के तहत आने वाली स्ट्रैम ड्रेन्ड/ हाई इन्टेक्ट लैड बैट्रीज आई एस आर आई कोड वर्ड रिंक के तहत आने वाली स्क्रैप बेंट होम इन्टेक्ट लैड बैट्रीज आई एस आर आई कोड वर्ड रोनो के तहत आने वाले स्क्रैप इन्डस्ट्रीयल इन्टेक्ट लैड सैल्स आई एस आर आई कोड वर्ड रोपर के तहत आने वाली स्क्रैप होम इन्टैक्ट इन्डस्ट्रीयल ग्रेड बैट्रीज आई एस आर आई कोड वर्ड वान्ट के तहत आने वाली एडिसन बैट्रीज		प्रतिबंधित	खतरनाक अपशिष्ट आयात की अनुमति लाइसेंसिंग टिप्पणी–1 के अनुसार केवल संसाधन और पुनः उपयोग के प्रयोजन हेतु लाइसेंस केतहत ही होगी।
85481000.90	अन्य अपशेष और स्क्रैप	प्रतिबंधित	खतरनाक अपशिष्ट के आयात की अनुमति लाइसेंसिंग टिप्पणी–1 के अनुसार केवल संसाधन और पुनः उपयोग के प्रयोजन हेतु लाइसेंस के तहत ही होगी।	

इस अधिसूचना में आई एस आर आई कोड शब्दों का उल्लेख इस्टीट्यूट आफ स्क्रैप रौ साइक्लिंग इन्डस्ट्रीज इंक, वाशिंगटन (आई एस आर आई) द्वारा किए जाने वाले अलग–अलग स्क्रैप ग्रेडों को इन कोड शब्दों द्वारा निर्दिष्ट करने के लिए किया गया है। ऐसा उन मामलों में प्रत्येक मद की पहचान की सुविधा के लिए किया गया है जिनमें

विदेशी समरक ने शिपिंग टिन पर आई एस आर आई कोड वर्ड या केप पर मोहर नहीं लगाई होती है।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

ह./–

(बिमिल घोस)

महानिदेशक विदेश व्यापार

एवं पदेन

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति सभी सम्बद्धों को,

आदेश आदि से,

(एस.पी. शर्मा)

उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

(फाइल संख्या आई.पी.सी. /4/5/(418)/92-97 से जारी)

मानवाधिकार का उल्लंघन

3229. **श्री सुरेश प्रभु : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार और मानवाधिकार आयोग को पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्वार मानवाधिकार उल्लंघन के कितने मामले प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रेल मार्ग का विद्युतीकरण

3230. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीज़ल की कीमत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रेल विभाग का पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन के अंतर्गत बारसार से हसनाबाद तक के रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) पूर्व रेलवे के बारासात–हसनाबाद खंड के विद्युतीकरण का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस खंड पर इस समय यातायात का घनत्व कम है और इसके विद्युतीकरण के लिए औचित्य नहीं है।

उड़ीसा को राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना हेतु विश्व बैंक की सहायता

3231. **श्री सौम्य रंजन :**
श्री भक्त चरण दास :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के लिए विश्व बैंक ने उड़ीसा सरकार को कितनी सहायता प्रदान की है; और

(ख) उड़ीसा में गत दो वर्षों के दौरान उक्त परियोजना कार्य में कितनी प्रगति हुई हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) इस परियोजना के तहत विश्व बैंक की सहायता प्रतिपूर्ति आधार पर थी तथा कुल ऋण वितरण की राशि 186 मिलियन रुपये के व्यय की तुलना में 133 मिलियन रुपये थी। उड़ीसा घटक की कुल लागत 197 मिलियन रुपये थी।

(ख) यह परियोजना 1984 से 1993 तक चलती रही। परियोजना की अवधि के अन्त तक हुई संचयी प्रगति का ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना, उड़ीसा के अन्तर्गत हुई प्रगति

क्र.सं.	परियोजना घटक	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	इन्क्रीमेन्टल स्टाफ	7749	7209
2.	सिविल कार्य	928	436
3.	गाड़ियों की खरीद	91	91
4.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	15,853	9,781

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस

3232. **श्री आनन्दरत्न मौर्या** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जुलाई, 1996 के "दैनिक जागरण" में "ज्यादातर लोग दिल्ली पुलिस में विश्वास नहीं करते" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह समाचार एक सर्वेक्षण पर आधारित है;

(घ) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण करने वाली ऐजेन्सी का नाम क्या है;

(ङ) क्या पुलिस कर्मियों के जीवन स्तर तथा उनकी आय की तुलना में उनके खर्च का पता लगाने हेतु कोई जांच करवाई जाएगी; और

(च) सरकार द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है जिसमें लोग दिल्ली पुलिस में विश्वास कर सकें ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : जी हां, श्रीमान्। प्रश्नाधीन समाचार, नोएडा स्थिर सेंटर फार इमेज मैनेजमेंट स्टडीज द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तथापि, दिल्ली पुलिस अपने कर्मचारियों में उच्च स्तर की ईमानदारी बनाए रखने की जरूरत के प्रति जागरूक है। जब भी अपेक्षित होता है, दोषी पुलिस कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पुलिस के खिलाफ जनता की शिकायतों को निपटाने के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र प्राधिकरण भी गठित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों में अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक

3233. **श्री के. वी. सुरेन्द्रनाथ** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों विशेषरूप से भारतीय राज्य कृषि निगम राष्ट्रीय बीज निगम में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अलग–अलग पद हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी हां। राज्य सरकारों/कृषि विश्वविद्यालयों के साथ संपर्क रखने के लिये और निदेशक मण्डल में कृषक समुदाय के हित को प्रतिनिधित्व देने के लिये ऐसा किया गया है।

ताप विद्युत परियोजना को स्वीकृति

3234. **डा. राम. जगन्नाथ** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुजा नेशनल पावर कम्पनी द्वारा विशाखापत्तनम में लगाई जाने वाली 1040 मेगावाट वाली ताप विद्युत परियोजना को जिसके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो यह स्वीकृति कब प्रदान की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो यह स्वीकृति कब दिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) अंतिम निर्णय के लिए परियोजना पर कार्रवाई की जा रही है।

औषधियों को निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचा जाना

3235. **डा. बलिराम** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.पी.सी.ओ., 1987 तथा डी.पी.सी.ओ., 1995 के अंतर्गत "रिवाइतल", "ग्रामोनेज", "एक्टीफेड" तथा "एक्टीलेक्स" श्रेणी के मिश्रणों की निर्धारित मूल्य में अधिक पर बिक्री किए जाने तथा इन उत्पादों पर उपभोक्ताओं से उत्पादकों द्वारा खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य लिए जाने की घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या उत्पादकों द्वारा लिए जा रहे अधिक मूल्य को वसूल करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन मामलों के संबंध में गणना की गयी है; और

(ङ) उचित मूल्य के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) औषध उद्योग के संगठित क्षेत्र द्वारा बनाए जाने वाले सभी औषध मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। फिलहाल, इनमें से कुछ औषधें लघु क्षेत्र की युनिटों द्वारा बनाई जाती हैं जो वर्तमान नीति के तहत मूल्य नियंत्रण से छूट–प्राप्त हैं। फिर भी इन औषधों के ज्यादा दाम चार्ज करने का मामला अभी तक सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) अधिक कीमत चार्ज करने का जब भी कोई मामला सरकार की जानकारी में आता है, तो इसे विनिर्माता के साथ उठाया जाता है, और यदि आवश्यक होता है तो विभिन्न अधिनियमों के प्राविधानों के तहत समुचित दाण्डिक कार्रवाई के लिए राज्य औषध नियंत्रकों से भी अनुरोध किया जाता है।

डॉक्सीसाइक्लिन के मूल्य छूट

3236. **डा. बलिराम** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान और विकास आधार पर डॉक्सीडायन के मूल्य छूट के मुद्दे की जांच कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समय–समय पर डीलरों के क्या मूल्य निर्धारित किए गए और औषधि निर्माताओं द्वारा परिवर्तित किए गए मूल्यों का ब्यौरा क्या है ,

(घ) चूकों का दायित्व तय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ङ) मूल्य नियंत्रण से छूट देने के लिए क्या दिशा निर्देश तय किए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्री सीस राम

ओला) : (क) जी, हां।

(ख) और (ङ) डी.पी.सी.ओ., 1987 के पैरा 25/डी.पी.सी.ओ., 1995 के पैरा 23 द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसार कम्पनी द्वारा किए गए स्वदेशी अनुसंधान और विकास प्रयासों के आधार पर मे. रेनबेक्सी को डोक्सीसाइक्लीन के मूल्य निर्धारण से छूट दी गई थी। तकनीकी विशेषज्ञ ग्रुप ने छूट की फिर से समीक्षा की है और इसकी सिफारिशें अभी जांचाधीन हैं।

(ग) और (घ) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी, के अनुसार मूल्य निर्धारण के संबंध में वसूले गए (चार्ज किए गए) और ब्योरे अनुबन्ध (I) में संलग्न हैं।

डोकसीसाइक्लीन

	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक आकार	मूल्य (रु.)	आदेश सं.	तारीख
1.	डोकसीसाइक्लीन कैपसूल	100 मि.ग्रा.	4 का पत्ता/	7.08	291(अ)	5-4-94
		कैप.	वायल	7.20	367(अ)	7-5-94
				3.98	895(अ)	19-12-94
				5.66	367(अ)	10-5-94
2.	डोकसीसाइक्लीन कैप.	–वही–	3 का पत्ता/ वायल	3.14	895(अ)	19-12-94
3.	डोकसीसाइक्लीन कैप.	–वही–	10 का पत्ता/	17.08	367(अ)	10.5.94
			बोतल	9.60	895(अ)	19-12-95
4.	डोकसीसाइक्लीन कैप.	–वही–	2 का वायल/ पत्ता	2.26	895(अ)	19-12-94
5.	डोकसीसाइक्लीन कैप.	–वही–	6 का पत्ता	5.88	895(अ)	19-12-94
6.	डोकसीसाइक्लीन कैप.	100 मि.ग्रा.	2 का अल्युमिनियम पता	2.74	878(अ)	6-11-95
7.	डोकसीसाइक्लीन मोनोहाइड्रेट टिकिया	डोकसीसाइक्लीन मोनोहाइड्रेट समकक्ष वेस 100 मि.ग्रा.	6 का पत्ता	5.80	268(अ)	29-3-96
8.	–वही–	–वही–बेस 200 मि.ग्रा.	10 का पत्ता	18.38	268(अ)	28.3.95

वसूल की गई कीमत (स्रोत ड्रग्स टूडे–जुलाई–सितम्बर, 1996)

	कम्पनी का नाम	ब्रांड का नाम	प्रबलता	वसूल की कई कीमत
1.	लायका	लिडोक्स	100 मि.ग्रा. कैप. X4 का	7.40 रु.
2.	कन्यूलिफ	न्यूडोक्सी	100 मि.ग्रा. कैप. X3 का	9.80 रु.
3.	आई.डी.पी.एल	विवोसिक्लीन	100 मि.ग्रा. कैप. X 4 का	7.45 रु.

केरल में रेल उपरिपुल

3237. **श्री वी. एम. सुधीरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में अम्बालाप्रिजा रेल उपरिपुल के निर्माण कार्य में विलम्ब की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) संविदात्मक समस्याओं के कारण कुछ विलंब हुआ है। 70% से अधिक कार्य पूरा हो गया है। शेष कार्य के लिए संविदा पर कार्रवाई की जा रही है।

हाऊस साइट लाइसेंस

3238. **डा. अरविन्द शर्मा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान तथा निकोबार गृधृति विनियमन, 1926 के अन्तर्गत फार्म 'सी' में उधृत 'हाऊस साइट लाइसेंस' केवल अंग्रेजी में उपलब्ध था तथा मुख्य आयुक्त के आदेशानुसार इसे उपायुक्त के हस्ताक्षर से ही जारी किया जा सकता है;

(ख) क्या हाल ही में एक तरफ अंग्रेजी तथा दूसरी तरफ उर्दू में मुद्रित तथा उपायुक्त की ओर से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित लाइसेंसों के बारे में जानकारी मिली है; और

(ग) क्या अंडमान तथा निकोबार, प्रशासन का विचार यह ठीक तौर पर पता लगाने के लिए कि उक्त लाइसेंस नकली अथवा जाली नहीं है तथा इस संबंध में प्रमाणिकता की जांच फारेन्सिक साईंस लेबोरेटरी से कराने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्। तथापि, तथाकथित विनियम अब निरसित हो चुका है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भू-राजस्व और भूमि सुधार विनियम, 1966 के उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन, मुख-आयुक्त (अब उपराज्यपाल) की तरफ से आावास-स्थल के आबंटन के लिए लाईसेंस पर हस्ताक्षर करने के लिए उप-मंडलीय अधिकारी, (सहायक-आयुक्त) को भी शक्तियां प्राप्त हैं।

(ख) और (ग) इस प्रकार के कोई जाली लाइसेंस, अंडमान और निकोबार प्रशासन के ध्यान में नहीं आए हैं। अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा यह भी बताया गया है कि पोर्ट ब्लेयर नगर निगम क्षेत्र का पुराना रिकाडं 1926 में उर्दू में तैयार किया गया था। पहले पटवारी भूमि रिकार्ड की प्रतिलिपियां अनुवाद के बाद उर्दू और अंग्रेजी में भी जारी करते थे, जिन्हें लाईसेंस नहीं माना जाता था। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भू-राजस्व और भूमि सुधार विनियम, 1996 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत पटवारी भू-रिकार्ड की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां जारी करने के लिए प्राधिकृत है।

[हिन्दी]

चीनी मिल

3239. **श्री सुशील चन्द :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गाजियाबाद जिले की सिम्भौली चीनी मिल जोकि बिना किसी पर्यावरणीय स्वीकृति के चल रही थी, को बन्द करने के आदेश दे दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों तथा मिल के प्रबंधकों के विरूद्ध क्या कार्रवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ग) देश में विशेषतः उत्तर प्रदेश में बिना समुचित पर्यावरणीय स्वीकृति के बावजूद चल रही चीनी मिलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) जी, हां। यह इकाई विनियामक एजेंसी से बिना किसी वैध सहमति के चल रही थी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 (क) के तहत इस उद्योग के विरूद्ध इसको बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे। केन्द्र सरकार ने भी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के तहत इसको बंद करने के आदेश जारी करके इसके विरूद्ध कार्यवाही की है।

(ग) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कुल 116 चीनी मिलें हैं सभी चीनी मिलों ने साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र और 104 ने उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली लगाई हुई है। केवल 12 उद्योग ऐसे हैं जिनके पास समुचित उर्त्सजन नियंत्रण प्रणाली नहीं है। राज्य बोर्ड ने जल अधिनियम, 1974 के तहत 44 चीनी उद्योगों और वायु अधिनियम, 1981 के तहत 42 चीनी उद्योगों को चलाने की सहमति प्रदान की है। शेष चीनी मिलों की सहमति के लिए सहमति आवेदन या तो विचाराधीन हैं या बहिस्राव शोधन संयंत्र या उत्सर्जन प्रणाली के ठीक न होने के कारण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा मना कर दिया गया है।

(घ) सभी दोषी चीनी मिलों को पहले ही आदेश दिए गए हैं कि अगले क्रशिंग सीजन से अपने बहिस्राव शोधन संयंत्रों और उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली आदि की उचित रूप से मरम्मत कराके और रख-रखाव करके पर्यावरणीय स्वीकृति/सहमति प्राप्त कर लें।

[अनुवाद]

रासायनिक उर्वरकों में मिलावट

3240. **श्री जगत बीर सिंह द्रोण :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश स्थित रायपुर में रासायनिक उर्वरकों के विनिर्माताओं और निजी व्यापारियों के गिरोह द्वारा रासायनिक उर्वरकों में मिलावट किए जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) रासायनिक उर्वरकों की शुद्धता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़ कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जांच के दौरान 6.7.96 को कानपुर देहात मे नकली उर्वरक की पैकिंग का एक मामला पकड़ा गया था।

(ख) राज्य सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक जिन्स अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 तथा भारतीय दण्ड संहिता की संबंधित धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस द्वारा सामग्री तथा औजार आदि बरामद कर लिए गए हैं। मामला अब न्यायालय के विचाराधीन है और जांच की जा रही है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने रासायनिक उर्वरकों की शुद्धता को बनाए रखने के लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा आवश्यक जिन्स अधिनियम 1995 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कार्रवाई

की है :

(1) सुदूर क्षेत्रों को कवर करते हुए उर्वरक निरीक्षकों द्वारा उर्वरक व्यापार पर विनिर्माण स्तर से लेकर खुदरा बिक्री केन्द्रों तक कड़ी निगरानी।

(2) माल की शत प्रतिशत चैकिंग तथा दोषियों के विरूद्ध मौके पर कार्रवाई को सुनिश्चित करते हुए उर्वरक व्यापार के संबंध में नियमित तथा राज्यव्यापी छापे।

(3) संदिग्ध माल के नमूने लेना तथा इनका तेजी से विश्लेषण करना।

(4) गैर मानक उर्वरकों की बिक्री में लिप्त व्यापारियों के विरूद्ध तथा उर्वरकों संबंधी अवैध गतिविधियों के संबंध में दण्डात्मक कार्रवाई में तेजी लाना।

[हिन्दी]

रेलवे अंडरब्रिज

3241. **श्री हरिवंश सहाय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भेटनी वाराणसी रेल लाइन पर पिवकोल और सलेमपुरा के बीच रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण के लिए लोगों द्वारा किन–किन तिथियों को सत्याग्रह, आंदोलन और प्रदर्शन किए गए;

(ख) रेल अधिकारियों द्वारा बार–बार आश्वासन देने के बावजूद भी इस ब्रिज का अब तक निर्माण नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सलेमपुर–भेटनी रेल लाइन के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा बनाई गई सड़क इस ब्रिज का निर्माण नहीं किए जाने के कारण अनुप्रयुक्त पड़ी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार लोकहित में इस ब्रिज का निर्माण शीघ्र करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) पिवकोल और सलेमपुर के बीच निचले रेल पुल के निर्माण के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने निचले पुल, जिसका 'निक्षेप' शर्त पर निर्माण किया जा सकता है, के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया है। रेलपथ पार करने के लिए सुविधाओं की अनुपलब्धता सड़क उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करती हैं।

[अनुवाद]

जंगल में आग

3242. **श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में चीड़ के वृक्षों से गिरने वाले पत्तों को प्रतिवर्ष जला दिया जाता है जिससे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीवों को भारी हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान चीड़ वृक्षों वाले वनों में कितनी बार आग लगाई गई;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) इस क्षेत्र के वनस्पति एवं जीवजन्तुओं को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ) : सूचना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बांस गांव में बम विस्फोट

3243. **श्री राम सागर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बांस गांव में 3 मार्च, 1996 को एक जन सभा के दौरान हुए बम विस्फोट में कितने लोग मारे गए/घायल हुए;

(ख) कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण

3244. **श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वत श्रृंखलाओं में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी योजनाएं शुरू की जा रही हैं जिनके अन्तर्गत पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ीनुमा खाइयों में वृक्षारोपण किया जा रहा है जिसका उद्देश्य इन खाइयों में बरसात के पानी को जमा करना तथा वर्ष भर के लिए जल संसाधनों में वृद्धि करना और वहां पर समुचित वानिकी सुनिश्चित करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन पर्वतीय क्षेत्रों में यह योजना शुरू करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) समेकित वनीकरण और पारि–विकास परियोजना स्कीम के तहत् उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, गढ़वाल तथा अलमोड़ा जिलों के लिए सात परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनका कुल परिव्यय 21.71 करोड़ रुपए है। वित्तीय उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वे परियोजनाएं अवक्रमित वन भूमि पर वनीकरण तथा मृदा और नमी संरक्षण कार्यों के लिए हैं। प्रत्येक परियोजना में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले उपाय स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित हैं।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	1990-91 से 1992-93 तक दी गई राशि	उपयोग की गई राशि	खर्च न की गइ राशि	1993-94 दी गई राशि	उपयोग की गई राशि	खर्च न की नई राशि	1994-95 दी गई राशि	उपयोग की गई राशि	खर्च न की गई राशि	1995-96 दी गई राशि	1996-97 दी गई राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	उत्तरकाशी व टिहरी जिलों की समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना (परियोजना 1 तथा 2)	207.70	207.70	0.00	50.00	87.11	-37.11	121.36	73.19	11.06	90.00	23.30
2.	देहरादून जिले की समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना	161.04	164.16	-3.12	30.00	54.82	-27.94	62.40	63.85	-29.39	63.88	26.60
3.	नैनीताल जिले की समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना	176.84	168.13	9.71	40.00	68.00	-19.29	89.21	47.60	22.32	122.25	31.60
4.	गढ़वाल जिले की समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना	203.50	202.90	0.60	40.00	77.42	-36.82	71.90	34.10	0.98	75.23	26.72
5.	अल्मोड़ा जिले की थार गंगा परियोजना	10.82	5.18	5.64	10.00	5.64	10.00	4.63	0.00	14.63		
6.	अल्मोड़ा जिले का माइक्रो प्लान परियोजना (सीएस)	55.40	47.71	7.69	9.22	2.00	14.91	0.00	0.00	14.91		
7.	अल्मोड़ा जिले की माइक्रो प्लान परियोजना (परियोजना–2)	22.40	0.00	22.40	25.95	32.26	16.09	0.00	0.00	16.09		

[अनुवाद]

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकाल की सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों आदि को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड लखनऊ के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या ए.टी 359/9]

(ख) (एक) मध्य प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 360/96]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचना

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : मैं निम्नलिखित सभापटल पर रखता हूं :

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 157(अ), जो 27 फरवरी 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के अध्यक्ष को निदेश जारी करने हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 361/96]

[हिन्दी]

श्री हरभजन लाखा (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, रमेशचन्द्र रिपोर्ट के बारे में बोलने के लिए आपने हमें अवसर नहीं दिया। ....(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद होगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, ये उन मामलों को उठाना चाहते हैं जिनको सदन में कई बार उठाया जा चुका है।...(**व्यवधान**)

अपराह्न 12.01 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

वित्तीय समितियां–एक समीक्षा

महासचिव : मैं वित्तीय समितियां (1995-96) एक समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आये और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

अपराह्न 12.2¼ बजे

शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

पहला तथा दूसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मैं शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हू :

1. ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग की वर्ष 1996-97 की अनुदानों की मांगों संबंधी पहला प्रतिवेदन
2. शहरी विकास तथा रोजगार मंत्रालय के शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन विभाग की वर्ष 1996-97 की अनुदानों की मांगों संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

इस समय श्री मोहन सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभापटल के निकट आये और फर्श पर खड़े हो गये।

अपराह्न 12.3¼ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति
पच्चीसवां प्रतिवेदन

श्री वी. धनन्जय कुमार (मंगलौर) : मैं आपूर्ति विभाग (वाणिज्य मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

गृह-कार्य संबंधी स्थायी समिति
उनतीसवां, तीसवां और इकत्तीसवां प्रतिवेदन

महासचिव : मैं गृह–कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

1. गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-.96) के संबंध में समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई–कार्यवाही के बारे में उनतीसवां प्रतिवेदन
2. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में समिति के सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में तीसवां प्रतिवेदन।
3. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में इकतीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03¾ बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति
इकतीसवां, बत्तीसवां, तैंतीसवां और चौंतीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : महोदय, मैं क्रमशः (एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, (दो) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग, (तीन) अंतरिक्ष विभाग और (चार) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के इकत्तीसवें, बत्तीसवें, तैंतीसवें और चौंतीसवें प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने स्थान पर वापस आ गए।

अपराह्न 12.05 बजे

परिवहन और पयर्टन संबंधी स्थायी समिति
तेईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : मैं पर्यटन विभाग की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में परिवहन और पयर्टन संबंधी स्थायी समिति का तेइंसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : टेलीविजन कैमरे बन्द कर दिये जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपने स्थान पर वापस जाये

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

नारियल विकास बोर्ड

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 (4) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 (4) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

राष्ट्री तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 4 (4) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने दें, से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 4 (4) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08 बजे

तम्बाकू बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (डा. बोल्ला बुल्ली रमैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 (4) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 (4) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

....(व्यवधान)...

अपराह्न 12.10बजे

इस समय डा.टी.सुब्बारामी रेड्डी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.17 बजे

इस समय श्री मोहन सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गये।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : अध्यक्ष महोदय, अब जबकि वे लोग अपने स्थानों पर वापस आ गय हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनमें से एक को बोलने का अवसर दें। उसके बाद दूसरे पक्ष से सदस्य बुलायें ....(व्यवधान)....

अपराह्न 12.23 बजे

इस समय श्री इलियास आजमी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

अपराह्न 12.25 बजे

....(व्यवधान)....

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) **चण्डीगढ़ में गावों की 'लाल डोरे' की सीमा का विस्तार किये जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से 22 गांव हैं। इनकी बाहरी सीमा यानि कि "लाल डोरा" लगभग 50 वर्ष पहले तय की गई थी। इतने लम्बे अंतराल में अब परिवार भी बड़े हो गये हैं तथा संयुक्त परिवार अलग–अलग होकर अलग–अलग मकानों में रहने लगे हैं। परन्तु केन्द्र सरकार चंडीगढ़ के गांवों की लाल डोरा को बढ़ा नही रही है। गांव के अंदर मकान बनाना अब संभव न होने के कारण लोग लाल डोरा के बाहर मकान बनाना चाहते हैं जिसकी सरकार अनुमति नहीं दे रही है। इतना ही नहीं ऐसे बने मकानों को बिजली, पानी कनैक्शन भी नहीं दिये जा रहे हैं। इस कारण गांवों में तनाव पैदा हो गया है।

इस समय गांवों में लाल डोरा के बाहर हजारों मकान बन चुके हैं जिनमें हजारों लोग रहते हैं। इनमें से अधिकांश लोगों के वोट और राशनकार्ड भी बन चुके हैं। परन्तु प्रशासन न तो इन गांवों की लाल डोरा को बढ़ा रहा है और न ही लाल डोरा के बाहर बने मकानों को बिजली और पानी के कनैक्शन ही दे रहा है जिस कारण गांवों में भारी रोष है। सभी गांवों में पचायतों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके प्रधान मंत्री को भी भेजे हैं जिनमें उन्होंने गांवों का लालडोरा बढ़ाने तथा सभी मकानों को बिजली कनैक्शन देने की मांग की है। यहां एक उल्लेखनीय बात है कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में लाल डोरा बढ़ाने का निर्णय किया है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि चंडीगढ़ के सभी गांवों का लाल डोरा बढ़ाया जाए तथा सभी मकानों को बिजली एवं पानी के कनैक्शन जारी किए जाएं।

(दो) **उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दूरसंचार का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता।**

श्री राजकेशर सिंह (जौनपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद जौनपुर में मंडलीय कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव शासन के यहां विचाराधीन है। सी–डाट मशीन भी भेजी गई थी परन्तु उक्त मशीन को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान समय में जौनपुर में मंडलीय कार्यालय खोले जाने की नितान्त आवश्यकता है। यह अन्य जनपदों में खोला भी गया है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि यहां पर मंडलीय कार्यालय खोला जाए तथा सी–डाट की मशीन लगवाकर जन समस्याओं के निराकरण की तरफ ध्यान दिया जाए जिससे कि लम्बित कनेक्शन आबंटित करके जन समस्याओं का निराकरण हो सकें। साथ ही साथ साधारण जनता को टेलीफोन बिल बनवाने एवं शुद्धि कराने में बड़ी ही असुविधा मिर्जापुर से होती है। ऐसी परिस्थिति में आवश्यक है कि जौनपुर में मंडलीय कार्यालय खोल दिया जाए।

[अनुवाद]

(तीन) **2100 करोड़ रुपये की राशि के बकाया ऋण को माफ किये जाने हेतु उड़ीसा सरकार द्वारा किये गये अनुरोध पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें उड़ीसा राज्य के पक्ष में नहीं हैं। यदि 9वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किय गये स्तर पर उड़ीसा राज्य के भाग को बनाये रखा जाता तो राज्य को 2102 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त होती। इसके अलावा आयोग ने योजना घाटे के लिए अनुदान की सिफारिश भी नहीं की है। बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उड़ीसा को भी अत्यधिक वित्तीय कठिनाई वाला राज्य बताया गया है। यह बड़े खेद की बात है कि इस पर भी आयोग ने 1995 से 2000 की अवधि में केवल 17.50 करोड़ रुपये के ऋण की माफी की सिफारिश की है।

दसवें वित्त आयोग की इस प्रतिकूल सिफारीश को देखते हुए उड़ीसा सरकार के 2100 करोड़ रुपये की राशि के बकाया ऋण का विशेष वितरण के रूप में माफ किये जाने के अनुरोध पर भारत सरकार को पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

(चार) **संबुवारापार जिला, तमिलनाडू स्थित पर्वतीय श्रेणी में लौह अयस्क का खनन आरम्भ किये जाने की आवश्यकता**

***श्री डी.वेणुगोपाल (तिरुप्तूर)** : थिरुवननामलाई कौथी हिल और थिरुवननामलाई संबुवारापार जिले के निकट पहाड़ियों में अच्छी किस्म के लौह अयस्क के भण्डार मिले हैं। 1960 में ही केन्द्र तथा राज्य दोनों के भू सर्वेक्षण विशेषज्ञों ने इन भण्डारों को ढूंढ लिया था जोकि बढ़िया किस्म का इस्पात दे सकते हैं। यह लौह अयस्क के भण्डार देश की कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और हम इसका निर्यात भी कर सकते हैं। इससे हम कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई की समस्या पर काबू पा सकते हैं। हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखतु हुए हमें थिरुवननामलाई में तथा इसके आसपास मिलने वाले लौह अयस्क के भण्डारों का बड़े पैमाने पर उपयोग करना चाहिए जोकि देश के लिये भी उपयोगी है। इससे देश को उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी और इसके थिरुवननामलाई संबुवारायार जिले में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार शीघ्र इस परियोजना को अपने हाथ में ले। खनन तथा परतिकरण संयंत्र की स्थापना के लिए वहां पर पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है। मेरा जिला और आस पास का क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है अतः केन्द्रीय सरकार को इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह वहां पर मूल सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त कार्यवाही करे। यदि आवश्यक हो तो वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय मिलकर कार्ययोजना बनाये ताकि मेरे चुनाव क्षेत्र जैसे औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों जो कि लौह अयस्क और अन्य खनिजों में समृद्ध हैं, के औद्योगिक विकास में तेजी लाई जा सके।

[हिन्दी]

(पांच) **उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में डुमरीयागंज को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता।**

* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थ नगर में इस बार दिनांक 13.8.96 को दोबारा बाढ़ आई। इसके पूर्व 14.7.96 को बाढ़ आई थी। जिस कारण जन–धन–मवेशी व सड़कों को काफी नुकसान हुआ था। अभी हम उसी से ऊब नहीं पाए थे कि फिर दूसरी बार बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में जनपद का दो–तिहाई हिस्सा है। नौगढ़, बासी, इटावा एवं डुमरियागंज तहसील पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। लोगों व पशुओं के मरने व बह जाने की भी खबर है। दो सौ से अधिक गांव चारों तरफ जलमग्न हैं। सड़कें टूट गई हैं। यातायात बाधित है और 25 हजार हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्रभावित है। परन्तु राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं भेजी गई जिस कारण बाढ़ पीड़ितों को गेहूं, मिट्टी का तेल, नमक, दियासलाई आदि भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा बार–बार अनुरोध करने के बावजूद भी अभी तक करीब 15 लाख रुपए के प्रारम्भिक मदद भी पहुंचाई नहीं गई।

अतः अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अविलम्ब आर्थिक मदद भेजने का निर्देश दें। केन्द्रीय सरकार अध्ययन दल भेजकर नुकसान का रपट तैयार कराये पूरे जनपद को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए तथा स्थायी बाढ़ के रोकथाम की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.41 बजे ....**(व्यवधान)**

इस समय श्री इलियास आजमी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभापटल के निकट फर्श पर बैठ गये।

...**(व्यवधान)**

श्री कांशी राम (होशियारपुर) : अध्यक्ष जी, मुझे कुछ बोलने का मौका दिया जाये ...**(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री कांशीराम, आप नहीं बोल सकते।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अपने स्थान पर वापस जाइये।

...**(व्यवधान)**....

श्री पी. आर. दास मुंशी (हावड़ा) : महोदय, आप दोनों पक्षों को सुन सकते हैं। आप पहले समाजवादी पार्टी को सुन सकते हैं और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के नेता को। अन्यथा सदन इस प्रकार नहीं चल सकता ....**(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.43 बजे

इस समय श्री इलियास आजमी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गये।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको अनुमति दूंगा। अपना स्थान लें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपने स्थान पर जाइये अन्यथा मुझे आप को निलम्बित करना पड़ेगा। अपने स्थान पर वापस जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। आप प्रचार प्राप्त नहीं कर सकते। यह घटना यहां प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए है। आप प्रेस दीर्घा की ओर न देखें। आप प्रेस दीर्घा की ओर देख रहे हैं ताकि कल अखबारों में आप का नाम आये। यह हमारे संसद सदस्य हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपने स्थान पर वापस जायें। बस काफी हो गया। मुझे आपको सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बित करना होगा। यदि आप अपने स्थान पर वापस नहीं जाते। वापस जाइये। क्या आप निलम्बित होना चाहते हैं। इस प्रकार बर्ताव मत करें। पूरा देश हम पर हंस रहा है। पूरा राष्ट्र तथा समूचा विश्व हम पर हंस रहा है। किस प्रकार माननीय सदस्य–भारत के लोगों के नेता बर्ताव कर रहे हैं। आप भारत के लोगों के नेता हैं। करते रहिए–यह आपका सदन है और मेरा सदन नहीं है। यह आप का सदन है। आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठा हूं। यदि आप वापस नहीं जाते तो मध्याह्न भोजन की छुट्टी नहीं होगी। यदि आप अपने स्थान ग्रहण नहीं करते तो बिना मध्याह्न भोजन के मैं यहां 6 बजे तक बैठूंगा।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, आप यहां बैठ सकते हैं परन्तु हम असीमित अवधि के लिए यहां नहीं बैठ सकते। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को उचित व्यवहार करना चाहिए अन्यथा हम सभा से बाहर चले जायेंगे...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं आप से सहमत हूं। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है। माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त विचारों से मैं सहमत हूं।

...**(व्यवधान)**

अपराह्न 12.46 बजे

इस समय श्री संतोष मोहन देव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभाभवन से बाहर चले गये।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, आप इनसे कहिए कि अपने स्थान पर जाएं। जो मुद्दा सदस्यों को उत्तेजित कर रहा है, उस पर उन्हें अपनी–अपनी बात कहने का अवसर दें। यह लोक सभा इसी के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं। जब सभी मैम्बर्स खड़े हो जाते हैं तो कैसे डिसकस हो सकती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इनको तो वापस भेजिए... .**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें वापस जाने के लिए कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष से इस प्रकार बात नहीं कर सकते।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नियमों को पढ़िए। वापस जाइये। आप यहां से नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.48 बजे

इस समय डा.टी. सुब्बारामी रेड्डी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गये।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो विरोधी दल में समर्थक दल है। आप तो सरकार हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा. ..**(व्यवधान)** अगर सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा तो हम भी सदन में नहीं बैठेंगे। अगर वह बोलना चाहते हैं तो आप उन्हें मौका दीजिए, हम सुनने को तैयार हैं, मगर उन्हें हमारी बात भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप उनसे बुलवाइए। आप भी पप्पू यादव से कहिए कि वह क्यों शोर मचा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पप्पू यादव क्या आप बोलना चाहते हैं। यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप अपने आबंटित स्थान से बोलें।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष जी, जो मामले बार–बार उठाए जा रहे हैं, हम उनपर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। रमेश चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट पर फिर से चर्चा करके विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देना चाहते। हमें इस पर खास कुछ नहीं कहना है केवल इतना ही कहना है कि कांशी राम जी इस मामले को सदन में उठा चुके हैं। फिर से इस मामले को उठाना ठीक नहीं होगा। सत्र शुरू होने से पहले आपके द्वारा बुलायी गई मीटिंग में आपने इस मामले को उठाने की स्वीकृति नहीं दी थी। उसके बावजूद सिर्फ बाहर मैसेज जाए, इसके लिये सारे लोग इकट्ठे होकर दुबारा इस बात की रिपोर्ट करें, इसलिए हम विरोध करने के लिए हैं। हमारी उस पार्टी से प्रतिबद्धता है, इसलिये हम विरोध करेंगें। हम नेता प्रतिपक्ष का आदर करते हैं और जब वे बोलेंगे तो हम चुप बैठे रहेंगे लेकिन कोई आदमी दबाने की कोशिश करेगा तो यह उचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, हम आपका सम्मान करते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना आत्म–सम्मान बेचकर चुपचाप बैठे रहें। यह नहीं हो सकता है कि दुबारा एक मामले को उठाया जाये। इसलिये मेरी आपसे विनती है कि इस मामले को दुबारा सदन में न उठाने दें। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं इस बात को कहकर समाप्त करूंगा कि यदि इस बात को दुबारा उठाते हैं तो हम प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे।

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो कुछ भी हुआ है, उस पर हमें बहुत खेद है। लोकतांत्रिक परम्पराओं पर हमारा पूरा विश्वास है। आपको देखना पड़ेगा कि शुरूआत कहां से हुई है। मैं आपके चैम्बर में गया था और आपने वहां पर कहा था कि यह मामला यहां नहीं उठ सकता है और कश्मीर जैसे बड़े मामले पर पूरा समय देंगे फिर भी सारी परम्पराओं को तोड़कर, सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भंग करके इस बात को सोचे बिना कि इसका क्या परिणाम होगा, यहां पर लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी।...**(व्यवधान)**...आप लोग उत्तर प्रदेश के लिये परेशान हैं। महीने भर में चुनाव होंगे, नतीजा सामने आ जायेगा। दूसरी बात यह है कि बार–बार एक पार्टी की तरफ से उन लोगों को इशारा किया जा रहा है कि शोर मचाईये। ऐसा लगता है कि **(व्यवधान)**...*

...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह बात गलत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप नम्रता से बोलें। यह रिकार्ड नहीं किया जायेगा। मैं इसे रिकार्ड से निकाल दूंगा।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, ये अपने शब्द वापस लें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इनको शब्द का प्रयोग भी नहीं आता। आप माफी मांगिये। **(व्यवधान)**

श्री मुख्तार अनीस : अध्यक्ष महोदय, अगर इनको आपत्ति है तो मैं वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिये हैं।

(व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, उनको माफी मांगनी होगी।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, ये अपने शब्द विदड्रा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके बैठ जायें। अब मैं अपना निर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय सदस्य को यह जानना चाहिए कि सदन में कैसे बोला जाता है। यह ठीक नहीं है। मैं नहीं समझता कि वह और बोल सकते हैं। कृप्या बैठ जाइये।

मामला बिल्कुल सीधा है। प्रश्न यह है कि उस समय पीठासीन ने मामले पर कुछ निर्णय दिया था। मैं पीठासीन के निर्णय को पढूंगा परन्तु उपाध्यक्ष का निर्णय कुछ भी हो, वही रहेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बहुत हो गया।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनको माफी मांगनी होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है। इससे अधिक की जरूरत नहीं है।

श्री के. एस. रायुडू (नरसापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री तथा जल संसाधन मंत्री का ध्यान अलामती बांध के मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं।

अलामती जलाशय से आंध्र-प्रदेश को पानी की सप्लाई में विलम्ब होगा, इससे आंध्र प्रदेश में कृषि तथा बिजली उत्पादन में इस हद तक बाधा पड़ेगी जितना कि वह कृष्णा नदी पर निर्भर है।

यह स्पष्ट रूप से कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण पंचाट का उल्लंघन है। केन्द्र द्वारा इस परियोजना को दी गई मंजूरी पूरी तरह अनुचित है और ऐसा प्रभावित राज्य के विचारों पर ध्यान दिये बिना किया गया है। यहां यह भी बता देना चाहता हू कि केन्द्रीय एजेन्सियां अपनी मंजूरी देती जा रही हैं।

आंध्र प्रदेश को पानी बहुत देर से मिलेगा जिसमें नागार्जुन सागर और कृष्णा डेल्टा के कमान क्षेत्र के लगभग 30 लाख एकड़ भूमि में कृषि कार्यो पर प्रभाव पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में देरी से पानी पहुंचने का श्रीसेलम और नागार्जुन सागर परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा। कर्नाटक आंध्र प्रदेश में अनाज की लागत पर बिजली उत्पादन नहीं कर सकता।

हमारे माननीय मुख्य मंत्रों श्री चन्द्रबाबू नायडू, माननीय प्रधानमंत्री कर्नाटक के मुख्य मंत्री तथा केन्द्रीय एजेन्सियों से अनुरोध कर अलामती में निर्माण कार्य रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं।

परिस्थितियों को देखते हुए मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार अलामती बांध पर सभी कार्य तुरन्त स्थगित करने के आदेश दे। अपर कृष्णा परियोजना को दी गई मंजूरी को भारत सरकार रद्द करे। वास्तविक स्थिति का पता लगाने तथा इस समस्या को हल करने के लिये भारत सरकार एक विशेषज्ञ समिति गठित करें।

श्री वी. धनन्जय कुमार (मंगलौर) : कृष्णा अन्तर्राज्यीय नदी है। इसका उद्‌गम महाराष्ट्र में है और यह कर्नाटक से बहती हुई आंध्र प्रदेश में जाती है। इन तीनों राज्यों के पानी के हिस्से का निर्णय करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था जिसने अपना फैसला दे दिया है। यह पंचाट बचावत पंचाट के नाम से जाना जाता है। बचावत पंचाट सभी तीनों राज्यों के लिए बाध्य है। कर्नाटक राज्य ने बचावत पंचाट की शर्तो के अनुसार ही अलामती में कृष्णा नदी पर बांध का निर्माण शुरू किया है। हमने बचावत पंचार का उल्लंघन नहीं किया है ...**(व्यवधान)** यह तेलगूदेशम (चन्द्रबाबू नायडू) तथा जनतादल के बीच अपवित्र समझौते का सीधा-परिणाम है। जनता दल सरकार जिसे तेलगूदेशम का समर्थन प्राप्त है बैचावत पंचाट की शर्तों का उल्लंघन करने का प्रयास कर रही है। वे कर्नाटक को उन अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं जो उसे बचावत पंचाट से मिले हैं। हम बचावत पंचाट के अन्तर्गत दिये गये किसी भी निदेश का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

टी.एम.सी. और डी.एम.के. का अपवित्र समझौता है और वह कावेरी नदी से अधिक पानी लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस अपवित्र समझौते के कारण तेलगूदेशम पार्टी इस सरकार से अनुचित लाभ उठा रही है इस अपवित्र समझौते का यह सीधा परिणाम है। उनके इस समझौते के कारण हम किसी व्यक्ति से नहीं डर सकते। न्याय के लिए लड़ना कर्नाटक राज्य का अधिकार है। भारत सरकार को बचावत पंचाट को लागू करना चाहिए। उन्हें यह पूरी तरह से देखना चाहिए कि बचावत पंचाट की शर्ते क्रियान्वित हों। इस प्रकार की चालबाजी को चलाने नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अनावश्यक तौर पर अपने पड़ौसी राज्य पर आरोप लगाते हैं हम सग भाई हैं। हमें अपने अच्छे सम्बन्धों को बनाये रखना है। हम भारत संघ में रह रहे हैं। हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं ? यह केवल जल बंटवारे का मामला है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां कर्नाटक कहेगा कि वह किसी अन्य राज्य को एक बूंद पानी भी नहीं देगा। यह लोअर रिपेरीयन क्षेत्र है। आंध्रप्रदेश के लिए भी यह ऐसा मामला नहीं है जहां वह कहे कि कर्नाटक को एक बूंद पानी को भी नहीं छूना चाहिए। कावेरी जल के बारे में भी यही मामला है। हम राष्ट्रीय जल नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अन्तिमरूप देने के लिए पिछले कई वर्षों से भारत सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। भारत सरकार ने अभी तक इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अन्तिम रूप नहीं दिया है। जब तक इनको अन्तिमरूप नहीं दिया जाता समस्या हल नहीं हो सकती। इन मामलों को न्यायालय द्वारा अथवा न्यायाधिकरण हल नहीं किया जा सकता। इस समस्या के विस्तृत पहलुओं को ब्यान कर मैं सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहता।

हमने बचावत पंचाट में निर्धारित जल की मात्रा को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने भी इसे स्वीकार किया है। जहां तक अलामती का सम्बन्ध है। केवल बांध की ऊंचाई तय की जानी शेष है। आंध्र प्रदेश में चल रही कुछ परियोजनाओं के बारे में कर्नाटक राज्य ने भी ऐसा ही कहा हे। यह ऐसे मामले हैं जिन्हें आमने सामने बैठकर हल किया जा सकता है।

मैंने हाल ही में सुना है कि भारत सरकार ने एक गैर-सरकारी समिति को मामले के कानूनी पहलू पर विचार करने को कहा है। इन मामलों को राजनैतिक तरीकों से हल नहीं किया जा सकता। ये तकनीकी मामले हैं। उन्हें कानूनी दायरे के अंतर्गत भी लाना होगा। भारत सरकार बिना कानूनी ढांचे के इन मुद्दों को कैसे ले सकती है। कानून कुछ भी हो सकता है परन्तु परिणाम इन राज्यों अर्थात कर्नाटक, आंध्रप्रदेश तथा अन्य पर पड़ेगा। मैं महसूस करता हूं कि हमें आग में और तेल नहीं डालना चाहिए। अतः मेरी आप से अपील है कि इस मामले को इन दोनों राज्यों के बीच ही तय होने दीजिए। केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप न करे। आंध्रप्रदेश और कर्नाटक अपने मामले हल करने में सक्षम हैं।

दूसरे पक्ष के एक सदस्य ने कहा है कि वहां कार्य को रोक दिया जाये। कर्नाटक के एक माननीय सदस्य ने भी ऐसा ही मुद्दा उठाया है। मेरा सुझाव यह है कि इन दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री अपनी तकनीकी विशेषज्ञों के साथ आमने सामने बैठें और इस मामले को हल करें। यदि यह दोनों ऐसा करने में असफल रहते हैं तथा केन्द्र सरकार को बीच में आना चाहिए। दोनों राज्यों को आपस में बैठकर इस मामले को हल करना चाहिए।

मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, महोदय मुझे खेद है।

श्री एस. बंगारप्पा : मद्रास नगर को पेय जल के बारे में .....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप इस मुद्दे पर वाद-विवाद नहीं कर सकते, मुझे खेद है।

श्री एस. बंगारप्पा : महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

महोदय, हमको रोका नहीं जा सकता यह मुद्दा भी है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी सम्बन्धित राज्यों को परामर्श दें कि वे मेज पर बैठकर मुद्दे को हल करें।

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : महोदय, यह ऐसा प्रश्न है जो दोनों राज्यों को प्रभावित करता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लोग अच्छे पड़ौसी हैं। अलमती का मुद्दा एक भावनात्मक मुद्दा बन गया है और इसे यथासम्भव शीघ्र हल किया जाना चाहिए।

महोदय, यह मामला बांध की ऊंचाई को 515 मीटर से बढ़ाकर 528 मीटर करने के कर्नाटक सरकार के प्रयास से उत्पन्न हुआ है। योजना आयोग के मूल अनुमोदन के अनुसार इस बांध की भण्डारण क्षमता 42 टी.एम.सी. होनी चाहिए। परन्तु बांध की ऊंचाई बढ़ाने के बाद इसकी भण्डारण क्षमता 227 टी.एम.सी. हो जायेगी। बचावत पंचाट के अनुसार इसकी उपयोगिता 173 टी.एम.सी. होनी चाहिए जोकि अब 442 टी.एम. सी. हो जायेगी।

वह लोयर रिपेरीयन क्षेत्र होने के नाते आंध्र प्रदेश में शंका है कि जिस वर्ष वर्षा कम होगी उस वर्ष कृष्ण डेल्टा की 34 लाख एकड़ भूमि सूख जायेगी और यदि बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसे एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा...**(व्यवधान)** मुझे पूरा करने दीजिए...**(व्यवधान)**..

श्री वी. धनन्जय कुमार : महोदय, ऐसा केवल जल विद्युत की योजना के लिए है। हम अधिक जल रोकना नहीं चाहते।...**(व्यवधान)** सदन के समक्ष ठीक तथ्य रखे जाने चाहिएं।

श्री पी. उपेन्द्र : पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

श्री वी. धनन्जय कुमार : बांध की उपाई विद्युत परियोजना के लिए बढ़ाई गई है। हम अधिक पानी नहीं रोकना चाहते (व्यवधान) सदन के समक्ष सही तथ्य रखे जाने चाहिए...

श्री पी. उपेन्द्र : इस मामले को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। अनेक माननीय संसद सदस्य प्रधानमंत्री से मिले और उनसे अनुरोध किया कि वह इस समस्या को हल करने

के लिए पहल करें क्योंकि वह इस मामले की समूची पृष्ठभूमि को जानते हैं। परन्तु दुर्भाग्य से वह इसमें पहल नहीं कर सके और इस मामले को संयुक्त मोर्चे का आन्तरिक मामला समझा गया।

उन्होंने इस मामने को देखने के लिए चार मुख्य मंत्रियों को नियुक्त किया है। मैं नहीं जानता उन्हें किस प्राधिकार के अधीन नियुक्त किया गया है। चार मुख्य मंत्रियों ने आगे एक अधिकारी दल नियुक्त किया है, जिसमें योजना आयोग तथा केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारी शामिल हैं, जोकि वे नहीं कर सकते। तब प्रधान मंत्री ने वहां से दो सदस्य हटा लिये और यह पूरी तरह एक गैर–सरकारी दल बन गया वे बंगलौर गये। बिना बांध का दौरा किये कर्नाटक सरकार ने उन्हें वापस भेज दिया। यह सब तमाशा हुआ है और स्थिति खराब होती जा रही है।

हम इस मामले को राजनैतिक नहीं बनाना चाहते। हम इस मामले का शीघ्र हल चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के लोगों की शंकायें वास्तविक हैं क्योंकि हम लोयर रिपेरीयन राज्य में हैं। हम कर्नाटक सरकार तथा वहां के लोगों को उन के वैध भाग से वंचित करना नहीं चाहते। उन्हें अपना भाग लेना चाहिए। परन्तु उन्हें आंध्र प्रदेश के लोगों की इन शंकाओं को दूर करना चाहिए। यह बांध की ऊंचाई को क्यों बढ़ा रहे जबकि उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ? उन्होंने विद्युत क्षमता को 1100 मेगावाट तक क्यों बढ़ाया है जिसके लिए उन्हें पानी के एक निश्चित स्तर को बनाये रखना होगा ? ये सभी बड़े नाजुक मुद्दे हैं जिन्हें तकनीकी विशेषज्ञ ही देख सकते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री को पहल करनी चाहिए और केन्द्रीय जल आयोग का एक दल वहां भेजना चाहिए जो समूची चीज की निगरानी रखे और पता लगाये कि वास्तव में क्या हो रहा है।...(व्यवधान)... कर्नाटक सरकार कहती है कि वह इसे नहीं बढ़ा रही है। आंध्र प्रदेश के विधान सभा सदस्य वहां गये हैं और उन्होंने उस स्थान का दौरा किया है और पाया है कि बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई है। अतः इसे विशेषज्ञ स्तर पर तय किया जाना है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री पहल करें और इसे अपने दल का मामला न समझे। उन्हें इसे भारत सरकार का मामला समझना चाहिए। भारत सरकार, कर्नाटक सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार एक त्रिपक्षीय समझौता किया जाना चाहिए और इससे पूर्व कि स्थिति और खराब हो, इसको शान्तिपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए।

हम पड़ौसी राज्यों के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न करना नहीं चाहते। दोनों राज्यों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और विशेषरूप से आंध्र प्रदेश के लोगों की शंकाओं को दूर किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.10 बजे पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.08 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 2.16 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.16 पर पुनः समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री जी।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अमरनाथ यात्रा

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों, मुझे खेद है कि कल शाम श्रीनगर से लौटने में हुए अपरिहार्य विलम्ब के कारण मेरे लिये यहां वक्तव्य देना सम्भव न हो सका जैसाकि मैंने सोचा था।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा की पृष्ठभूमि और प्रत्याशित यात्रियों की अभूतपूर्व संख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए संभारिकी प्रबन्धों की मुख्य–मुख्य बातों और यात्रा पर आयी दुःखद प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सेना और अर्ध–सैनिक बलों की सहायता से राज्य प्राधिकारियों द्वारा चलाए गए राहत और बचाव अभियानों के बारे में कल, पहले ही सदन को अवगत करा दिया है। यात्रा के मार्ग में, ऊंचाई वाले स्थानों पर हुए असामयिक हिमपात से यात्रियों द्वारा कड़ी ठंड का सामना करने के साथ–साथ ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के कारण हुई थकान से, वृद्ध और कम स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। राज्य में मूसलाधार और लगातार हुई बरसात के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू और बनिहाल के बीच अनेक स्थानों पर और अनन्तनाग से पहलगाम के बीच यात्रा के रास्ते में दो जगहों पर अभूतपूर्व भूस्खलन हुआ। इससे जम्मू और पहलगाम के बीच एकमात्र संचार–सम्पर्क भी पूरी तरह नष्ट हो गया।

महोदय 22 तारीख को मैं स्वयं वहां था और जब मौसम अचानक खराब हो गया तो तापमान में स्वयं बहुत तेजी से गिरावट आई, भारी वर्षा हुई और साथ ही तेज हवा भी चली। 22 और 24 अगस्त के बीच अत्यन्त खराब मौसम जारी रहने के कारण, यात्रा के रास्ते पर किसी भी पड़ाव से हताहतों को निकालने और फंसे हुए यात्रियों को मदद पहुंचाने के लिए हवाई जहाज से बचाव अभियान चलाने में रूकावट आयी। तथापि, 24 अगस्त को ही ऊंचाई वाले स्थानों में शिविरों से यात्रियों को बड़ी संख्या में नीचे पहलगाम लाने में सेना और सुरक्षा बलों ने भारी मदद की। ले. जनरल सकलानी 24 अगस्त को पहलगाम गए। हवाई जहाज से बचाव कार्य 25 को ही शुरू किया जा सका, तब तक 121 यात्रियों की पहले मृत्यु हो चुकी थी। मौसम खुल जाने पर, जो व्यक्ति बीमार थे, उन्हें तत्काल श्रीनगर लाया गया। लगभग 150 बीमार व्यक्तियों को आर्मी बेस–अस्पताल श्रीनगर में इलाज के लिए भर्ती किया गया। उनमें से 88 यात्रियों को गहन चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया।

प्राधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे राहत और बचाव अभिमान की जानकारी लेने के लिए मैंने कल कश्मीर की यात्रा की थी। यात्रा के

मार्ग में, महत्वपूर्ण स्थानों पर यात्रियों के लिए किए गए समग्र प्रबंधों की भी मैंने पुनरीक्षा की थी। इस यात्रा के दौरान, मैं, पंचतरणी, जो पवित्र गुफा के निकट सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शिविर है, और पहलगाम और खानाबल भी गया। मेरे दौरे के दौरान, पंचतरणी में लगभग 100 यात्री, शेषनाग में 500, चन्दनवाड़ी में 6700, पहलगाम में 70,000 और अनन्तनाग में 6000 यात्री थे। मैंने, पंचतरणी और खानबल में फंसे अनेक यात्रियों से बातचीत की। पहलगाम, चन्दनवाड़ी और खानाबल में यात्रियों के लिए किए गए प्रबन्धों की विशेष रूप से समीक्षा की गयी क्योंकि इन तीनों स्थानों पर 80,000 से अधिक यात्री हैं। मैं, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती यात्रियों को देखने के लिए आर्मी–बेस अस्पताल भी गया।

आमतौर पर यात्रियों ने यात्रा प्राधिकारियों और सुरक्षा बलों द्वारा प्रदत्त सहयोग की बहुत सराहना की। राहत की पर्याप्तता और बचाव अभियानों को समय से शुरू किए जाने के बारे में उन्हें न के बराबर शिकायत थी, उनके विचार से ये कार्य पूरी क्षमता से किए गए। विभिन्न स्थलों पर खाने की चीजों की व्यवस्था की विशेष रूप से प्रशंसा की गई। यात्रा मार्ग पर कहीं भी खाद्य पदार्थों की कमी की शिकायत किसी ने नहीं की। तथापि, यात्रियों ने पंचतरणी में कंबलों की कमी की शिकायत की। प्रशासन ने तंबुओं और कंबलों की व्यवस्था, पिछले साल के मुकाबले चार गुना ज्यादा की थी, प्रशासन द्वारा की गई कंबलों की व्यवस्था केवल पूरक किस्म की थी और यह व्यवस्था पर्याप्त सिद्ध होती यदि यात्री, दी गई सलाह के अनुसार अपने–अपने कंबल लाते परन्तु जैसीकि स्थिति बनी, ये पूरक व्यवस्थाएं भी, असाधारण रूप से कठिन मौसमी परिस्थितियों तथा अनपेक्षित बर्फबारी के कारण जमाव बिन्दु तक गिर गए तापमान के सामने अपर्याप्त सिद्ध हुई।

पहलगाम में एक यात्री ने रेस्तरांओं एवं खाद्य सामग्री की दुकानों में खाने की चीजों के लिए निजी दुकानदारों द्वारा अधिक दाम वसूलने के प्रयास किए जाने की शिकायत की। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जब कभी भी अत्यधिक मांग की स्थिति आती है तो आपूर्तिकर्ता अधिक दाम वसूलना चाहते हैं। यद्यपि राज्य के प्राधिकारी इस मामले में सचेत थे फिर भी पहलगाम के स्थानीय प्रशासन को खाने की चीजों की दरें कड़ाई से विनियमित करने के निर्देश दिए गए थे। पहलगाम में जहां पर्याप्त मात्रा में चावल, गेहूं और आटा है वहीं स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि उनके पास खाद्य तेल और दालों की कमी है। तुरन्त ही इन चीजों की आपूर्ति अनंतनाग से भेजे जाने के निर्देश जारी किए गए, अनंतनाग और पहलगाम के बीच संचार संपर्क पहले की पुनर्स्थापित कर लिया गया था।

जब मैंने पंचतरणी का दौरा किया तब वहां लगभग 100 यात्री उस समय भी फंसे हुए थे। एक दर्जन से अधिक यात्रियों को वहां से ले जाने के लिए चुना गया था क्योंकि वे पंचतरणी से पहलगाम तक पैदल आने में सक्षम नहीं थे। जब मैं दिल्ली पहुंचा, मुझे सूचित किया गया कि इन लोगों को पहले ही हैलीकाप्टरों द्वारा वहां से निकालकर ले आया गया है। लगभग 2000 यात्रियों को गुफा से बालताल सुरक्षित ले आया गया। ये सभी यात्री सुरक्षित रूप से श्रीनगर पहुंच गए हैं। जहां उन्हें ठहराने के लिए एक शिविर लगाया गया है। पहलगाम में 6 लोग बीमार थे जिन्हें अस्पताल ले जाया जाना था। उन्हें वहां से निकालकर श्रीनगर ले आया गया और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इंडियन एअरलाइंस आज श्रीनगर से जम्मू तक एक शटल उड़ान और श्रीनगर से दिल्ली के लिए एक अन्य उड़ान की व्यवस्था कर रहा है जिससे श्रीनगर से तीर्थयात्रियों को ले जाया जा सके।

पहलगाम और अनंतनाग के बीच सड़क सम्पर्क पहले ही पुनः स्थापित किया जा चुका है। अनंतनाग और ऊधमपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग आधा दर्जन स्थानों पर अवरूद्ध था। मुझे सूचित किया गया कि सामरोहली तक की सड़क जो जम्मू से 80 कि.मी. की है, को 26 अगस्त तक यातायात योग्य बना दिया गया था। सामरोहली और जम्मू के बीच संचार सम्पर्क यातायात हेतु आज दोपहर तक शुरू होने की आशा थी। उसे देखते हुए, 6,000 यात्रियों को अनंतनाग से रामबाण तथा सामरोहली चले जाने की इजाजत दे दी गई। इतने ही यात्रियों को पहलगाम से अनंतनाग जाने की इजाजत दी गई जहां सुरक्षित स्थान पर उनकी रात को ठहरने की व्यवस्था की गई थी। आज राष्ट्रीय राजमार्ग के यातायात हेतु खुल जाने के बाद, यात्रा प्राधिकारियों द्वारा बनाई गई यात्रा योजना के अनुसार यात्री बैच–वार पहलगाम तथा चंदनवाड़ी से जम्मू के लिए चलेंगे।

कल छड़ी मुबारक को हवाई मार्ग द्वारा पंचतरणी तक लाया गया। सामान्य परिस्थितियों में छड़ी मुबारक श्रीनगर से अनंतनाग एवं मट्टन होते हुए पहलगाम लाई जाई जाती है। तथापि, श्रीनगर–अनंतनाग मार्ग अभी भी जलमग्न है जिसके कारण छड़ी मुबारक को पंचतरणी तक हवाई जहाज से ले जाने की आवश्यकता है जिससे कि यह 28 अगस्त की सुबह ही गुफा तक पहुंच सके।

मुझे बताया गया था कि पहलगाम कैंप में ठहरे हुए 70,000 यात्रियों में से लगभग 15,000 दर्शन के लिए गुफा तक नहीं जा सके। तथापि, इस वास्तविकता को समझते हुए कि वे 28 अगस्त तक गुफा तक नहीं पहुंच सकते, अतः उन्होंने वापस लौटने की इच्छा जाहिर की बताई जाती है। तथापि, यह सावधानी बरतते हुए कि खतरा न्यूनतम हो, उनके गुफा तक पहुंचने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे, बशर्ते कि उनमें से कुछ 28 अगस्त तक गुफा तक पहुंचने की इच्छा जाहिर करते।

मैंने मृतकों के शवों के बारे में राज्य प्राधिकारियों की योजना पर भी चर्चा की। अब तक मृतकों की संख्या 127 तक पहुंच गई है परन्तु अधिकारियों द्वारा तब तक केवल 77 शवों की ही पहचान की जा सकी थी। 19 मामलों में, जिनमें संबंधियों की अनुमति मिल गई थी, अंतिम संस्कार पहले ही किया जा चुका था। स्थानीय अधिकारी उन शवों के लिए ताबूत तैयार कर रहे हैं, जिन्हें उनके संबंधियों द्वारा अपने घर ले जाए जाने की इच्छा व्यक्त की गई है। जहां तक गैर–शिनाख्तशुदा शवों का संबंध है, प्राधिकारियों द्वारा उनके फोटों ले लिए गए हैं। यदि एक या दो दिन के अन्दर उनका कोई संबंधी उनकी पहचान के लिए नहीं आता है तो पहलगाम अथवा चन्दनवाड़ी में ही उनका अन्तिम संस्कार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहेगा। कुछ शव सड़ना शुरू हो गये हैं क्योंकि फिर मौसम बदल गया है। वहां मौसम बदलता रहता है। कल मैं जब वहां था तो मौसम काफी गर्म था। धूप खिली हुई थी और तापमान काफी गर्म था। कुछ डाक्टरों तथा लोगों ने मुझे बताया

कि ये शव अधिक समय तक ठीक नहीं रहेंगे और वे सड़ना शुरू हो जायेंगे।

कल कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा था कि जब मौसम के खराब होने के संकेत मिले थे तो खराब मौसम की चेतावनी के संबंध में अग्रिम सूचना क्यों नहीं दी गई थी। मैंने भी राज्य प्राधिकारियों से पूछा था कि खराब मौसम को देखते हुए क्या सावधानियां बरती गई थीं। राज्यपाल के सलाहकार ने मुझे बताया था कि 22 अगस्त को ही, जब मौसम अचानक खराब हो गया था तो यात्रा अधिकारी को इस आशय के निर्देश दे दिए गए थे कि बिना अनुमति के यात्रियों को, उनके लिए लगाए गए शिविरों से आगे न जाने दिया जाए। जिस समय यह सूचना विभिन्न शिविरों में लागू की जा रही थी उस समय तक हजारों तीर्थयात्री अपने-अपने शिविरों से निकल चुके थे और दो शिविरों के बीच में ही थे तथा उनमें से अधिकांश जो अधिक ऊंचाई पर थे, तब तक गंभीर रूप से ठंड से प्रभावित हो चुके थे। यद्यपि, विगत परिस्थितियों को देखते हुए, प्रत्येक व्यक्ति यह चाहेगा कि मौसम संबंधी जानकारी और भी पहले प्राप्त की जानी चाहिए थी तथा उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, फिर भी उन परिस्थितियों को देखते हुए राज्य अधिकारियों द्वारा नुकसान को न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए गए प्रतीत होते हैं।

यद्यपि, इस वर्ष तीर्थ-यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए उनके लिए किए गए प्रबन्धों में यहां-वहां कुछ हल्की-फुल्की खामियां पाई जा सकती हैं, फिर भी यात्रा के लिए किए गए प्रबंध, कुल मिलाकर, संतोषजनक थे तथा यदि मौसम असामान्य रूप से खराब न हुआ होता तो ये प्रबन्ध पर्याप्त सिद्ध होते। राज्य अधिकारियों ने अर्ध-सैनिक बलों और सेना के भरपूर सहयोग से इस दुःखद घटना से निपटने में कोई कमी नहीं छोड़ी है।

महोदय, मुझे कुछ जानकारी मिली है जो मैं सदन के साथ बांटना चाहूंगा।

आज सुबह अनन्तनाग से पहलगाम खाद्य तेल तथा दालें भेजी गई हैं। आज तीन बजे शाम से अनन्तनाग और जम्मू के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जायेगा। आज शाम तक लगभग 2000 यात्री जम्मू पहुंच जायेंगे। पंचतरणी अथवा शेषनाग में अब कोई यात्री नहीं है। सभी को निकाल लिया गया है और पहलगाम पहुंचा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन निर्देशक श्री पी. के. त्रिपाठी को जोकि आई.ए.एस अधिकारी हैं, पहलगाव कैम्प में किये जा रहे प्रबंधों की देखरेख के लिए भारसाधक नियुक्त किया गया है।

अपराह्न 2.30 बजे

[अनुवाद]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अमर नाथ यात्रा

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, क्या हम इस पर चर्चा कर रहे हैं अथवा कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं, स्थगन प्रस्ताव के बारे में मुझे अपना निर्णय देना है। क्या आप उससे पूर्व कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री जसवन्त सिंह : क्या आप निर्णय देने से पूर्व हमें कुछ कहने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : उन्हें अपना निर्णय देना है। माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे उससे पहले कुछ कहने की अनुमति देंगे।

महोदय, जो दुखद घटना कही है उसको देखते हुए कोई विवाद खड़ा करने का हमारा ईरादा नहीं है। परन्तु यदि हम इस सभा में अपनी चिन्ता व्यक्त नहीं करते हैं तो मैं नहीं जानता कि हमें ऐसा कहां करना चाहिए। माननीय गृह मंत्री को किया गया मेरा प्रश्न विशिष्ट था तो इसका कारण यह है कि इस बारे में हमें विशेष चिन्ता थी। समूचा सदन उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि गृह मंत्री के आने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम उम्मीद कर रहे थे कि माननीय गृह मंत्री कुछ तथ्यों के साथ वापस आयेंगे जोकि उनकी यात्रा का परिणाम होगा, न कि वह वहां घटी घटनाओं को ब्यान करेंगे। वह सरकार तथा अन्य एजेन्सियों की ओर से इनको दोहरा रहे हैं। इनमें नया कुछ नहीं है

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यदि इनमें कल्पना का रंग न दिया जाये तो तथ्यों की पुनरावृत्ति होती ही है।...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या हम अभी उसी नियम में हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपना निर्णय देना है कि क्या स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना है अथवा नहीं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं उसी प्रश्न पर हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न अलग है। मैं आपका ध्यान इस पर दिला रहा हूं कि लोक सभा के नियमों में यह व्यवस्था नहीं है कि मंत्री के वक्तव्य के पश्चात प्रश्न पूछने को अनुमति दी जाती है। अथवा उस वक्तव्य का हवाला दिया जाता है। हम कभी कभी उस नियम को छूट दे देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप जिस वक्तव्य का उल्लेख कर रहे हैं उसमें तथा इस वक्तव्य में अन्तर है। यह वक्तव्य माननीय सदस्य द्वारा दिये

गये स्थगन प्रस्ताव पर सभी दलों की बैठक में सर्वसम्मत निर्णय तथा इस सदन में सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय में आधार पर आया है। मुझे अब यह निर्णय लेना है कि स्थगन प्रस्ताव उचित है अथवा नहीं.। यदि वह स्पष्ट करना चाहते हैं तो मैं उनको इसकी अनुमति दे रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं दो मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अब तक नहीं समझ सका कि माननीय गृह मंत्री के दौरे का प्रयोजन क्या था। सारा दोष मौसम पर डाल दिया गया है। मौसम को ही दोषी पार्टी बनाया गया है। जैसा मैंने कल कहा था कि मौसम दोषी नहीं है बल्कि इसके असंवेदी अक्षम प्रशासन दोषी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह प्रतिकूल सोच की बात है।

श्री जसवन्त सिंह : यह वह प्रतिकूल सोच है जिससे आप इस दुर्घटना के होते हुए, जिसने हमें दुख पहुंचाया है, आप निरन्तर उड़ान भर रहे हैं। एक वरिष्ठ व्यक्ति तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे कामरेड के लिए यह कहना ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके वहां जाने का सारा प्रयोजन प्रमाणपत्र बांटना था, राज्य प्रशासन को तथा अन्य सभी को प्रमाणपत्र जारी करना था। वह पार्टी जिसको प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है वह है...

अध्यक्ष महोदय : हम वक्तव्य पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह : हम कर रहे हैं क्योंकि वही सार है। मुझे बताना है कि हम स्थगन प्रस्ताव के लिए क्यों सह रहे हैं यह इस लिए है क्योंकि सरकार की निन्दा की जानी है। मैं इस बात से संतुष्ट भी हूं कि दोषी पार्टी...

श्री संतोष मोहन देव : यदि आप स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दे रहे हैं और वह इसी कारण बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : सदन उनकी धारणा का अनुमोदन कर रहा है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं नहीं जानता कि वह आपकी सोच की किस प्रकार भविष्यवाणी कर रहे हैं।

मैं अभी तक यह निश्चित नहीं कर सका कि माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री के दौरे का प्रयोजन क्या था। उन्हें वहां पर मात्र जाना ही नहीं था और सब को प्रमाण पत्र देना और वहां उपलब्ध राशन के हमें आंकड़े देना ही नहीं था। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के पास जानकारी हैं जो अन्य किसी व्यक्ति के पास नहीं है परन्तु हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कल यहां आकर यह कहना कि बस उनके पास इतनी ही जानकारी है और गृह मंत्री और जानकारी प्राप्त करने के लिए वहां गये हैं, ठीक बात नहीं है। और गृह मंत्री जब वापस आये तो उन्होंने कल यहां कही गई बातों को ही दोहराया है। हमारे लिए यह बहुत निराशा की बात है। वहां क्या गलत हुआ है हम उसको व्यापक, पूर्ण मूल्यांकन तथा विश्लेषण की आशा करते थे यह केवल मौसम ही नहीं है जो वहां खराब हुआ है।

कल यहां यह कहा गया था शायद, श्री चन्द्रशेखर ने कहा था कि हमें आशा है कि जब गृह मंत्री दौरे से वापस आयेंगे तो वह यहां पर उठाये गये कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। यदि गृह मंत्री के दौरे और उनके वक्तव्य के बाद जोकि तैयार शुद्धा वक्तव्य है, तथा प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद भी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो हम क्या करें। उदाहरण के तौर पर, राज्यपाल की क्या भूमिका थी ? आप उनकी अनुपस्थिति को कैसे लेंगे। वह यहां पर तीन दिन क्या कर रहे थे ?

श्री पी. आर. दास मुंशी (हावड़ा) : यहां तक कि मुख्य सचिव भी वहां नहीं थे।

श्री जसवन्त सिंह : मैं जो कुछ कह रहा हूं उससे कुछ प्रयोजन हल हो रहा है। मैंने यह भी बताया था कि जब यह दुर्घटना घट रही थी तब दिल्ली में कोई सरकार नाम की चीज नहीं थी। जम्मू व कश्मीर में भी कोई सरकार नहीं थी। यह मेरे लिए नहीं है कि मैं सुझाव दूं कि सरकार के मंत्रियों को क्या करना चाहिए था। मैंने वहां सम्पर्क के लिए अलग से प्रयास किये...

अध्यक्ष महोदय : कृप्या समाप्त कीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया। तीसरे हमने रेलवे द्वारा लोगों के निकालने के बारे में प्रश्न उठाया था। मेरा यह मुद्दा नहीं है कि माननीय राम विलास पासवान ने जो कहा वह गलत है। मैं यह आरोप भी नहीं लगा रहा हूं। यह सम्भव है कि माननीय रेल मंत्री को उपलब्ध जानकारी और वहां वास्तव में घट रही घटनाओं के बीच अन्तर हो। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक भ्रम जो अभी भी है और एक प्रश्न जिसका अभी तक उत्तर नहीं आया है वह यह है कि क्या यात्रा रद्द कर दी गई थी अथवा जारी थी ? छड़ी मुबारक के पहुंचने पर, जोकि सांकेतिक है और एक रीति है जिसका पूरा किया जाना आवश्यक है, क्या यात्रा जारी थी ? अथवा क्या इसे रद्द कर दिया गया था ? यात्री पीछे रुक गये थे। इस भ्रम के कारण यात्री पीछे रूक गये थे। अतः जम्मू से रेलवे द्वारा लोगों को निकालने संबंधी प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

स्वयं सरकार के साधनों से ही हताहतों के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनमें बहुत अन्तर है। पहले हताहतों की संख्या 168 बताई गई थी परन्तु गृह मंत्री ने अपना वक्तव्य यह कहते हुए शुरू किया कि हताहतों की संख्या 121 है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह आंकड़े तब के हैं जब मैं वहां पहुंचा था।

श्री जसवन्त सिंह : अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने यह संख्या 127 बताई। हम शवों को गिनने का भयंकर खेल नहीं खेल रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि देश के सभी भागों से अनेक सभी रिश्तेदारों को सन्देश मिलता है जोकि इस बारे में कुछ सुनना चाहते हैं क्योंकि बहुत से शव पहचाने नहीं जा सके और वह सड़ने शुरू हो गये हैं।

शरीर तो नश्वर है यह तो खत्म होगा।

सभी शरीर खत्म होंगे। शरीर मरेगा। यह प्राकृतिक चीज है, वस्तु जो जीवित हैं और जो तीर्थयात्रियों की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण सन्देश है। अतः जब हम संख्या के प्रति भ्रमित

हैं अथवा कभी 168, कभी 121, कभी 127, कभी 400 और कभी 1000 कहते हैं तो समूचे देश में चिन्ता उत्पन्न हो जाती है। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि माननीय गृह मंत्री जैसे अनुभवी व्यक्ति मेरी बात समझ गये होंगे। यह कोई वाद–विवाद का प्रश्न नहीं है जिसे मैं कहना चाहता हूं। ये समूचे देश की वास्तविक चिन्ता की बात है क्योंकि तीर्थयात्री–**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं । इस पर चर्चा नहीं हो रही है बल्कि यह स्थगन प्रस्ताव है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं तीर्थयात्रियों को वहां से निकालने के प्रश्न पर जोर नहीं दूंगा।–**(व्यवधान)** परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का यह मुद्दा है : कि वहां कोई विफलता नहीं है, कि वहां किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना है; अथवा इन तीन अथवा चार दिनों के लिए जम्मू व कश्मीर मं राज्यपाल की अनुपस्थिति के लिए किसी को उत्तर नहीं देना है; और किसी को इस का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना है अथवा किसी को इसका उत्तर नहीं देना है कि उन दिनों दिल्ली में क्या हो रहा था अथवा क्या नहीं हो रहा था ? क्या वहां कोई विफलता नहीं हुई है ? क्या इसकी कोई जांच नहीं होगी ? कल स्वयं प्रधानमंत्री से हमें आश्वासन प्राप्त हुआ था। सदन में सभी वर्गों में कोलाहल हुआ था। यह अभूतपूर्व दुर्घटना है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जांच की मांग की गई थी। माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह इसकी जांच करेंगे। माननीय गृह मंत्री ने सभी को योग्यता प्रमाणपत्र दे दिया हैं अब जांच का क्या होगा ? इस स्पष्टतः दुर्घटना को देखते हुए यदि सभी को योग्यता प्रमाणपत्र दे दिये जाते हैं तो फिर इस सब के लिए हम क्या कहें ? यही कारण है कि हम जोर दे रहे हैं कि स्थगन प्रस्ताव उचित है और यह स्थगन प्रस्ताव ऐसा है जिसके अन्तर्गत हम इस दुर्घटना विशेष पर चर्चा कर सकें। यह मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। हम कल से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल वक्तव्य दिया था। आज घटनास्थल से वापस आने के बाद गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया है। मैं नहीं समझता कि मैं इस स्थगन प्रस्ताव पर अपनी अनुमति देने की स्थिति में हूं। अतः मैं स्थगन प्रस्ताव के लिए अपनी अनुमति नहीं देता। फिर भी चूंकि सदन की यह सर्वसम्मत राय है....

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हम आपके निर्णय को चुनौती नहीं दे रहे हैं लेकिन हम गृह मंत्री महोदय के खिलाफ अपना रोष जरूर प्रकट करना चाहतें हैं। आप चर्चा की अनुमति देंगे तो चर्चा जब होगी तब होगी। हम तो स्वयं पहलगांव में जाकर देखना चाहते हैं कि वहां स्थिति क्या है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पहले क्यों नहीं गए ?

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : आप लेकर क्यों नहीं गए ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इनका मतलब यह है कि मैं ट्रैजड़ी से पहले क्यों नहीं गया था दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसी बात नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गृह मंत्री का इस तरह से पूछना कि पहले क्यों नहीं गए, इसका क्या मतलब है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप समझे कि इसका क्या मतलब है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं तो समझ रहा हूं, मगर शायद आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हो सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपसे पहले जाता, मैं ट्रेजड़ी से पहले जाता। आप संसद सदस्यों को लेकर जा सकते थे। कम से कम यूनाइटेड फ्रंट के ये जो हां में हां मिलाने वाले लोग बैठे हैं, इनमें से किसी को ले जा सकते थे।...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे कह रहे हैं कि हम इसमें राजनीति नहीं ला रहे हैं। फिर यहां क्या हो रहा है ? वह किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ? संसद सदस्यों का उन्होंने किस प्रकार उल्लेख किया है। श्री वाजपेयी से ऐसी आशा नहीं थी...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या गृह मंत्री से इस प्रकार की आशा थी ? इसका क्या मतलब है ? यह पोलिटिक्स नहीं है कि आप पहले क्यों नहीं गये...**(व्यवधान)** इनका सवाल क्या है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इस तरह संसद सदस्यों की हंसी नहीं उड़ा सकते।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कहीं रेल दुर्घटना हो जाए, उसमें लोग मर जाएं और रेल मंत्री उसके बाद जाएं तो रेल मंत्री से पूछा जाएगा कि पहले क्यों नहीं गए। इस सवाल का क्या मतलब है ?

अध्यक्ष महोदय, सारे मामले की जांच होने की जरूरत थी। जैसा कि मेरे सहयोगी जसवन्त सिंह जी ने कहा कि सब कुछ वहां ठीक था किन्तु मौसम दगा दे गया, देशवासी इस पर विश्वास नहीं करेंगे। गृह मंत्री महोदय को सारे देश के लोगों की भावनाओं की चिन्ता करनी चाहिए। देश के कोने–कोने से लोग वहां गए हैं और उनके मन में चिन्ता है। आपने उस चिन्ता को कोई उत्तर नहीं दिया। आपने जांच का कोई आश्वासन नहीं दिया। हम इसके विरुद्ध रोष प्रकट करना चाहते हैं। हम इस सदन से जा रहे हैं।

अपराह्न 2.47 बजे

तत्पश्चात श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ अन्य सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के वक्तव्यों की सत्यता को चुनौती दे रहे हैं। उनके पास अपनी कोई जानकारी नहीं है। गृह मंत्री ने ठीक ही कहा है कि इससे पूर्व कि वे गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री के वक्तव्यों का खंडन करें उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानना चाहिए कि वहां क्या हुआ है। गृह मंत्री ने ठीक टिप्पणी की है। आप बिना व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त किये सरकार में उच्चतम व्यक्तियों के वक्तव्यों को चुनौती दे रहे हैं। आप सभी को भाषण दे रहे हैं और स्वयं इस प्रकार इस दुर्घटना को राजनैतिक रूप दे रहे हैं। सभी को चिन्ता है। आपने कहा कि इस पर चर्चा होगी। वे आपके सामने सहमत हो गये थे। अब वे राजनैतिक उद्देश्यों से इससे पीछे हटना चाहते हैं। वे समाचार पत्रों की सुर्खियों में आना चाहते हैं। मैं विपक्ष के नेता के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का जोरदार विरोध करता हूं।...**(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री (श्री एच. डी. देवेगौड़ा) : मैं इस मुद्दे विशेष के साथ राजनीति नहीं जोड़ना चाहता। कल मैं प्रतीक्षा करता रहा और तब आपने शाम पांच बजे मुझे वक्तव्य देने का निदेश दिया। उस समय भी मैंने यह स्पष्ट कर दिया था जबतक गृह मंत्री स्थिति का अध्ययन करने के बाद वापस नहीं आ जाते और अद्यतन जानकारी नहीं दे देते तब तक यदि सदन इस विषय पर चर्चा करना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने केवल इतना ही कहा था। यदि सदन इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसमें राजनीतिक जोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार स्थिति के प्रति जागरूक है। कल मैंने कोई राजनीति नहीं जोड़ी थी। मैंने अनेक वरिष्ठ नेताओं के भाषण सुने हैं और उनसे मुझे दुख हुआ है। 21 अगस्त को भारी वर्षा शुरू हुई और इसकी कोई उम्मीद नहीं करता था। यह 22, 23 और 24 तारीखों को भी जारी रही। 24 दोपहर तक कोई भी व्यक्ति उस विशेष स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता सहित कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। हम क्या कर सकते थे ? किसी भी व्यक्ति के लिए यह असम्भव था। स्थिति नियंत्रण से बाहर थी क्योंकि मौसम सहयोग नहीं कर रहा था। अब यह माननीय सदस्य कहना चाहते हैं कि हम विफल रहे हैं। आपका ऐसा कहने का क्या मतलब है ? हमने सभी प्रबन्ध किये थे। गत वर्ष केवल 900 घर बनाये गये थे। इस वर्ष 3600 घर बनाये गये थे। क्या सरकार इन मामलों के प्रति जागरूक नहीं थी ? हमारे पास कुछ मूल जानकारी है कि शासन कैसे चलाया जाता है...**(व्यवधान)** कृपया मेरी बात सुने।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : वक्तव्य में अनेक चीजों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। प्रधानमंत्री महोदय इस मामले को राजनैतिक रूप नहीं देना चाहते।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री एच.डी.देवेगौड़ा : मैं इसमें राजनीति नहीं जोड़ रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : हम इस मामले को राजनैतिक रूप नहीं देना चाहते।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : हर अवस्था पर मैं स्वयं निगरानी रखे हुए था। जब मैं मद्रास में था तब भी मैं जानकारी प्राप्त कर रहा था। परन्तु हम क्या कर सकते थे ? जब मैंने अपने मुख्य सचिव तथा गृह सचिव से पूछा तो उन्होंने बताया कि मौसम बहुत अधिक खराब है, वर्षा रुकी नहीं है और वहां कोई नहीं जा सकता। परन्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार व्यवस्था बनी हुई थी। पहलगाम और पंचतरणी के बीच यात्री फंस गये थे....**(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, प्रश्न यह नहीं है। मैं प्रधान मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

हम इस पक्ष की प्रतिक्रिया का बिल्कुल भी अनुमोदन नहीं करते। यह नाजुक स्थिति है। हम इसका निरनुमादेन करते हैं।

परन्तु मुझे प्रधान मंत्री से एक प्रश्न पूछना है। प्रश्न यह नहीं है कि वहां क्या हुआ है; प्रश्न यह है कि यह कैसे हुआ। ? वहां सात चरण हैं। प्रत्येक वर्ष यात्रा होती है। प्वायंट 1 से प्वायंट 2 अर्थात अनन्तनाग से जब व्यक्ति पहलगाम के लिए चलता है तो यात्रा अधिकारी उसकी मंजूरी देता है। इसी प्रकार प्वायंट 1 से 2 से प्वायंट 3 के लिए पुनः मंजूरी दी जाती है। इसी प्रकार यह चलता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उन्होंने प्वायंट 6 से 7 के लिए मंजूरी किस प्रकार दी। वे शेषनाग कैसे गये जब वह जानते थे कि मौसम खराब है। वहां आपको मौसम की पूर्व सूचना उपलब्ध थी। मुझे नहीं पता उन्होंने आपको सूचित किया था अथवा नहीं। कितने कर्मचारी उपलब्ध थे ? आप के पास तंत्र व्यवस्था कितनी थे ? आप इस बात को स्वीकार करें कि यह तंत्र विफल रहा।

मैं अब आपकी स्थिति से बोलूंगा। यह आपके शब्द हैं जिन्हें मैं दोहरा रहा हूं। मंत्री महोदय, आपने यह आंकड़े क्यों दिये ? स्वीकार कीजिये कि यह गलती थी।...**(व्यवधान)** मैं आपकी बात दोहरा रहा हूं.

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें उसमें नहीं जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्हें यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि व्यवस्था असफल रही है। इसे स्वीकार कीजिए। मैं उस कुर्सी पर बैठ चुका हूं। मैं भी वैसे ही उत्तर देता जैसाकि गृह मंत्री ने दिया है। मैं श्री इन्द्रतीत गुप्त के शब्द दोहरा रहा हूं जब वह इस कुर्सी पर बैठे हुए थे। महोदय, आप जानते हैं आपकी भाषा क्या थी ? वह यह थी, "मंत्री महोदय, आप यह जानकारी क्यों दे रहे हैं ? मैंने आज सुबह समाचारपत्रों में यह पढ़ लिया है। हमें कुछ तथ्य दीजिए।" आप ने मुझ से यह प्रश्न किया था। मैं वही बात आप से कह रहा हूं। मंत्री महोदय, यह सब वही है जो हमने समाचार पत्रों में पढ़ लिया है। हमें बताइये यह कैसे हुआ। मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणी आपके पास थी, गृह मंत्रालय में कई वरिष्ठ अधिकारी आपके पास थे ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इन सभी बातों पर चर्चा के लिए हमें समय मिलेगा ?

श्री राजेश पायलट : अतः व्यवस्था विफल हो गई। उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मेरे विचार में बस काफी हो गया। ...**(व्यवधान)**

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : महोदय, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं कही है। मैं केवल एक शब्द कहना चाहता हूं। जो राजेश पायलट कह रहे थे कि जब यात्री एक प्वायंट से दूसरे प्वायंट की ओर जा रहे थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया। यह ठीक प्रश्न है जो उन्होंने किया है। मामला यह है कि जब भारी वर्षा हो रही थी और बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी तो केन्द्र को सूचना दी गई थी। परन्तु यात्री एक शिविर और दूसरे शिविर के बीच फंस गये थे। हम उनको सूचित नहीं कर सके क्योंकि संचार व्यवस्था पूर्णतया विफल हो गई थी। मैंने इन सभी बातों पर चर्चा की है। किसी को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है।...**(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट : जम्मू व कश्मीर पुलिस के पास प्रत्येक 20 मीटर पर वाकी–टाकी हैं और आप संचार व्यवस्था की असफलता की बात कर रहे हैं। उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया...**(व्यवधान)**

श्री पी. आर. दास मुंशी : वहां पर सुरक्षा, पर्यटना अथवा अन्य कोई अधिकारी न तो बेहोश हुआ है और न मरा है...**(व्यवधान)**

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : चार व्यक्ति मरे हैं। मैंने वक्तव्य दिया है।

श्री पी. आर. दासमुंशी : वे चार व्यक्ति अन्तिम दिन मरे हैं। आज भी 20 लोग फंसे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पर आपको एक पत्र लिखा था। माननीय गृह मंत्री के लिए दिल में पूरा सम्मान है। मैं उनकी सत्यनिष्ठा तथा देश के प्रति उनके योगदान का सम्मान करता हूं। मुझे यह कहते हुए खेद है और मैं आंसुओं के साथ यह कह रहा हूं कि पिछले चार दिनों से जम्मू के एस.पी. 60 लोगों का अतापता नहीं बता सके कि वे मर गये हैं, जिन्दा हैं अथवा मिल नहीं रहे हैं। वे फंसे हुए हैं मुझे टेलीफोन आया है। मैंने टिकटों के साथ अपने व्यक्ति भेजे हैं। वे क्या बात कर रहे हैं ? वे कहां फंसे हुए हैं। उन्होंने पूछा "हमें बतायें क्या वे मर गये हैं। यदि ऐसा है, तो हम उनके शव ले लेंगे। अथवा हमें एक कार दें। हम श्रीनगर जायेंगे। अथवा हमें बतायें कि क्या वे जीवित है।" एस.पी. ने कहा : मैं कुछ नही कह सकता।

मंत्री महोदय निराशापूर्ण बात कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम कैसे बातचीत कर सकते हैं ? आज सुबह आठ बजे मैंने टिकटों के साथ दो व्यक्तियों को भेजा है। मैं क्या कह सकता हूं ? अभी भी व्यवस्था काम नहीं कर रही है, यह मेरा प्रश्न है। उनके बारे में जांच करें।

मुख्य सचिव और राज्यपाल दिल्ली में सो रहे थे। उनके पास अन्य कोई कार्य नहीं था। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। प्रधान मंत्री महोदय, आप दोष अपने ऊपर क्यों लेते हैं ? यह आपका दोष नहीं है। आपको घटनास्थल पर नहीं जाना था। ऐसा गृह मंत्री को करने दीजिए। इन दो व्यक्तियों ने किसी प्रकार की सहायता करने का प्रयास नहीं किया।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : यह व्यवहारिक रूप से असम्भव था।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि हम इस पर अब चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। सभी की राय पहले ही जानी जा चुकी है। यह सर्वसम्मत राय थी कि इस मामले पर सदन में चर्चा की जाये। पांच मिनट के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। समय के बारे में कार्य मंत्रणा समिति फैसला करेगी।

अब हम बजट सामान्य पर चर्चा शुरू करेंगे। श्री निर्मल कांति चटर्जी बोल रहे थे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : वे राज्यपाल की रक्षा क्यों कर रहे हैं ? वे न्यायिक जांच से क्यों हिचकिचा रहे हैं ? **(व्यवधान)**

अपराह्न 2.57 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : कृपया मेरी बात सुनिये। हम किसी को बचा नहीं रहे हैं। यदि आपकी यह धारणा है कि हम राज्यपाल अथवा अन्य किसी का बचाव कर रहे है, तो मुझे इसका डर नहीं है...**(व्यवधान)** कृपा करके मेरी बात सुनें।

पिछले सत्र में, हरिद्वार में 59 लोग मर गये थे और इससे पहले उज्जैन में भी लोग मरे थे। वे सभी यात्री थे। क्या उनके जीवन कीमती नहीं थे ? किसी ने इस प्रकार की बात नहीं की। ऐसा मत करिये। मैं समझ सकता हूं कि कश्मीर चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। वे इससे लाभ उठाना चाहते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : वहां 160 लोग मरें हैं। **(व्यवधान)**

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : 59 लोग मरे थे...**(व्यवधान)** इन सभी

बातों की कोई सीमा हो मैं भी उसको समझ सकता हूं...(**व्यवधान**)...कल मैं राज्यपाल का स्थानान्तरण कर सकता हूं। मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : कृप्या ऐसा कीजिए।...(**व्यवधान**)

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : ईश्वर के लिए राजनीति को बीच में मत लाइये। ...(**व्यवधान**) दुर्घटना की व्यापकता को देखिए। मुझे चिन्ता है, मुझे शोक संत्पत परिवारों के साथ सहानुभूमि है। हम सभी प्रबन्ध कर रहे हैं।

श्री राजेश पायलट : परन्तु हमारी भावनाओं को बहुत ही विनीत ढंग से प्रेषित किया गया है कि व्यवस्था विफल हो गई है। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए और यह कैसे हुआ इसका पता लगाना चाहिए। ...(**व्यवधान**)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : प्रवचन मंत्री को मुझे गलत नहीं समझना चाहिए। मैं इस बारे में बिलकुल स्पष्ट हूँ। ...(**व्यवधान**) जब कभी इस प्रकार की दुर्घटना होती है जिसमें 20, 30 अथवा 50 लोग मरते हैं तभी न्यायिक जांच होती है। (**व्यवधान**) समूचे भारत में यह प्रवृत्ति है।

अब 160 लोग मरे हैं। किसी अन्य दुर्घटना के साथ इसकी तुलना न कीजिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सहमत नहीं हैं। हम इस मामले को राजनैतिक रूप नहीं देना चाहते। राज्य में राष्ट्रपति का शासन है। राज्यपाल वहां था प्रशासनिक, मुखिया है वह वहां पर नहीं थे। गृह मंत्री इस बारे में चुप हैं। इस बात को देखते हुए वहां सारे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम श्री देवेगौड़ा अथवा श्री इन्द्रजीत गुप्त को जिम्मेदार नहीं ठहराते...(**व्यवधान**) वे इसे ऐसा क्यों मान रहे हैं ?...(**व्यवधान**)

अपराह्न 3.00 बजे

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप इसे चर्चा के समय उठाएं। अब आप इसकी मांग क्यों कर रहे हैं ?...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया गृह मंत्री जी को सुने।

...(**व्यवधान**)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : इस बात की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं कि माँग की जाये ? पहले सभी घटनाओं में सरकार ने सदा न्यायिक जांच कराई थी...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृप्या श्री गुप्त को सुनियें

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस बात से सहमत हूं कि सारे मामले की जांच किये जाने की आवश्यकता है। परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जब भी देश में किसी स्थल पर पांच अथवा दस अथवा बीस व्यक्ति मरें तो सदा न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं इस बात पर उनसे सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि वह भूल रहे हैं...(**व्यवधान**)...

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : कृप्या अपनी याददाश्त की जांच कीजिए। इस सभा में कितनी बार आपने अपने वक्तव्यों का खण्डन किया है ? यह मत कहिए कि मेरी स्मरण-शक्ति समाप्त हो रही है। आपने अपनी बातों का कितनी बार खण्डन किया है ?...(**व्यवधान**)...वह कह रहे हैं कि स्मरण शक्ति खत्म हो रही है। आपने चीजों को अलग अलग तरीके से कहा है। आप इतने वरिष्ट व्यक्ति हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक दूसरे के विरुद्ध व्यक्तिगत बातें कहने के बजाये आप उनको सुनिये।

श्री इन्दजीत गुप्त : क्या उज्जैन तथा हरिद्वार में मरने वाले लोगों के बारे में कोई न्यायिक जांच की गई थी।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उज्जैन दुर्घटना की न्यायिक जांच कराई गई थी।...(**व्यवधान**)...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे सुनना नहीं चाहते। वे जूनियर सदस्य हैं न कि वरिष्ठ सदस्य। वे कनिष्ठ सदस्यों की तरह बतार्व कर रहे हैं। प्रश्न मेरी पसन्द का नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : कृपया करके इसे समाप्त कीजिये। कार्य मंत्रणा समिति चर्चा के स्वरूप का निर्णय करेगी। तब आपको बोलने का अवसर मिलेगा। यदि हमारे बीच कोई गलतफहमी है हमें उसे भूल जाना चाहिए। हमें उन लोगों के बीच नहीं आना चाहिए जो सदन से बहिर्गमन कर गये हैं। कृप्या बैठ जाइये और मामले को समाप्त कीजिए। ...(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपके पीछे बैठे हुए सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मैं नहीं जानता कि वह कनिष्ठ अथवा वरिष्ठ सदस्य हैं। प्रश्न यह कि वहां जांच अवश्य होगी वस्तु हो सकता है वह न्यायिक जांच न हो।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : परन्तु मैंने न्यायिक जांच की मांग की है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार जांच के स्वरूप के बारे में तथा इसके निर्देशपदों के बारे में फैसला करेगी।

श्री संतोष मोहन देव : हम आप की बात को स्वीकार करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह इसको नहीं मानते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जांच होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें बजट सामान्य पर आगे चर्चा करनी चाहिए। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी बोल रहे थे। वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

बजट (सामान्य) 1996-97 सामान्य चर्चा—जारी

अपराह्न 3.03 बजे

(श्री चित्त बसु पीठसीन हुए)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) महोदय, मैं आज अपना ध्यान बजट प्रस्तावों की केन्द्रीय कमजोरियों पर ही केन्द्रित करना चाहता हूं।

जैसा हम सब जानते हैं सदा विकल्प की समस्या रहती है, जैसाकि अध्यक्ष महोदय ने संकेत दिया है अल्पावधि तथा दीर्घावधि के बीच। तुरन्त और सार दूरी के बीच भेदभाव का संघर्ष रहता है। अतः इस समस्या को हल करना है। अर्थशास्त्र में चुनाव की इस समस्या को खपत और बचत के बीच चुनाव के रूप में व्यक्त किया गया है। मुझे आश्चर्य है कि सांझा कार्यक्रम में इसके स्पष्ट उल्लेख के बावजूद थी वित्त मंत्री ने केवल इतना कहा है कि उनका पेरामीटर केवल पूंजी निवेश को बढ़ाना है और उन्होंने बचत के बारे में कुछ नहीं कहा। परन्तु सांझा, पहुंच कार्यक्रम में कुछ और ही कहा गया है। इसके गम्भीर परिणाम हैं। जब हम पूंजी निवेश की बात करते हैं, तो हम घरेलू बचत और विदेशों से बचत की बात भी करते हैं। घर में यदि बचत बिल्कुल भी न हो और देश में विदेशों से पूंजी निवेश हो तो उस स्थिति का अनुमान लगाना पूर्णतया सम्भवतः है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वह बहुत खराब होगा। वह लगभग एक कालोनी होने के बराबर है।

अब तथ्य यह है कि बजट प्रस्तावों में केन्द्रीय असफलता यह है कि इसमें बचत स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास नहीं किये गये और न ही बजट के लिए बचत का प्रारूप बनाया गया है जिसको कि आमतौर पर साधन जुटाना कहते हैं। बजट में यह केन्द्रीय त्रुटि है जिस कारण इस प्रकार की कठिनाइयों उत्पन्न हुई हैं। यह उसी का परिणाम है। यदि आप अनुपात बदले जैसे आप प्राथमिकताएं तैयार करते हैं; पहले की प्राथमिकताओं को बदले तो अन्य-क्षेत्रों में पूंजी निवेश के अनुपात में कमी आयेगी। जब वह नीचे आयेगी तो अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत गम्भीर बात होगी। यह दिखाने के लिए कि वास्तव में क्या हुआ है मैं आपको एक तथ्य दूंगा।

महोदय, व्यय आबंटन पर जोर दिया गया है। रोजगार पर जोर दिया गया है; कृषि पर जोर दिया गया है और जैसाकि हर कोई जानता है गांव में जोकि रोजगार का दूसरा सब से बड़ा क्षेत्र है वह है हथकर्घा और खादी : क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन क्षेत्रों के वास्ते अतिरिक्त एक पैसा भी नहीं दिया गया है। हम उद्योग की बात करते हैं। हम कहते हैं कि लघु क्षेत्र ही है जिसने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया है परन्तु देखें कि व्यय बजट में इसके लिए क्या रखा गया है। यह बताया गया है कि वर्ष 1995-96 के लिये खादी और ग्रामोद्योग के लिए ब्याज संबंधी राजसहायता के लिए 23 करोड़ रुपये रखे गये थे, पुनरीक्षित अनुमान 23 करोड़ का था और इस वर्ष के बजट में इस शीर्ष के अन्तर्गत 23 करोड़ रुपये ही रखे गये हैं। ब्याज राज सहायता के मामले में ही ऐसा नहीं है बल्कि पूंजीनिवेश आदि के मामले में भी यही स्थिति है। लघु उद्योग विभाग, कृषि और ग्रामीण उद्योगों के लिए गत वर्ष कुल योजना परिव्यय 58 करोड़ रुपये था, कुल पुरीक्षित अनुमान 18 करोड़ रुपये का था अब भी यह 58 करोड़ रूपये ही है। इस का अर्थ यह है कि वास्तविक अर्थों में खादी, ग्रामीण उद्योग तथा हथकरघा क्षेत्र में पूंजी निवेश में कमी आई हैं। ऐसा क्यों है ? ऐसा इस लिए है क्योंकि आप विफल हो गये हैं। हमें बताया गया था कि स्वतंत्रता के बाद तेजी से विकास के लिए हमें बिल जुटाना पड़ा था और अपने खर्च कम करने पड़े थे। सांझा पहुंच कर भी यही सन्देश है। जो हमें स्वतंत्रता संग्राम की अंक्षाओं से प्रेरणा लेने को कहता है वह यह भी अपेक्षा करता है कि हम साधन जुटाने के लिये ऐसे प्रयास करें जिससे हम इन क्षेत्रों के लिए अधिक आबंटन कर सकें ताकि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना सम्भव हो। संयुक्त मोर्चा सरकार के सांझा न्यूनतम कार्यक्रम का भी यह भाग है।

महोदय, इसका केवल यही परिणाम नहीं है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए भी हम आवश्यक धन देने में असफल रहे हैं। हम असफल इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने या तो साधन जुटाने से मना कर दिया है अथवा हमने उसका प्रयास ही नहीं किया है। हमने बढ़ी हुई बचत दर तथा सरकार के लिए बचत के अधिकांश भाग को जुटाने का प्रयास नहीं किया है। यह खतरनाक है। इस का दूसरी दिशा के लिए भी गम्भीर परिणाम होगा। मैं नहीं जानता वह इस बात पर क्यों अड़े हुए हैं, बचत का उल्लेख करना भूल गये और उनहोंने केवल पूंजी निवेश का ही उल्लेख किया है। मेरे विचार में यह उनसे छूट गया है। ऐसा हो सकता है कि पिछले पांच वर्षों की आर्थिक नीति की परछाई उनका पीछा कर रही हो। विदेशी क्षेत्र पर निर्भरता है। एक बार फिर हम स्वतंत्रता संग्राम पर जाते हैं। यदि शोर, निर्भरता अथवा हमारा दिमाग 10 मिलियन डालर निधि पर है तो इससे पता चलता है कि हम इन दस मिलियन डालर को खपाने के लिए घरेलू राजस्व बढाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हर कोई यह जानता है।

महोदय, हमें बताया गया है कि बचत की दरें बढ़ा दी गई हैं। यह सरकारी आंकड़े हैं और हर कोई यह कहता है कि यह सरकारी हैं और गैर–वैज्ञानिक हैं। उस आंकड़े को कोई नहीं मानता। यदि हम इस आंकड़े को मान भी लें तो भी यह 1990-91 में प्राप्त दर से अधिक नही है। विकासशील देश जिनकी विकास दर अधिक है, जिन्हें कभी कभी शेर कहा जाता है, उनकी बचत या 30 प्रतिशत से भी अधिक है। यह 35 से 45 के बीच है। बजट भाषण में इसके हल के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। मामले का मूल बचत के स्तर को बढ़ाना है और इस प्रकार हमारे संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्तों में उल्लिखित प्राथमिकताओं पर खर्च को सम्भव बनाना है।

बेरोजगारी की समस्या है। हम कहां जा रहे हैं। हमारा सुझाव है, दुर्भाग्य से इसका सांझा पहुंच कार्यक्रम में भी उल्लेख किया गया है, कि सभी परिसंम्पतियों को बेच दिया जाये और उन्हें शिक्षा तथा चिकित्सा स्वास्थ्य पर खर्च किया जाये। अल्पावधि और दीर्घावधि के बीच विवाद है और यह पूर्णतया आवश्यक है कि हक हम अधिक खपत करने का नहीं बल्कि बचत का प्रयास करें। पिछले पांच वर्षों की नीति थी, जो अभी भी चल रही है, वह थी विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना और उस

विदेशी पूंजी से उत्पन्न उपभोक्ता वस्तुओं पर निर्भर रहना। कुछ दिन पहले ही हमने देखा है कि टाफियों, च्यूंग गम्स बनाने के लिए विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है। इसके अलावा उन्हें 25 लाख रुपये के कार्ड लाने का भी अनुमति दी गई है। यह वह रास्ता है जिसकी कल्पना संयुक्त मोर्चा सरकार के सांझा कार्यक्रम में नहीं की गई थी। इससे प्रारंभिक विवरण खराब हो गया है। मैं दोहराता हूं कि एक शासक चले गये हैं और उनका स्थान दूसरे शासकों ने ले लिया है। यह दूसरी प्रकार के शासन की शुरूआत है। यही पर वैकल्पिक शासन शुरू होने में असफल हो गया है। शायद समय की कमी थी अथवा सबसे खराब यह है कि पिछला प्रभाव नई शुरूआत को रोक रहा है।

मैं आपका ध्यान कुछ अन्य बातों की ओर भी दिलाना चाहता हूं। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि जीरो–टैक्स कम्पनियों पर कर लगा दिया गया है। परन्तु उसी समय जबकि पैसे की कमी है, इसके अचानक कारपोरेशन कर पर अधिकार को आधा करने का निर्णय कर लिया है। हम कुछ समय के लिए प्रतीक्षा कर सकते थे। अचानक हम प्रशुल्क आयोग की बात करते हैं और उसके बावजूद हम सीमा शुल्कों के स्तर को कम करने का निर्णय करते हैं और इस प्रकार बजट में लगभग 900 करोड़ रुपये का आय छोड़ देते हैं। इसी प्रकार हम अधिक साधन जुटाने में असफल रहे हैं जिससे सभी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

इसके अतिरिक्त और क्या हुआ है ? कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनसे बचा जा सकता था और जिनसे हमें बचना चाहिए परन्तु हमारे ऊपर पिछला प्रभाव इतना अधिक है कि हम उसको नहीं बचा सके। हम सरकारी क्षेत्र, खादी तथा ग्रामोद्योग तथा हथकरघा जोकि गांवों में सबसे बड़ा नियोक्ता है, की अपेक्षा कर रहे हैं और बैंक में अपने सुकर्मों के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं। चाहे यह इण्डियन बैंक है अथवा कोई अन्य बैंक हजारों करोड़ रुपये बर्बाद किये जा रहे हैं। वे दोषी हैं। उन्हें लाभ न देने वाली अस्तियां कहते हैं। उन्हें कम करने के कुछ प्रयासों के बावजूद उनमें वृद्धि हो रही है। समझौते किये गये हैं फिर भी हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। मैंने इस बात को पहले भी उठाया था। इस तथ्य को देखते हुए कि ये सरकारी बैंक हैं हम उन्हें आठ प्रतिशत की कैपिटल ऐडीक्वेसी देने की जल्दी क्यों कर रहे हैं हम बैंकों में आठ प्रतिशत कैपिटल ऐडीक्वेसी अपनी अंतर्राष्ट्रीय जरूरत के काल दे रहे है। हम अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकता को जानते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वे विफल हो गये थे। वे शासक को संरक्षण देने में विफल हो गय थे और उन्होंने विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय धन निधि के माध्यम से नियंत्रण रखने का यह आर्थिक तरीका निकाला। हमने बार बार कहा है कि शोषण का यह वही साम्राज्यवादी ढंग है। यह आश्चर्यजनक है। जब आप फास्ट ट्रैक प्रोजैक्ट एनरॉन की बात करते हैं तो उन्होंने केन्द्र से काउंटर गारंटी मांगी है। वे उसे पर्याप्त समझते हैं। सरकार की यह गारंटी कैपिटल ऐडीक्वेसी से अधिक क्यों होनी चाहिए ? जब कभी है तो इसी वर्ष के बजट से आठ प्रतिशत कैपिटल ऐडीक्वेसी की व्यवस्था क्यों की जा रही है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कितने समय तक जारी रखना चाहते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अब मैं तेज मार्ग पर हूं अतः शीघ्र ही समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय : आप इस बात को नोट करें कि आपके दल के लिए केवल 32 मिनट का समय अलाट किया गया है। आप पिछले दिन यह समय समाप्त कर चुके हैं। उसके अतिरिक्त आज भी आपने दस मिनट का समय ले लिया है। इसका मतलब है आप 42 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं आप से सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री मुझे ठीक करें। जो खतरा उत्पन्न हो रहा है और जिस कन्जूमेरिजम का आप उपदेश दे रहे हैं उससे एक महत्वपूर्ण बात का संकेत मिलता है। सामान आयात का दर को 80 प्रतिशत से घटा कर 60 प्रतिशत कर दिया गया है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं ? फिर भी अनुमानों में दिखाया गया है कि सामान आयात से राजस्व में वृद्धि हुई है। यही वे संकेत हैं जिनसे पता लगता है कि जोर पहले की तरह बचत के बजाय खपत पर है। पिछले पांच वर्षों में आपने यही सीखा है।

जहां तक विभिन्न क्षेत्रों में खर्च की बात है यह भी अजीब है कि हम रेलवे पर जोकि लोगों और सामान के 90 प्रतिशत को लाती ले जाती है, 8100 करोड़ रुपये लगाना चाहते हैं और हम नागरिक उड्डयन पर 4139 करोड़ रुपये लगाना चाहते हैं। क्या यह इस दृष्टिकोण के अनुरूप है। देश के लिये अधिक महत्वपूर्ण क्या है ? देश के लिए मूल ढांचा अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले सोवियत संघ की योजना के प्रथम वर्षों में हमें बताया गया था कि बिजली तथा सोवियत संघ हमें साम्यवाद देगा। बिजली मूल सुविधा है। यह हम सभी जानते हैं। परंतु मूल ढांचे की बात करते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था से अधिक महत्वपूर्ण क्या है परन्तु इसके लिए पिछली परछाईयां हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमें रेलवे में और अधिक पूंजी लगानी चाहिए थी। नागरिक उड्डयन को इसी स्तर पर बनाये रखना ही ठीक था। स्थिति यह है कि इस बजट में जो प्रयास किये गये हैं हमें साधन जुटाने के लिये उनसे अधिक प्रयास करने चाहिए। मैं समझता हूं कि समस्या का निचोड़ यही है। जब हम नये दृष्टिकोण, नये माडल की बात करते हैं तो यही वे क्षेत्र हैं जिनमें शुरूआत करने में हम विफल हुए हैं।

अब मैं कुछ अन्य पहलुओं पर आता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत नहीं हूं। वह कहते हैं कि पिछली बातें ही चली आ रही हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। नये माडल की शुरूआत नहीं हुई है। शायद बजट में कुछ हुआ हो। परन्तु नये माडल की शुरूआत अभी होनी है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं ?...क्योंकि इस बजट में कुछ चीजें बदली हैं।

अनेक वर्षों के बाद योजना व्यय और गैर योजना व्यय में लम्बी चर्चा हुई है हालांकि योजना और गैर–योजना के लिए खर्च बांटने की समस्या है। योजना व्यय में गैर–योजना व्यय के पेरी पेसू की वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों से यह कुछ हट कर है। इसका स्वागत है। जब

हम गैर–योजना व्यय में वृद्धि की आलोचना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उर्वरकों के लिए दी गई राज सहायता गैर–योजना व्यय का ही भाग है। गैर–योजना व्यय में भी ऐसे तत्व हैं जो देश के विकास में सहायता करते हैं। परन्तु महोदय बजट की यह एक ठोस बात है कि योजना व्यय गैर–योजना व्यय के पेरी पेसू है।

महोदय मैं पहले ही बता चुका हूं कि शिक्षा के मामले में भी बजट विनियोग में सुधार हुआ है। मैंने कल बताया था कि यह पहला समय है कि हमने शिक्षा के मामले में कम से कम दो प्रतिशत की सीमा को पार किया है।

राज्यों की साधनों के अन्तरण का एक और ठोस पहलू है। पिछले चार अथवा पांच वर्षों से हम कह रहे थे कि राज्यों के हिस्से को कम क्यों किया जा रहा है। एक बार फिर हम उन प्वायंट पर पहुंच गये है जहां राज्यों के भाग में वृद्धि की गई है हालांकि यह वृद्धि उतनी नहीं है जितनी 'बजट एट ए गलान्स' में बढ़ाई गई थी। इसमें भी एक त्रुटि यह है कि इस में राज्यां द्वारा ऋण अदायगी को हिसाब में नहीं लिया गया है। अतः यह पहले की स्थिति की तुलना में इस बजट में यह सुधार है जिसको हम रेखांकित करना चाहते हैं।

महोदय, पिछले कुछ समय से केन्द्रीय योजना और राज्य योजना का आकार लगभग आधा आधा था। यह केन्द्र के पक्ष में अधिक हो गया है। आज भी केन्द्रीय योजना निधि कुछ अधिक है। राज्यों के लिए योजना समर्थन में वृद्धि हो रही है। बजट में एक की विकासदर 11 प्रतिशत तथा दूसरे की 13 प्रतिशत रखी गई है। महोदय, मैंने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का उल्लेख किया था जिन्हें और अधिक धन दिये जाने की आवश्यकता है।

मैं एक अन्य बात पर आ रहा हूं, मैंने बैंकिग क्षेत्र के प्रावधानों का उल्लेख किया था। बैंकिग क्षेत्र के बारे में सांझा कार्यक्रम में उल्लेख है। सांझा कार्यक्रम में कहा गया है कि गोपनीय उपबन्धों की जांच की जायेगी। हम इस बात पर जोर दे रहे थे कि बैंकिग अधिनियम में जो गोपनीय खण्ड है उनको हटा दिया जाये। हम इस सदन में जानना चाहते हैं कि दोषी कौन है और बैंकों द्वारा उनके साथ किस प्रकार के समझौते किये जा रहे हैं और हम यह भी चाहते हैं कि उन दोषियों, एक समूह के रूप में, को बैंकों से अग्रिम धन अथवा किसी प्रकार का ऋण लेने से रोका जाये। वित्त मंत्री ने हमारी बात नहीं मानी है। उन्होंने कारपोरेशन का उल्लेख किया है। उन्होंने इस बात को नोट किया है कि यदि कारपोरेशन्स अपने जमाकर्ताओं को धन वापस नहीं करती तो उन्हें और धन जुटाने से रोका जायेगा। उन्होंने इस बात को बैंकिग क्षेत्र पर लागू क्यों नहीं किया ? क्या गोपनीय खण्डों के हटाये जाने से अर्थ व्यवस्था संबंधी हमारी समस्याओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण में और पारदर्शता नहीं आयेगी ?

महोदय, मैं समाप्त करने वाला हूं। एक प्रस्ताव है और जैसा मैं पहले संकेत दे चुका हूं मैं इसे एक खतरनाक प्रस्ताव समझता हूं। हम पूंजी कम करने की बात कर रहे हैं। पहले ही यह देखा गया है कि संयुक्त क्षेत्र में शुरू किये गये यूनिटों का 61 प्रतिशत भाग विदेशी निवेशकों के पास है और विदेशी निवेशकों ने यह फैसला किया कि यह यूनिट उनके मूल यूनिट का सहायक यूनिट होगा। यह बहुत ही साधारण चाल है। बहु–राष्ट्रीय कम्पनियों के पास जोकि साम्राज्यवाद के वास्तविक प्रतिनिधि हैं, बहुत धन है। वे इस साधारण प्रस्ताव के साथ आते हैं कि वह यूनिट को बड़ा करना चाहते हैं और वह यूनिट में आज की अपेक्षा और अधिक धन लगाना चाहते हैं। अतः इसमें भारी धनराशि लगाने की आवश्यकता है। यदि घरेलू भागीदार, जोकि उनकी तुलना में बहुत छोटा है, अपने हिस्से का धन नहीं दे पाता तो वे लोग उसका हिस्सा भी ले लेते हैं। एक के बाद एक उद्योग जिनपर हमें पहले गर्व था, अब विदेशी निवेशकों के पास जा रहे हैं अथवा वे उनको निगल रहे हैं।

हमारी सार्वभौमिकता को यही खतरा है और यही वह चीज है जिससे हम अन्तिम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हमें विदेशी पूंजी से बांधा जा रहा है क्योंकि हम अपने साधन जुटाने में असफल रहे हैं। शेयर बाजार तो हैं परन्तु वे अपने नहीं रहे हैं। शेयर बाजारों में मूल्य बढ़ते और घटते हैं परन्तु ऐसा घरेलू निवेशकों के कारण नहीं बल्कि विदेशी संस्थागत निवेशकों के कारण हो रहा है। पहले ही कुछ क्षेत्र इस विदेशी सैक्टर को दे दिये गये हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह गत पांच वर्षों से चलाई जा रही नीति को बदलने का साहस करें।

इसके साथ में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आपके पांच मिनट समाप्त हो गये हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह समाप्ति के निकट है। सांझा दृष्टिकोण से उत्पन्न आशाओं के बावजूद, कि नये शासक नई शुरूआत करेंगे, बजट में नये माडल की शुरूआत होगी, कुछ नहीं हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा फिर भी कुछ शुरू हो चुका है। बजट में किये गये कुछ प्रावधानों तथा तय की गई प्राथमिकताओं से इसका पता लगता है। यदि हम अमीरों पर अधिक बोझ डालने में सफल होते, सीमाशुल्क कम न करने में सफल होते, और अधिक साधन जुटाने में सफल होते तो हम अर्थ–व्यवस्था के लिए नया रास्ता, नया माडल अपना सकते थे।

डा. देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं कुछ शर्तों के साथ वर्तमान बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। यह सच है जैसाकि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि उनकी कुछ वचनबद्धता है—13 दलों के, जिन्होंने मिलकर यह सरकार बनाई है, के सांझा न्यूनतम कार्यक्रम के प्रति उनकी बचनबद्धता है। परन्तु जब मैं उस सांझा न्यूनतम कार्यक्रम को देखता हूं तो पाता हूं कि कांग्रेस द्वारा जुलाई 1991 से शुरू किये गये आर्थिक सुधारों को उसमें पूरी तरह स्वीकृति दी गई है। हो सकता है कुछ राजनैतिक दलों पर, जिनमें से एक का प्रतिनिधित्व श्री चटर्जी करते हैं, पिछले पांच वर्षों का प्रभाव अभी भी है। डा. जोशी ने इन नीतियों को कांग्रेस की नीतियों को मंजूरी देना ही कहा है जोकि जुलाई 1991 से लागू की गई थी। किसी ऐसी नीति को स्वीकार करने में कोई गलती नहीं है जिसके पिछले पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था में अच्छे परिणाम रहे हों। जब वित्त मंत्री यह कहते हैं कि सांझा आर्थिक कार्यक्रम के प्रति उनकी कुछ वचनबद्धता

है तो मैं उनकी उत्सुकता की सराहना कर सकता हूं क्योंकि विभिन्न नारे देने वाले तेरह दल इकट्ठे हुए हैं और उनके विचार भी एक दूसरे से अलग हैं, और फिर यह सांझा, न्यूनतम कार्यक्रम उनके द्वारा बनाया गया है। यह संतोष की बात है कि इसमें उदारीकरण से नीति को स्वीकार किया गया है जिसे कांग्रेस सरकार ने उस समय लागू किया था जब जून 1991 में देश के समक्ष आर्थिक संकट था। सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में कर सुधार को नीति को भी स्वीकार किया गया है जिसे जुलाई 1991 से पहली सरकार ने लागू किया था। सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं पर जोर देने की बात कोई नई नहीं है। पहली सरकार के दौरान भी जब 1993-94, 1994-95 और 1995-96 में जब आर्थिक संकट पर काबू पा लिया गया था तब ग्रामीण विकास पर तथा गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। जब हमने संकट पर काबू पा लिया था तब ग्रामीण क्षेत्र पर बहुत अधिक बल दिया गया था। अब यदि वर्तमान सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है तो इसमें गलती क्या है ? हम नई योजना शुरू नहीं कर सकते जबकि देश का इस नई आर्थिक नीति के फलस्वरूप विकास हुआ है। माननीय वित्त मंत्री, अभी कुछ दिन पहले की, नई आर्थिक नीति बनाने में पहली का सरकार में महत्वपूर्ण सदस्य थे और उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान किया है।

यह नीति क्या है जिसे कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जब जून 1991 में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तब देश में गम्भीर आर्थिक संकट था। मुद्रास्फीति 17 के सर्वोच्च अंक पर पहुंच गई थी; औद्योगिक विकास दर 0.9 प्रतिशत रह गई थी और विदेशी मुद्रा भण्डार दो सप्ताह की आवश्यकताओं के लिए या पर्याप्त नहीं थे। उस समय कांग्रेस सरकार ने प्रशासन अपने हाथ में लिया था और पिछले पांच वर्षों में आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप, नई औद्योगिक नीति, नई व्यापार नीति, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, कर नीति में सुधार हुए जिनसे कुछ महत्वपूर्ण प्राप्तियां हुई हैं। हम मैकारे आर्थिक स्थिरता को बनाये रखने में सफल हुए हैं और जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो हम कुछ ढांचागत त्रुटियों को दूरे करने में भी सफल हुए है जोकि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खराब थी।

अपराह्न 3.36 बजे

(श्री नीतिश कुमार पीठासीन हुए)

उसके फलस्वरूप हमारी औद्योगिक विकास बढ़कर 12.4 प्रतिशत हो गया; हमारे कुल घरेलू उत्पाद 1995-96 में 6.7 अथवा 7 प्रतिशत तक बढ़ गया जोकि आठवीं योजना में दर्शाये गये लक्ष्य से भी कहीं अधिक था। हमारे निर्यात में 20 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई अथवा कुछ क्षेत्रों में यह वृद्धि 25 प्रतिशत हुई। पूंजीगत वस्तुओं के नियति में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार 2 विलियन डालर से बढ़कर 20 विलियन डालर हो गया और यद्यपि भारतीय मुद्रा के 1995 में अवमूल्यन के कारण उसमें कुछ कमी आई तथापि यह भण्डार 17 विलियन डालर था। अब मैं व्यापक आर्थिक सर्वेक्षण का उल्लेख कर रहा हूं। गरीबी उन्मूलन में भी हमारा गरीबी का स्तर 25 प्रतिशत से घट कर 19 प्रतिशत रह गया है। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई तथा ग्रीमाण विकास में गत तीन वर्षों में खर्च में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

अब जब मैं वर्तमान बजट को देखता हूं तो पाता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने इन आर्थिक सुधारों तथा उन मूल तथ्यों जिन पर यह सुधार लागू किये गये थे, को स्वीकार कर लिया है। इस हद तक यह बजट गत पांच वर्षों में लागू किये गये तथा क्रियान्वित किये गये सुधारों संबंधी नीति को जारी रखे हुए है। मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि इस तथ्य के बावजूद कि वहां तेरह राजनैतिक दल हैं जिनके आपस में बहुत मतभेद हैं और जिनके अलग–अलग नारे हैं, वह पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा लागू तथा क्रियान्वित की गई आर्थिक सुधारों की नीति को जारी रखने में सफल हुए हैं।

वर्दमान बजट प्रस्तावों में माननीय मंत्री ने आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो खर्च रखा है उससे मैं असंतुष्ट हूं। मैं आंकड़े नहीं दे रहा हूं क्योंकि इस में बहुत समय लगेगा परन्तु हर कोई देख सकता है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो बजट आबंटन किया गया है उसमें कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है। दूसरे निःसन्देह वित्त मंत्री का जोर कृषि विकास पर है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है और कृषि के लिए धन की आवश्यकता है। कृषि और कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण वित्त एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। निःसन्देह उन्होंने 'नाबार्ड' को पूंजी ढांचे को 500 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये कर दिया है। ये सभी वित्त मंत्री के आवश्वासन हैं कि अगले पांच वर्षों में पूरे कार्यक्रम को क्रियान्वित कर दिया जायेगा मैं निःसन्देह उनके आशावादी होने की सराहना करता हूं कि वर्तमान...सरकार पांच वर्ष जारी रहेगी। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।

इस वर्ष उन्होंने 500 करोड़ रुपये केन्द्रीय वित्त से और 500 करोड़ रुपये भारतीय रिजर्व बैंक से आबंटित किये हैं। उन्होंने कृषि ग्रामीण विकास वित्त पर भी ध्यान केन्द्रित किया है। पहले की कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण कृषि वित्त के लिए 2000 करोड़ रुपये आबंटित किये थे जिसमें से पिछले वर्ष 19 राज्यों को अपनी विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1975 करोड़ रुपये दिये गये थे। अब उन्होंने इसमें 500 करोड़ रुपयों की वृद्धि कर दी है। अतः शुरूआत पहली सरकार द्वारा की गई थी यह अच्छा है कि उन्होंने ग्रामीण वित्त को बढ़ाने का प्रयास किया है।

कृषि वित्त के विकास के लिए उन्होंने एक अन्य चीज यह की है कि साथ लगते दो अथवा तीन जिलों में स्थानीय बैंक, निजी बैंक स्थापित किये हैं। निःसन्देह यह ऐसा दृष्टिकोण है जिस के लिए वित्त मंत्री का समर्थन भी किया जाना चाहिए तथा उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। निःसन्देह इससे ग्रामीण वित्त को जुटाने तथा इकट्ठा करने में सहायता मिलेगी जिसे स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने पर खर्च किया जा सकता है।

वित्त मंत्री ने न केवल 'नाबार्ड' की शेयर पूंजी को बढाकर ब्कि

ग्रामीण कृषि वित्त विकास योजना के माध्यम से भी कृषि वित्त को बढ़ाने का प्रयास किया है। इस योजना को पहले वाली सरकार ने भी लागू किया था और मुझे खुशी हैं कि उन्होंने इस योजना को और आगे बढ़ाया है। ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में गरीब कारीगरों और किसानों के वित्त पोषण की आवश्यकता है। उन्होंने इस ओर कुछ गुरूआत की है। उदाहरण के तौर पर छोटे किसानों और सीमान्त किसानों को 30,000 रुपये दिये गये हैं। और उन्होंने इसका ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्गों तक विस्तार किया है। इस से निश्चय ही कृषि विकास में सहायता मिलेगी। परन्तु सारी कठिनाई यह है कि कृषि विकास न केवल कृषि वित्त पर निर्भर करता है जोकि निःसन्देह तक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, बल्कि यह कृषि विकास की विभिन्न योजनाओं के समीकरण पर भी निर्भर करता है। मुझे बजट में ऐसी कोई पहल दिखाई नहीं देती सिवाय इसके कि कृषि वित्त के विकास पर कुछ बल दिया गया है जोकि पहली कांग्रेस सरकार की भी नीति थी।...

उन्होंने लघु उद्योगों के विकास पर भी जोर दिया है जोकि हमारे औद्योगिक और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लघु उद्योगों की प्रगति औद्योगिक विकास की तुलना में बहुत अधिक है, जब औद्योगिक विकास 6 प्रतिशत था तब लघु उद्योगों का विकास 8 प्रतिशत था और जब औद्योगिक विकास 8 प्रतिशत था तब लघु उद्योगों का विकास 10 प्रतिशत से अधिक था। इससे पता लगता है कि लघु उद्योगों का विकास बहुत अधिक था और यदि इस पर और बल दिया जाता तो इसमें न केवल हम विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं बल्कि इस से बहुत हद तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदला जा सकता है। इसके लिए वित्त मंत्री ने एस.आई.डी.बी.आई. की पूंजी को बढ़ा दिया है ताकि लघु उद्योगों में और अधिक धन लगाया जा सके। पहली सरकार ने भी ऐसा ही किया था। इसमें कोई नई चीज नहीं है। इतना ही नहीं पहली सरकार ने लघु उद्योगों में पूंजी निवेश पर करों में भी छूट दी थी। उसने आयकर अधिनियम की धारा 80 एक के अन्तर्गत पांच वर्षों तक कर की छूट दी थी। मुझे खुशी है कि कम से कम वित्त मंत्री ने इस कर छूट की अवधि में कोई कटौती नहीं की है हालांकि इसमें कोई वृद्धि भी नहीं की गई है।

परन्तु हमारे औद्योगिक विकास में और अधिक कठिन स्थिति उत्पन्न हुई है। यदि उद्योग उचित रूप से कार्य नहीं कर पाते तो आर्थिक विकास को तेज नहीं किया जा सकता। औद्योगिक विकास के मामलों में कांग्रेस सरकार के अधीन समुचित वृद्धि हुई और 1995-96 में यह विकास दर 12.4 प्रतिशत की भारतीय उद्योगों का वित्त पोषण एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर वित्त मंत्री द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। औद्योगिक विकास को आन्तरिक तथा विदेशी बचत को जुटाने तथा उसके उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है।

मैं आज वित्त विधेयक का विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। क्योंकि वित्त विधेयक पर हम बाद में चर्चा करेंगे। हम विधेयक की महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें औद्योगिक वित्त की आवश्यकता होती है, जब हम यह चाहते हैं कि बैंक उद्योगों को धन दें तब वित्त मंत्री द्वारा अपनाये गये कुछ उपाय भारतीय उद्योगों के विकास में बाधक बनते हैं। मैं अपनाये गये नये उपायों का उल्लेख कर रहा हूं एक उपाय है 'न्यूनतम वैकल्पिक कर' जिसे 'मैट' कहा जाता है। दो अथवा तीन दिन पहले मैंने देखा कि माननीय वित्त मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है कि 'मैट' देश में जारी रहेगा। जब हम सामान्य बजट और वित विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो मेरे विचार में वित्त मंत्री का वक्तव्य की 'मैट' बना रहेगा, तयशुदा निष्कर्ष है। न्यूनतम वैकल्पिक कर क्या है ? हमें बताया गया है कि जीरो टैक्स कम्पनियां वे कम्पनियां हैं जिनकी आय, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत सभी कटौतियां करने के बाद, शून्य हो जाती है। उन्हें अपने बुक लाभ पर 30 प्रतिशत कर देना होगा। उन्हें अपने बुक लाभ पर 30 प्रतिशत कर देना होगा। पर क्यों ? यदि आप रियायतें देते हैं और यदि आप विकसित हो रही और अपनी पूंजी लगाने वाली कम्पनियों को कटौती देते हैं, तो आप एक हाथ से दिये गये लाभ को दूसरे हाथ से वापस ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप आधारभूत उद्योगों को लें। इन उद्योगों से आय में आप आयकर अधिनियम की धारा 80 जे.ए. के अन्तर्गत टैक्स होलीडे के माध्यम से राहत देते हैं। यह पूंजी पर आधारित उद्योग है क्योंकि इसमें करोड़ों रुपये लगते हैं। पहले कुछ वर्षों के लिए मूल्यहास देना होता है। आय शून्य हो सकती है। परन्तु उन्हें अपने बुक लाभ पर 30 प्रतिशत देना होगा। बुक लाभ का निर्धारण कैसे किया जाता है। इसका निर्धारण लाभ को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत लाकर किया जाता है और कम्पनी अधिनियम में सीधी रेखा प्रणाली से कम मूल्यहास देकर लाभ निर्धारण की व्यवस्था है ? अतः उनका बुक लाभ उससे बहुत अधिक हो जाता है जिसकी आयकर अधिनियम में व्यवस्था है। यदि ऐसा होता है तो अनेक कम्पनियां जो देश के विकास में भारी पूंजी निवेश कर रही हैं, पूंजी लगाना बन्द कर देंगी क्योंकि पूंजी लगाने में कोई बुद्धिमानी नहीं है जब उन्हें, अन्यथा प्राप्त कर राहत उपलब्ध नहीं है आप आयकर अधिनियम के अध्याय 6 (क) के अंतर्गत जो देते हैं उसे आप वापस ले लेते हैं। बेहतर होगा कि आप रियायत कम कर दें। यदि आप चाहते हैं तो या आप इस रियायत को कम कर दें। जब हम औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो हमें इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए। मैं आज इसपर ब्यौरेवार चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसपर वित्त विधेयक पर चर्चा के समय मौका मिलेगा।

महोदय आज भारतीय उद्योग में लगभग 30 प्रतिशत पूंजी पट्टे पर आती है। ये कम्पनियां 30 प्रतिशत पूंजी देती हैं और यह बात अमरीका, कनाडा और अन्य विकसित देशों में आम है। पट्टा वित्त पोषण में पहली बार एक उपबन्ध किया गया है कि बेचने वाली कम्पनी के मामले में लिखी गये मूल्य के आधार पर मूल्यहास की अनुमति दी जायेगी। किन्तु कमी–कमी बाजार भाव से मूल्य बहुत अधिक दिखाया जाता है। आप उनको उचित बाजार मूल्य पर मूल्यहास की अनुमति देकर उनपर काबू कर सकते हैं। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो पट्टा वित्त पोषण उद्योग पूरी तरह तहस नहस हो जायेगा और मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वह इसपर पुनर्विचार करें।

जहां तक औद्योगिक वित्त पोषण का प्रश्न है हमारे बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक धन दे रहे हैं परन्तु साथ ही विदेशी संस्थान भी वित्त दे रहे हैं, बीमा कम्पनियों ने भी लम्बी अवधि के लिए वित्त दिया है। हम आशा करते हैं कि वित्त मंत्री सदन को बतायेंगे कि बीमा के निजीकरण

के बारे में उनकी क्या नीति है। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट बहुत पहले आ गई थी और उस पर चर्चा की जाने वाली थी। यदि बीमा क्षेत्र के निजीकरण की नीति अपनाई जाती है तो हमारे देश में लम्बी अवधि के लिए पूंजी निवेश के वास्ते बहुत अधिक धन उपलब्ध हो जायेगा। इस बारे में कोई सुझाव नहीं आया है कि बीमा के निजीकरण के बारे में सरकार की नीति क्या होगी। वित्त मंत्री ने केवल इतना ही कहा है कि जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम को और मजबूत किया जायेगा। यह बहुत ही अच्छा सुझाव है। निःसन्देह यह महत्वपूर्ण बीमा संस्थान हैं और उनको मजबूत करने से निश्चय ही वित्तीय साधनों का विकास होगा। परन्तु हमें उम्मीद है कि बीमा के निजीकरण के बारे में कोई वक्तव्य दिया जायेगा।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : आप का क्या विचार है ? आपके दल के क्या विचार हैं ?

डा. देवी प्रसाद पाल : मैं आपको अपने विचार दूंगा। बीमा के निजीकरण के बारे में हमने निसन्देह अपने दल के विचार के बारे में निर्णय ले लिया है। मैं बाद में बताऊंगा कि हमारे दल के विचार क्या हैं ? परन्तु वित्त मंत्री की नीति के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। यदि आप अपने अथवा अपने दल के विचारों के बारे में बता दें तो मुझे बहुत सहायता मिलेगी।

डा. देवी प्रसाद पाल : मेरा व्यक्तिगत विचार यह है। बीमा क्षेत्र के निजीकरण की नीति एक महत्वपूर्ण कदम है जिसको सामान्य बीमा अथवा जीवन बीमा को प्रभावित किये बिना उठाया जाना चाहिए।

जहां तक देश में विदेशी पूंजी निवेश का सम्बन्ध है श्री चटर्जी अनेक टिप्पणियां कर रहे थे। उन पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा अन्य ऐसी संस्थाओं की परछाई पड़ी हुई है। जब हमने 1991-92 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया था तब भी यह ऐसी ही बात करते थे। आशा है अब उनपर से यह भूत उतर गया होगा। 80 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी महत्वपूर्ण उद्योगों अर्थात मूल ढांचा उद्योगों तथा अन्य उद्योगों में लगी हुई है। विदेशी पूंजी संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों के सहयोग से लगी है। आशा है कि श्री चटर्जी के सिर से भूत उतर गया होगा। 80 प्रतिशत विदेशी पूंजी महत्वपूर्ण उद्योगों में लगी हुई है और वह संयुक्त क्षेत्र में है। अतः ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि और विदेशी पूंजी देश में न लाई जाये।

चीन के देखें, जिससे श्री चटर्जी प्रेरणा लेते हैं उनका दल प्रेरणा लेता है। किसी अन्य विकासशील देश को देखें। चीन में भारत से दस गुणा अधिक विदेशी पूंजी लगी है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने अपनी आर्थिक सार्वभौमिकता त्याग दी है। अतः विकासशील देश में विदेशी पूंजी का सदा स्वागत है और निश्चय ही इस से औद्योगिक विकास को तेज करने में सहायता मिलती है।

आन्तरिक बजट के मामले में मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक उपाय तो किया है और वह यह है कि उन्होंने पूंजीगत लाभों में राहत दी है। मेरा सदा यह विचार रहा है। यदि पूंजीगत लाभों किन्हीं विशिष्ट स्थानों पर लगाया जाता है तो फिर चोरी छिपे अन्तरण के कम प्रयास होंगे क्योंकि तब लोग अचल सम्पत्ति में सौदे करने के लिए आगे आयेंगे और धन के साधन बतायेंगे क्योंकि वह जानते हैं कि यदि कुछ वर्षों तक वह अपने धन का विशिष्ट पूंजी निवेश करते हैं तो उन्हें पूंजीगत लाभ कर नहीं देना पड़ेगा। अतः धारा 54 ई.ए. और 54 ईबी. के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने अवधि के बारे में महत्वपूर्ण सावधानी भी की है कि यदि कोई विशिष्ट पूंजीनिर्देश को वापस लेता है तो उसे पूंजीगत लाभ पर कर देना होगा। इससे देश में बचत को बढ़ावा मिलेगा।

कर सुधारों के बारे में वित्त मंत्री ने कहा है कि आम आशा थी कि आयकर सीमा को 40,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये किया जायेगा। उन्होंने छूट सीमा न बढ़ाने के दो स्पष्टीकरण दिये हैं। एक यह है कि यदि 1000 रुपये कम किये जाते हैं तो सरकार को 150 करोड़ रुपये की हानि होगी और उन्होंने यह भी कहा है कर आमदनी का 77.5 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को जाता है। इस प्रकार राज्य साधनों से वंचित हो जायेंगे। मैं वित्त मंत्री से केवल एक प्रश्न करना चाहता हूं। यदि छूट सीमा को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये न करने का यही कारण है जो कि मुद्रास्फति को देखते हुए बहुत पहले कर दी जानी चाहिए थी तो फिर उन्होंने अविभाजित हिन्दू परिवारों के मामले में कर दर को कम क्यों किया है ?

अपराह्न 4.00 बजे

मैं नहीं जानता कि वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया गया है क्योंकि बजट भाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यदि आप वित्त विधेयक को देखें तो आप पायेंगे कि विशिष्ट अविभाजित हिन्दू परिवार के लिए एक लाख रुपये पर 24,600 रुपये का कर था। परन्तु आज कर की दरों को देखते हुए अब हिन्दू अविभाजित परिवार की आय यदि एक लाख रुपये है तो अब उन्हें 15,000 रुपये देने हैं। अतः विशिष्ट हिन्दू अविभाजित परिवारों के मामले में 9600 रुपये कम कर दिये गये हैं और छूट सीमा को 18,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है। इस मामले पर वित्तमंत्री को विशेष ध्यान देना चाहिए। जब वह आम व्यक्ति के लिए छूत सीमा को 40,000 से 60,000 नहीं कर पाए तो विशिष्ट हिन्दु अविभाजित परिवार का अर्थ है एक व्यक्ति जो 40,000 से अधिक कमाता है, हालांकि बजट भाषण में विशिष्ट अविभाजित हिन्दू परिवार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कि कर की दरों को किस प्रकार पर्याप्त रूप से कम कर दिया गया है ?

श्री पी. चिदम्बरम : छूट सीमा को 40,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये करना बहुत आसान होता इससे केवल इसी कर स्लैब को ही लाभ नहीं होता। इससे श्री पाल जैसे सफल वकील को भी लाभ होता। यह मेरा ईरादा नहीं है।

श्री देवी प्रसाद पाल : 60,000 से मुझे लाभ नहीं होता।

श्री पी. चिदम्बरम : इस से आपको भी लाभ होता क्योंकि पहले 60,000 रुपयों पर कम दर से कर देना पडता। यदि मैं भी वकील होता तो मुझे भी कम दर पर कर देना पड़ता। अधिक आय वालों को लाभ

देने का मेरा विचार नहीं था। विचार 40,000 से 60,000 के स्लैब वालों को लाभ देने का था और वह भी वेतन भोगी व्यक्तियों को। यही कारण है कि हमने अलग तरीके से आपको वही लाभ दिया है। मेरे बजट भाषण में भी यही कहा गया है। कोई व्यक्ति जो पांच हजार रुपये प्रतिमास अथवा 60,000 रुपये प्रति वर्ष कमाता है, उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा। आप यह नहीं कह सकते कि वक्तव्य गलत है। यह बिल्कुल ठीक वक्तव्य है। हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में यह तर्क संगत नहीं है और जब आप वित्त मंत्रालय में थे तब आपको ठीक करना चाहिए था क्योंकि यदि कोई अविवाहित पुत्री बैंक में काम करती है अथवा कोई अविवाहित पुत्री किसी कम्पनी में कार्य करती है और आय करती है तो उस हिन्दू अविभाजित परिवार को अधिक दर से कर देना होगा। यह लिंग असमानता है। यह उस औरत के लिए अनुचित है जो नौकरी करना चाहती है। इससे मां बाप अपनी लड़कियों की छोटी उमर में शादी करने पर बाध्य होंगे।

डा. देवी प्रसाद पाल : माननीय वित्त मंत्री के विचारों से मैं सहमत नहीं हूं। मैं पहले भी यह कह सकता था कि मानक कटौती 12,000 रुपये थी। उन्होंने इसे केवल 3000 रूपये बढ़ाया है। इसकी मुद्रास्फीति से तुलना कीजिए। यह पर्याप्त कटौती नहीं है।

बीमा के बारे में बजट में जो उपबन्ध किया गया है वह यह है कि यदि 30 वर्ष तक 250 प्रति मास देते हैं तो 30 वर्ष बाद आपको 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। मैंने अनेक व्यक्तियों से पूछा है हालांकि वे वित्त मंत्री के रुतबे के नहीं हैं और प्रत्येक व्यक्ति ने यही कहा है कि वह 30 वर्ष तक यह राशि क्यों दे और फिर उम्मीद करें कि सरकार इसका लाभ देगी ? यह केवल कागजी राहत है। हमें कितना मिलेगा ? केवल समय ही बतायेगा कि वास्तविक लाभ क्या होगा। अतः यह राहत भ्रामक है।

जहां तक औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है प्राइमरी पूंजी बाजार को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। पूंजी बाजार बहुत गिर गया है। यदि प्राइमरी पूंजी बाजार नहीं रहता तो औद्योगिक विकास तथा बचत के लिये धन जुटाने की कोई गुंजायश नहीं है। बजट भाषण में इस बारे में कोई प्रयास नहीं किया गया है कि वित्त मंत्री पूंजी बाजार को किस प्रकार पुनजीर्वित करेंगे।

प्रीमियम पर शेयर जारी करने के लिये कन्ट्रोल आफ कैपिटल इश्यूज जिम्मेदार था तो उस मार्गदर्शी सिद्धान्त थे। परन्तु अब 'सेबी' ने कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किये हैं अतः हर कोई किसी भी प्रीमियम पर अपने शेयर बाजार में जारी कर सकता है जिसके फलस्वरूप पूंजी बाजार पूरी तरह नीचे गिर गया है।

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह विशेषज्ञ राय लें और प्रयास करें क्योंकि यदि आप पूंजी बाजार को पुनर्जीवित नहीं करते तो आप आन्तरिक बचत हेतु चाहे जो भी लालच दें निगमित बचत नहीं होगी। उद्योग केवल बैंक से ऋण लेकर विकास नहीं कर सकता जब तक वह बाजार से पूंजी नहीं लेते। यह ऐसा मामला है जिस पर वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में कुछ स्पष्टीकरण दे सकते थे कि वह पूंजी बाजार को पुनर्जीवित करने के लिए क्या करने जा रहे हैं।

जहां तक सामाजिक सेवा क्षेत्र का सम्बन्ध है गरीबी उन्मूलन योजनाएं निःसन्देह पिछली सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों को ही जारी रखना है। दोपहर के भोजन की योजना को छोड़कर शेष योजनाएं पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं ही हैं। इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या सरकार उन नीतियों को जारी रखेगी अथवा नहीं। मुझे खुशी होगी यदि वित्त मंत्री आश्वासन दें कि पिछली सरकार ने जो नीतियां चलाई थीं वह उनको जारी रखेंगे। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस सरकार ने सामाजिक आश्वासन योजना चलाई थी। उस योजना के अन्तर्गत 3000 खण्डों वाले प्रत्येक गांव और 15 गांवों में प्रत्येक परिवार के दो सदस्यों को वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष भर रोजगार सम्भव नहीं है। क्या इस योजना को जारी रखा जा रहा है अथवा नहीं, वित्त मंत्री इस पर रोशनी डालेंगे ?

उदाहरण के लिये हमारे पास सामाजिक आश्वासन योजना है जिसमें किसी बीमा नीति के अलावा यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की रेखा से नीचे रहने वालों का कमाई करने वाला सदस्य दुर्घटना में मर जाता है तो मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यदि कमाई करने वाले सदस्य की प्राकृतिक मौत हो जाती है तो 5000 रुपये दिये जाते हैं। मुझे खुशी होगी यदि वित्त मंत्री ये आश्वासन दें कि यह नीति जारी रहेगी।

हमने एक योजना लागू की थी जिसके अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को बच्चा जनने के तीन महीने पहले और तीन महीने बाद तक 300 रुपये प्रतिमास दिये जाएंगे क्या वह योजना अभी जारी है अथवा नहीं ?

मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। यदि इन सभी योजनाओं को जारी रखा गया है तो फिर केवल दोपहर भोजन योजना का उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं थी हमने एक योजना शुरू की थी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गांव में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग पेंशन के हकदार थे हालांकि सभी परिवारों के लिए यह कोई बड़ी राशि नहीं है। इससे 40 लाख लोगों को लाभ होगा।

हमने इन्दिरा आवास योजना शुरू की थी जिसके अन्तर्गत सात लाख मकानों का निर्माण किया गया था और योजना शुरू के वर्षों में 10 लाख घर बनाने के लिए थी। क्या यह योजना अभी जारी है अथवा नहीं, हमें खुशी होगी यदि वित्त मंत्री इस बारे में आश्वासन दें।

जहां तक गरीबी उन्मूलन योजना का प्रश्न है यह योजना भी पहली सरकार द्वारा शुरू की गई थी। योजना आयोग के बजट में 150 प्रतिशत से अधिक राशि विकास की ग्रामीण योजनाओं तथा गरीबी उन्मूलन के लिए रखी गई थी। हमने प्राथमिक शिक्षा, सफाई और स्वास्थ्य के लिये 80 प्रतिशत राशि रखी थी और 100 प्रतिशत में अधिक राशि आवास योजनाओं के लिए रखी थी क्या वित्त मंत्री ने इस नीति को जारी रखा हुआ है ?

उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए कुछ अतिरिक्त राशि दी है।

अपराह्न 4.10 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं)

जहां तक रोजगार योजना के वित्तपोषण का सम्बन्ध है पिछली सरकार ने 1991 की संकट की अवधि में रोजगार के तीस लाख अवसर पैदा किये थे। इसे बढ़ाकर प्रतिवर्ष 70 लाख कर दिया गया। मैं नहीं जानता कि अब क्या योजना अपनाई गई है। बजट में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि रोजगार की स्थिति से किस प्रकार निपटा जायेगा क्योंकि आज हमारी अर्थव्यवस्था में मुख्य समस्या मध्य वर्ग के लोगों, शिक्षित लोगों तथा अनपढ़ लोगों की है जो बेरोजगार हैं। अतः आज मुख्य प्रश्न यह है कि सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिये क्या उपाय करने जा रही है। निःसन्देह औद्योगिक विकास तथा कृषि विकास से बहुत सहायता मिला सकती है। परन्तु उस में समय लगेगा। यह अलाउद्दीन के चिराग की तरह नहीं है। वह रातोरात उसको लागू नहीं कर सकते। अल्पावधि तथा दीर्घावधि नीतियां अपनानी होंगी और यदि उनको उचित रूप से क्रियान्वित किया जाता है तो कुछ परिणाम निकल सकते हैं।

वित्त मंत्री ने औद्योगिक विकास के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना अर्थात मूलढांचा विकास बैंक लागू की है। यह बहुत अच्छा सुझाव है। मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे पास पहले ही भारतीय पुनर्निर्माण बैंक है जिसने बहुत पहले काम करना शुरू कर दिया था। उनके पास कुछ बुनियादी सुविधायें हैं। 500 करोड़ रुपये से नया पुनर्निर्माण बैंक चालू करने के बजाय जैसाकि सरकार ने वचन दिया है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का लाभ क्यों न उठाया जाये जोकि पहले ही शुरू हो चुका हे और जो इसी प्रयोजन से कार्य कर रहा है। उनकी पूंजी पहले ही 200 करोड़ रुपये की है। आप उनको 300 करोड़ रुपये और दे सकते हैं। इस प्रकार सरकार नये बैंक की स्थापना तथा उसे शुरू करने की लागत से बच सकती है। कोई योजना हो उसको शुरू होने में कम से कम एक वर्ष का समय लग जाता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करें कि क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को एक बड़े औद्योगिक मूलढांचा बैंक में विकसित किया जा सकता है।

हमारी बजट संबंधी नीति का मुख्य विषय यह है कि सरकार वित्तीय अनुशासन विकसित करे। यह वही नीति है जिसका भूतपूर्व वित्त मंत्री ने भी उल्लेख किया था। परन्तु हम इसे पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सके। मैं नहीं समझता कि वर्तमान वित्त मंत्री भी इसे प्राप्त कर सकेंगे। वह इसमें असफल हुए हैं क्योंकि गैर–योजना व्यय पहली सरकार के योजना व्यय से अधिक है। परन्तु उन्होंने वचन दिया है कि वह एक आयोग गठित करेंगे जो सरकारी क्षेत्र के खर्च को विनियमित करने के तौर तरीकों का पता लगायेगा। मैं नहीं जानता कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब देगा। परन्तु जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट देगा और वह उसे क्रियान्वित करना चाहेगी, मैं आशा करता हूं कि संयुक्त मोर्चा सरकार इसे क्रियान्वित करने के लिए वहां होगी। मैं सरकार की लम्बी अवधि की कामना करता हूं।

वित्त मंत्री ने एक नयी विधि का विकास किया है तथा उसे अपनाया है। सरकारी उपक्रमों के विनिवेश संबंधी आयोग। यह बड़ा अच्छा सुझाव है। पहली सरकार भी विनिवेश आयोग बनाने पर विचार कर रही थी। मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु मैं एक बात बताना चाहता हूं कि केवल सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों में ही विनिवेश क्यों हो। सरकार के अन्य विभिन्न औद्योगिक कम्पनियों में अपने शेयर हैं जोकि बहुत अच्छे हैं। यदि सरकार इस क्षेत्र में ही विनिवेश करे तो उसको अधिक धन मिलेगा और सरकार उस धन को सामाजिक क्षेत्र सेवाओं पर खर्च कर सकती है। माननीय वित्त मंत्री इस मामले पर विचार कर सकते हैं।

जैसाकि मैंने पहले बताया है मैं वर्तमान बजट का स्वागत करता हूं जहां तक यह मूल सुधारों को अपनाता है जिन्हें पहली सरकार ने लागू किया था और जहां तक पहले की कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों को तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों को यह जारी रखता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जैसाकि डा. जोशी ने कहा यह कांग्रेस की नीतियों को अपनाने का घटियापन नहीं है। इसमें हानि क्या है ? यदि कोई चीज अच्छी है और उसे अपनाया जाता है तो आपको उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। परन्तु साथ ही कुछ समायोजनों, जिन्हें किया जाना आवश्यक है, पर विचार किया जाना चाहिए। उन समायोजनों के बारे में मेरी कुछ शर्तें हैं जिनके बारे में मैं बता चुका हूं।

इन शब्दों के साथ मैं जहां तक पहली कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किये गये मूल आर्थिक सुधारों को जारी रखने का सम्बन्ध है मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। जहां कुछ त्रुटियां हैं अथवा कुछ फेर बदल है उनके बारे में मेरी अपनी कुछ आपत्तियां हैं।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री को ऐसी स्थिति में जहां उन्हें विभिन्न हितों के सत्य समायोजना करना पड़ रहा है, कठिन कार्य को हाथ लेने के लिए बधाई देता हूं।

श्री.वी.वी.राघवन (त्रिचूर) : सत्तारूढ़ संयुक्त मोर्चा सरकार, जैसाकि हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा विभिन्न विचारधारों वाले राजनैतिक दलों से बनी है और इसे डा. मनमोहन सिंह के दल का समर्थन प्राप्त है। ऐसे गठजोड़ में वित्तीय प्रबन्ध एक कठिन कार्य है। ऐसी कठिन स्थिति में मैं वित्त मंत्री जी के लिए सफलता की कामना करता हूं जोकि एक चतुर और आकर्षक व्यक्ति हैं। देवेगौड़ा सरकार के लिए वह एक आस्ति हैं। जब हमारे वित्त मंत्री मुस्कुराते हैं तो डा. मुरली मनोहर के पास भी इसका कोई उत्तर नहीं है।

माननीय वित्त मंत्री ही मुख्य रूप से संयुक्त मोर्चा के सांझा न्यूनतम कार्यक्रम के निर्माता हैं। सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में पहला मुद्दा सामाजिक न्याय और आत्म–निर्माता के साथ उदारीकरण लाना है। मैं दोहराता हूं सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता के साथ उदारीकरण। परन्तु मुझे खेद है कि बजट में डा. मनमोहन सिंह द्वारा अपनाये गये मार्ग पर उदारीकरण और पुनर्निर्माण पर जोर दिया गया है। चाहे आयात नीति हो, विनिवेश नीति ही, साधन जुटाने संबंधी नीति, विदेशी पूंजी निवेश संबंधी नीति हो–सभी मुद्दों पर हम सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में बताई गई दिशा से हट रहे हैं अर्थात सामाजिक न्याय तथा आत्म–निर्भरता। मुझे

आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जानते हैं कि हमारे मतभेद कहां हैं और मुझे आशा है कि वह इन महत्वपूर्ण मुद्दे पर विभिन्न प्रकार की राय के साथ समायोजन कर सकते हैं।

मैं अपने माननीय विद्वान मित्र, जिन्होंने अभी अभी अपना भाषण समाप्त किया है, के भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहा था। हम उदारीकरण के विरूद्ध नहीं हैं। पिछले पांच वर्षों की उदारीकरण नीति को उचित ठहराने के लिए उन्होंने विकास दर को हमारे ऊपर थोपा है। यह बिल्कुल सच है। अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इस धन का अर्थपूर्ण ढंग से वितरण हुआ है ? इस धन का अधिकांश भाग कारपोरेट लोगों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के पास चला गया है। यह तथ्य है जिसे तथ्य जानने वाली अनेक समितियों ने उजागर किया है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू के समय से ही ऐसा है। ऐसा क्यों हो रहा है ? क्या हम ऐसी नीति नहीं अपना सकते जिससे धन का गरीब लोगों और जरूरत मन्दों में न्यायपूर्वक ढंग मे वितरण हो सके। ऐसा कर सकने पर ही हम कह सकते हैं कि हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। अतः केवल विकास दर बता कर हम उस–खतरनाक मार्ग को उचित नहीं ठहरा सकते जिसपर हम पिछले पांच वर्षों से चल रहे हैं। अपने मित्रों को यहां याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं डा. मनमोहन सिंह का बहुत सम्मान करता हूं। वह हम सब में ऊंचे व्यक्ति हैं। जब हमने उनकी देखरेख में उदारीकरण की नीति अपनाई थी तो यह घोटाले कैसे हुए ? हर्षद मेहता और सुखराम जैसे लोग हमारे धन को किस प्रकार लूट ले गये ? भारतीय स्टेट बैंक, आवास विकास निगम और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से हजारों करोड़ रुपये लूट लिये गये। उसके क्या कारण हैं ? सुखराम जैसे लोगों की क्या कहानी है। वित्त मंत्री को यह सुन कर धक्का लगेगा कि सुखराम के साथ रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें केवल दस प्रतिशत ही मिला है। शेष 90 प्रतिशत कहीं छिपाया गया है। उदारीकरण नीति के गुणों तथा प्राप्तियों के बावजूद ऐसी बातें हो रही हैं। 90 प्रतिशत लोग जिनका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है इस पर बहुत नाराज हैं। लूट अभी भी जारी है।

उदारीकरण का अर्थ है कि कोई भी कहीं से कुछ भी लूट सकता है। डा. मनमोहन सिंह ने इन घोटालों और लूट के बारे में कुछ नहीं कहा अतः उदारीकरण में खतरे बहुत हैं। इन त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि हमारे युवा वित्त मंत्री इस बारे में कुछ करेंगे। मुझे खेद है कि बजट के भाषण में इस बारे में न तो कोई संकेत दिया गया है और न ही कुछ कहा गया है। आजकल हम अर्थव्यवस्था को विश्व व्यापी बनाने अथवा उसके एकीकरण जैसे अनेक आकर्षक नारे सुन रहे हैं। इस पर यहां और व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। विश्व की अर्थव्यवस्था के एकीकरण का अर्थ है विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की लूट। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है। आप देख सकते हैं कि अमरीकी राष्ट्रपति विश्व व्यापार संगठन के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। वह विकासशील देशों पर प्रभुत्व के लिए अपने ही कानून बना रहे हैं जैसे कि वह सारी दुनियां के बादशाह हों। उनके लिए विश्व व्यापार संगठन कुछ भी नहीं है परन्तु विकासशील देशों के लिए यह एक बड़ी चीज है। मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब विश्व व्यापार संगठन हमें उनके पेटेन्ट कानून संशोधित करने पर मजबूर करता है। यह बहुत अच्छा कानून है। आधी रात के समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश के माध्यम से पेटेन्ट कानून में संशोधन कर दिया जाता है। ऐसा किस के लिए है ? यह हमें लूटने तथा हमारा शोषण करने के लिये है। यह ग्रुप–7 के देश, विकसित देश, पूंजीपति देश ऐसा कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन का अर्थ है, कि विकासशील देशों को किस प्रकार लूटा जाये। ये ख़तरे हैं।

जब हम यह अपनी चिंता व्यक्त करते हैं–अभी हमारे महान मित्र ने यहां इस बारे में कुछ कहा है–जो देश भक्ति से पैदा होती है। हम इस धरती इस देश से प्यार करते हैं। हमने विश्वीकरण का प्रयास किया परन्तु हमें इस तथ्य को अवश्य जानना चाहिए कि विकसित देश अथवा नये उपनिवेशवादी दिन रात तीसरे विश्व के देशों को लूट रहे हैं।

कृप्या क्षमा करें जब मैं स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की बात करता हूं। वे दावा करते हैं कि इंगलैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति बहुत आगे है। वह छोटा सा देश जिसका नाम इंगलैण्ड है, ग्रेट ब्रिटेन बन गया क्योंकि उसने हमें हर प्रकार से लूटा था। अब ये नेय उप–निवेशवादी, विदेशी वित्तीय संस्थान, विश्व व्यापार संगठन हमें पुनः लूटने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में हमें सावधान रहना चाहिए और अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए।

जहां तक विदेशी पूंजी निवेश का सम्बन्ध है वह ठीक है परन्तु मूल सुविधाओं के सम्बन्ध में तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त करते समय हमें अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए और हमारी आत्मनिर्भरता से उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

जहां तक आयात नीति का प्रश्न है हमारी भुगतान शेष की स्थिति अच्छी नहीं है। मुझे बजट से तथा अन्य साधनों से इसका पता लगा है। इसकी स्थिति किसी समय भी खतरनाक हो सकती है। अभी ऐसी ही स्थिति है। क्या आयात नीति बनाते समय हम इस बारे में सावधान नहीं हो सकते ! विकसित देशों द्वारा हमारे निर्यात में बाधायें उत्पन्न की जाती हैं। वह हमारी निर्यात मदों को प्रोत्साहन देने के विरूद्ध हैं। अतः आयात नीति बनाते समय हमें इस बारे में बहुत सावधान होना चाहिए कि हमें किन चीजों का आयात करना है। क्या ऐसी मदों का का आयात करना आवश्यक है ? इसकी बारीकी से जांच की जानी चाहिए। इस समय उपभोक्ता वस्तुओं के आयात की क्या आवश्यकता है ? जब हम कृषकों की सहायता कर रहे हैं तो हम उन पर निर्भर कर सकते हैं। हम जो कुछ चाहते हैं वे उसका उत्पादन कर रहे हैं। वित्त मंत्री महोदय, रबड़ से आयात शुल्क कम करने की क्या आवश्यकता है ? इसका कोई कारण नहीं है। जहां तक रबड़ का सम्बन्ध है हम आत्म–निर्भर हैं।

मैं केरल से आया हूं। केरल हमारी आवश्यकता के 95 प्रतिशत भाग का उत्पादन करता है। उन्होंने उत्पादन बढ़ाया है। उन्हें रबड़ का उचित मूल्य मिलता है। यदि आप रबड़ पर आयात शुल्क कम करते हैं तो रबड़ का बाजार में आयात होगा और किसानों को इससे हानि होगी।

इस बजट से कई तरीकों से केरल राज्य तथा केरल के लोग

प्रभावित हुए हैं औद्योगिक रूप से हमारा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे यहां महाराजाओं द्वारा स्थापित कुछ उद्योग हैं। ट्रावनकोर के महाराज सर सी.पी. रामस्वामी अय्यर वहां दीवान थे। उस समय वहां एक बड़ा कारखाना–फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड वहां स्थापित हुआ। वह अब अच्छा कार्य कर रहा है। अब कैपरोलेक्टरम पर आयात शुल्क को 45 प्रतिशत से घटा कर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है इससे फैक्टरी समाप्त हो जायेगी।...**(व्यवधान)** ...'फैक्ट' की स्थापना महाराज द्वारा की गई थी। स्वतंत्र भारत में पिछले 50 वर्षों में हमें कोई उद्योग नहीं मिला है।...**(व्यवधान)** ...रबड़ के बाद अब बाजार में कैपरोलेक्टस की गरमार हो जायेगी।

मैं नहीं जानता कि खाद्य तेलों पर शुल्क कम करना कैसे आवश्यक है। हम खाद्य तेलों का उत्पादन कर रहे हैं। हम अपने किसानों को प्रोत्साहन दें।

मेरे विचार में वह अपने उत्तर में इन सभी बातों पर विचार करेंगे। समूचे केरल की ओर से हमारी यह अपील है। आप इस राज्य से भेदभाव कर रहे हैं। परन्तु हमें आप से कुछ आशा हैं यदि खाद्य तेलों पर शुल्क कम किया जाता है तो केरल राज्य को बहुत हानि होगी। केरल में 30 लाख किसान नारियल तथा नारियल के तेल का उत्पादन कर रहे हैं। रबड़ के बाद हमारा मुख्य कृषि उत्पादन नारियल का तेल ही है। यदि घटाये गये शुल्क पर खाद्य तेलों का आयात किया जाता है तो नारियल की खेती करने वाले 30 लाख किसानों को हानी होगी। यह एक मामूली बात है परन्तु मेरी यह मुख्य शिकायत है। आयात, आयात नीति और आयात शुल्क पर विचार करते समय हमें आत्म–निर्भरता किसानों तथा हो रहे औद्योगीकरण पर भी विचार करना चाहिए।

इस समय बाजार में इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं की गरमार है और हमारा अपना इलैक्ट्रोनिक उद्योग बन्द होता जा रहा है। अपट्रोन बन्द हो गया है और केलट्रोन बन्द होने वाला है। अतः जब हम आत्म–निर्भरता की बात करते हैं और जब हमारे शिक्षित युवा बेरोजगार हैं क्या हमें अपने उद्योगों के विकास का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्या हमें अपने किसान वर्ग को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि वे उसी चीज का उत्पादन करें जिसकी हमें आवश्यकता है बजाये इसके कि हम इस बड़े बाजार में वस्तुएं बेचने के लिये बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रोत्साहित करें। वे हमारे बाजारों में आ रहे हैं। वे हमारे बाजार का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वे पहले की तरह हमें लूटने का प्रयास कर रहे हैं। अतः विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन द्वारा यह नये उपनिवेशवादी हमारे देश को लूटने तथा उसका शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अतः उदारीकरण, विश्वीकरण तथा विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण जैसे नारे आकर्षक नारे हैं परन्तु इनमें खतरा है। अपने राष्ट्रीय हितों पर विचार करो। यहीं पर हमारा डा. मनमोहन सिंह से मतभेद है। सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में इसी को उजागर किया गया है। इसमें मुख्य जोर सामाजिक न्याय और आत्म–निर्माता के साथ उदारीकरण पर है। सामाजिक न्याय और आत्म–निर्माता पर हमें ध्यान देना चाहिए और नये भारत के निर्माण के लिए अपने साधनों और विचारों पर हमें ध्यान देना है। हमारी अर्थव्यवस्था का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

श्री सत महाजन : आप उदारीकरण पसन्द नहीं करते :

आप ग्लोबलाइजेशन अथवा निजीकरण पसन्द नहीं करते। तब आप क्या पसन्द करते हैं।

श्री वी.वी.राघवन : हम उदारीकरण पसन्द करते हैं। हम ग्लोबेलाइजेशन पसन्द करते हैं और निजीकरण भी पसन्द करते हैं। परन्तु मुख्य चीज है हमारा अपना हित। हमें अपने हित को देखना चाहिए। उसकी रक्षा करनी चाहिए और तब निजीकरण, उदारीकरण तथा ग्लोबेलाइजेशन की बात करनी चाहिए। यह हमारी नीति है। आत्म–निर्भरता का शब्द मैंने महात्मा गांधी तथा पण्डित नेहरू से लिया है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापतनम) : निजी हित क्या है?

श्री वी.वी.राघवन : मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं श्री रेड्डी मैंने निजी हित की बात नहीं कही। मेरा कोई निजी हित नहीं है...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आत्म–निर्माता में नकारात्मक क्या है ? कृप्या मुझे बतायें। श्री राघवन आप अपना भाषण जारी रखें, उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करके कह दी है।

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : राष्ट्रीय ढांचे के अन्तर्गत आत्म–निर्भरता निजीकरण तथा शेष सब कुछ सराहनीय है। यदि निजीकरण क्लिंटन टाइप का है तो फिर हम उसका समर्थन क्यों करें ...**(व्यवधान)**

श्री वी.वी.राघवन : साधन जुटाने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जिसपर हमें विचार करना है।

हम इसको किस प्रकार प्राप्त करने जा रहे हैं ? यदि आप बड़े व्यापार गृहों तथा अमीर लोगों पर अपना नियंत्रण रखते हैं तथा आप साधन जुटा सकते हैं। मेरे विचार में इस पहलू पर बजट चुप है। कर अपवचन दाण्डिक अपराध है परन्तु बड़े व्यापार गृहों ने अनेक वर्षों से इसी प्रक्रिया को अपनाया हुआ है। काले धन का मुख्य साधन कर अपवचन है। आप उनको पकड़ने के लिये क्या करने जा रहे हैं। जब तक आप कर चोरी करने वालों को नहीं पकड़ते तब तक आप बजट के प्रावधानों को पूरा करने के लिये पर्याप्त साधन नहीं जुटा सकते। मितव्ययत के उपाय ठीक हैं परन्तु इनसे आपको बहुत थोड़ी राशि प्राप्त होगी। परन्तु यदि आप कर की चोरी करने वाले व्यक्तियों को पकड़ते हैं तो आपको पर्याप्त धन तथा साधन प्राप्त होंगे। आप ऐसा कब करेंगे ? सभी हर्षद मेहते और सुखराम काले धन पर ही पनप रहे हैं। आप ने कर की चोरी करने वाली कम्पनियों के लिए बहुत ही मामूली प्रस्ताव किया है वह है न्यूनतम वैकल्पिक कर। हम वाणिज्य संबंधी विभागीय स्थायी समिति के सदस्य इस बारे में विभिन्न संगठनों से मिलने वाले अभ्यावेदनों से तंग आ गये हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : आपकी अन्तिम सिफारिश क्या थी ?

श्री वी.वी.राघवन : हमने कहा था कि सरकार इस पर विचार कर सकती है। डा. मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमें इस पर उचित रवैया

अपनाना चाहिए। डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि हम इस समिति के सदस्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह इस की जांच करे और समिति की सिफारिशें सरकार पर बाध्य नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज की जांच कर सकता है फिर आप तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : मुझे बड़ी खुशी होती यदि आप इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर देते। अभी आपने कहा कि मैंने इसकी जांच की है और अब आप कहते हैं कि मुझे इसकी जांच करनी चाहिए।

श्री वी.वी.राघवन : हम चाहते हैं कि आप इसकी जांच करें और इसे रद्द कर दें। मैंने, श्री वयालार रवि, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन तथा संयुक्त मोर्चा के अन्य सदस्यों तथा कांग्रेस सदस्यों ने डा. सिंह को बताया था कि हम सरकार से इसकी जांच करने का अनुरोध नं करें। हो सकता है सरकार इसकी जांच करे। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप इसकी जांच कर सकते हैं तथा इसे रद्द कर सकते हैं, यह मेरा अनुरोध है। न्यूनतम वैकल्पिक कर रहना चाहिए। इसके अन्तर्गत कुछ हजार कम्पनियां ही आयेंगी। किसी और जगह पूंजी निवेश के बहाने यह कम्पनियां कर की चोरी कर रही हैं। अतः न्यूनतम वैकल्पिक कर बना रहना चाहिए और इससे सरकार कुछ साधन जुटा सकती है।

माननीय वित्त मंत्री जी क्या हम काले धन का लाभ उठाने का कोई प्रयास नहीं कर सकते ? हमें इस पर विचार करना चाहिए। कालेधन के आधार पर प्रतिस्पर्धी सरकार चल रही है। अनेक सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो गई हैं और इससे देश के सामाजिक ढांचे को ही खतरा उत्पन्न हो गया है। यह कालेधन का ही परिणाम है ? कालेधन वाले व्यक्ति खूब उन्नति कर रहे हैं। अतः जब हम साधन जुटाने की बात करते हैं तो हमें उन साधनों की ओर ध्यान देना चाहिए जहां बहुत धन है। यदि आप सामाजिक न्याय चाहते हैं तो आपको साधन जुटाने चाहिए।

आपसे पूंजी विकास तथा पूंजी निवेश के नाम पर अनेक रियायतें तथा प्रोत्साहन दिये हैं। इन चीजों का लाभ उठाकर वे कर की चोरी कर रहे हैं और इस प्रकार बना काला धन हमारे समाज के दिन प्रतिदिन के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

जहां तक विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को धन के आबंटन का सम्बन्ध है मैं लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री पाटिल के साथ आमतौर पर सहमत हूं। उन्होंने इसे बहुत ही विस्तार से तथा विश्वस्त ढंग से रखा है। एक चीज पर मेरा उनसे मतभेद है और वह है रक्षा सेवाओं के लिए धन का आवंटन। वित्त मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि रक्षा सेवाओं के लिए धन की कोई समस्या नहीं होगी। श्री पाटिल चाहते थे कि उनको और धन दिया जाये। मैं नहीं जानता कि क्यों ? रक्षा का तैयारी का अर्थ केवल बजट का आबंटन ही नहीं है। बल्कि इसमें विभिन्न अन्य क्षेत्रों में पहल भी अन्तर्ग्रस्त हैं। हमारे यहां इसी में कमी है। मेरे विचार में हमारा जोर अपने महान देश की रक्षा सीमाओं के एकीकरण पर होना चाहिए। आधुनिक विश्व में रक्षा तैयारी का अर्थ है कुछ अन्य चीज जिसे केवल धन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः वित्त मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि उनके लिए धन कोई समस्या नहीं होगी। रक्षा तैयारी का अर्थ है अनेक क्षेत्रों में कुछ साहसी पहल करना है। मुझे इस पर विस्तारपूर्वक बोलने की आवश्यकता नहीं है।

अब मैं पूंजी के विनिवेश पर आता हूं। मैं नहीं जानता कि पूंजी विनिवेश संबंधी आयोग के निर्देश पद क्या होंगे। मैं महसूस कर रहा हूं कि अनेक फैक्टरियों को विशेषकर केरल राज्य में बन्द किया जा रहा है। केरल में बहुत ही कम औद्योगिक विकास हुआ है। अधिकांश फैक्टरियां बन्द कर दी गई हैं अथवा उन्हें बीमार घोषित किया गया है और उन्हें औद्योगिक वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के अन्तर्गत कर दिया गया है। क्या हम इन सभी कम्पनियों में विनिवेश कर रहे हैं ? वहां सरकारी कम्पनियां भी हैं। मेरी राय में, उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बुनियादी सुविधायें वही हैं। भवन भी वहां हैं। वहां स्थान भी पर्याप्त है। लगभग सभी के पास आधुनिक मशीने हैं। अतः हमें उन फैक्टरियों को पुनः चलाने का प्रयास करना चाहिए। हमारा मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए। हमें उनमें विनिवेश की जल्दी नहीं करनी चाहिए।

अब मैं मूल्य रेखा के बारे में कहूंगा। आप लोगों की सहायता के लिए हम दो बार सोचते हैं। पैट्रोल तथा डीजल में मूल्य वृद्धि के बारे में मेरा कोई विवाद नहीं है। हो सकता है वह आवश्यक हो। परन्तु यदि हम कोई कार्यवाही करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। क्षमा करें क्योंकि में चीजों को अपने राज्य की कोण से देखता हूं। हम पर अब बहुत अधिक बोझ है। हमें हर चीज दूर के स्थान से लेनी पड़ती है। हम जो भी उत्पादन करते है उसका निर्यात कर देते हैं और विदेशी मुद्रा कमाते हैं। हमें उड़ीसा, आंध्रप्रदेश और अन्य राज्यों से सामान मंगाना पड़ता है। मूल्य बढ़ गये हैं क्योंकि परिवहन लागत में वृद्धि हो गई है। दिल्ली में जो लोग सत्ता में हैं उन्होंने इन सभी समस्याओं पर विचार नहीं किया है।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि केरल की स्थिति विशिष्ट है। अंग्रेजों तथा महाराजाओं के दिनों से ही केरल में बहुत अच्छी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसके अन्तर्गत सभी लोग आते हैं। अचानक इस प्रणाली में परिवर्तन किया जा रहा है। केरल में हमें जिस विशेष स्थिति का सामना है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। केरल एममात्र राज्य है जिसने समूचे राज्य में सांविधिक राशन प्रणाली को लागू किया है। उसे जारी रहने दिया जाना चाहिए। इस पर पुनर्विचार करें। कृपया रबड़, खाद्य तेलों और यदि सम्भव हो तो अखबारी कागज जैसी पूंजीगत मदों पर कर कटौती पर पुनः विचार करें। अखबरी कागज का उत्पादन करने वाली हमारी कम्पनियों की स्थिति खराब है। हमें अनेक विशेष स्थितियों का सामना है। हम केरल के लोग महसूस करते हैं कि हम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति हैं क्योंकि हम इस महान भूमि दक्षिणी छोर पर हैं। कम से कम वित्त मंत्री को विचार करना चाहिए...

श्री पी. चिदम्बरम : मैं भी भारत के दक्षिणी छोर से आया हूं। जहां तक मानव विकास का सम्बन्ध है केरल का स्थान बहुत ऊंचा है। साक्षरता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा मानव विकास की अन्य बातों में केरल का स्थान बहुत ऊंचा है। मुझे केरल पर गर्व है। मेरे विद्वान

मित्र को भी केरल पर गर्व होना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : केरल एक प्रगतिशील राज्य है। इसका यह अर्थ नहीं कि आप उनको कम से कम धन देंगे। वे दुबई तथा अन्य स्थानों से आपके लिए अधिकतम ला रहे हैं। पश्चिम बंगाल को मत दीजिए बल्कि केरल को दीजिए। वह बदतर राज्य है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह असम को भी दे सकते हैं परन्तु प्रश्न यह नहीं है।

मेरे विचार में वित्त मंत्री जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा वे भूतकाल की बातें बननी शुरू हो गई हैं। केरल सरकार ने सेमिनार किये थे जिसमें दर्शाया गया था कि किस प्रकार वह अवरूद्धता की स्थिति पर पहुंच गये हैं। वर्तमान में वहयनि प्रवृत्ति यह है कि स्कूलों के दाखिले में गिरावट आई है। वित्त मंत्री को यह जानना चाहिए क्योंकि वह भी दक्षिण से आये हैं। मैंने रिपोर्टों को देखा है। मैं नहीं जानता कि क्या उनकी जांच की गई है। स्वास्थ्य प्रणाली में भी वे हानि उठा रहे हैं और जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया था वे उससे नीचे आ रहे हैं। क्योंकि उनकी अर्थ व्यवस्था के विकास में अभाव है।

श्री पी. चिदम्बरम : वे तथ्य गलत हैं। केरल की विकास दर पिछले तीन वर्षों में भारत में सब से अधिक है। तथ्य यह कि स्कूलों में दाखिले में कमी इसलिए हो रही है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में कमी हो रही है। बच्चों की संख्या कम हो गई है इसलिए स्कूलों में बच्चों की संख्या में भी कमी हुई है। परन्तु केरल में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो स्कूल न जाता हो।

श्री वी.वी.राघवन : ठीक मेरा प्रश्न भी वही है। बुनियादी सुविधाओं में हमने जो कुछ प्राप्त किया उसके लिये हमें दण्डित किया जा रहा है।

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : तकनीकी शिक्षा प्रणाली में केरल भारत में सब से पिछड़ा राज्य है। साक्षरता में हम प्रथम हैं परन्तु शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में नहीं। हम बहुत पिछड़े हुए हैं। शायद राजस्थान भी इस मामले में हम से आगे है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण हमारे भारत के बजट पर वाद–विवाद कर रहे हैं।

श्री वी.वी. राघवन : इन सब का बजट से सम्बन्ध है।

श्री पी. चिदम्बरम : यदि आप यह चर्चा नहीं करते हैं तो बजट पर चर्चा बहुत बोरिंग होगी।

श्री वी.वी.राघवन : शिक्षा बुनियादी सुविधाओं का भाग है। यह महत्वपूर्ण बात है। ये सभी बजट से सम्बन्धित हैं।

सभापति महोदय : ये सभी समस्याएं कम विकसित तथा दूर रूप स्थानों में भी हैं। इसीलिये मैं आप से कह रही हूं कि आप केवल केरल के लिये नहीं बोल रहे हैं बल्कि आप अन्य राज्यों के लिये भी बोल रहे हैं। हम सभी को यह समझाना चाहिए। यह समान ही होगा।

अपराह्न 4.56 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री वी.वी. राघवन : अब मुझे माननीय वित्त मंत्री को सांझा–न्यूनतम कार्यक्रम में जिस पर बल दिया गया है उसकी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इन चार मुद्दों अर्थात् आयात नीति, पूंजी विनिवेश नीति, साधन जुटाने सम्बन्धी नीति और विदेशी पूंजी निवेश पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

श्री ओ. भारथन (बडागरा) : महोदय, वित्त मंत्री ने वर्ष 1996-97 का बजट पेश किया है। जहां तक मजदूर वर्ग और गरीब लोगों का सम्बन्ध है यह बजट निराशाजनक है। यह बजट सरकार की 1991 की आर्थिक नीति के अतिरक्त और कुछ नहीं है, पिछली सरकार की आर्थिक नीति को ही इसमें जारी रख गया है ? बजट में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसा मैंने पहले कहा लोग बजट में मूलभूत परिवर्तन की आशा करते थे परन्तु बजट में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है। मैं यह बात सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

महोदय, बजट प्रस्तावों पर बोलने से पूर्व मैं बताना चाहूंगा कि किन परिस्थितियों में संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आई। यह बहुत ही नाजुक अवस्था पर सत्ता में आई है। परन्तु सरकार शीघ्र और प्रभावी उपायों से लोगों के बोझ को कम करने का प्रयास कर रही है। मैं उस राजनैतिक दृश्य को विस्तार पूर्वक नहीं बताना चाहता जिसमें संयुक्त मोर्चा सरकार बनी और जिसे मेरा दल भी बाहर से समर्थन दे रहा है।

संयुक्त मोर्चा सरकार के लिए नीति निर्णय लेने हेतु एक सांझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया गया है। भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है कि भारत राष्ट्र की वास्तविकता को ध्यान में रखा गया है। ऐसा संयुक्त मोर्चा सरकार के स्वरूप के कारण हुआ है जिस में तेरह शक्तिशाली राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दल शामिल है। संयुक्त मोर्चा द्वारा संघीय ढांचे पर पुनः जोर दिया गया है और मेरे दल तथा भारत के साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) को इसका श्रेय जाता है क्योंकि इन्होंने निरन्तर यही रुख अपनाया था।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है मैं कहूंगा कि राज्यों को वित्तीय शक्ति देने की बात कही गई है। राज्यों को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि वे अपने दायरे के भीतर काम कर सकें और भारत को एक वास्तविक संघीय राष्ट्र बना सके। इस बारे में मेरा झुकाव है कि विदेशी कार्य, संचार, रक्षा और मुद्रा के क्षेत्रों के अलावा केन्द्र सरकार को विकास के अन्य क्षेत्रों में अपनी शक्तियां राज्यों को दे देनी चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

जब हम संघीय ढांचे की बात करते हैं हालाकि यह मुद्दे से सम्बन्धित नहीं है फिर भी मैं केन्द्र के मंत्रिमण्डल में केरल का प्रतिनिधित्व न होने के बारे में अपने राज्य की निराशा व्यक्त करता हूं, उस राज्य के राज्य सभा के सदस्यों सहित 29 सदस्य हैं और सभी सरकार का समर्थन कर रहे हैं फिर भी संघीय मंत्रिमण्डल में किसी को स्थान न मिलना

चालबाजी दिखती है।

इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य कि वह संघीय मंत्रिमण्डल में केरल का प्रतिनिधित्व करेंगे मज़ाक उड़ाने के समान है। मैं उनसे एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व करना क्यों उचित नहीं समझा। प्रधानमंत्री के वक्तव्य के पीछे कोई तर्क अथवा आधार नहीं है। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री इस बारे में आवश्यक कदम उठायेंगे।

मैं बजट के कठोर तथ्यों की ओर आता हूं। मैं आंकड़ों में नहीं पड़ना चाहता। मैं मोटे तौर पर मुख्य मुद्दों पर बोलूंगा। खर्च पर नजर रखने के लिये व्यय आयोग के गठन का मैं मंत्री के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। व्यर्थ के व्यय ने समूची प्रणाली को लड़खड़ा दिया है। इसके भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध भी हैं। अपव्यय की गई राशि योजना क्रियान्वयन पर खर्च की गई राशि से अधिक है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसका अधिकांश बोझ आम व्यक्ति पर पड़ा है। बिना विलम्ब आयोग को नियुक्त किया जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस आयोग की हालत वैसी नहीं हो जैसी कि अन्य आयोगों और समितियों की होती है जिन्हें उचित रूप से कार्य नहीं करने दिया जाता। प्रस्तावित आयोग की रिपोर्ट की जांच की जानी चाहिए और बिना विलम्ब लागू किया जाना चाहिए।

अशान्त करने वाला दूसरा पहलू यह है कि कोई भी परियोजना न तो समय पर पूरी होती है और न ही चालू होती है। लागत बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। जहां तहां परियोजनाओं की घोषणा करने के बजाये सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूरी हो।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर बेचने से सरकार के निर्णय का मैं जोरदार विरोध करता हूं। मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि चालू वित्त वर्ष में 5000 करोड़ रुपये का विनिवेश किया जायेगा। मुझे यह कहते हुए खेद है कि डॉ. मनमोहन सिंह जी की परछाई हमारे वित्त पर पड़ी हुई है। श्री मनमोहन सिंह की यह संदिग्ध विशिष्टता थी कि वह धन एकत्र करने के लिये शेयर बेचते थे ताकि बजट घाटे को पूरा कर सके जोकि मेरे विचार में अनैतिक और बिना सिद्धान्त की बात थी।

हमारे देश के निर्माताओं ने सरकारी क्षेत्र पर बहुत जोर दिया था और वास्तव में पण्डित नेहरू का इसमें खास हाथ है। सरकारी उपक्रमों का निर्माण आप व्यक्ति के खून पसीने से हुआ है और उसको कुछ व्यक्तियों की झक पर तोड़ा नहीं जा सकता। सरकार को सांझा न्यूनतम कार्यक्रम की भावना का आदर करते हुए बीमार सरकारी इकाइयों को पुनर्जीवित करना चाहिए। इस समय जो सरकारी उपक्रम कुप्रबन्ध से पीडित हैं उनको व्यवसायिक और आधुनिक बनाया जाना चाहिए।

बजट में कृषि क्षेत्र पर जो बल दिया गया है वह स्वागत योग्य कदम है परन्तु और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बीमा क्षेत्र में घोषित दोनो योजनाओं का भी स्वागत है। सरकार को कृषि क्षेत्र में बीमा शुरू करना चाहिए जोकि सभी विकासशील देशों में प्रथा है।

महोदय, हर वर्ष हजारों करोड़ रुपये की फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण तबाह हो जाती है। सीमित फसल बीमा कार्यक्रम शुरू नहीं हो सका है। ऐसी प्रणाली बनाकर जिसके अन्तर्गत फसलों के लिये पर्याप्त बीमा हो तो कृषि क्षेत्र को प्रभावी ढंग से आधुनिक बनाया जा सकता है।

सरकार ने पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सरकारी कर्मचारियों को तुरन्त राहत दे। ऐसा समझा जाता है कि सरकार ने 12.5 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। इसे बिना विलम्ब लागू किया जाये। इसके साथ ही डाक तार विभाग के तीन लाख दस हजार विभागोत्तर कर्मचारियों की दयनीय स्थिति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये कर्मचारी थोड़े वेतन के लिए काम कर रहे हैं उनकी लम्बे समय से चली आ रही यह मांग है और उनकी सेवा शर्तों को बदला जाना चाहिए ताकि उन्हें जीवन की उचित सुरक्षा प्राप्त हो।

अब मैं बजट में केरल की स्थिति के बारे में बोलूंगा। मोटे तौर पर मैं कहूंगा कि बजट में मेरे राज्य केरल का भी ध्यान रखा गया है। कोचीन को ट्रांसशिपमैंट पत्तन बनाने संबंधी घोषणा का स्वागत है। परन्तु साथ ही प्राकृतिक रबड़ और कैपरोलेक्टम को सीमाशुल्क के अन्तर्गत लाने के निर्णय से राज्य के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। केरल की अर्थव्यवस्था रबड़ तथा अन्य नकद फसलों पर निर्भर है। विदेशों से रबड के आने से घरेलू बाजार में रबड़ के मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा। कैपरोलेक्टम का उत्पादन सरकारी उपक्रम 'फैक्ट' द्वारा किया जाता है और विदेशों में इसके आगमन से सरकारी क्षेत्र की इस इकाई पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। छोटे सिगरेटों पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने के निर्णय से केरल में बीडी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कर में यह वृद्धि अपर्याप्त है। बीड़ी पर से कर हटा दिया जाना चाहिए और तम्बाकू पर कर लगाना चाहिए जैसे कि पहले था। इस बारे में मैंने माननीय वित्त मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन दिया है। बजट में केवल आंशिक राहत दी गई है।

इन सुझावों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे आशा है कि कमियों को दूर किया जायेगा और आलोचना को अच्छी भावना में लिया जायेगा।

मैं एक बार फिर इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने 1996-97 के सामान्य बजट पर विचार व्यक्त करने को जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अपने दल, आर.एस.पी. की ओर से मै बजट का समर्थन करता हूं हालांकि इस पर मेरी कुछ शर्तें हैं।

विद्यमान सामाजिक–आर्थिक पद्धति में, जहां तक व्यवहार्य है, वित्त मंत्री ने सतुलित बजट पेश करने का प्रयास किया है। मैं बजट की सराहना करता हूं। इस बजट को बनाते समय सरकार को तीन

चुनौतियों अर्थात वित्तीय चुनौती, मूल सुविधाओं संबंधी चुनौती, रोजगार और गरीबी उन्मूलन संबंधी चुनौती का सामना करना पड़ा है। बजट बनाते समय वित्त मंत्री को तीन मुख्य समस्याओं का सामना था अर्थात वित्तीय घाटे को कम करना, विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, मुद्रास्फीति को रोकना तथा तेजी से औद्योगीकरण करना। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने इस बजट में अपने काम को पूरा करने हेतु काफी समय, श्रम तथा शक्ति लगाई है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आर्थिक सुधार जरूरी है और इस बारे में अनेक प्रश्न हैं।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण से उदधृत करना चाहता हूं।

> "बुद्धिमानी कहती है कि हम ऊंचे विकास की राह पर रहें। इसके लिए हमें कम सुधारों की नहीं बल्कि अधिक सुधारों की आवश्यकता है।"

अपने बजट भाषण में किये गये मंत्री महोदय के इस वक्तव्य से लोगों के मन में गलत प्रभाव उत्पन्न हुआ है। अतः आर्थिक सुधारों को जारी रखना अथवा उनपर निर्भर रहना पिछली सरकार के आर्थिक सुधारों की नीति को जारी रखने के अलावा कुछ नहीं है। हमारे देश के लोगों के मन में यह प्रभाव उत्पन्न हो गया है। परन्तु जहां तक वित्त मंत्री द्वारा दिये गये बजट भाषण को मैं समझता हूं मैं कह सकता हूं कि पिछली सरकार की आर्थिक नीति, आर्थिक सुधारों का प्रयोजन, जोकि अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी बनाने तथा निजीकरण के नाम पर थे, समाज के ऊंचे तथा समृद्ध लोगों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए है जिससे वह भारतीय बजारों और भारतीय अर्थव्यवस्था को लपेट सकें। जहां तक वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण को मैं समझता हूं कह सकता हूं कि आर्थिक सुधारों की इस नीति का उद्देश्य मूल ढांचे का निर्माण है, मानव जीवन और आम व्यक्ति की महत्वपूर्ण गतिविधियों का है। आर्थिक सुधारों की नीति के रवैये और दृष्टिकोण में यही अन्तर है। बजट की यह मुख्य बात है और मैं बजट की सराहना करता हूं। नियमित बजट सामाजिक-आर्थिक पद्धति का ही उत्पाद है। इसे वर्तमान सामाजिक-आर्थिक प्रणाली से अलग नहीं किया जा सकता। हम आधुनिकतम महापूंजीवाद के काल में रह रहे हैं। इस सामाजिक-आर्थिक पद्धति में नियमित बजट बनाने के लिये पूंजीवाद का ही आश्रय लेना पड़ता है।

सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं जानता हूं कि पूंजी वाद परस्पर विरोधी बातों से पीड़ित है। भारतीय पूंजीवाद में भी परस्पर विरोधी बातें हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास तथा भारत में महानगरीय पूजीवाद के विकास से भारतीय पूंजीवादी भी दो भागों में बंट गये हैं अर्थात औद्योगिक पूंजीपति और कृषि पूंजीपति आज भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि पूंजीपतियों का विकास एक स्वीकृत तथ्य है और यदि मै यह कहता हूं तो मैं गलत नहीं हूं कि बजट भाषण में इनकी मांग, ग्रामीण क्षेत्रों से इनकी आवश्यकता को बजट भाषण में दर्शाया गया है।

जहां तक नाबार्ड की भूमिका का सम्बन्ध है, जहां तक आर.आई. डी.एफ. का सम्बन्ध है, यह पता लगाया जा सकता है कि ग्रामीण वित्तीय संस्थान अमीर ग्रामीणों का उद्देश्य ही सिद्ध करते हैं।

कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योगों को ऋण दुगुणा संबंधी जिस प्रस्ताव का वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है उसका स्वागत है। इस प्रयोजन हेतु 'नाबार्ड' की शेयर पूंजी को बढ़ाने, आर. आई.डी.एफ. की निधि को बढ़ाने तथा सिंचाई लाभ निधि की स्थापना के उनके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। परन्तु हमें कटु अनुभव है। इन ग्रामीण वित्तीय संस्थानों की सुविधा समाज के विशेष लोगों को ही प्राप्त है।

इन का धन वास्तव में जरूरतमन्द गरीबों के हाथों में नहीं जाता। यह फसल काटने वालों, मजदूरों और दैनिक मजदूरों के हाथों में नहीं जाता। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अमीर ही भूमि के मालिक हैं। उनके पास विद्युत चालित हल हैं। उनके पास ट्रैक्टर हैं। उनके पास पूंजी निवेश की क्षमता है। बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से अग्रिम राशि लेने के जमानत देने की क्षमता उनके पास है। उनके पास यह सभी सुविधायें हैं। उनका इन पर नियंत्रण है। गांव का आम आदमी, गरीब आदमी, कृषि मजदूर बैंकों की इस नौकरशाही प्रणाली से नहीं निपट सकता। उनको इन ग्रामीण बैंकिग संचालनों से कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती। परन्तु हमें इन सभी विचारों को स्वीकार करना पड़ता है।

क्या हमें ऐसा करना है ? क्या हमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कोई अनुभव नहीं है। माननीय वित्त मंत्री ने नये निजी स्थानीय क्षेत्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया है। हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इन बैंकों की भूमिका क्या होगी ? इन बैंकों का दो अथवा तीन साथ लगते जिलों पर क्षेत्राधिकार होगा। परन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में हमारा अनुभव क्या है ? चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी ताकि स्थानीय क्षेत्रों में बचत की जा सके और वहां पूंजी निवेश किया जा सके। परन्तु आज इन क्षेत्रीय बैंकों की दशा क्या है ? उनके अधिकारी तथा उनके कर्मचारी आज फालतू होते जा रहे हैं। आपकी अनुमति से मैं याद दिलाना चाहता हूं। कि ग्रामीण बैंकों के सभी कर्मचारियों ने वित्त मंत्री को एक ज्ञापन दिया है जो उनके विचाराधीन है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि वह स्थानीय लोगों के हित में इन बैंकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाये तथा हम निजी स्थानीय क्षेत्रीय विकास बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव कर सकते हैं।

इस बजट में किये गये अन्य सुझावों को हमने देखा है। वे मूल ढांचा विकास तथा लघु उद्योगों के विकास के बारे में है। निश्चित रूप से वे अच्छे हैं। अब मूल ढांचा विकास और लघु उद्योगों का प्रश्न आता है। उन्होंने मूल ढांचा विकास वित्त निगम की स्थापना का प्रस्ताव किया है। उन्होंने एस.आई.डी.बी.आई. को बढ़ावा दिया है और वेन्चर कैपिटल फण्ड में इसकी भागीदारी को भी बढावा दिया है। जब तक इस क्षेत्र में भूमि सुधारों को पूरा नहीं किया जाता तब तक आई.डी.एफ.सी., एस. आई.डी.बी.आई. और वेन्चर कैपिटल फण्ड को सफलतापूर्वक लाभ नहीं उठाया जा सकता। दुर्भाग्यवश भूमि सुधार राज्य का विषय है। परन्तु

मैं अपने देश के वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री से अपील करूंगा कि यदि वे चाहते हैं कि प्रस्तावित संस्थान ठीक ढंग से कार्य करें तो वे इन भूमि सुधारों के मामले को मुख्य मंत्रियों की बैठक में उठायें। यह एक आवश्यक मामला है।

माननीय वित्त मंत्री की 'आर्थिक संघवाद' की शब्दाबलि को मैं न पढ़ा है। मेरी राय में यह शब्दावलि पश्चिम देशों ने बनाई है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं। मुझे अनुभव है कि हमारे देश में अभिकेन्द्रीय शक्तियां हैं और हमारे देश में अपकेन्द्रीय शक्तियां भी हैं। इन दोनों के बीच गम्भीर भेदभाव है। इसका हल संघवाद है और वह है आर्थिक संघवाद। माननीय वित्त मंत्री द्वारा बनाई गई शब्दावलि की मैं सराहना करता हूं। आज विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल अथवा विभिन्न राज्यों की चुनी हुई सरकारें केन्द्रीय सरकार की ओर हाथ उठाती हैं।

वे अधिक शक्ति, अधिक वित्त तथा अधिक कार्यकारी शक्ति देने के लिए केन्द्रीय सरकार में अपील करते हैं।, यह उनकी उचित मांग है। यह क्षेत्रवाद की मांग है। क्षेत्रवाद की इस मांग की उपेक्षा नहीं की जा सकती। संविधान में उसको स्वीकार किया गया है तथा बजट में उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। कुल आर्थिक संघवाद की यह महत्वपूर्ण कुंजी है। अतः आर्थिक संघवाद, जैसाकि हमारे वित्त मंत्री ने कहा, हमारे देश में अभिकेन्द्रीय और अपकेन्द्रीय शक्तियों के बीच भेदभाव को दूर कर सकता है। इस बजट पर बहुत सी बातें कहीं जा सकती हैं। मैं अपना भाषण समाप्त करने में आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं इस ढंग से अपील करता हूं कि मैंने अनेक शब्द कहे हैं और मैंने इस बजट में अनेक मूल्यवान शब्द सुने हैं। परन्तु शब्द बजट के गुणों पर निर्णय नहीं दे सकते केवल काम ही बजट के गुणों का निर्णय कर सकते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि वह इस ढंग से कार्य करें।

फैक्टरियों अथवा बीमार उद्योगों में काम करने वाले सैंकड़ों हजारों मजदूर इस समय वित्त मंत्री तथा इस सदन की दया की ओर देख रहे हैं। वे बजट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम उनके लिये क्या कर रहे हैं। सैंकड़ों मजदूर भूखे हैं तथा उनको भुगतान नहीं किया गया है। उनके लिये सभी दरवाजे बन्द हैं और भूख से मरने के लिये उन्हें गलियों में फैंक दिया गया है। बीमार उद्योगों के मजदूरों की यह हालत है। वित्त मंत्री का उनके बारे में क्या सुझाव है ? उन्होंने पहले ही कह दिया है कि शीतकालीन सत्र में उनके लिये कुछ किया जायेगा। शीतकालीन सत्र में बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिये उनका प्रस्ताव एक व्यापक नीति घोषित करने का है। परन्तु ये लोग शीतकालीन सत्र तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। वे तुरन्त इस सदन तथा इस सरकार की दया की मांग करते हैं। मैं बीमार उद्योगों तथा सरकारी उपक्रमों के इन भूखे मर रहे मजदूरों की ओर से अपील करता हूं कि कृपा करके उनके लिये तुरन्त कुछ करें। गर्जन होती है और गर्जन चली जाती है। यह प्रकृति का नियम है। सरकार आती है और सरकार जाती है। यह इतिहास का नियम है। मानव का नियम है और वह लम्बी अवधि तक आपको याद रखेंगे। यदि आप कुछ करते हैं। यदि आप मिलीजुली भावना से आगे आते हैं तो आप को लोग सदा याद रखेंगे। मुझे खुशी होगी यदि माननीय वित्त मंत्री लोगों के असाधारण जटिल अनादेश के प्रति वफादार रहे जिससे यह सरकार बनी है जो धर्म–निपेक्षता, आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय बढ़ाने के प्रति वचन बद्ध है। हमारे वित्त मंत्री पिछली लोकसभा में लोगों के जटिल जनादेश के प्रति वास्तव में वफादार है। मेरे विचार में वह इसको याद रखेंगे, इस पर विचार करेंगे और इसपर पूरा ध्यान देंगे और बीमार उद्योगों और सरकारी उपक्रमों के भूख से मर रहे गरीब मजदूरों के लिये बजट आबंटन को बढ़ायेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : संयुक्त मोर्चा सरकार की ओर से वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट का मैं समर्थन करता हूं परन्तु मैं इस पर कुछ टिप्पणियां करूंगा। मैं जो सुझाव देना चाहता हूं वह हमारे देश के आम लोगों के हित में तथा संयुक्त मोर्चा की एकता के हित में है। वह साम्प्रदायिकता और कट्टरवाद के विरूद्ध है तथा जन–विरोधी, साम्राज्यवाद समर्थक और भू–पति समर्थक नीतियों के खिलाफ जिन्हें पिछली सरकार द्वारा चलाया जा रहा था।

महोदय, मुझे पक्का विश्वास है कि केवल संयुक्त मोर्चा ही, जो देश वामपंथी, लोकतांत्रिक और केन्द्रीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। देश के आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है और देश में खुशहाली, तेजी से औद्योगीकरण ला सकता है और हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकता है।

मेरे विचार में माननीय वित्त मंत्री मेरे साथ सहमत होंगे इस बजट में पुरानी नीतियों को जारी रखा गया है और साथ ही कुछ परिवर्तन भी लाये गये हैं। मेरा मानना है कि इस देश के लोगों ने नीतियों के परिवर्तन का जनादेश दिया है। चूंकि जनादेश पूरे तौर पर परिवर्तन के लिये है इसलिये बजट यदि जनादेश के अनुसार होता तो इसमें नीतियों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किये गये होते। परन्तु मैं पूरी विनम्रता से वित्त मंत्री को बताना चाहता हूं जोकि सांझा न्यूनतम कार्यक्रम को बनाने वाले हैं, कि बजट में परिवर्तन के बजाये पुरानी नीतियों को जारी रखने पर अधिक बल है। परिवर्तन तो है। मैं यह नहीं कहता कि परिवर्तन नहीं है। परन्तु यह आधे मन से किये गये परिवर्तन हैं जो बाधा उत्पन्न करने वाले हैं और सन्देह से भरे हैं। इसलिये यदि परिवर्तन तेजी से किये गये होते और देश के आम लोगों के बेहतर तथा प्रसन्नतापूर्वक जीवन के लिये होते तो लोग यह देखकर खुश होते। परिवर्तन के बजाये पुरानी नीतियों को जारी रखने पर अधिक जोर है। यह लोगों के जनादेश को पूरा करना नहीं है जिससे हम इस प्रतिष्ठित सदन में आये है। महोदय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के उद्देश्यों को बताया है। मैं उद्धृत करता हूं–

> "आर्थिक विकास को तेज करने के लिये आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण के मार्ग पर चलते रहेंगे।"

महोदय इसका अर्थ है कि कष्टप्रद निरन्तरता बनी रहेगी और इसकी मुझे चिन्ता है। जैसा मेरे अनेक मित्रों ने कहा है उनका आर्थिक सुधारों से क्या मतलब है जिस पर अडे रहना चाहते हैं। जुलाई 1991 में लागू किये गये आर्थिक सुधार विश्व बैंक द्वारा सुझाये निर्देश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं खेद के साथ इन शब्दों का प्रयोग कर रहा

हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे वित्त मंत्री तथा अनेक माननीय सदस्य इस बारे में बहुत ही संवेदनशील हैं। उदारीकरण, विश्वव्यापी बनाने तथा निजीकरण के लिए ऐसा करने की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक ने ही कहा था और फिर निजी कम्पनियों, इकाइयों तथा साम्राज्यवादियों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सांठगांठ से ऐसा किया गया है। यदि सुधारों का यही तरीका है तो माननीय वित्त मंत्रीजी मैं आप से सहमत नहीं हूं। आप लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हितों को अलग करके आर्थिक विकास को परखा नहीं जा सकता। केवल विकास ही वांछनीय नहीं है। मेरे मन में उठने वाला प्रश्न यह है कि विकास किस के लिये है ? समृद्धता किसके लिए है। इस प्रश्न का उत्तर दिये जाने की आवश्यकता है। मुझे यह सहते हुए खेद है कि आज बजट में इसका उत्तर नहीं मिलता। विकास और खुशहाली किस के लिये है ?

बजट के नकारात्मक पहलू पर बोलने के बाद अब मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों की सराहना भी करता हूं। मैं श्री चिदम्बरम के साथ अन्याय करूंगा यदि मैं बजट के महत्वपूर्ण और ठोस पहलुओं की ओर सदन का ध्यान नहीं दिलाता। मैं इनका निचोड़ दूंगा। मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि समय का अभाव है। बजट के स्वागत योग्य प्रस्ताव इस प्रकार है; जीरो टैक्स कम्पनियों पर कर लगाने की घोषणा; कर अपबंचन के विरूद्ध कड़े कदम उठाने की धमकी; सांझा न्यूनतम कार्यक्रम पर चलने की घोषणा; मूल ढांचा विकास के प्रति चिन्ता व्यक्त करना; कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश में कमी पर चिन्ता; मुद्रा स्फीति से आम लोगों को राहत देने के लिए तत्परता दिखाना; केन्द्र द्वारा प्रायोजित अधिकांश योजनाओं को राज्यों के नियत्रण में देने की घोषणा; नावार्ड की पूंजी बढ़ाकर ग्रामीण ऋण सुविधाओं का पुनर्निर्माणः बी.आई.एफ.आर. के कार्यकरण की समीक्षा; रुग्ण उद्योग कम्पनी अधिनियम के बारे में घोषणा तथा शिक्षा के लिए बजट आबटन में वृद्धि। ये बजट के अन्य महत्वपूर्ण और ठोस प्रस्ताव हैं। मैं महसूस करता हूं कि ये पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बजट बनाने सम्बन्धी प्रक्रिया में यह एक नया विचार है। बजट बनाने की प्रक्रिया में नया दृष्टिकोण लाने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री की सराहना करता हूं। मैं उनके प्रयास की प्रशंसा करता हूं। मैं जानता हूं कि इस से आगे के वर्षों में आने वाले वित्त मंत्रियों को बजट बनाने की नीति में सहायता मिलेगी।

मैं पुनः कुछ कमियों की ओर ध्यान दिलाता हूं। ठोस पहलुओं को सराहने के बाद मैं वित्त मंत्री का ध्यान कुछ कमियों की ओर दिलाना चाहता हूं। यद्यपि सरकार अर्थव्यवस्था के सुधार का दावा करती है तथापि सार्वजनिक पूंजी निवेश को बढाने के प्रयास जोरदार नहीं हैं। बजट में राजस्व प्राप्तियों के चालू वर्ष में 16.2 प्रतिशत बढने का अनुमान है परन्तु योजना व्यय, जिसमें केन्द्रीय योजना को बजट समर्थन तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता शामिल है, में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई है और वह पूंजी निवेश या मुद्रास्फीति के साथ है। यदि हम मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें तो सरकार के आंकड़ों के मानते हुए 12 प्रतिशत की यह वृद्धि वास्तविक अर्थों में 12 प्रतिशत की वृद्धि नहीं होगी। यह केवल छः प्रतिशत होगी। मेरे विचार में यह बहुत प्रभावकारी नहीं है। केन्द्रीय योजना परिव्यय पुनरीक्षित अनुमानों से 16.7 प्रतिशत अधिक है। परन्तु यह अधिकतर आन्तरिक साधन जुटाने के कारण हैं न कि बजट में अधिक आबंटन के कारण बजट में योजना खर्च पर अथवा सार्वजनिक पूंजी निवेश बढ़ाने पर उचित जोर नहीं दिया गया है।

मैं एक अन्य नकारात्मक पहलु की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ग्रामीण विकास और सामाजिक सेवाओं के लिये केन्द्रीय योजना की व्यय में 9.5 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है जो आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। जब मैं यह सब कह रहा हूं तो आपको छः अथवा सात प्रतिशत की दर से मुद्रास्फीति, जिसे आपने स्वीकार किया है, को ध्यान में रखना होगा।

जहां तक रोजगार के अवसर पैदा करने का सम्बन्ध है स्थिति ज्यादा उत्साहजनक नहीं है ? रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं में जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना और इन्दिरा आवास योजना शामिल है। इन्हें आमतौर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाएं माना जाता है। इनके लिए कितनी धनराशि रखी गई है। पिछले वर्ष 1995-96 में 5,473.88 करोड रुपये रखे गये थे। अब इसमें वृद्धि नहीं की गई है। 1995-96 बजट अनुमानों में यह राशि 5,460 करोड़ रुपये है जो पहले से 13 करोड़ रुपये कम है।

श्री संतोष मोहन देव : प्रति यूनिट लागत बढ़ा दी गई है।

श्री चित्त बसु : यही कारण है कि यह कम है। मुझे वित्त मंत्री के बजट भाषण के सात सूत्री उद्देश्यों का पता है परन्तु मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि उनमें बहुत समय लगेगा। अतः सरकार आप लोगों के हित के लिए तथा रोजगार के अवसर बढाने के लिए सार्वजनिक पूंजी निवेश नहीं कर रही है। माननीय वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं कठोर शब्द प्रयोग करूं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को त्याग दिया है तथा उनके अन्तर्गत सरकार ने राष्ट्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी को त्याग दिया है। लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी पहुंच को बढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि कम रहे हैं। आप लोगों के प्रति तथा देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को छोड़ रहे हैं। मूलगूत ढांचे तथा सामाजिक क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त धन न दिये जाने का अर्थ है कि इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र वालों की प्रवेश के अवसर प्रदान करना। बजट में मूलढाचा विकास वित्त कम्पनी की स्थापना का प्रस्ताव है। इससे पता लगता है कि सरकार मूल ढांचे के विकास के प्रति अपनी जिम्मेदारी त्याग रही है। आप देश के काम के लिए निजी कम्पनियों तथा निजी पूंजी को आमंत्रित कर रहे हैं। यह प्रगतिशील दृष्टिकोण नहीं है। श्री चिदम्बरम मुझे क्षमा करेंगे यह अवनति का दृष्टिकोण है। मैं जानता हूं वह इसको स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : इसको करने के दो रास्ते हैं। मैं आपके आंकड़ों को नकारता नहीं हूं। इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा।

श्री चित्त बसु : मुझे पूरा करने दीजिए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपके आंकड़ों का उत्तर नहीं दे रहा हूं। आंकडे गलत हैं। परन्तु वह ठीक है।

दो रास्ते है जिनसे आप सार्वजनिक पूंजीनिवेश कर सकते हैं। मैं उसका समर्थन करता हूं। कल मैंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था। श्री निर्मल चटर्जी ने मेरे पक्ष में सिर हिलाया था। सार्वजनिक पूंजी निवेश होना चाहिए। मूल ढांचे, सिंचाई, कृषि संबंधी गतिविधियों और सड़कों आदि में भारी सार्वजनिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। इन सभी में भारी पूंजी निवेश किया जाना है। इसमें कोई झगड़ा नहीं है। इन वर्षों में निजी पूंजी निवेश आंशिक रूप में आ सकता है। सार्वजनिक पूंजी निवेश को ही आगे आना है और मैंने बजट में यह किया है जब मैं उत्तर दूंगा तो व्याख्या करुंगा।

श्री चित्त बसु यह कह रहे हैं कि मुझे लोगों पर कर लगाना चाहिए और कर से वसूल राजस्व का प्रयोग सार्वजनिक पूजी निवेश के लिये करना चाहिए। यह एक रास्ता है। दूसरा मार्ग सरकार के नियंत्रण में संस्थान स्थापित करने का है जो राजस्व जुटायेंगे; अपनी पूंजी के प्रयोग से राजस्व जुटायेंगे और सार्वजनिक पूंजी निवेश के लिए उसका प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न यह है कि दोनों मे बेहतर रास्ता कौन सा है ? यदि आप लोगों पर कर लगाते हैं और उसका प्रयोग सार्वजनिक पूंजी निवेश के लिये करते है तो यह एक रास्ता है। कुछ उसमें से भी आना है।

दूसरा रास्ता जिसको मैं इस सदन के विचार के लिये रख रहा हूं वह यह है कि अपनी पूंजी का बुद्धिमानी पूर्वक प्रयोग करें, कल्पनाशील शक्ति से प्रयोग करें और अधिक पूंजी जुटाने के लिये चतुराई से प्रयोग और फिर निवेश करें। दोनों सार्वजनिक पूंजी निवेश हैं। मेरे विचार से दूसरा मार्ग अधिक कार्यकुशल है। इससे अच्छा लाभ होगा। मैं पहले मार्ग को छोड़ नहीं रहा हूं परन्तु मेरे विचार मैं आपको दूसरा मार्ग भी छोडना नहीं चाहिए।

श्री चित्त बसु : मैं दूसरा मार्ग छोड़ नहीं रहा हूं परन्तु मेरे विचार में इससे सरकार के रवैये का पता लगेगा। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र मे सुविधायें प्रदान करने की देश की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

वास्तव में मै बजट तथा इस बजट की विचारधारा के मूल प्रश्न पर बाद में बोलूंगा।

श्री संतोष मोहन देव : अपना राजस्व बढ़ायें।

श्री चित्त बसु : मैं बजट के मूल प्रश्न पर आऊंगा। अतः मेरा एक आरोप यह है कि आप सार्वजनिक पूंजी निवेश को नहीं बढ़ा रहे हैं और राष्ट्र के रूप में बड़े पैमाने पर अपनी जिम्मेदारी का त्याग कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : आप अपनी सरकार से अन्याय कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों के बजटों की तुलना में इस वर्ष के बजट में सार्वजनिक पूजी निवेश के लिए अधिक प्रावधान किया गया है।

श्री चित्त बसु : मुझे खुशी होगी यदि आप और अधिक पूंजी निवेश करें।...**(व्यवधान)**

जी पी. चिदम्बरम : वह अलग मामला है परन्तु यह मत कहिए यह कम है। यह पिछले पाच वर्षों के बजट से अधिक है।

श्री चित्त बसु : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः कुछ नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दिलाऊंगा। हमें सांझा न्यूनतम कार्यक्रम और बजट प्रस्तावों की जांच करनी चाहिए। सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में लक्ष्य निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित किया गया है। मैं उद्धृत कर रहा हूं ...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : मेरा एक अनुरोध है कि श्री पी. नामग्याल विधान सभा चुनावों के सिलसिले में लेह जा रहे हैं और यदि श्री चित्त बसु के बाद उनको बोलने का अवसर दिया जाये तो बेहतर होगा।

यदि श्री बसु अपना भाषण शीघ्र समाप्त कर देते हैं तो श्री नामग्याल को भी अवसर दिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में सोच ही रहा था।

...**(व्यवधान)**...

श्री पी. चिदम्बरम : आप श्री नामग्याल के लिए दस मिनट का समय छोड़ दें। आप अपना भाषण समाप्त करें ताकि श्री नामग्याल को 10 मिनट का समय मिल सके।

श्री चित्त बसु : मैं दस मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा और उसके बाद श्री नामग्याल अपना भाषण कर सकते हैं।

महोदय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में निम्नलिखित शब्दों में लक्ष्य तय किया गया था :

संयुक्त मोर्चा सरकार पहले की सरकार कर स्थानापन्न नहीं होगी।

उससे आगे कहा गया है कि :

इससे संघवाद, विकेन्द्रीकरण, उत्तरदायित्व, समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनैतिक सुधार, मानव स्वतंत्रता का सम्मान तथा पारदर्शीता के सिद्धान्तों पर आधारित शासन का वैकल्पिक माडल की शुरूआत होगी।

महोदय क्या आप संतुष्ट हैं कि बजट प्रावधानों में इनको पर्याप्तरूप से दर्शाया गया है।

श्री पी. चिदम्बरम : जी हां चित्त बसु जी। यह पहला बजट है। हमारे पास पांच वर्ष हैं। मैं इस कारण इसका समर्थन नहीं करता हूं कि मैं इससे संतुष्ट हूं परन्तु मैं महसूस करता हूं कि यह नई प्रक्रिया का प्रारम्भ है, नये दृष्टिकोण का प्रारम्भ है, बजट बनाने की नई प्रक्रिया का प्रारम्भ है और उनके समक्ष राजनैतिक मजबूरी को ध्यान में रखते हुए भी मैं इससे संतुष्ट हूं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अब तक चली आ रही आर्थिक नीतियों को पलटने की जरूरत है और पूरा बदलाव इस में अनुपस्थित है। मैं इसके लिए उनपर दोष नहीं लगाता। ऐसी स्थिति की मजबूरी के कारण है। बजट में पुनरीक्षित अनुमान में वित्तीय घाटे को कुल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत से कम करके पाच प्रतिशत लाने का प्रस्ताव है। परन्तु साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कहा गया है कि वित्तीय प्रबन्ध के सिद्धान्तों को विकास अथवा पूंजीनिवेश की लागत पर नहीं चलाया जायेगा। बजट प्रस्तावों में इस भावना को भी उचित रूप

से नही दर्शाया गया है। मेरे विचार में इनका कड़ाई से पालन नहीं किया गया है। वर्ष 1996 की तुलना में सरकार के पूंजीगत व्यय में वर्ष 1996-97 में कमी दिखाई गई है। 1995-96 में यह कुल घरेलू उत्पाद का 3.6 प्रतिशत था और 1996-97 में यह घट कर 3.4 प्रतिशत रह गया है। मैं दस मिनट के अन्दर समाप्त करना चाहता हूं इस लिये मै और उदाहरण नहीं देना चाहता। दो उदाहरण ही पर्याप्त हैं और सरकार उनपर ध्यान दे सकती है और प्रस्तावों को तदनुसार बदल सकती है।

मेरा अन्तिम मुद्दा बहुत सरल है। यह बजट बनाने की विचारधारा के बारे में है। मुझे ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री का सारा दृष्टिकोण यह है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किया जाये। विकास और सामाजिक न्याय के बीच सम्बन्ध क्या है ? मैं नहीं जानता कि वह मुझ से सहमत हैं अथवा नहीं। सामाजिक न्याय के बिना विकास नहीं हो सकता। विकास की प्रक्रिया से सामाजिक न्याय के पहलू को अलग नहीं किया जा सकता। वास्तव में टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित लेख मेरे पास है जिसे किसी वामपंथी ने नहीं बल्कि टाइम्स आफ इंडिया ने लिखा है। इस वर्ष के एस.डी.आर. रिपोर्ट पर सम्पादकीय लेख कहा गया है।

एस.डी.आर. रिपोर्ट से यह पता लगता है कि विकास से लाभ न केवल नीचे वालो तक नहीं पहुंच सके बल्कि मानव विकास का अभाव वास्तव में विकास के लिए बाधा बन गया है"

सामाजिक न्याय केवल कमजोर की अवधारणा नहीं है। इसका विकास से गहरा सम्बन्ध है। यदि आप अधिक से अधिक सामाजिक न्याय देते हैं तो विकास दर तेज से तेजतर होगी। आपका विचार यह है कि विकास की तेज दर तथा सामाजिक न्याय इसमें से आते हैं। परन्तु मेरा मुद्दा यह है कि यदि आज सामाजिक न्याय सुनिश्चित नही करते तो आप विकास की तीव्र दर को प्राप्त नहीं कर सकते। सम्पादकीय में आगे कहा गया है।

"अतः 89 देशों की आर्थिक स्थिति पिछली दस अथवा अधिक वर्षों की तुलना में खराब है। लातीनी अमरीका, अफ्रीका तथा स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकृता के लगभग 70 देश 1970 की अवनति की स्थिति में आ गये हैं। ये सभी न तो वार्स्कैट के मामले हैं न ही सिविल युद्ध के भाग हैं।" मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत विकास की और तेज दर प्राप्त कर सकता था यदि अधिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया गया होता। यदि अधिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं किया जाता तो विकास की अधिक दर प्राप्त नही की जा सकती।

सामाजिक न्याय को उस विचारधारा मे शामिल किया जा सकता है जो कहती है कि उत्पादक आस्तियों तक लोगों की अधिक पहुंच होनी चाहिए। जब तक आप उत्पादक आस्तियों को आम आदमी की पहुंच में नहीं लाते, यदि आप किसानों को भूमि का स्वामी नहीं बनाते, जब तक उत्पादक प्रक्रिया में मजदूरों को भागीदार नहीं बनाते, जब तक आप उत्पादक आस्तियों की मजदूरों और श्रम करने वालों की पहुंच में नहीं लाते तब तक तेजी से विकास नहीं हो सकता और यह विकास सामाजिक न्याय के लिये भी नहीं होगा। मेरे विचार में बजट प्रस्तावों में विचारों तथा सूझबूझ की कमी है।

मुझे आशा है माननीय वित्त मंत्री जो बुद्धिमान है, और जो लोगों की मूल भावनाओं को समझते हैं इन पर ध्यान देंगे यदि सम्भव हो, तो उपयुक्त शुद्धियां करेंगे ताकि सांझा–न्यूनतम कार्यक्रम सदा मार्गदर्शी रहे तथा प्रेरणात्मक रहे और इस देश के लोग विकास और खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ सकें।

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन में जनरल बजट पर डिस्कशन चालू है और इस चर्चा में भाग लेते हुए, मैं भी अपने ख्यालात आपके सामने रखना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1996-97 का जो बजट पेश किया है, मैं उसे सपोर्ट करता हूं। मैं उन्हें बधाई भी देना चाहूंगा क्योंकि जो पिछली सरकार की लिबरलाईजेशन पौलिसी थी, उसे उन्होंने एडौप्ट ही नहीं किया है बल्कि उसे फर्दर डोज देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उसमें जो कमी–बेशी थी, उसे दूर करके बहुत अच्छे ढंग से पेश किया है।

इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जो बजट पेश किया, वह बहुत अच्छा है लेकिन मुझे एक चीज पर गिला जरूर है। बजट से पहले सरकार ने जो पैट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ाए, उससे मैं समझता हूं कि खसूसी तौर पर प्लान पर उतना असर भले ही न पड़ा हो लेकिन देश के जितने पहाड़ी इलाके हैं, वहां रहने वाले लोगों के साथ जबर्दस्त नाइंसाफी हुई है क्योंकि पहाड़ी एरियाज में रेल सर्विस नहीं है बल्कि हर मामले में हमें रोड ट्रांसपोर्ट पर डिपैंड करना पड़ता है। वहां रोजमर्रा का हर सामान पैट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से पहुंचाया जाता है। पैट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन के किराए बहुत जबर्दस्त बढ़ गए हैं। यदि सरकार ने डीजल के दाम 15 परसेंट बढ़ाए हैं तो ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्टेशन किराए 30 से 40 परसेंट तक बढ़ा दिए हैं। इसी तरह से जितनी पैट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं, टैक्सी हैं, टूरिस्ट व्हीकल्स हैं, आप जानते हैं कि तमाम पहाड़ी एरियाज में हमें पैट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर डिपैंड करना पड़ता है, उन सबने अपने किराए 50 से 60 परसेंट तक बढ़ा दिए हैं जिसकी वजह से, मैं समझता हूं कि पहाड़ी लोगों के साथ बहुत जबर्दस्त नाइंसाफी हुई है। इससे सभी पहाड़ी इलाकों पर, राइट फ्राम हिमालयन रीजन, असर हुआ है। उसको सही करने के लिए आपको कुछ न कुछ सोचना होगा, कुछ न कुछ ग्रांट या असिस्टेंस देनी होगी। जिन एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैनली पैट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियां ही हैं उन एरियाज़ को आप आइडेंटिफाई करें।

मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। जम्मू से लेह के लिए एक ट्रक, जो 60 क्विंटल का लोड हाई ऐलटिट्यूड होने के कारण उठाता है, उसका किराया 11 हजार रुपये था। उन्होंने तत्काल बढ़ाकर 14 हजार कर दिया और अभी यह 18 हजार हो गया है। आपको मालूम है कि हमारा रिजन एक साल में सात महीने बंद रहता है। जब रास्ता बंद होने को होता है तो यह किराया और बढ़ जाता है। गत वर्ष एक ट्रक का किराया 29 हजार तक हो गया था। जम्मू–कश्मीर में जो लद्दाख रीजन है वहां रास्ता अभी भी बंद है और उससे पहले भी बंद रहा। उसकी वजह से हमारे स्टौकिंग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और प्राइसेज बहुत हाई होंगी। इससे जितनी भी आवश्यक वस्तुएं है उनकी प्राइसेज

बढ़ जाएंगी।

हम माननीय प्रधान मंत्री जी के मश्कूर हैं कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लिए स्पेशल प्लान असिस्टेंस लगभग 392 करोड़ रुपया मंजूर किया है, जिसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए रखा है और वह रेलवे व रोड ट्रासपोर्ट के लिए है। काजी-गोंड से बारामूला तक रेल लाइन ले जाने का एक प्लान है। उसके अलावा मुगलरोड का जो वैकल्पिक रास्ता है उसके लिए भी आपने शायद 50 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें रखा है। साथ ही हम यह भी कहना चाहते हैं कि इसका कश्मीर वैली तक अच्छा इंपेक्ट रहेगा, लेकिन हमारे लिए कोई खास फायदा नहीं रहेगा। लेकिन जो भी है उसका हम स्वागत करते हैं और हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। हाल ही में वे लदाख रिजन के ट्यूर पर गए थे तो उन्होंने 16 करोड़ रुपये का ग्रांट सैंक्शन किया था, जिसमें वाटर सप्लाई मैंन है।

हमारी एक शिकायत भी है। आपको मालूम है कि लदाख ऑटोनोमस हिल डवलपमेंट कौंसिल, जो गत वर्ष हमारी कांग्रेस सरकार ने वहां के लिए मंजूर की थी, वह सैट-अप हुई, उसके इलैक्शन चल रहे हैं। उस सिलसिले में हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट किया था कि यह पहली कौंसिल है इसलिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए, मैनली बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन साइड पर हमें काफी रुपयों की दरकार है। हमने 50 करोड़ रुपये के लिए निवेदन किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 16 करोड़ रुपया मंजूर किया। उसमें एक चीज शायद उनकी समझ में नहीं आई या मुझे मालूम नहीं है, कैसे उनको ब्रिफिंग दी गई थी। लेह और कारगिल मेरे संसदीय क्षेत्र में है, दो डिस्ट्रिक्ट हैं। एक में ऑटोनोमस कौंसिल है, लेकिन दूसरे में नहीं है। हमने कौंसिल के इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन उन्होंने एक झगड़े का मोजू बना दिया। जो 16 करोड़ मंजूर किया उसमें 8-8 करोड़ रुपया लेह और कारगिल के लिए बराबर-बराबर कर दिया। जब वहां इलैक्टैड गवर्नमेंट थी, फारूख साहब या शेख साहब के जमाने से हमारे रिजन के लिए बराबरी का एक सिलसिला चला आ रहा है और उन्होंने भी उसी लाइन पर कर दिया, जिससे हमारे दोनों डिस्ट्रिक्टों के बीच में नाराजगी पैदा हो गई और वह बदस्तूर जारी हैं

अपराह्न 6.00 बजे

इसलिए हम यह चाहते थे कि हमें जो कौंसिल आपने दी है, उसके अन्तर्गत अन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करने के लिए लेह में ज्यादा फंड चाहिए था। मेरी कांस्टीट्यूएंसी का जो एरिया है वह 65 हजार किलोमीटर है जिमसें में 14 हजार स्क्वेयर किलोमीटर सिर्फ कारगिल डिस्ट्रिट है और बाकी लगभग 51 हजार किलोमीटर लेह जिला है।

प्लानिंग कमीशन हमेशा ऐसी स्कीम बनाता है कि उसमें एशिया का कोई कंसीडरेशन नहीं किया जाता जबकि हम चाहते थे कि एरिया का खास कंसीडरेशन किया जाए क्योंकि आपने जो प्लान करना है, डिवेलपमेंट करना है वह एरिया का करना है न कि पापुलेशन का, हालांकि लेह में पापुलेशन भी ज्यादा है। हम यह चाहते थे कि एरिया को डिवेलप करने के लिए पैसा ज्यादा होना चाहिए। जो पापुलेशन को डिवेलप करने का विचार रखा है वह खासकर हमारे नेशनल फेमिली वैलफेयर प्रोग्राम के अगेंस्ट जाता है कि पापुलेशन के बेस पर फंडिग को तकसीम किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : नामग्याल जी, आप कितना और बोलना चाहेंगे क्योंकि छः बज गए हैं और यदि आप और बोलना चाहते हैं, तो मुझे सदन की अनुमति लेनी होगी।

श्री पी. नामग्याल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 15 मिनट और बोलना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह तो बहुत ज्यादा हैं। आप सिर्फ पांच मिनट और बोल लीजिए।

श्री मनोरंजन भक्त : उपाध्यक्ष महोदय, जितना समय ये बोलना चाहें, उतना देकर फिर सदन को स्थगित कीजिए।

उपाध्यक्ष मेहोदय : नहीं, इसके लिए भी मुझे सदन की अनुमति लेनी होगी।

श्री पी. नामग्याल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय और दीजिए क्योंकि मैं अपना भाषण समाप्त कर के आज ही अपने क्षेत्र में जाना चाहता हूं। इसलिए मैं आज ही अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पांच मिनट और बोल लीजिए।

श्री पी. नामग्याल : उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट में मेरा भाषण समाप्त नहीं होगा। मुझे दस मिनट तो और दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं सदस्यों की अनुमति से सदन का समय दस मिनट के लिए बढ़ा रहा हूं। आप दस मिनट में अपना भाषण पूर्ण कर लें।

श्री पी. नामग्याल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने लदाख ओटोनौमस कौंसिल के लिए स्पेशल वन टाइम ग्रांट मांगी है। इसके लिए हमने 50 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। उसमें से जो भी आप मुनासिब समझें, वह दे दें। हम यह नहीं कहते हैं कि हम रिजिड हैं और हम 50 करोड़ ही लेंगे। हम तो यह कहते हैं जितना भी संभव हो उतना दीजिए। हम तो 40 करोड के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि कैसे भी कहीं से भी इसके लिए पैसे की व्यवस्था जरूर करें और यह पैसा हमें दे। मुझे मालूम है कि यह पैसा तो कहीं से भी वित्त मंत्री निकाल सकते हैं और हमें दे सकते हैं।

दूसरा हमारा एक इश्यू रोड कम्युनिकेशन का है। करगिल जिला एक ऐसा जिला है जिसमें रासकर एक सबडिवीजन ऐसा है जो साल में नौ माह तक अन्य क्षेत्रों के लिए बंद रहता है। दुनिया के अन्य भाग से तो वह कटा ही रहता है, लेकिन अपने ही प्रदेश के लदाख और करगिल से भी वह कटा रहता है क्योंकि बर्फ बहुत पड़ती है। उसके

लिए ओ.एफ.सी. के अन्तर्गत जापानी इकनौमिक असिस्टेंस के तहत जापान सरकार से बुद्धिस्ट एरिया प्रोग्राम के तहत इकनौमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जापान सरकार को 60 करोड़ रुपए का एक प्रयोजल रिक्मेंड किया गया था कि वहां पर रोड बनाई जाए, लेकिन उस बारे में सुनने में आ रहा है कि अभी तक जापान सरकार द्वारा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। मैं आनरेबल फायनेंस मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हिन्दुस्तान सरकार की ओर से जापान सरकार को वे दुबारा रिक्वेस्ट भेजें। अगर हमारा वह रोड सैंक्शन हो जाए, तो साल में नौ मास जो क्षेत्र दुनिया के अन्य भागों से कटा रहता है। उससे हमारा संबंध पूरे साल बना रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारा एक वरीला रोड है जिसको बनाने के लिए बार्डर रोड्स के थ्रू बनाने की रिक्वेस्ट की गई है क्योंकि वह रोड रक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मालूम ही है कि सियाचिन पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान तैयार बैठा है। इसलिए सिचाचिन एरिया को जोड़ने के लिए यह वरीला रोड बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बोर्डर रोड्स के थ्रू नयी रोड बनाने की बहुत आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से सोचने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इन्कम टैक्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। चिदम्बरम साहब को मालूम है कि लदाख में 1992 से 1988-89 तक इन्कम टैक्स को एग्जम्प्ट रखा गया था। वे हर पांच साल के लिए एक्सटैंड किया करते थे। 1989 में हमारी सरकार सैंटर में नहीं रही तो जनता दल की सरकार आई। उनको शायद समझ में नहीं आया कि क्या है, इसलिए वह ड्रॉप हो गया था। उसके बाद एक कंटीन्यूअस सोर्स ऑफ हैरासमैंट बना हुआ है। वहां के लोग इनकम टैक्स देने की काबलियत नहीं रखते। आपको मालूम है कि 1989 में वहां की इकोनोमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। गुरबत की वजह से वहां की तकरीबन 98 प्रतिशत पौपुलेशन को शैडयुल्ड ट्राईब्स का दर्जा दिया गया। आपने एक हाथ से तो वहां के लोगों को शैडयूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दे दिया लेकिन दूसरे हाथ से इनकम टैक्स लगा दिया। यह बहुत ही नाइंसाफी है। मैं चिदंबरम साहब से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं, वे इस बात पर गौर करें कि 98 प्रतिशत पौपुलेशन शेडयूल्ड ट्राईब्स है जबकि बाकी नार्थ ईस्ट में जो ट्राईबल पौपुलेशन है, उनको यह फैसिलिटी मिली हुई है तो हमें क्यों नहीं मिलनी चाहिए।

मैंने पहले भी अर्ज किया है कि लदाख रीजन साल में सात महीने बंद रहता है। चाहे बिजनसमैन हो या कोई और हो, हमें पूरे साल के लिए स्टॉक करना पड़ता है। उनको नफा, नुकसान जो भी होगा, उस पैसे को हम रीइन्वैस्टमैंट नहीं कर सकते जब तक अगले साल रास्ता न खुले। इस तरह से बिजनसमैन को भी कोई खास इनकम नहीं है। वहां पर थोड़े से हैंडफुल गवर्नमैंट इम्प्लॉइज़ हैं, यह उन पर लागू हो रहा है। मैं इसे नाइंसाफी समझता हूं क्योंकि इस समय भी वहां कॉस्ट आफॅ लिविंग जम्मू और दिल्ली से चार सौ प्रतिशत ज्यादा है। दूसरी बात, जो इनकम टैक्स एक्ट बना है, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता या जो भी बड़े–बड़े शहर हैं, उन्हें भी रिमोट एरिया के साथ इक्वेट किया गया है। उनमें आपको दुबारा देखने की जरूरत है। वहां पर इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है।

आपको मालूम है कि कश्मीर वैली में वे आज तक कोई पैसा नहीं दे रहे हैं हालांकि इनकम टैक्स लागू है। वे 1982 से कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। 1982 में यहां से जो टीम इनकम टैक्स रेड करने के लिए वहां गई थी, फारूख अब्दुल्ला साहब के समय में लोगों ने उनकी खूब पिटाई की। आपने यहां से दो एयर बस भरकर जो स्टाफ भेजा था, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, कुछ महिलाएं थीं, उनके दांत निकाल दिए। इतनी पिटाई की कि आज तक कान पकड़कर बैठे हैं, आपके इनकम टैक्स वाले स्टाफ ने आज तक वहां जाने की जुर्रत नहीं की। आपमें ताकत है तो उनसे पैसा ले लीजिए। हम गरीब लोग हैं, शरीफ लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, हम पर आप जबरदस्ती कर रहे हैं। श्रीनगर में कोई भी पूछने नहीं जाता। मेरी गुजारिश है कि यह नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।

जहां तक डिफैंस का मसला है, लदाख स्ट्रैटीजिकली बहुत ही इम्पौर्टेंट एरिया है। लदाखियों ने पाकिस्तान के साथ तीन जंगे लड़ीं। हमने बहादुर इंडियन आर्मी के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान को तीन बार बुरी तरह से शिकस्त दी। 1962 में जब चीन ने हमारे देश पर हमला किया तो सिर्फ लदाखी ही थे जिन्होंने चाईनीज के साथ फाईट की, उन्होंने रूदोक में अटैक करना शुरू किया था। मैं यह नहीं भूल सकता, इंडियन आर्मी की नाईन्थ कुमाऊं रेजीमैंट ने मेजर शैतान सिंह की खयादात में वाकई फाइट दी। रुदोक में उनका चीफ हैडक्वार्टर वहां से सौ किलोमीटर दूर था, चीन ने वहां अटैक करना शुरू किया था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पीछे इंडियन फोर्सेज का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो हमारी फौज को वहां से विथड्रा करना पड़ा।

हमारे लदाख रीजन में लदाख स्काउट्स के नाम से एक यूनिट है, जो इण्डियन आर्मी की एक छोटी सी यूनिट है, हम चाहेंगे कि उसको रैगुलर रेजीमैंट का दर्जा दिया जाय, जो आज सियाचिन की हाइट से लेकर पाकिस्तान बोर्डर, चाइनीज़ बोर्डर, हर एक जगह पर डिप्लायड है और वह हायर एल्टीट्यूड में लड़ने के लिए काबिल है। हमारी जो फोर्सेज़ हैं, उनको जो तकलीफें वहां उठानी पड़ती हैं, इससे उनको इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, अगर उसका रेजीमेंट का स्टैण्डर्ड बना दिया जाय, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाय तो

हमारे देश के हित में होगा, फायदे में होगा। इसकी हमारी एक डिमाण्ड है कि लदाख की उस यूनिट को एक रेजीमेंट का दर्जा दिया जाय।

लास्टली, जो टेलीकॉम सर्विस है, जैसी मैंने आपको पहले रिक्वैस्ट की थी, हमारे एरिया में तो वहां गड़बड़ी नहीं हुई, वहां पर गड़बड़ी होने के लिए कोई चांस ही नहीं था। मैंने आपको बता दिया कि हमारे एरिया में सबसे बडा चाइनीज आक्यूपाइड एरिया को मिलाकर मेरी कांस्टीट्यूएंसी एक लाख स्क्वायर किलोमीटर की है, 35000 स्क्वायर किलोमीटर उनके इल्लीगल कब्जे में है, लेकिन जो 65000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास है, वह अभी इस वक्त भी एक कांस्टीट्यूएंसी हिमाचल प्रदेश से 10000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी है। आप अंदाजा कीजिए कि वहां कम्युनिकेशन का क्या सिस्टम हो सकता है। मैं यही रिक्वैस्ट करने जा रहा हूं कि जो भी तीन सब डिवीजन वहां पर हैं, वहां अर्थ स्टेशन का प्रपोजल तो है, लेकिन वहां कुछ नहीं हो रहा है, वह इम्मीडिएटली सैट-अप होना चाहिए, वहां पर कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। कई बार वहां नैचुरल कैलेमिटी हो जाती है, कई बार हैवी बर्फबारी हो जाती है, लेकिन हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं है। वहां एक जगह जांस्कर है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि वह नौ महीने बन्द रहता है, नुबरा छह महीने बन्द रहता है, आंखल हालांकि इतने दिन बन्द नहीं रहता है, लेकिन वह बहुत रिमोट एरिया में चाइनीज़ बोर्डर पर है। यह दो चार जगह हैं, उन पर अर्थ स्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं कन्क्लूड करते हुए माननीय उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही मैं माननीय चिदम्बरम जी से खुसूसी तौर पर रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि जो पाइंट्स मैंने उठाये हैं, उनपर गौर फरमायें। जो बजट इन्होंने पेश किया है, मैं इसकी सपोर्ट करता हूं।

شری بی۔ نامگیال (لدّاخ) : مانیتے اپادھیکش جی سدن میں جنرل بجٹ پر ڈسکشن چالو ہے اور اس چرچا میں بھاگ لیتے ہوئے میں بھی اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بجٹ منتری جی نے ۱۹۹۶-۹۷ء کا جو بجٹ پیش کیا ہے میں اسے سپورٹ کرتا ہوں۔ میں انہیں بدھائی بھی دینا چاہوں گا کیونکہ جو پچھلی سرکار کی لبرلائزیشن پولیسی تھی اسے انہوں نے اپڈیٹ ہی نہیں کیا ہے بلکہ اسے بڑھاوا دینے کے لئے اس میں جو کمی بیشی تھی اسے دور کر کے بہت اچھے ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ لیکن مجھے ایک چیز پر گلا ضرور ہے۔ بجٹ سے پہلے سرکار نے جو پیٹرول اور ڈیزل کے پرائز بڑھائے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی طور پر پلان پر اتنا اثر بھلے ہی نہ پڑا ہو لیکن دیش کے جتنے پہاڑی علاقے ہیں وہاں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے کیونکہ پہاڑی ایریاز میں ریل سروس نہیں ہے بلکہ ہر معاملے میں ہمیں روڈ ٹرانسپورٹ پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے وہاں روزمرّہ کا ہر سامان پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں سے پہنچایا جاتا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کے پرائز بڑھنے سے ٹرانسپورٹیشن کے کرائے بہت زبردست بڑھ گئے ہیں۔ ہندی سرکار نے ڈیزل کے دام ۱۵ پرسینٹ بڑھائے ہیں تو ٹرانسپورٹرس نے ٹرانسپورٹیشن کرائے ۳۰ سے ۴۰ پرسینٹ تک بڑھائے ہیں۔ اسی طرح سے جتنی پیٹرول سے چلنے والی

گاڑیوں پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ ان سب نے اپنے کرائے ۵۰ سے ۷۰ پرسینٹ تک بڑھا دئیے ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پہاڑی لوگوں کے ساتھ بہت زبردست ناانصافی ہوئی ہے۔ اس سے سبھی پہاڑی علاقوں پر ڈائرکٹ فرام ہمالین ریجن اثر ہوا ہے۔ اس کو صحیح کرنے کے لئے آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا کچھ نہ کچھ گرانٹ یا اسٹیڈس دینی ہوگی جن ایریاز میں ٹرانسپورٹیشن کے لئے منلی پیٹرول یا ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں ہیں ان ایریاز کو آپ آندھی دھاندی کریں۔

میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جموں سے لیہہ کے لئے ایک ٹرک جو ۷۰ کوئنٹل ہائی ایلیٹیٹیوز ہونے کے کارن اُٹھاتا ہے اس کا کرایہ ۱۱ ہزار روپے تھا۔ انہوں نے بڑھا کر ۱۲ ہزار کر دیا اور اب ۰۰۔۱۸ ہزار ہو گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیجن سال میں سات مہینے بند رہتا ہے جب راستہ بند ہونے کو ہوتا ہے تو یہ کرایہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اگلے ورش ایک ٹرک کا کرایہ ۲۹ ہزار تک پہنچ گیا تھا۔ جموں۔کشمیر میں جو لدّاخ ریجن ہے وہاں راستہ ابھی بھی بند ہے اور اس سے پہلے بھی بند رہا۔ اس کی وجہ سے جمع اسٹاک پر بہت برا اثر پڑے گا اور پرائز بہت ھائی ہوں گی۔ اس سے جتنی بھی اشیا اسٹوک میں ہے ان کی پرائز بڑھ جائے گی

ہم مانتے پردھان منتری جی کے مشکور ہیں کہ اُنہوں نے جموّں کشمیر کے لئے اسپیشل پلان اسٹیٹ میں لگ بھگ ۲۲۰۳ کروڑ روپئے منظور کیا ہے جس میں کچھ انفواسٹو کچھ ڈیراپ مینٹ کے لئے رکھا ہے اور وہ ریلوے اور روڈ ٹرانسپورٹ کے لئے ہیں۔ قاضی گورڈ سے بارامولا تک ریل لائن لے جانے کا پلان ہے۔ اس کے علاوہ مغل روڈ کا سروس کا راستہ ہے اس کے لئے بھی آپ نے شائد ۵۰ کروڑ روپے کا پراودھان اس میں رکھا ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا کشمیر دہلی تک اچھا امپیکٹ رہے گا لیکن ہمارے لئے کوئی خاص فائدہ نہیں رہے گا۔ لیکن جو بھی ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور ہم انہیں دھنیواد دینا چاہتے ہیں۔ حال ہی میں وہ لدّاخ ریجن کے ٹور پر گئے تھے تو انہوں نے ۹۶ کروڑ روپے کا گرانٹ سینکشن کیا تھا جس میں واٹر سپلائی مین ہے۔

ہماری ایک شکایت بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لدّاخ آٹونومس ہل ڈیولپمینٹ کونسل جو اگلے ورش ہماری اور کانگریس سرکار نے ہمارے لئے منظور کی تھی وہ سیٹ اپ ہوئی اس کے الیکشن چل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ یہ پہلی کونسل ہے اس لئے ہمیں انفراسٹرک جو ڈیولپمینٹ کے لئے مل گئی بلڈنگ انفراسٹرکچر کمیونیکیشن سائڈ پر کافی روپئے کی درکار ہے۔ ہم نے ۵۰ کروڑ روپے کے لئے نویدن کیا تھا لیکن انہوں نے صرف ۱۶ کروڑ روپیہ منظور کیا۔ اس میں ایک چیز بھی نہیں آئی یا مجھے معلوم نہیں کیسے ان کو بروقت دی گئی تھی۔ یہ اور کلوڈل جس سدسئے شیئر ہیں دو ڈسٹرکٹ ہیں۔ ایک میں آٹونومس کونسل ہے لیکن دوسرے میں نہیں ہے۔ ہم نے کونسل کے انفواسٹرکچر ڈیولپمینٹ کے لئے ۵۰ کروڑ روپے کی مانگ کی تھی لیکن انہوں نے ایک جھگڑے کا موضوع بنا دیا۔ جو ۱۷ کروڑ روپیہ منظور کیا اس میں ۸۔۸ کروڑ روپیہ لیہ اور کرگل کے لئے برابر برابر کر دیا۔ جب وہاں الیکٹ گورنمنٹ تھی فاروق صاحب یا شیخ صاحب کے زمانہ سے ہمارے ریجن کے لئے برابری کا ایک سلسلہ چلا آرہا ہے اور انہوں نے بھی اس لائن پر کر دیا جس سے ہمارے دونوں ڈسٹرکٹوں کے بیچ میں ناراضگی پیدا

[illegible]

سے بدھسٹ ایریا پروگرام کے تحت اکنومک افیئیرس منسٹری کی طرف سے جاپان سرکار کو ۷۰ کروڑ روپے کا ایک پروپوزل ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ وہاں پر روڈ بنائی جائے لیکن اس بارے میں سننے میں آرہا ہے کہ ابھی تک جاپان سرکار کی طرف سے کوئی ڈیسیزن نہیں لیا گیا ہے۔ میں آنریبل فائنینس منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہندوستان سرکار کی اور سے جاپان سرکار کو دوبارہ ریکویسٹ بھیجے۔ اگر ہمارا وہ روڈ سینکشن ہو جائے تو سال میں نو ماہ تک جو شیشتر دنیا کے انیک ستھانوں سے کٹا رہتا ہے اس سے ہمارا سمبندھ پورے سال بنا رہے گا۔

اب ادھیکش مہودے۔ اسی طرح سے ہمارا ایک وریلا روڈ ہے جس کو بنانے کے لئے بارڈر روڈس کے تھرو بنانے کی ریکویسٹ کی گئی ہے کیونکہ وہ روڈ رکشا کی درشٹی سے بہت مہت وپورن ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ سیاچن پر قبضہ کرنے کے لئے پاکستان تیار بیٹھا ہے۔ اس لئے سیاچن ایریے کو جوڑنے کے لئے یہ ایریلا روڈ بہت امپارٹینٹ ہے۔ اس کو بارڈر روڈس کے تھرو نئی روڈ بنانے کی بہت آوشیکتا ہے۔ میرا نویدن ہے کہ اس پر گمبھیرتا سے سوچنے کی ضرورت ہے۔

اپادھیکش مہودے۔ اب میں انکم ٹیکس کے بارے میں نویدن کرنا چاہتا ہوں۔ چدمبرم صاحب کو معلوم ہے کہ لداخ میں ۱۹۹۲ء سے ۸۹-۱۹۸۸ء تک انکم ٹیکس کو ایگزمپٹ رکھا گیا تھا۔ وہ ہر پانچ سال کے لئے ایکسٹینڈ کیا کرتے تھے۔ ۱۹۸۹ء میں ہماری سرکار سینٹر میں نہیں رہی تو جنتا دل کی سرکار آئی۔ ان کو شاید سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے۔ اس لئے وہ ڈراپ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک کنیٹونس سروس آف ہراسمینٹ بنا ہوا ہے۔ وہاں کے لوگ انکم ٹیکس دینے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ۱۹۸۹ء میں وہاں کی اکنامک کنڈیشن اچھی نہیں تھی۔ غربت کی وجہ سے وہاں کی تقریباً ۹۸ پرتی شت پاپولیشن کو شڈولڈ ٹرائبس کا درجہ دیا گیا۔ آپ نے ایک ہاتھ سے تو وہاں کے لوگوں کو شڈولڈ ٹرائبس کا درجہ دے دیا لیکن دوسرے ہاتھ سے انکم ٹیکس لگا دیا۔ یہ بہت ہی ناانصافی ہے۔ میں چدمبرم صاحب سے رکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ ۹۸ پرتی شت پاپولیشن شڈولڈ ٹرائب ہے جب کہ باقی نارتھ ایسٹ میں جو ٹرائبل پاپولیشن ہے ان کو یہ فیصلٹی ملی ہوئی ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملنی چاہئے۔

میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ لداخ ریجن سال میں سات مہینے بند رہتا ہے۔ چاہے بزنس مین ہو یا کوئی اور ہو ہمیں پورے سال کے لئے اسٹاک کرنا پڑتا ہے۔ ان کو نفع نقصان جو بھی ہوگا اس پیسے کو ہم ری انویسٹ نہیں کر سکتے۔ جب تک اگلے سال راستہ نہ کھلے۔ اس طرح بزنس مین کو بھی کوئی خاص انکم نہیں ہے۔ وہاں پر تھوڑے سے ہینڈ فال گورنمنٹ ایمپلائی ہیں یہ ان پر لاگو ہو رہا ہے۔ میں اسے ناانصافی سمجھتا ہوں کیونکہ اس سمے بھی وہاں کاسٹ آف لیونگ حصوں اور دلی سے ۴۰۰ پرتی شت زیادہ ہے۔ دوسری بات جو انکم ٹیکس ایکزمپٹ ہے۔ بمبئی، دلی، مدراس، کلکتہ یا جو بھی بڑے بڑے شہر ہیں انھیں بھی ریموٹ ایریا کے ساتھ ایکویٹ کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے وہاں پر انس سورس آف انکم نہیں ہے۔

آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر ریلی میں وہ آج تک کوئی پیسہ نہیں دے رہے ہیں حالانکہ انکم ٹیکس لاگو ہے۔ وہ ۱۹۸۲ء سے کوئی پیسہ نہیں دے رہے ہیں۔ ۱۹۸۲ء میں یہاں سے جو ٹیم انکم ٹیکس ریڈ کرنے کے لئے وہاں گئی تھی فاروق عبداللہ صاحب کے سمے میں لوگوں نے اُن کی

خوب پٹائی کی۔ آپ نے یہاں سے دو ائیر بس بھر کر جو لوگ
بھیجا تھا کسی کی ٹانگ توڑ دی کسی کا ہاتھ توڑ دیا کچھ مہیلائیں
تھیں ان کے دانت نکال لئے۔ اتنی پٹائی کی کہ آج تک
کان پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ آپ کے انکم ٹیکس والے اسٹاف نے
آج تک وہاں جانے کی جرأت نہیں کی۔ آپ میں طاقت
ہے تو ان سے پیسہ لے لیجئے۔ ہم غریب لوگ ہیں۔ شریف لوگ
ہیں۔ پہاڑی لوگ ہیں ہم پر آپ زبردستی کر رہے ہیں
سری نگر میں کوئی بھی پوچھنے نہیں جاتا۔ میری گذارش ہے
کہ یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہئے۔

جہاں تک ڈیفینس کا مسئلہ ہے لداخ بہت ہی بھاگینٹ
ایریا ہے۔ لداخیوں نے پاکستان کے ساتھ تین جنگیں لڑیں
ہم نے بہادر انڈین آرمی کے جوانوں کے ساتھ کندھے سے
کندھا ملا کر پاکستان کو تین بار بُری طرح سے شکست دی۔
سنہ ۱۹۶۲ء میں جب چین نے ہمارے دیش پر حملہ کیا تو صرف
لداخی ہی تھے جنہوں نے چائنیز کے ساتھ فائٹ کی۔
انہوں نے دھوکہ میں اٹیک کرنا شروع کیا تھا۔ میں یہ
نہیں بھول سکتا۔ انڈین آرمی کی فائٹ رلو کماڈر رجمنٹ
نے میجر شیطان سنگھ کی قیادت میں واقعی فائٹ دی۔
دھوکہ میں ان کا چیف ہیڈ کوارٹر وہاں سے سو کلومیٹر
دُور تھا۔ چین نے وہاں اٹیک کرنا شروع کیا تھا۔
لیکن بدقسمتی سے ہمارے پیچھے انڈین فورسز کا کوئی بندوبست
نہیں تھا۔ تو ہماری فوج کو وہاں سے وڈرا کرنا پڑا۔

ہمارے لداخ ریجن میں لداخ اسکاؤٹس کے
نام سے ایک یونٹ ہے جو انڈین آرمی کی ایک چھوٹی سی
یونٹ ہے ہم چاہیں گے کہ اس کو ریگولر رجمنٹ کا درجہ
دیا جائے جو آج سیاچین کی ہائٹ سے لے کر پاکستان
بارڈر چائنیز بارڈر ہر ایک جگہ پر ڈیپلائڈ ہے اور وہ
ہائی ایلٹیٹیوڈ میں لڑنے کے لئے قابل ہے۔

ہماری جو دور رسیز ہے ان کو جو تکلیفیں وہاں اُٹھانی
پڑتی ہیں اس سے ان کو اتنی تکلیف نہیں اُٹھانی پڑے گی
اور اس کا رجمنٹ کا اسٹینڈرڈ کا درجہ بنا دیا جائے
ان کی اسٹرینتھ بڑھا دی جائے تو ہمارے دیش کے
حق میں ہوگا فائدے میں ہوگا۔ اس کی ہماری ایک ڈیمانڈ
ہے کہ لداخ کی اس یونٹ کو ایک رجمنٹ کا درجہ
دیا جائے۔

لاسٹلی جو ٹیلی کام سروس ہے جیسی میں نے آپ کو پہلے
ریکویسٹ کی تھی ہمارے ایریا میں تو وہاں گڑبڑی نہیں
ہوئی وہاں پر گڑبڑی ہونے کے لئے کوئی چانس ہی
نہیں تھا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے ایریا میں
سب سے بڑا چائنیز اکھو یا نیڈ ایریا کو ملا کر میری کانسٹی ٹیونسی
ایک لاکھ کلومیٹر کی ہے۔ ۳۵۰۰۰ اسکوائر کلومیٹر ان کے
بالکل قبضہ میں ہے لیکن جو ۱۶۵۰۰ اسکوائر کلومیٹر ہمارے
پاس ہے۔ وہ ابھی اس وقت بھی ایک کنسٹی ٹیونسی ہماچل
پر دیش سے ۱۰۰۰۰ اسکوائر کلومیٹر بڑی ہے۔ آپ اندازہ
کیجئے کہ وہاں کمیونیکیشن کا کیا سسٹم ہو سکتا ہے۔ میں یہی
ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ جو بھی تین سب ڈویژن وہاں
پر ہیں وہاں او تھا اسٹیشن کا پرپوزل تو ہے لیکن وہاں
کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ امیڈیٹنس سیٹ اب ہونا چاہئے۔
وہاں پر کمیونیکیشن بہت ہی ضروری ہے۔ کئی بار وہاں نیچرل
کیلامٹی ہو جاتی ہے۔ کئی بار بھیوی برف باری ہو جاتی ہے
لیکن ہمارے پاس کمیونیکیشن کا کوئی سورس نہیں ہے۔
وہاں ایک جگہ جانسکو ہے جس کے بارے میں میں نے آپ
کو پہلے بتایا کہ وہ نو مہینے بند رہتا ہے۔ جانکھل حالانکہ
اتنے دن بند نہیں رہتا ہے لیکن وہ بہت ریموٹ ایریا
ہیں چائنیز بارڈر پر ہے۔ یہ دو چار جگہیں ان پر او تھ
اسٹیشن اور کمیونیکیشن سسٹم کی ویوستھا ہونی چاہئے۔

جی سے خصوصی طور سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پوائنٹس میں نے اُٹھائے ہیں ان پر غور فرمائیں۔ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں۔

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा गुरुवार, 29 अगस्त, 1996 के 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

میں کنکلیو کرتے ہوئے ماننیے اپادھکش مہودے کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی میں ماننیے جدمبرم

अपराह्न 6.11 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 29 अगस्त, 1996

7 भाद्र, 1918 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।